Tuesday, 19 November, 1968

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK-SABHA DEBATES

[छठा सत्र / Sixth Session]

Preservation Unit
17-7-94
Fumigated
On 4.1.84
Parliament Library

[खंड 21 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol.XXI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया   *Price : One Rupee*

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 7—मंगलवार, 19 नवम्बर, 1968/28 कार्तिक, 1890 (शक)

No. 7—Tuesday, November 19, 1968/Kartika 28, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
195 राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने अधिकार में ली गई कपड़ा मिलें	Textile Mills taken over by the National Textile Corporation	1065-1072
196 इस्पात कारखानों का विस्तार कार्यक्रम	Expansion Programme of Steel Plants	1072-1074
197 शाहदरा सहारनपुर लाइट रेलवे का बन्द होना	Closure of Shahdara-Saharanpur Light R ilway ...	10 4-1076
198 हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड	Hindustan Salts Lin.ited	107.- 1080
199 समस्तीपुर नरकटियागंज मुजफ्फरपुर बड़ी रेल लाइन का निर्माण	Samastipur Narkatiaganj Muzaffarpur B.G. Rail Link	1080-1081
अ. सू. प्र./S. N. Q.		
1 दुर्गापुर इस्पात कारखाने में तालाबन्दी	Lock-out in Durgapur Steel Plant	1081-1084

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. सं./S. Q. Nos.		
181 पंजाब खादी ग्रामोद्योग संगठन	Punjab Khadi Gram Udyog Organisation...	1085
182 दिल्ली को शुष्क बन्दरगाह बनाना	Delhi as a Dry Port ...	1086
183 कोयले की ढुलाई के बारे में विश्व बैंक के अध्ययन दल का सुझाव	Suggestions of World Bank's Study Team on Coal Transport	1086

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

***The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.**

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

ता.प्र.संख्या/ S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
184	ब्रिटेन द्वारा पटसन के माल का आयात	Import of Jute Goods by Great Britian ...	1087
185	पाकिस्तान की मुस्लिम लीग को भारतीय कम्पनियों द्वारा चन्दे दिये जाना	Donations by Indian Companies to Pak. Muslim League	1087
186	राजस्थान में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना	Tractor Factory in Rajasthan ...	1088
187	चोरी छिपे नेपाल में पटसन ले जाया जाना	Smuggling of Jute into Nepal	108
188	गुजरात में रेलवे लाइन	Railway Line in Gujarat	10 8–1089
189	भिवानी और रोहतक के बीच बड़ी रेल-लाइन	B,G, Line between Bhiwani and Rohtak ...	1089
190	बोकारो इस्पात कारखाना	Bokaro Steel Plant ...	1089
191	राज्यों में औद्योगिक विकास	Industrial Development in States ...	1090
192	स्टेनलेस स्टील के लिये आयात लाइ स	Import Licence for Stainless Steel	1090–1091
193	पंजाब और हरियाणा में नये उद्योग	New Industries in Punjab and Haryana ...	1091
194	कपिटल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का चलाया जाना	Running of Capital Express Trains... ...	1091-1 92
200	हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन रांची में सी. आई. ए. के एजेन्ट	C.I. Agents in H.E.C. Ranchi ...	1092
201	निर्यात प्रचार सलाहकार आयोग	Export Publicity Advisory Commission ..	1092
202	दुर्गापुर इस्पात कारखाना संबंधी पाण्डे समिति	Pande Committee on Durgapur Steel Plant	10 2–1093
203	विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration	1093–1094
204	पूर्वोत्तर रेलवे में भोजन व्यवस्था	Catering service on the North Eastern Railways	1094

ता.प्र.संख्या /S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
205	निर्यात प्रोत्साहनों संबंधी नीति में परिवर्तन	Changes in Policy Re. Export Incentives ..	1094-1095
206	हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड द्वारा कांग्रेस दल को दिया गया दान	Donations given by M/s Hindustan Motors Ltd., to the Congress Party ...	1095-1096
207	फालतू पुर्जों का आयात	Import of Spare Parts	1096
208	दिल्ली रेलवे स्टेशन पर संगणकों का प्रयोग	Computers at Delhi Railway Station ..	1096
209	धाड़वाड़ जिले में सोने के निक्षेप	Deposits of Gold in Dharwar District ...	1097
210	भारत में रूस की सहायता से चलने वाली परियोजनायें	Soviet Aided Projects in India ...	1097-1098

अता. प्र. सं./U. S. Q. Nos.

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
1154	यवतमाल जिले में रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण	Survey for a Railway Line in Yeotmal District ..	1098
1155	कपास के मूल्य	Prices of Raw Cotton	1098
1156	बोकारो इस्पात परियोजना	Bokaro Steel Project	1098-1099
1157	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन	Mining and Allied Machinery Corporation	1099
1158	बगदाद में अन्तर्राष्ट्रीय मेला	International Fair at Baghdad ...	1099-1100
1159	कांगड़ा घाटी छोटी रेल लाइन पर इंजन डिब्बे आदि	Rolling Stock on N.G. Kangra Vally Railway	1100-1101
1160	औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति	Industrial Licensing Policy	1101
1161	सिलेंडरों का आयात	Import of Cylinders	1101-1102
1162	उड़ीसा में कारखानों की स्थापना	Establishment of Factories in Orissa ...	1102

1163	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi ...	1102
1164	क्यूबा को पटसन का निर्यात	Export of Jute to Cuba ...	1102–1103
1165	मध्य रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	S.C. & S.T. Railway Employees on Central Railway	1103
1166	भुसावल और नागपुर के बीच मेल/एक्सप्रैस/पैंसेजर रेल गाड़ियां	Mail/Express/Passenger Trains between Bhusawal and Nagpur ..	1104
1167	लघु उद्योगों में मन्दी	Recession in Small Scale Industries	11 4-1105
1168	"लिंक" तथा "पेट्रियाट"	Link and Pat.iot	1105–1105
1169	अखबारी कागज में आयातकर्ता	Importers of Newsprint ...	1106
1170	इस्पात का मूल्य	Prices of Steel	1106–1107
1171	गुजरात में ग्रामीण उद्योग	Rural Industries for Gujarat	1107
1172	बलिया जिले में सहकारी क्षेत्र में उद्योग	Industries in Co-operative Sector in Ballia District	1107–1108
1173	विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा ट्रैक्टरों का उपहार के रूप में दिया जाना	Gift of Tractors by Indians Living Abroad...	1108
1174	दिल्ली में ईंटों के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Bricks in Delhi...	1108–1109
1175	डुगडा-2 कोयला धोने के कारखाने के लिये खुले माल डिब्बों में सामान लादने में कठिनाइयां	Difficulties in loading Rakes for Dugda II Coal Washery ...	1109–1110

1176	कोयले के मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	Report of Tariff Commission on price of Coal	1110
1177	रेत जमा करने के काम के लिये राजसहायता देने के बारे में गंगूली अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of Ganguli Study Group on Subsidising Sand Stowing	1110-1111
1178	भारत में विदेशी स्वामित्वाधीन चाय बागान	Foreign owned Tea Plantations in India ...	1111
1179	आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर काम आने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों के लिये प्रोत्साहन	Incentives for Industries producing import substitution products	1112
1180	पंजाब में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Punjab	1112
1181	भरतपुर रेलवे कोच फैक्टरी	Bharatpur Railway Coach Factory... ...	1112-1113
1182	जापान को कोयले का निर्यात	Export of Coal to Japan ...	1113
1183	मालारना पुल के लिये गहरे गढ्ढे	Holes at Malarna Bridge ..	1114
1184	पाकिस्तान द्वारा पकड़े गये भारतीय माल और उपकरणों का छुड़ाना	Release of Indian Goods and Equipments captured by Pakistan	1114
1185	लाल गढ़ अस्पताल बीकानेर	Lalgarh Hospital, Bikaner ... –	1114-1115
1186	रेलवे वर्कशाप (कर्मशाला) बीकानेर	Railway Workshop, Bikaner	1115
1187	झिनझक स्टेशन पर दुर्घटना	Accident at Jhinjhak Station	1115-1116

U.S.Q.No.	विषय	Subject	Pages
1188	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में घड़ियों का निर्माण	Production of Watches in the H.M.T.	1116
1189	मध्य प्रदेश में हीरे की खानें	Diamond Mines in Madhya Pradesh	1117
1190	गुजरात में औद्योगिक परियोजनाएं	Industrial Projects in Gujarat	1117
1191	मछली का निर्यात	Export of Fish ...	1117-1118
1192	गुजरात में निर्यात संवर्धन परिषद् की उपसमिति	Sub-Committee of Export Promotion Council in Gujarat	1119
1193	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को खनन उपकरणों की सप्लाई	Supply of Mining Equipment to N.C.D.C.	1119-1120
1194	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का भारी मशीन निर्माण कारखाना	Heavy Machine Building Plant of H.E.C., Ranchi	1120
1195	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची द्वारा गोआ में मरमागोआ पत्तन को क्रेनों की सप्लाई	Supply of Cranes to Mormugao Port in Goa by H.E C. Ranchi	1120-1121
1196	उड़ीसा में बड़े उद्योग	Major Industries in Orissa	1121
1197	कोयला खरीद नीति का पुनरीक्षण	Revision of Coal Purchase Policy	1121-1122
1198	विमान द्वारा खनिज का सर्वेक्षण	Aerial Mineral Survey	1122
1199	संकटग्रस्त कपड़ा उद्योग	Sick Textile Mills	1122-1123
1200	भारत और ईरान के बीच करार	Agreement between India and Iran... ...	1123-1124
1201	मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use af Hindi in the Ministry	1124
1202	उत्तर प्रदेश में कम्पनियों को ऋण	Loans to Campanies in U.P.	1024

U.S Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
1203	केन्द्रीय उद्योग सलाहाकार परिषद्	Central Advisory Council of Industrial ...	1124–1125
1204	भारतीय मिल्स, पांडिचेरी	Bharathi Mills Pondicherry	1125
1205	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report on Khadi and Village Industries Commission	1125
1206	शक्ति नगर रोड, दिल्ली पर उपरि ल	Overbridge at Shakti Nagar Road, Delhi ...	1126
1207	दिल्ली में ओल्ड रोहतक रोड पर रेलवे पुल	Rajlway Bridge on Old Rohtak Road	1126-1127
1208	रेल कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Q . s for Railway Employees	1127
1209	मछली और मछली के तेल का निर्यात	Export of Fish and Fish Oil ...	1127 28
1210	वाणिज्य मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	St i.e by the Employees of Commerce Ministry	1128
1211	जूतों का निर्यात	Export of Shoes ...	1128
1212	ऊन और मानव के बालों का निर्यात	Export of Wool and Human Hair	1129
1213	रेलवे सामान की चोरी	Pilferage of Railway Goods ...	1129
1214	पूंजीगत वस्तुओं का आयात	Import of Capital Goods	1129-1130
1215	उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Orissa	1130–1131
1216	रेलगाड़ियों से चुराये गये टायरों की बिक्री	Sale of Tyres Stolen From Railway Train...	1131
1217	उद्योगों का सर्थ संघ	Consortium of Industries	1131–1132
1218	हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड	Hindustan Salts Limited ...	1132-1133
1219	बोकारो इस्पात कारखाना	Bokaro Steel Plant	1133–1134

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
1220	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	Hindustan Cables, Limited ...	1134–1135
1221	खनिज तथा धातु व्यापार निगम	Minerals and Metals Trading Corporation	1135
1222	सूती कपड़ा मिलों के तकुओं के लिये लाइसेंस देना	Licencing of Spindles in Cotton Mills	1135–1136
1223	समस्तीपुर में मैकेनीकल वर्कशापों में पदों का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of posts in Mechanical Workshops at Samastipur	1136
1224	ज्वालामुखी रोड स्टेशन पर पीने के पानी की व्यवस्था	Drinking water at Jawalamukhi Road Station	1136
1225	भूतपूर्व मैसूर रियासत में नीचे के पुल	Under-bridge in Old Mysore State ...	1137
1226	स्कूटर बनाने वाले कारखाने	Scooter Manufacturing Units	1137–1138
1227	स्कूटर टायरों का निर्माण	Manufacture of Scooter Tyres ...	1138–1139
1228	भद्रावती और रूरकेला इस्पात कारखानों द्वारा इस्पात का उत्पादन	Production of Steel by the Bhadravati and Rourkela Steel Plants	1139
1229	रूरकेला इस्पात कारखाना	Rourkela Steel Plant –	1139
1230	जापान को लौह अयस्क की सप्लाई	Supply of Iron Ore to Japan	1140–1141
1231	जापान को लौह – अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan ...	1141–1142
1232	किरिबुरू और बेलाडिला की लौह-अयस्क परियोजनाओं में लगी हुई पूंजी	Capital Invested in Iron Ore Projects at Kiriburu and Bailodilla	1142–1143
1233	कपड़ा मिलों को प्रीमियम का भुगतान	Payment of Premium to Textile Mills ..	1144

अता. प्र. सं./U.S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1234	रेल में गोली का चलाया जाना	Firing in Train	1144
1235	बोंगाईगांव से गोहाटी तक बड़ी लाइन का निर्माण	B.G. Line from Bongaigon to Gauhati	1144-1145
1236	वाराणसी से गोरखपुर तक बड़ी रेलवे लाइन	Broad Gauge line from Varanasi to Gorakhpur	1145
1237	नेपाल से आयात	Imports from Nepal	1145-1146
1238	निर्यात संवर्द्धन कार्यक्रम	Export Promotion Programme	1146-1147
1239	पटसन उद्योग में संकट	Crisis in Jute Industry	1147-1148
1240	हैवी इंजीनियरी उद्योगों में रूसी सहयोग	Soviet Collaboration in Heavy Engineering Industries	1148-1149
1241	समवाय विधि मंडल द्वारा बही खातों की जांच	Inspection of Books of Accounts by Company Law Board	1149
1242	कृषि उपकरण के लिये लोहे की चक्रियां	Iron Discus for Agricultural Equipment	1150
1243	डीजल कारों का चलना	Running of Diesel Cars	1150
1244	दिल्ली के आसपास इकहरी रेलमार्गों पर लाइनों को दुहरी लाइनों में बदलना	Conversion of Routes from Single to Double Line Around Delhi	1151
1245	रेलवे इंजन	Locomotives	1151
1246	रेल के डिब्बों में सुविधायें	Amenities in Railway Compartments	1151
1247	पूर्वी रेलवे के धनबाद डिवीजन में सहायक स्टेशन मास्टर	Asstt, Station Masters in Dhanbad Division of the Eastern Railway	1151-1152
1248	स्लेक सीमेंट की अधिक कीमत	High Price of Slack Cement	1152
1249	भारत-रूस व्यापार समझौता	Indo Soviet Trade Agreement	1152-1153
1250	मध्य प्रदेश में सीमेंट परियोजनाएं	Cement Projects in Madhya Pradesh	1153

1251	कपड़े के मूल्य और उत्पादन पर से नियन्त्रण हटाना	Removal of Control on Production and prices of cloth	1154
1253	मैसर्स मधुसूदन गोरधन दास	M/s Madhusudan Gordhandas	1154-1155
1254	पटना-धनबाद और पटना डालटनगंज के बीच सीधी एक्सप्रेस गाड़ी	Direct Express train between Patna Dhanbad and Patna Daltonganj ...	1155
1255	चेकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार	Trade with Czechoslovakia	1155
1256	दुर्घटनाओं सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति	High power Committee on accidents ...	1156
1257	इस्पात कारखानों तथा अन्य सरकारी उपक्रमों में एक कार्मिक संघ	One Trade Union in Steel Plants and other Public Undertakings — —	1156
1258	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों का सम्मेलन	Conference of Heads of Public Sector Undertakings	1156-1157
1259	भारतीय घड़ियों का निर्यात	Export of Indian Watches — ...	1157-1158
1260	उत्तर रेलवे में दिल्ली डिवीजन में स्थानीय रेलगाड़ियों के लिये रेल डिब्बों की सप्लाई	Supply of Bogies for Local Trains in Delhi Dn. (N. Rly.)	1158
1261	ब्रिटेन को भारतीय कपड़े का निर्यात	Export of Indian Cloth to Britian	1158-1159
1262	औद्योगिक लाइसेंसों सम्बन्धी नीति	Industrial Licensing Policy	1159-1160
1263	मुंडा पाडे रेलवे स्टेशन	Mundha Pande Railway Station ..	1160
1264	दिल्ली से बुलन्दशहर तक सीधी रेलवे लाइन	Direct Railway Line from Delhi to Bulandshahr	1161

U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
1265	दुर्गापुर में इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटर का लगाया जाना	Installation of Electronic Computer at Durgapur ...	1161
1266	रेलवे की आय	Railway Earnings	1162-1163
1267	गुजरात में वस्त्र निगम	Textile Corporation in Gujarat ..	1163
1268	भारत के व्यापार को बढ़ाना	Development of India's Trade ..	1163
1269	पांडीचेरी में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries in Pondichery	1164
1270	भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of Bhilai Steel Plant	1165
1271	पश्चिम रेलवे लेखा कार्यालय में अनर्ह कर्मचारियों को शेष राशि का भुगतान	Payment of arrears to Unqualified Staff on Western Railway Accounts Office ...	1165-1166
1272	पश्चिम रेलवे के दिल्ली स्थित उत्तर (फारेन) यातायात लेखा कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के काम की सूची	Duty List of Staff Working in Foreign Traffic Accounts Office, Western Railway Delhi ...	1166
1273	रेलों के यातायात का हिसाब किताब करने के लिये मशीनों का आंशिक प्रयोग	Under Mechanisation of Railways Traffic Accounting	1166-1167
1274	राजस्थान में अकालग्रस्त क्षेत्रों के आन्तरिक मरूस्थल वाले हिस्से में रेल द्वारा सम्पर्क	Rail Connection to Interior Desert Belt of Famine Stricken Areas in Rajasthan	1168
1275	ट्रैक्टरों की मांग और पूर्ति	Demand and Supply of Tractors ...	1168-1169
1276	क्षेत्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति	Zonal Railway Users' Consultative Committee ...	1170
1277	रेलवे कर्मचारियों द्वारा हिन्दी सीखना	Learning of Hindi by Railway Employees...	1170

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

1278	गोरखपुर में रेलवे सप्ताह	Railway Week at Gorakhpur	1170-1171
1279	रेलवे में पदों के लिये विज्ञापन	Advertisement of Posts in Railways ...	1171
1280	सीमेंट का मूल्य	Cement Price ..	1171
1281	केले का निर्यात	Export of Bananas	1171-1172
1282	कपास का मूल्य	Prices of Raw Cotton ..	1172
1283	वर्ष 1968-69 के लिये कपास सम्बन्धी नीति	Cotton Policy for the Year 1968-69	1173
1284	शैडों यार्डों और वैगनों में सामान की हानि को रोकना	Checking of Goods in Sheds Yards and Wagons	1173-1174
1285	मशीनरी तथा बिजली के सामान का आयात	Import of Machinery and Electricals ...	1174-1175
1286	स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters ...	1175-1176
1287	केबलों का निर्माण	Manufacture of Cables ..	1176
1288	लद्दाख में सुहागे का भंडार	Borax Deposits in Ladakh ...	1176-1177
1289	आंध्र प्रदेश का सर्वेक्षण	Survey of Andhra Pradesh	1177
1290	नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines ..	1177
1291	बिमलगढ़ से तालचेर तक रेलवे लाइन	Rail Link from Bimlagarh to Talcher	1178
1292	विदेशी व्यापार परिषद्	Foreign Trade Council	1178-1179
1293	तैयार खाद्य पदार्थों का निर्यात	Export of processed Food ...	1179-1180
1294	इस्पात की दुर्लभ किस्में	Scarce Categories of Steel ...	1180
1295	सरसों के साग का निर्यात	Export of Sarson Ka Saag	1180-1181
1296	रूरकेला में पाइप बनाने का कारखाना	Pipe Manufacturing Plant at Rourkela	1181
1297	इराक में भारतीय प्रशीतकों (रेफ्रिजेरेटरों) की मांग	Demand of Indian Refrigerators in Iraq ...	1181-1182

1298	बहरीन को इमारती सामान का निर्यात	Export of Building Materials to Bahrein ...	1182
1299	एल्यूमीनियम का निर्यात	Export of Aluminium	1182-1183
1300	गैर सरकारी विदेशी पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन	Incentives for Private Foreign Investment	1183-1184
1301	प्रशुल्क आयोग के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	A.R.C. Report on Tariff commission ...	1184
1302	हल्दिया बन्दरगाह में मशीनें लगाना	Mechanisation of Haldia Port ...	1184-1185
1303	बोकारो इस्पात कारखाने के लिये रूसी विशेषज्ञ	Soviet Experts for Bokaro Steel ...	1185-1186
1304	राजस्थान से पशुओं को रियायती दरों पर भेजना	Transportation of Cattle from Rajasthan on concessional rates	1186
1305	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	Hindustan Steel Limited ...	1186-1187
1306	कपड़ा मिल	Textile Mills	1187-1188
1307	कच्चे रबड़ के मूल्य	Prices of Raw Rubber	1188
1308	एल्यूमिनियम के कारखाने	Aluminium Factories	1188-1189
1309	दक्षिण मध्य रेलवे में मीटर गेज रेलवे लाइन के स्थान पर बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण	Conversion of M.G. Railway Lines to B.G. on South Central Railway	1189-1190
1310	आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Import Licences ...	1190
1311	मार्टिन बर्न प्रबन्धाधीन लाइट रेलवे का बन्द हो जाना	Closure of Martin Burn managed light Railways	1190-1191
1312	पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ यात्रा टिकट परीक्षकों की पदोन्नति	Promotion to Senior Train Ticket Examiners on Western Railway	1191

अता.प्र. संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1313	जोनल रेलों में तांबा चढ़े तार	Copper clad cables lying on Zonal Railways ...	1191
1314	उत्तर रेलवे में हरिजन कर्मचारी	Harijan Employees in Northern Railway..	1191-1192
1315	पटना रेलवे स्टेशन के लिये पूर्वी रेलवे द्वारा मकान कर न दिया जाना	Non payment of House Tax by Eastern Railway for Patna Railway Station ..	1192
1316	लखी सराय दुर्घटना	Luckeesarai Accident	1192-1193
1317	नाइलोन धागे का रक्षित भंडार	Buffer Stock of Nylon Yarn ...	1193
1318	पूर्वी भारत में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Eastern India	1193-1194
1319	ंग तथा रोगन का उत्पादन	Production of Paints and Varnishes ..	1194
1320	यूगोस्लाविया के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Yugoslavia ...	1194
1321	पन्ना खानों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Panna Mines ...	1195
1322	औद्योगिक सर्वेक्षण सैल, दिल्ली	Industrial Survey Cell, Delhi	1195
1323	जापान को लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan	1195-1196
1324	बाढ़ के कारण चाय बागान को हानि	Damage to Tea Plantations due to floods ..	1196
1325	गैर सरकारी क्षेत्र में उद्योग	Industries in the Private Sector ..	1196-1197
1326	रूस से ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors from USSR	1197
1327	उदार बनाई गई लाइसेंस नीति	Liberalised licensing Policy	1197-1198
1328	बांदा स्टेशन के निकट नाला	Water drain near Banda Station	1198

1329	मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore	1199
1330	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के चैयरमेन को यात्रा भत्ता	Travelling Allowance to the Chairman of the Hindustan Steel Limited	1199
1331	भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड	Bharat Aluminium Company Limited ...	1200
1332	नेपाल के साथ व्यापार	Trade with Nepal ...	1200
1333	बिहार में दिये गये औद्योगिक विकास ऋण	Industrial Development Loans given in Bihar	1201
1334	व्यापार सलाहकार परिषद्	Advisory Council on Trade ...	1201
1336	मोटर गाड़ियों के मूल्य	Price of Automobiles ...	1201-1202
1337	रेलवे द्वारा राजस्थान को चारे की ढुलाई	Transport of Fooder by Railways to Rajasthan ...	1202-1203
1338	इस्पात का निर्यात	Steel Exports	1203
1339	मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल	M/s Aminchand Pyarelal	1203
1340	गैर सरकारी वित्तीय कम्पनियां	Financial Private Companies ...	1203-1204
1341	मुरादाबाद डिवीजन में डीज़ल सहायकों के पद	Posts of Diesel Assistants in Moradabad Division	1204
1342	फायरमैनों को डीजल के इंजन चलाने का प्रशिक्षण	Diesel Training for Firemen	1204
1343	तालचेर समूह उद्योग	Talcher Industrial complex ...	1205
1344	उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Orissa	1205-1206
1345	डंकन्स ब्रदर्स लिमिटेड, कलकत्ता	Duncans Brothers Limited, Calcutta	1206
1346	डंकन्स ब्रदर्स लिमिटेड, कलकत्ता	Duncans Brothers Limited, Calcutta ...	1206-1207

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी) WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

1347 इंजिन ड्राइवर	Engine Drivers	1207
1348 मारीपत और दादरी स्टेशनों के बीच सवारी गाड़ी में आग लगना	Fire in passenger Train between Maripat and Dadri Stations	1207–1208
1349 कुमायूं की पहाड़ियों के लिये बड़ी रेल लाइन	Broad Gauge Rail Link for Kumaon Hills	1208–1209
1350 भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड	Bharat Heavy Electricals Limited ...	1209
1351 रुपयों में भुगतान करने वाले देशों को निर्यात	Exports to Rupee payment Areas	1209–1210
1352 ईरान के साथ औद्योगिक सहयोग	Industrial Cooperation with Iran ...	1210
1353 स्थानों (सीटों) का आरक्षण	Reservation of Seats ..	1210–1211
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	1211
केरल राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के आदेशों का पालन न किया जाना	Non-implementation of Central Government's orders by Kerala Government ..	1211–1215
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	1216–1218
सर्वश्री मधु लिमये तथा अर्जुन सिंह भदौरिया की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य	Statement Re: Detention of Sarvashri Madhu Limaye and Arjun Singh Bhadoria ...	1218
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y.B. Chavan	1218
मंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Minister	1219
(श्री युनूस सलीम)	(Shri M. Yunus Saleem) ...	1219
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक (जारी)	Central Industrial Security Force Bill-Contd.	1219–251
खंड 3 से 22 और 1	Clauses 3 to 22 and 1 ...	1219–1245
पारित करने के लिये प्रस्ताव	Motion to Pass	1219

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	1245
श्री स० कण्डप्पन	Shri S. Kandappan	1246
श्री क० नारायण राव	Shri K. Narayan Rao	1247
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	1248
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	1248
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य	Shri C.K. Bhattacharyya	1248
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	1248
श्री दत्तात्रय कुन्टे	Shri Dattaraya Kunte	1249
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes	1249
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	1250
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	1250
भारत नेपाल व्यापार वार्ता सम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्ति	Joint Communique on Indo-Nepal Trade Talks	1251

लोक-सभा

LOK-SABHA

मंगलवार, 19 नवम्बर 1968/28 कार्तिक, 1890 (शक)

* *Tuesday, November* 19, 1968/*Kartika* 28, 1890 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker ***in the Chair*** }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने अधिकार में ली गई कपड़ा मिलें

\+

195. श्री रा० की० अमीन : **श्री अ० दीपा :**
श्री एस० पी० राममूर्ति : **श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सूती कपड़ा मिलों के भविष्य के बारे में कोई निर्णय किया है, जिन पर अब राष्ट्रीय कपड़ा निगम के सहयोग से प्राधिकृत नियंत्रकों का अधिकार और प्रबंध है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधिकार में आने के बाद इन मिलों के कार्य संचालन के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

श्री रा० की० अमीन : क्या कोई ऐसी योजना बनाई गई है जिसके अन्तर्गत राज्यों में कपड़ा निगमों की स्थापना की जायेगी ; और यदि हां, तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम और राज्य कपड़ा निगमों के बीच क्या सम्बन्ध रहेगा ? मिल का प्रबन्ध किस निगम के द्वारा किया जायेगा और कपड़ा निगम को किस प्रकार वित्तीय सहायता दी जावेगी ?

श्री दिनेश सिंह : केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि वे अपने यहां राज्य कपड़ा निगमों की स्थापना करने का विचार करें। राज्य कपड़ा निगमों की स्थापना हो जायेगी तो प्रत्येक राज्य के उन मिलों को, जिनका प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है, उसी राज्य के कपड़ा निगम को सौंप दिया जायेगा और केन्द्रीय कपड़ा निगम उनसे घनिष्ठ सम्बन्ध रखेगा। जहां तक वित्तीय भार का सम्बन्ध है प्रत्येक राज्य कपड़ा निगम पर पड़ने वाले वित्तीय भार का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार वहन करने को तैयार है।

श्री रा० की० अमीन : क्या गुजरात राज्य सरकार से भी ऐसे निगम की स्थापना के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास आया है, और यदि हां तो उसे केन्द्रीय सरकार कितनी वित्तीय सहायता देगी ?

श्री दिनेश सिंह : मिल का प्रबंध अपने हाथ में लेने उसका आधुनिकीकरण करने या उसके परि-समापन के समय राज्य कपड़ा निगम पर पड़ने वाले वित्तीय भार का कुछ भाग केन्द्रीय सरकार वहन करेगी। हमारा विचार 50 प्रतिशत तक व्यय वहन करने का है।

श्री रा० की० अमीन : क्या सरकार को गुजरात राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और क्या सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है ?

श्री मनुभाई पटेल : कपड़ा निगम द्वारा कब्जे में लिये गये मिलों के प्रशासन में क्या श्रमिकों का भी हिस्सा होगा अथवा उन्हें उसी प्रकार चलाया जायेगा जिस प्रकार उनके मालिक उन्हें चलाया करते थे ?

श्री दिनेश सिंह : यह तो सम्बन्धित मिल की योजना पर आधारित होगा। सामान्यतः श्रमिकों द्वारा प्रशासन में भाग लिये जाने के सिद्धान्त को हम सहर्ष स्वीकार करेंगे।

Shri O. P. Tyagi : Mill owners often hand over those mills to Government, which are uneconomic on account of old machines or arreares of bonus or wages to be paid to the workers. May I know the details of the scheme, which Government is considering to frame with a view to make such mills economic ?

Shri Dinesh Singh : I am happy that the hon. Member has realised our difficulty. We have no magic band to improve their economic condition overnight. But we shall adopt one of the measures enumerated in the Act passed by the House.

श्री के० रमानी : क्या सरकार या राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा भारती मिल्स, पांडिचेरी को अपने हाथ में ले लिया गया है और उसमें उत्पादन कार्य शुरु हो गया है ? क्या यह भी सच

है कि उसके सभी कर्मचारी काम पर नहीं बुलाये गये हैं और उन्हें मजदूरी या बोनस की वह राशि भी नहीं दी गई है जो उन्हें मिलनी चाहिये थी ? क्या सरकार ने इन बातों की ओर ध्यान दिया है ?

श्री दिनेश सिंह : यह प्रश्न एक मिल विशेष के बारे में पूछा गया है । मुझे उस मिल के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करनी होगी ।

श्री के० रमानी : हमें इस सम्बन्ध में मिल के श्रमिकों और श्रमिक संघों के नेताओं से शिकायतें प्राप्त हुई हैं । मंत्री महोदय को यह नहीं कहना चाहिये कि इस सम्बन्ध में उन्हें जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अब वह इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The textile industry in our country is passing through a serious crisis. Mills are closing down and workers are being rendered unemployed. May I know the steps taken by Government to improve the position of textile industry. Whether Government will consider to effect some reduction in excise duty on textile, which is too much; whether Government will make a committee of Parliament Members alongwith the representatives of workers and Government to consider this matter and find-out some permanent solution of it.

Shri Dinesh Singh : We have completed the consideration stage and presently we are considering as to how the decision arrived at that connection should be implemented.

Shri Hukam Chand Kachawai ; What is the position with regard to reduction in excise duty, on account of which the textile industry is running into loss ?

Shri Dinesh Singh : The excise duty on cloth is the same as was accepted by this House. So the question of reduction in excise duty will have to come before the House. The hon. Member may please think about what he wants to say. Does he want that the prices of cloth should rise ?

श्री बलराज मधोक : उन्हें भ्रम में मत डालिये, यह बात ठीक नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Reduce the excise duty.

Shri Dinesh Singh : Excise duty on the cloth is the same as passed in this House The question of effecting reduction therein can be considered by the House.

Shri S M. Joshi : The hon. Minister has just now stated that he agrees in principle that after taking over these mills when the some will be put in the charge of this organisation, the labourers will also be given opportunity to take part in the management. I want to know when the Govt. are making investment will it not be better to include the representatives of the labourers in the Board of Directors to be constituted for a particular unit, so that a responsibility in true sense be put on them and they might be able to work more efficiently ? I have got some experience in this regard. I have worked

on such a Board for five years. When separate representatives from different unions are incorporated, it does not prove better. Would the hon. Minister consider about electing only two or three representatives from amongst all the labourers so has to have a better participations and they might be made responsible for their mill and the work therein. Would you think about any such scheme ?

Shri Dinesh Singh : The hon. Member has raised a vital issue. It will not be proper for me to say anything in this behalf off-hand. We wish that labourers should have a share in it and responsibility too. It is not that all the troubles will immediately go by merely having a representative of labourers on the Board. We will have to lay down a procedure to make them share-holders and also responsible for profit and loss both. If such a scheme comes up, it will be useful. Inclusion of some one on the Board will not solve the problem. We will gladly consider these suggestions and also have discussions with the hon. Member. The Chairman of this Corporation has himself worked a lot with the labourers. He will also look into these.

श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि क्या अहमदाबाद के बहुत से कपड़ा-मिल बन्द हो गये हैं तथा दिन प्रतिदिन बन्द होते जा रहे हैं, और क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम आर्थिक कठिनाइयों अथवा अन्य कारणों से बन्द हुए इन सभी मिलों का प्रबन्ध सम्भालेगा ?

श्री दिनेश सिंह : जी नहीं ।

Shri Balraj Madhok : I am surprised to hear this reply. He is the same gentleman who always preaches socialism and public sector, but when he is asked whether the labourers will be given share in it, he says it is a vital issue and needs consideration I want to know whether he is prepared to provide for shares for the workers and the labourers in the profit and management of the mills as an incentive for good work and if so what are the main features of the plan prepared by him and what action he proposes to take in this regard ?

Shri Dinesh Singh : The hon. Member is a responsible Member of this House and..........

An hon. Member : All Members are responsible.

Shri Rabi Ray : You are also a responsible minister.

Shri Dinesh Singh : Had I been irresponsible, I would have not said that. There fore, I don't feel that, I should say anything without considering it. That is why I have stated that we will look into the issue raised by the hon. Member.

Shri Balraj Madhok : This Govt. has been preaching socialism for the last twenty years. Could they not consider over this question in these 20 years ?

Shri Shashibhushan Bajpai : I want to know what percentage of textile mills are running in loss i. e. actually in loss and not showing loss ? If more than half the textile mills are running in loss, do the Govt. propose to take over those textile mills by nationalising and keeping then under a corporation ?

Shri Dinesh Singh : There is no such proposal to nationalise them at present.

श्री कृष्णा मूर्ति : हमारे देश में, विशेष कर मद्रास राज्य में, बहुत सी कपड़ा मिलें अनेक वर्षों तक बन्द रही हैं तथा मंत्री महोदय वहां आते-जाते रहे हैं परन्तु अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है।

इससे प्रकट होता है कि भारत सरकार का कपड़ा विभाग कोई सुनियोजित नीति बनाने में असफल रही है। केवल मद्रास राज्य में ही नहीं अपितु सारे भारत में कपड़ा मिलें बन्द होती जा रही हैं। चाहे उत्पादन शुल्क में रियायत के बारे में हो अथवा रूई के दामों के बारे में, परन्तु भारत सरकार द्वारा जिस नीति का अनुसरण किया जा रहा है उसमें त्रुटि अवश्य है। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि हमारे क्षेत्रों तथा इस देश के अन्य भागों में भी बन्द हुए मिलों को पुनः खोलने के बारे में सरकार ने क्या कारगर उपाय किये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : कपड़ा उद्योग एक ऐसा उद्योग है, जिसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। सभा ने अनेक अवसरों पर इस बारे में विचार किया है। यदि कोई यह कहे कि इसके लिये कोई जादू वाला हल निकल आये, सो सम्भव नहीं है। बहुत सी कठिनाइयां हैं। हमने अनेक अवसरों पर इस बारे में विचार किया है। माननीय सदस्य जानते हैं कि उनके अपने राज्य की सरकारें प्रयत्न करती रही हैं तथा इस बारे में कोई हल नहीं निकाल सकी है। देश में उद्योग पतियों द्वारा उत्पन्न की गई हर समस्या का हल निकालना केवल केन्द्रीय सरकार का ही काम नहीं है। हम तो केवल यह करते हैं कि जहां भी कठिनाई हो वहां के लिए हल निकालने का हर सम्भव प्रयत्न करते हैं। मद्रास राज्य में बहुत सारी ऐसी मिलें हैं जिनमें धन की कमी के कारण कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं।

श्री कृष्णामूर्ति : आप उत्पाद-शुल्क घटाकर रियायत दे सकते हैं।

श्री दिनेश सिंह : केन्द्र सरकार धन कहां से लाये ? उन्हें अपने धन–स्रोत भी बढ़ाने हैं। उन्हें सहायता करने वाले लोगों में अपना विश्वास बढ़ाना चाहिये। सरकार सभी बन्द मिलों को चलाने का उत्तरदायित्व नहीं ले सकती।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या यह सच है कि सरकार विक्टोरिया कपड़ा मिल को अपने अधीन करने जा रही है; यदि हां, तो इस बारे में कहां तक प्रगति हुई है।

श्री दिनेश सिंह : हमारा इसे पुनः चालू करने का विचार है। मामला अभी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ विचाराधीन है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मंत्री महोदय कहते रहे हैं कि वह कपड़ा मिलों की सहायता करेंगे परन्तु कुछ पहलुओं पर विचार करना होगा। यहां कपड़ा मिलों में लाभ नहीं हो सकता क्योंकि इस उद्योग में बहुत सारे रसायन प्रतिद्वन्द्वी हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं में भी कम कपड़ा पहनने की भावना उन्नति पर है। अतः क्या मंत्री महोदय इस प्रकार हल न होने वाली समस्या का हल ढूंढ़ने के लिये और आगे प्रयत्न करेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : हम इस समस्या के बारे में तथा जिस ओर माननीय सदस्य ने संकेत किया है अर्थात कि उपभोक्ताओं की इच्छा शुद्ध सूती कपड़े के स्थान पर संश्लिष्ट अथवा मिश्रित संश्लिष्ट वस्त्रों की ओर बढ़ती जा रही है, जागरूक हैं। यह भी हल सम्भव है तथा इस पर विचार किया जा रहा है। इसीलिये तो मैंने कहा था कि सभी बन्द मिलों को पुनः चालू करना एक सरल हल नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे माननीय मित्र श्री काशीनाथ पाण्डेय के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि विक्टोरिया कपड़ा मिल कानपुर को अपने अधीन करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत चल रही है। राज्य सरकार ने कौनसी विशिष्ट आपत्तियां की हैं; क्या वे आर्थिक पहलुओं के बारे में हैं, अर्थात क्या वे अधिक धन चाहते हैं ? अब तक कोई अधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है तथा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब लिया जायेगा ? पिछले दो वर्ष से 4,000 कर्मचारी सड़कों पर भूखे मरते फिर रहे हैं ?

श्री दिनेश सिंह : बहुत शीघ्र ही एक अधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति किये जाने की आशा है।

श्री शिवाजी राव देशमुख : क्योंकि कुछ कपड़ा मिलें किसी अधिक खाये हुए आदमी की भान्ति रोगग्रस्त है क्योंकि वे मिलें प्रायः निर्माताओं को खा जाती हैं, तथा क्योंकि निगम के अधीन हो जाने के कारण इन मिलों के निर्माता सहकारिताओं के रूप में चलने की कोई सम्भावना नहीं है; क्या सरकार का विचार प्रबन्ध-बोर्ड में निर्माताओं को भी शामिल करने का है ताकि निर्माताओं का और अधिक शोषण न हो ?

श्री दिनेश सिंह : निर्माताओं की सहकारी कपड़ा मिलों का हम स्वागत करेंगे।

Shri Abdul Ghani Dar : As the hon. Minister replied to Shri Kachwai that the stage for consideration is over and they are now considering the proposal; and also in a reply to Shri Joshi and Shri Madhok, he stated that though they believed in "land to the tiller" but the question of giving shares to the mechanics and the workers needed broader consideration; I want to know whether the Minister knowing that we are going under loss worth lakhs and crores of rupees in Public Sector, and also before taking over all the mills whether those are Govt. owned or private; will ensure or has ensured it first that there will be no such loss; and if so, what objection has he got in allowing the workers and mechanics also to be the share holders of these mills so as to ensure the successful running of these mills by means of their hard work and efforts so that there is no unemployment ? Will he consider that ?

Shri Dinesh Singh : I have never said that they should not be made share holders. The hon. Member seems to have mistaken it. In the very beginning I had said that we would welcome that and strive for that.

As regards profits and losses, each factory has its own difficulties. There cannot be any surety whether it will run in loss or profit. When we brought in the Bill here, the hon. Member might remember, during the discussions it was pointed out that there could not be one solution which might be applicable to all these mills. Therefore, a few ways out were put forth since every mill was to be dealth with reference to its own difficulties

i. e. whether it could be run on profit, or it could be closed down or it could be run in certain particular way. Every mill will have to be dealt with on individual merits and demerits.

Shri Abdul Ghani Dar : You have not replied to the point whether the mills you propose to take over are not under debt owing to which the Govt. as well as the workers and the mechanics might be in difficulties ?

श्री लोबो प्रभु : कुल 81 मिल इस समय बेकार पड़े हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि क्या इस निगम ने इन मिलों को अपने अधीन करते समय कोई सिद्धान्त अथवा प्रक्रिया नियत की है क्योंकि सभी 81 मिलों को तो अपने अधीन करना सम्भव नहीं है। जबकि और भी बहुत से मिल हैं जिनमें काम नहीं चल रहा है। इसके लिये सरकार की आर्थिक अथवा औद्योगिक नीति ही दोषी है। श्री कछवाय ने उत्पाद शुल्क को इसका कारण बताया है। मंत्री महोदय को इस बारे में वित्त मंत्रालय से बातचीत करनी चाहिये।

दूसरा प्रश्न औद्योगिक नीति के बारे में है। बड़े स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है तथा अनेक एकके विकेन्द्रित क्षेत्रों की ओर जा कर स्वयं को आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर कर रहे हैं। क्या सरकार ने श्रमिकों तथा मिलों दोनों के लिये हानिकारक इस विकेन्द्रीकरण को रोकने हेतु किसी नीति पर विचार किया है ?

श्री दिनेश सिंह : विकेन्द्रित क्षेत्र मिलों के लिये अहितकारी नहीं हैं। सभा में अनेक बार इस विषय में विचार विमर्श हुआ है। मिलें अपनी हानि के लिये इनको दोषी नहीं ठहरा सकती। वास्तव में तो अपनी गलत नीतियों के कारण ही मिलों का विकेन्द्रीयकरण हुआ है। वे स्वयं इसके लिये उत्तरदायी हैं।

वित्त मंत्रालय से हमने उत्पाद-शुल्क के बारे में बातचीत की है। परन्तु उसका ब्यौरा यहां देना उचित नहीं है।

Shri Shinkre : I want to know whether the National Textile Corporation is prepared to take over the management of those mills which have been taken over by the Maharashtra Government ?

Shri Dinesh Singh : We do hope that the Maharashtra Government would run their Textile Corporation with the collaboration of this Textile Corporation and this will run the management of these mills.

Shri Shri Chand Goyal : I want to know from the Hon. Minister that whether the question of employment of workers is the main consideration while taking over the sick mills like this. If we are taking over these in view of their employment then whether at the time of running these mills, the workers will get employment. If not then I want to know the utility of taking over these.

Secondly, you are taking over these mills for a long time. Whether there are any mills who have earned profit or not ?

Shri Dinesh Singh : Those mills, which were running on loss. began to give profit when the authorised Controller took over it..**(Interruption)**.. but the trouble is that the

Hon. Member Shri Kachwai forget this and keep up in mind only about the loss. As far as the taking over these mills is concerned we see their effects on our economy but even then the priority is to see that those workers should get the employment.

Shri Manibhai J. Patel : I want to know from the Hon. Minister how much cost is involved in those mills which are closed ?

Shri Dinesh Singh : I will have to add this.

Shri Sheo Narain : When the Government have no expert for all these sick mills then whether they will call the foreign experts for its help. Or whether they are prepared to hand over these to those workers on experiment basis as suggested by Shri Kachwai and Shri Joshi ? The example of Kanpur is at hand. The Victoria Mill is closed. The workers are dying without food then whether the Hon. Minister is prepared for it ?

Shri Dinesh Singh : As far as the foreign experts are concerned......

अध्यक्ष महोदय : जब शिवनारायण यहां मौजूद हैं तो विदेशी विशेषज्ञों को बुलाने की क्या आवश्यकता है ?

Shri Dinesh Singh : This is what I was mentioning that our experts know more about the sickness then the foreign experts. As the Hon. member has stated that if some workers want to run mills then I would request to the Hon. member to make an organisation of them and I will talk with their certainly.

इस्पात कारखानों का विस्तार कार्यक्रम

*196. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात कारखानों के विस्तार कार्यक्रम के बारे में, जिसे चौथी योजना में पूरा किया जाना है, सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई कर्णधार समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कारखाने के विस्तार के लिए क्या कार्यक्रम निश्चित किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं जानना चाहता हूं कि कर्णधार समिति कब नियुक्त की गई और यह कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : इस महीने के अन्त तक इस प्रतिवेदन के पूरा हो जाने की आशा है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय के दौरान सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखानों के विस्तार करने की कोई नीति बनाई है ? यदि हां तो इसके लिए उनके पास क्या कार्यक्रम है ?

श्री प्र० चं० सेठी : नये कारखानों की स्थापना तथा विस्तार की नीति कर्णधार समिति की अन्तिम सिफारिश के ऊपर निर्भर है।

Shri Rabi Ray : The Hon. Minister has stated that they have not received the recommendations, Will the hon. Minister be pleased to state that in the expansion programme of steel plants, the increasing cost will be minimised. In countries like Japan, where we send the iron-ore, the selling price of the steel is less whereas it is more in India. Will there be any attempt to minimi e the price of steel in keeping in view of this. Secondly we import the steel for the wagon which we send to Russia, then whether the Government will try in future to make steel in our own country and we have not to import this from there ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यहां नहीं उठता। यह काम कर्णाधार समिति को देखना है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या मैं जान सकता हूँ कि वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है और कितना विस्तार कार्यक्रम हाथ में लिया हुआ है ? इस सन्दर्भ में क्या मैं जान सकता हूँ कि इस्पात मंत्रालय के अनुमान के अनुसार वर्ष 1972–73 में भारत में इस्पात की कितनी मांग है ? वर्ष 1972–73 के लिए इस समय जो पर्याप्त उत्पादन हो रहा है, इसको देखते हुए मंत्री महोदय विस्तार योजना अथवा बोकारो कारखाने की स्थापना को कैसे न्यायोचित ठहराते हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : राष्ट्रीय व्यावहारिक तथा आर्थिक अनुसंधान परिषद ने हाल ही में अध्ययन पूरा किया है। इसके अनुसार 1970–71 तक हमें 71.2 लाख मीट्रिक टन तैयार इस्पात की आवश्यकता होगी। अध्ययन दल इन आंकड़ों को अन्तिम रूप दे रहा है। उनके सिफारिश देने के उपरान्त हम अन्तिम रूप से यह निर्णय करने की स्थिति में होंगे कि किस कारखाने का विस्तार किया जाय और क्या नए कारखानों के स्थापना के दीर्घ-कालीन योजना के लिए अग्रिम कार्यवाही करनी पड़ेगी ?

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है और कितना विस्तार कार्यक्रम हाथ में लिया हुआ है ?

श्री प्र० चं० सेठी : टाटा आयरन स्टील कम्पनी की वर्तमान उत्पादन क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन है, इण्डियन आयरन स्टील की क्षमता 10 लाख मीट्रिक टन है, भिलाई की 25 लाख मीट्रिक टन है, रुरकेला की 18 लाख मीट्रिक टन है और दुर्गापुर की 16 लाख मीट्रिक टन है।

श्री बलराज मधोक : यह कुल मिलाकर 70 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। आपने कहा था कि कुल मांग 70 लाख टन के आस-पास होगी।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं तैयार इस्पात की बात कर रहा हूँ। यह पिण्ड बनाने की क्षमता है। जहां तक विस्तार का सम्बन्ध है, अभी केवल भिलाई में कच्चे लोहे का 25 लाख मीट्रिक टन से 32 लाख मीट्रिक टन तक का विस्तार निर्माणाधीन है। पूर्ण विस्तार कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : वर्ष 1971-72 के लिए मांग को पूरा करने का जो पर्याप्त उत्पादन हो रहा है, उसको देखते हुए वे विस्तार कार्यक्रम को कैसे न्यायोचित ठहराते हैं।

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने इसको न्यायोचित नहीं ठहराया है और न मैंने कहा है कि हम ऐसे करेंगे। यह सब कर्णधार समिति की सिफारिश पर निर्भर करता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या तैयार इस्पात के उत्पादन के वर्तमान स्तर में से निर्यात करने के लिए अतिरिक्त बच जाता है ? क्योंकि हमें बताया गया है कि कुछ का निर्यात किया जा रहा हैं ? राष्ट्रीय व्यावहारिक तथा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमानित मांग, जो 70 लाख टन या इससे अधिक है, में से कितना निर्यात के लिए है और कितना देश में उपभोग के लिए है ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस समय कच्चे लोहे सहित लोहा और इस्पात का कुल निर्यात 9 लाख मीटरी टन है। यह आशा है कि चतुर्थ योजना के अन्त तक हम 13 लाख टन निर्यात करने की स्थिति में होंगे। वर्तमान निर्यात में वृद्धि हो रही है। इस वर्ष हम करीब 75 लाख रुपये मूल्य का करीब 9 लाख टन लोहा और इस्पात को निर्यात करने की आशा रख रहे हैं।

Shri Prem Chand Verma : How much steel will be needed at the end of fourth five year plan ? Has this been estimated ? In this contect, whether upto the completion of Bokaro Steel Plant..

श्री पीलु मोडी : बोकारो एक निषिद्ध विषय है।

Shri Prem Chand Verma : Will the manufactured items of Bokaro Steel Plant be sufficient to meet the requirement of the country ?

Shri P. C. Sethi : The Bokaro will produce 17 lakhs tonnes steel after its completion, and the flats-products will be more in it which are less in the country. Even after the production of 17 takhs tonnes the flats products will be deficient.

Closure of Shahdara-Saharanpur Light Railway

*197. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri Sita Ram Kesri :**
Shri Ramavatar Sharma : **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri R. K Sinha : **Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on receiving the notice from the Shahdara-Saharanpur Light Railway Employees' Federation for resorting to strike from the 20th September, 1?6 , the management had declared lock-out resulting in disruption of traffic completely on this line;

(b) if so, the demands of the employees; and

(c) the action taken by Government for taking over this Railway line keeping in view the vast mismanagement and inadequate Railway amenities and also for improving the pitiable conditions of the employees ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) पता चला है कि 5-9-68 को एस० एस० रेलवे मेन्स यूनियन ने जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है, रेलवे के प्रबन्धकों को हड़ताल का नोटिस दिया जिसमें कहा गया था कि यूनियन 20-9-1968 को सुबह 6.00 बजे से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करना चाहती है। यूनियन द्वारा प्रस्तावित गैर-कानूनी हड़ताल तथा हड़ताल की पृष्ठ-भूमि को देखते हुए और बचाव सम्बन्धी उपाय के रूप में लाइट रेलवे प्रशासन ने 20-9-1968 को 12.30 बजे से तालाबन्दी की घोषणा कर दी। उस प्रशासन ने 24-10-68 से तालाबन्दी उठा दी।

(ख) यूनियन की मांगों में इसे मान्यता देने, लाइट रेलवे का राष्ट्रीयकरण करने और सेवा की शर्तों से सम्बन्धित कुछ अन्य मामले शामिल हैं।

(ग) संविदा के अन्तर्गत इस लाइन को खरीदने का अगला विकल्प 1669 में पड़ता है। लेकिन इस विकल्प का उपयोग न करने का विनिश्चय किया गया है क्योंकि इस लाइन की खरीद बहुत अलाभप्रद होगी।

Shri Raghuvir Singh Shastri : The Hon. Minister has stated that they do not want to take over this Railway on account its highly uneconomic character. I think this railway line can never be economic on account of the bad condition of the railway, inspite of the fact, that it passes through the most fertile and highly populated area. I want to ask from the Hon. Minister that taking into consideration the development of heavy traffic and industries whether he does not think to change the narrow guage into the broad guage and the Government take it over in their hand. If the Government change it to broad guage and take it over in their hand then this railway will become economic like other Railways. It will not remain uneconomic.

श्री परिमल घोष : नये निर्माण और पुरानी लाइनों, जो कि पुरानी हो चुकी हैं, के लिए बहुत कम मात्रा में धन की उपलब्धता को देखते हुए सरकार की नीति अब नए परिसंपति की प्राप्ति में धन नियोजित करने की है बजाए इसके कि पुराने परिसंपति को प्राप्त किया जाए। परन्तु इसके बावजूद भी हमने तंग छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए यातायात सर्वेक्षण के लिए कहा है। उस प्रतिवेदन के उपलब्ध होने पर ही हम इस मामले में कोई निर्णय ले सकते हैं।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : क्या मैं इस उत्तर में थोड़ा संशोधन कर सकता हूं ? वास्तव में हमारा इस लाइन को बदलने का कोई विचार नहीं है। क्या एक अलग बड़ी लाइन का सर्वेक्षण किया जा सकता है ? इसके लिए एक अलग सर्वेक्षण किया जा रहा है और अगर यह उपयुक्त पाया गया तो आवश्यक अध्ययन के बाद देहली से सहारनपुर तक के लिए एक अलग बड़ी लाइन बनाने का विचार किया जायेगा।

Shri Raghuvir Singh Shastri : When this survey report is expected ? Whether after receiving the report and keeping in view the statement of the public, railway employees

and the management that they cannot run this railway, they only the report will be expedited and given a favourable reply ?

श्री परिमल घोष : इस प्रतिवेदन की 6 महीने की भीतर मिल जाने की आशा है।

Shri Sitaram Kesri : The hon. Minister has stated in his railway that Shahdra–Saharanpur narrow-guage line will not be nationalised because the Government will have to suffer a heavy loss by its nationalisation. May I know whether keeping in view the fact that a large number of people are experiencing a great difficulty due to its having a narrow-guage line, Government do not think is proper to nationalise this line in the public interest ?

श्री चे० मु० पुनाचा : कठिनाई इसके संचालन की है। नैरी-गेज लाइनें अब पुरानी पड़ती जा रही हैं। नैरो-गेज लाइनों के लिये न तो इंजन, डिब्बे आदि मिलते हैं और न इन्हें बनाने का ही कोई कार्यक्रम है। इसलिये रेलवे मंत्रालय का विचार इन नैरो-गेज लाइनों को अपने हाथ में लेने का नहीं है। यदि सम्भव हुआ तो इस क्षेत्र में मीटर गेज या ब्रौड गेज लाइन की व्यवस्था की जायेगी जिसका प्रबन्ध हम सुचारु रूप से कर सकते हैं।

Shri George Fernandes : The hon. Minister while giving information about the strike notice has stated that the union which went on strike was not recognised and the union had demanded for its recognition. Keeping in view these facts may I know whether he will try to solve the problem of giving recognition to the workers Union by immediately advising the Railway management in this regard.

श्री परिमल घोष : यह मजदूरों से सम्बन्धित प्रश्न है और शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे एक गैर-सरकारी कम्पनी है। इसका निर्णय करना उसका काम है। वह यह मामला श्रम मंत्रालय को सौंप सकती हैं। रेलवे मंत्रालय का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड

*198. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड किस वर्ष स्थापित किया गया था और उसके निदेशक मंडल के सदस्य कौन-कौन थे;

(ख) इस समय इसके निदेशक-मंडल के सदस्य कौन-कौन हैं और इस समवाय के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक कौन-कौन हैं उनकी नियुक्ति कब हुई थी और उनके पद की अवधि तथा सेवा की शर्तें क्या हैं;

(ग) हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड को (1) अनियमिततायें (2) चोरी (3) स्टाक में कमी (4) आग लगने अथवा ऐसे ही अन्य कारणों से कितनी हानि हुई; क्या इन मामलों की जांच की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला तथा यदि नहीं तो उसके क्या कारण थे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) :
(क) कम्पनी 12-4-1957 को पंजीकृत हुई थी और इसके सदस्य निम्नलिखित थे :

अध्यक्ष	डा० जी० पी० कारणे
निदेशक	श्री ग० ध० सोमानी, संसद सदस्य श्री एन० सी० कासलीवाल, संसद सदस्य श्री पी० एन० काटजू श्री टी० वेदान्तिम डा० ए० एन० कपन्ना
प्रबन्ध निदेशक	श्री आर० एन० वासुदेव, आई० ए० एस० (1 जून, 1959 से उनके उत्तराधिकारी थे श्री एच० जे० एवर्राडन)

(ख) वर्तमान निदेशक मण्डल निम्नलिखित हैं :—

	नाम	नियुक्ति की तिथि
अध्यक्ष	रिक्त है	———
निदेशक	1 श्री एन० एम० बरोत	28-3-1968
	2 श्री वी० वी० नरसिंहाचारी	26-6-1968
	3 श्री वी० आर० अन्तानी	28-3-1968
	4 श्री जे० सी० दीक्षित	26-6-1968
	5 श्री जे० डी० आदिग	28-3-1968
	6 श्री आर० महादेवन	28-3-1968
	7 श्री सी० बालासुब्रामणियम	28-3-1968
	8 श्री पी० के० शेषन	28-3-1968
प्रबन्ध निदेशक	श्री एफ० ए० मोरीसन	25-4-1967

निदेशकों की नियुक्ति की अवधि (जिनमें अध्यक्ष जो पद अभी रिक्त है भी सम्मिलित है किन्तु प्रबन्ध निदेशक को छोड़कर) उनकी तिथि से लेकर कम्पनी की साधारण सभा की वार्षिक बैठक तक होती है उस समय अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक को छोडकर सभी निदेशक स्वतः सेवा मुक्त हो जाते हैं। प्रबन्ध निदेशक जो कि सरकारी अधिकारी होता है और जिसकी नियुक्ति विशिष्ट शर्तों के अन्तर्गत होती है तभी पद मुक्त होता है जबकि वह उस पद को छोड़ देता है। अन्य वर्तमान निदेशक अवैतनिक होते हैं और समय-समय पर होने वाली बैठकों के शुल्क तथा कम्पनी के हित में की गई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता लेने के अधिकारी होते हैं।

(ग) तथा (घ): विभिन्न मदों पर कम्पनी को हुई हानि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1.	अनियमितताएं	कुछ नहीं
2.	चोरी	9,755.00 रुपये

3. स्टाक में कमी 18,29,282.00 रुपये

4. अग्नि तथा अन्य कारणों से 22,35,538.82 रुपये

इन हानियों की की गई जांच के परिणाम अनुबन्ध में दिए गए हैं।

अनुबन्ध

चोरी : मामलों की रिपोर्ट पुलिस को दे दी गई थी। एक मामले में तो माल बरामद हो गया था। एक मामले में उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया था और सम्बन्धित अधिकारी से आंशिक वसूली की गई थी। पहरेदारी की व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया था।

स्टाक में कमी : नमक खुले में ही रखा जाता है और वर्षा ऋतु में वर्षा में ही पड़ा रहता है। कश्मलताएं घुल जाती हैं जिससे नमक की किस्म में सुधार हो जाता है। अतः नमक के कारखानों में इस प्रकार की हानि एक सामान्य बात है।

अग्नि तथा अन्य कारण : जुलाई, 1968 में सांभर झील में अभूतपूर्व बाढ़ आने से भारी हानि हुई है। नमक तथा उसके उप-उत्पादों के स्टाक में हुई हानि का वर्तमान अनुमान 5,80,216 रु० है। भरसक प्रयत्न करने पर भी स्टाक को विनाशकारी बाढ़ से बचा सकना सम्भव न हो सका। बाढ़ से बांध, किनारों तथा कयारों इत्यादि को भी विस्तृत क्षति पहुँची जिससे लगभग 16,55,400 रु० की हानि हुई। अग्नि से हुई हानि केवल 23 रु० की थी जो कि स्टोर की एक मामूली वस्तु का मूल्य है जो कि आग में जल गई थी।

श्री स० मो० बनर्जी : चूंकि हमें विवरण पढ़ना है, अतः मेरा सुझाव है कि इस पर अनुपूरक प्रश्न कल पूछे जायें।

अध्यक्ष महोदय : यदि इस विवरण को पहले सभा पटल पर रखा जाता तो अच्छा होता। उत्तर लम्बा होने की स्थिति में सामान्यतः ऐसा किया जाता है।

Shri Prem Chand Verma : It is not correct to say that salt costing Rs. 18 lakhs was stolen and valued at Rs. 22 lakhs was destroyed by fire. In fact there is mismanagement and corruption in this factory. According to my knowledge the salt was not actually destroyed by fire but is was stolen from the factory. The value of entire quantity of salt produced in the factory is not entered in accounts books. I have full details about it. According to my information the figures of actual loss are Rs. 72 lakhs which is four times of the quantity stated by the hon. Minister. May I know whether the Government will inquire into the whole matter ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : According to the information available with us, the salt worth Rs. 9,755 was stolen. If the hon. Members have the figures of more theft, he may give those figures to me and I will conduct inquiry and proper action will be taken against the persons responsible for it. So far the theft of Rs. 9 thousand is concerned, we ascertained the preliminary facts and an inquiry is being conducted against the persons concerned. After completion of the inquiry suitable action will be taken in the matter.

Shri Prem Chand Verma : The reply given by the hon. Minister is not correct.

May I know the targets of Hindustan Salts Limited fixed for the years 1966-67, and 1967-68, and the extent to which they were achieved ? What are the targets fixed for 1968-69 and are they likely to be achieved or not ? Government propose any changes in the administration of this public undertaking in order to have return according to the investment made therein ?

Shri F. A. Ahmed : This factory was a profit earning concern but went into loss during last 2 or 3 years due floods etc. and efforts are being made to inprove the situation and to make it a profit earning concern. The post of Chairman is vaccant at present and a new Chairman is to be appointed.

Shri Kanwar Lal Gupta : Is it a fact that the targets fixed in respect of production of this Undertaking were not achieved during the last two or three years and what were the targets for two or three years before the said period and to which extent they were achieved ? May I know whether Government will conduct any inquiry in the whole matter regarding loss suffered by the undertaking due to irregularities, thefts, stock shortage, fire, and such other causes, in order to fix responsibility therefor and also to improve the situation ?

Shri F. A. Ahmed : The lose due to fire was to the tune of Rs. 23 only.

Shri Kanwar Lal Gupta : The figures being given by the hon. Minister and given in the statement do not tally with each other.

Shri F. A. Ahmed : Perhaps the hon. Member has not listened attentively the reply given by the Deputy Minister. He has stated that the loss by fire was only to the extent of Rs. 23 only, He has also stated other Caunses of the loss in detail According to the inquiry conducted by us it appears that so many things were swept away by floods. If the hon. Member has any specific charges against any person he may bring them to my notice and I will certainly look into them and take suitable action in the matter.

Shri Kanwar Lal Gupta : My question has not been answared. I asked, what were the targets fixed for the last three years and what was the production. He has not replied to that. If the hon. Minister has no information, he may ask for notice.

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय के पास उत्तर नहीं है। इसमें मैं क्या सहायता कर सकता हूं ?

श्री कंवर लाल गुप्त : मन्त्री महोदय को यह बात मान लेनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या मन्त्री महोदय को कुछ कहना है ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : मैं केवल यह कह सकता हूं कि पिछले तीन वर्षों में हमें हानि हुई है। लक्ष्य के बारे में मैं पता करूंगा।

श्री क० नारायण राव : मन्त्री महोदय ने यह बात मानी है कि नमक वर्षा से बह गया, किन्तु अब वह अपनी असावधानी पर पर्दा डालने के लिए कह रहे हैं कि इससे नमक शुद्ध हो गया। अतः इससे यह बात सामने आयी कि नमक में कुछ अशुद्ध पदार्थ रहते हैं। चाहे कुछ भी हो, यह नमक खुले में रहने के कारण वर्षा से धुल गया। यह खेद की बात है। मैं जानना

चाहता हूं कि क्या सरकार वर्षा के स्थान पर किसी वैज्ञानिक विधि से नमक को शुद्ध करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : नमक को शुद्ध करने के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती वह पानी वर्षा से मिल जाने के बारे में कैसे कहा जा सकता है । वर्षा सदा एक समान मात्रा में नहीं होती है । इस वर्ष विशेष में वर्षा और बाढ़ के कारण अधिक नुकसान हुआ ।

Shri J. M. Biswas : How the salt was destroyed by fire ?

Shri F. A. Ahmed : The loss due to the fire was to the extent of Rs. 23 only.

श्री एस० कन्डप्पन : मुझे दुख है कि सरकार इस कम्पनी की ओर कतई ध्यान नहीं दे रही है । जिसके कारण कम्पनी को नुकसान हो रहा है । गैर सरकारी कम्पनी में भी नमक खुला रहता है और उस पर वर्षा भी होती है किन्तु वह कम्पनी इस सम्बन्ध में सावधानी से काम लेती है जिससे उसे मुनाफा होता है । इस सरकारी कम्पनी और अन्य गैर सरकारी कम्पनियों में इस प्रकार के अन्तर के क्या कारण हैं जो कि सरकारी कम्पनी में लाभ होता ही नहीं है । यदि लाभ हुआ हो तो मन्त्री महोदय उसके बारे में बताए ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : वर्ष 1961 से इस कम्पनी को लाभ होता रहा । इस कम्पनी को वर्ष 1961, 1962 और 1963 में क्रमश: 15,88,283 रुपये, 6,95,972 और 43,292 रुपये का लाभ हुआ । उसके बाद इसको घाटा हुआ, पिछले वर्ष घाटा वर्ष 1965-66 की तुलना में कम हुआ ।

Samastipur-Narkatiaganj-Muzaffarpur B. G. Rail Link

\+

*199. **Shri Shiva Chandra Jha** :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during his tour of Bihar in September last, he stated that Government have decided to connect Samastipur. Narkatiaganj and Muzaffarpur with broad gauge railway line; and

(b) if so, whether the work on this line will start during the current year ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख): समस्तीपुर-रक्सौल खण्ड को दरभंगा के रास्ते मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के लिए निकट भविष्य में यातायात और दूसरे सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है और आमान-परिवर्तन सम्बन्धी निर्णय इस सर्वेक्षण के परिणाम पर निर्भर करेगा ।

Shri Shiv Chandra Jha : The effeciency of the Ministry of Railway is being criticised here. People are not getting adequate facilities in North Bihar. Works are not being completed in time. Keeping these fact may I know from the hon, Minister in clear words the time by which the construction of Samastipur-Narkatiagang borad gauge line will be completed ?

श्री परिमल घोष : दरभंगा से होकर जाने वाली इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में सर्वेक्षण करने का निर्णय किया गया है। एक सर्वेक्षण दल वर्ष 1969–70 के कार्यक्रम में इस मामले पर विचार करेगा। उसका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलना आवश्यक समझा गया तो इसे अगली पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम में सम्मिलित किया जायेगा।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में तालाबन्दी

+
अ.सू प्र. 1. श्री भगवान दास :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या इस्पात खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालयों में 4 नवम्बर, 1968 से तालाबन्दी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तालाबन्दी के क्या कारण हैं;

(ग) कुल कितने कर्मचारियों पर तालाबन्दी का प्रभाव पड़ा है; और

(घ) तालाबन्दी को हटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां। वित्त और लेखाशाखा के कुछ कर्मचारियों को छोड़ कर शेष तालाबन्दी में शामिल हैं।

(ख) 29 अक्टूबर, 1968 से कर्मचारियों ने हड़ताल की जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के सम्बद्ध उपबन्धों के अनुसार गैर कानूनी थी। प्रबन्धक वर्ग द्वारा दिये गये 1–11–1968 को चेतावनी नोटिस के बावजूद भी गैर कानूनी हड़ताल और गैर कानूनी काम जारी रहे जिससे कानून और व्यवस्था बिल्कुल भंग हो गई और प्रशासनिक भवन में शान्तिपूर्वक कार्य करना असम्भव हो गया।

(ग) 565।

(घ) पश्चिमी बंगाल सरकार के स्थानीय श्रम उपायुक्त समझौता करा रहे हैं।

Shri Bhagwan Dass : The lock out in the Durgapur Hindustan Steel Plant is not the first of its kind: There has been discussion in both the houses that the I. N. T. U. C. had sabotaged it but I do not want to say anything here. I only want to say that the installation of Computor is the main cause of the lock out. The hon. Minister has the knowledge that when there was a United Front Government then a tripartite agreement was concluded in which the labour Minister was also present there and it was decided that the Computor would not be installed. But the Computor was installed with the help of the police oe the night of 29th September. After this the help of the police was taken to remove the files on 30th October In this way one hundred persons got unemployed. The Company and the Government had Jointly made such huge provocation but inspite of this no way was found out. Five persons were suspended on the evening of 4.11.68. Twenty persons were already suspended on 20th. I want to know from the Government

whether there had been tripantite conference or not and whether this agreement was made that the Computor would not be installed.

Shri P. C. Sethi : As far as the installation of Computor in Durgapur is concerned it was decided to instal the computor there in 1965. The second Computor was specially installed at Bhilai to process the finances of Administrative Branch. A computor was installed at the office of Rourkela Steel Plant in June, 1968. The office work of Indian iron and Tata is being conducted with the help of Computor. As such it was not possible to deprive only Durgapur of this and the efficiency is affected. So it was decided to instal the Computor. There is no specific relation between retrenchment of labourers and the installation of computor. There were reasons for the suspension of those persons They were suspended for they wanted to create obstruction in the work,

Shri Bhagwan Dass : My first question has not been answered. Is it correct or not that a tripartite agreement had taken place.

श्री प्र० चं० सेठी : मुझे इस समझौता का कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने स्वयं 1965 में कम्पूटर लगाने का निश्चय किया था।

Shri Bhagwan Dass : I want to know when this lock-out Will be lifted.

श्री प्र० चं० सेठी : यह मामला उप श्रम आयुक्त के पाठ समझौते के लिए है, अगर उप श्रम आयुक्त की शर्तें प्रबन्धक और संघों को मान्य हैं तो हम शीघ्र ही तालाबन्दी उठाने को तैयार है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : इस वर्तमान तालाबन्दी से सम्बन्धित वास्तविक बात यह है। मैं जान सकता हूँ कि क्या यह सच है या नहीं कि गत जुलाई के महीने में उपश्रम आयुक्त द्वारा बुलाई गई सभा में दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों ने यह स्वीकार किया था कि संघ के साथ जब तक कम्पूटर की जटिलताओं और उसके रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव आदि के बारे में बातचीत और सलाह-मशविरा नहीं हो जाता तब तक के लिए वे इसकी स्थापना को स्थगित रखेंगे। परन्तु हमने यह देखा है कि उन्होंने एक पक्षीय तरफ से इसकी स्थापना कर ली है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है या नहीं और क्या यह प्रबन्धकों द्वारा उस समझौते का उल्लंघन नहीं है जिसमें कम्पूटर की स्थापना को स्थगित रखने को कहा गया है जिसकी वजह से वहां यह सब गड़बड़ हुई है। यदि हां, तो सरकार के सामने क्या रुकावट है कि वह यह देखे कि सम्बन्धित पक्षों के बीच सलाह-मशविरा और बातचीत द्वारा मामले को सुलझा दिया जाये और कर्मचारियों को यह निश्चित आश्वासन दिया जाये कि न अ० अथवा भविष्य में किसी के रोजगार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ? मैं नहीं समझता कि यह तालाबन्दी क्यों जारी है।

श्री प्र० चं० सेठी : कारखाने के प्रबन्धकों ने संघ को यह स्पष्ट बता दिया है कि इस समय आई० बी० एम० और आई० सी० टी० मशीनों में केवल 20 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं परन्तु जब कम्पूटर लग जायेगा तो 28 व्यक्ति अधिक कार्य करेंगे। अतएव छंटनी का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक उनके वेतन का प्रश्न है, उनको मिल रहे वेतन से कम नहीं मिलेगा। इसके विपरीत, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि कार्य कुशलता में सुधार होगा। यह स्पष्ट आश-

वासन पहले ही दिया जा चुका है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यह मामला समझौता अधिकारी के पास है और संघ तथा प्रबन्धक बातचीत कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे समाधान ढूंढने में मदद दें।

श्री राममूर्ति : क्या वहां ऐसा समझौता नहीं था कि जब तक बातचीत नहीं हो जाती तब तक वे उसको स्थापित नहीं करेंगे ? जबकि प्रबन्धकों ने श्रम आयुक्त के समक्ष इस मामले को रखना स्वीकार किया कि वे बातचीत के न होने तक इसको स्थापित नहीं करेंगे तो मैं जान सकता हूँ कि उन्होंने समझौते का उल्लंघन करके इसको स्थापित नहीं किया है ? यह एक विशिष्ट प्रश्न है। वे इसका उत्तर क्यों नहीं देते ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने जब माननीय सदस्य श्री भगवान दास जी ने प्रश्न पूछा था तब ही उत्तर दे दिया था कि मुझे उसके समझौते के बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं है।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : मंत्री महोदय ने कहा है कि कम्पूटर की स्थापना से कोई छंटनी नहीं हुई है, वास्तव में कम्पूटर लगाने का उद्देश्य मानवीय श्रम के बदले मशीनों का रखना है। स्वभावतः कुछ व्यक्ति बेकार हो जाएंगे, मैं जानना चाहता हूँ कि इन व्यक्तियों को कैसे खपाया जायेगा जिससे कि छंटनी न हो सके ? इसके अतिरिक्त मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनके वेतन तथा अन्य सुविधाओं पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने पहले ही कहा है कि कोई छंटनी नहीं की जाएगी। वर्तमान मशीन में 20 व्यक्ति कार्य कर रहें हैं। जब कम्पूटर पूरा काम करने लगेगा तो 28 व्यक्ति कार्य कर रहे होंगे और इस प्रकार कोई छंटनी नहीं की जाएगी। जहां तक वर्तमान कम्पूटर का सम्बन्ध हैं, मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान मशीन केवल 100 से 200 अंकों तक का कार्य कर सकती है जबकि कम्पूटर 8000 अंकों तक कार्य कर सकती है। अतएव कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। तब कोई छंटनी नहीं होगी और न वेतन में कोई हानि होगी।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister stated that the trouble started on account of the installation of Computor. I want to know whether these computors do not do any mistakes ? Will the Computors, being installed in plants, be established in the Cabinet so that the Ministers do not make mistakes.

अध्यक्ष महोदय : अगर आपका प्रश्न ऐसा है तो निश्चय ही आप मुझे नहीं देख सकोगे यह कम्पूटर मध्य प्रदेश में भी लगाया जा सकता है (**व्यवधान**)।

श्री स०मो० बनर्जी : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने प्रश्न पूछा था कि क्या इसके लिए पहिले ही यह समझौता हुआ था कि कम्पूटर के लगाने से पहले संघ के प्रतिनिधियों के साथ इसके परिणाम और जटिलताओं के बारे में बातचीत की जाएगी और तब ऐसा किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि अभी हाल ही में श्रम मंत्री द्वारा बुलाई गई त्रिपक्षीय सभा में यह निर्णय किया गया था कि कम्पूटर लगाने के प्रश्न पर नए सिरे से विचार किया जाएगा और कर्मचारी प्रबन्धकों के साथ बातचीत करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या संघ के प्रतिनिधियों के साथ इस प्रश्न पर बातचीत हुई थी। मैं जानना

चाहता हूं कि क्या संघ के प्रतिनिधियों के साथ इस प्रश्न पर बातचीत हुई अथवा क्या यह आश्वासन स्वयं दिया गया था। मैं इसके बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि कर्मचारियों के मन में भय है कि आज नहीं तो कल रोजगार की संभावनाएं कम होती जाएंगी और पदोन्नति के मौके भी कम होते जाएंगे। अगर ऐसा है तो इस भय को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस विशेष सभा अथवा विश्वास के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है परन्तु मैंने स्पष्ट कर दिया है कि कम्पूटर लगाने के बावजूद कोई छंटनी नहीं की जाएगी और उनका वेतन कम नहीं किया जाएगा।

श्री स० मो० बनर्जी : अगर मंत्री महोदय का कहना है कि उन्हें पिछले समझौते के बारे में कुछ नहीं मालूम है तो इसका मतलब है कि मालिकों ने समझौते का उल्लंघन किया है। यदि ऐसा है तो क्या मंत्री महोदय इस मामले को देखेंगे कि उन्होंने समझौते का उल्लंघन किया है ? अगर उन्होंने इसका उल्लंघन किया है तो कर्मचारियों को तालाबंदी की अवधि का पूरा वेतन तथा भत्ता मिलना चाहिए क्योंकि तालाबंदी अवैध है।

Shri Prakash Vir Shastri : Whether the Government have received the Final figures of the events of sabotage in Durgapur Steel Plant ? If so then whether it is a fact that some elements are working in connection with the Durgapur Steel Plants to find out such type of means so that the plant may not have to face difficulties which may prove hindrance in the working of the plant.

श्री प्र० चं० सेठी : यह तो पूरा भिन्न प्रश्न है। अगर आप मुझे कहें तो मैं इसका उत्तर दूंगा।

श्री विक्रम चन्द महाजन : सरकार के कम्पूटर लगाने से बहुत अधिक श्रम सम्बन्धी झगड़े खड़े हो रहे है और यह आगे श्रम के क्षेत्र में और अधिक बेरोजगारी पैदा करेगा। जैसा कि पहले ही बहुत अधिक बेरोजगारी है, तो क्या सरकार क्रेन को हटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ताकि कारखानों में अधिक श्रमिकों को लगाया जा सके और बेरोजगारी को दूर किया जा सके।

श्री राममूर्ति : इस प्रश्न के उत्तर में, कि क्या मंत्री महोदय को श्रम आयुक्त और दुर्गापुर प्रबन्धकों के मध्य हुए समझौते के बारे में मालूम है, उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं हैं। तब क्या वे यह पता लगाएंगे कि समझौते होने की बात सच है और प्रबन्धकों ने समझौते का उल्लंघन करके कम्पूटर को स्थापित किया है। क्या वे तब इस उल्लंघन के लिए प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, जिसके कारण से यह तालाबंदी हुई ? क्योंकि वे कम से कम ऐसा करेंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैं निश्चय ही तथ्यों का पता लगाऊंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पंजाब खादी ग्रामोद्योग संगठन

*181. **श्री नीतिराजसिंह चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब खादी ग्रामोद्योग संगठन ने पिछले चार वर्षों में खादी और चरखे बेचे बिना ही छूट की राशि प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में छूट के रूप में कितनी धन-राशि प्राप्त की गई है;

(ग) क्या उपरोक्त संगठन ने खादी और चरखे की वास्तव में बिक्री किये बिना झूंठी बिक्री दिखा कर ही छूट की राशि प्राप्त की है;

(घ) क्या उपरोक्त कदाचारकृत्य के सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही की गई है या करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहमद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ग): वर्ष 1962-63 से 1965-66 के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की प्रमाणीकरण समिति के लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में पंजाब खादी ग्रामोद्योग संघ द्वारा ऊनी खादी के अप्रमाणित उत्पादन । बिक्री के कुछ कारोबार बताए गये है । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के आन्तरिक लेखा परीक्षा में भी संघ द्वारा बुनाई उपदान के लिये अनियमित दावे बताए गये हैं ।

(ख) प्रमाणीकरण समिति के लेखा परीक्षक द्वारा बताए गये अनियमित कारोबार के सम्बन्ध में पंजाब खादी ग्रामोद्योग संघ द्वारा ली गई छूट तथा उत्पादन बिक्री उपदान की राशि लगभग 1,88 लाख रुपये है । संघ द्वारा गलत ढंग से ली गई बुनाई उपदान की राशि 13,769 रुपये है ।

(घ) (1) 1.88 लाख रुपये की पूरी राशि संघ से वसूल कर ली गई है । बुनाई उपदान के रूप में गलत ढंग से ली गयी 13,769 रु० की राशि में से 1466 रु० वसूल कर लिए गये हैं । खादी ग्रामोद्योग आयोग ने बकाया राशि को वसूल करने के लिये कार्यवाही की है ।

(2) अप्रमाणित खादी के कारोबार के लिये जिम्मेदार कर्मचारी बरखास्त कर दिये गये हैं ।

(3) पुराने शासी निकाय के स्थान पर, जिसने त्यागपत्र दे दिया, एक नया शासी निकाय गठित किया गया है और

(4) आगे भी जांच चल रही है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली को शुष्क बन्दरगाह बनाना

*182. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या वाणिज्य मंत्री 30 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1610 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को शुष्क बन्दरगाह घोषित करने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में कब निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है और अन्तिम विनिश्चय यथा शीघ्र किया जायेगा।

कोयले की ढुलाई के बारे में विश्व बैंक के अध्ययन दल का सुझाव

*183. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की ढुलाई के सम्बन्ध में विश्व बैंक के अध्ययन दल ने और बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया था कि विशेषरूप से खुले माल डिब्बों सम्बन्धी कार्यक्रमों, माल डिब्बों की कमी, उस कमी को पूरा करने और उस कार्यक्रम में किसी अनुसूचि को रद्द करने या परिवर्तन के बारे में कोयला खानों को यथासंभव अग्रिम सूचना दी जानी चाहिये;

(ख) क्या कोयला खानों को सीधे अथवा स्थानीय रेलवे कार्यालयों अथवा कोयला खानों के संघ के माध्यम से अग्रिम सूचना दी जाती है;

(ग) क्या आवश्यक सूचना न दी जाने अथवा अपेक्षित सूचना देने से इन्कार किये जाने की घटनाओं के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) कोयला खानों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कोयला यातायात पर विश्व बैंक के अध्ययन दल ने कहा था कि खानों को सप्लाई की अग्रिम सूचना दी जाये।

(ख) जहां तक सम्भव होता है अग्रिम सूचना सीधे खानों को दी जाती है।

(ग) जी हां। इस तरह की शिकायतें तब मिली थी जब खानों को सीधे सूचना न दे कर उन्हें बिचोलियों के मार्फत सूचित किया जाता था।

(घ) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

ब्रिटेन द्वारा पटसन के माल का आयात

*184. श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ब्रिटेन के उस प्रस्ताव पर आपत्ति की है, जिसमें उस देश में पटसन के माल के आयात के लिये विश्व के विभिन्न देशों का कोटा निश्चत करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो संक्षेप में आपत्ति किन बातों के आधार पर की गई है;

(ग) इससे हमारे पटसन के व्यापार पर कितना कुप्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) इस प्रस्ताव का प्रतिकार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ): पटसन के कतिपय किस्मों के माल के अधिक मूल्य निर्धारण की विद्यमान पद्धति के स्थान पर विश्व के विभिन्न देशों के कोटे निश्चित करने के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार के प्राधिकारियों की प्रस्थापना पर उनके साथ बातचीत चल रही है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय किये जायेंगे कि ब्रिटेन को हमारे पटसन के माल के निर्यात में कमी न हो।

पाकिस्तान की मुस्लिम लीग को भारतीय कम्पनियों द्वारा चन्दे दिये जाना

185. श्री यज्ञ दत्त शर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले छः वर्षों में भारत की कुछ कम्पनियों ने पाकिस्तान की मुस्लिम लीग को दान में बड़ी धन राशि दी है;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या है तथा दिये गये दान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग): कम्पनियों के नाम, तथा उनके द्वारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग को दिये गये अंशदान की राशि निम्नलिखित हैं :–

गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड	40,000 रु०
दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०	1,39,379 रु०

इन दोनों कम्पनियों की इकाइयां पश्चिमी पाकिस्तान में लायलपुर में है। ऊपर कथित अंशदान उनकी पाकिस्तानी इकाइयों द्वारा पाकिस्तान की मुस्लिम लीग को 1965 की वर्ष समाप्ति के मध्य दिये गये बतलाये गये हैं।

Tractor Factory in Rajasthan

***186. Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of tractors will be needed by the farmers of Rajasthan for Agr.cultural production as lakhs of acres of land will be irrigated on the completion of Ganga Canal, Bhakhra Canal, Ghaggar Canal and speciall the Rajasthan Canal ; and if so, whether there is any proposal to set up a tractor factory there;

(b) the time by which this proposal is likely to be implemented ; and

(c) whether Government have held negotiations with any industrialist in this connection and if so, the names of the industrialists or firms and decision of Government in that regard ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b) : The demand for tractors in Rajasthan is likely to increase after the completion of the irrigation canals. Government have, however, no proposal to set up a tractor factory in the State; nor have they received any proposal from any industrialist to set up a tractor factory there even after the tractor industry has been exempted from the licensing provisions of the Industries. (Development & Regulation) Act 1 51.

(c) No, Sir.

चोरी-छिपे नेपाल में पटसन ले जाया जाना

***187 श्री यशपाल सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री 13 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 451 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल को पटसन के कथित तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में सरकार ने जांच कराई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख) : ऐसा विश्वास किया जाता है कि नेपाल को भारत से पटसन का कुछ तस्कर व्यापार हो रहा है। सरकार इसकी रोकथाम करने का प्रयत्न कर रही है।

गुजरात में रेलवे लाइन

***188. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये गुजरात सरकार द्वारा कितनी रेलवे लाइनों का प्रस्ताव किया गया है और उनका प्राथमिकता क्रम क्या है ;

(ख) क्या गुजरात के विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन बिछाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के लिए गुजरात सरकार ने 22 नयी लाइनों और आमान परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा था। अग्रता के क्रम से नयी लाइनों और आमान परिवर्तनों के नाम सभा-पटल पर रखे विवरण में दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2176[68]**]

(ख) और (ग) : पश्चिम रेलवे ने इस परियोजना का संशोधित यातायात सर्वेक्षण अभी पूरा किया है और आशा है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट रेलवे बोर्ड कार्यालय में शीघ्र ही आ जायेगी। रिपोर्ट मिल जाने के बाद जब बोर्ड उस पर विचार कर लेगा, तभी इस लाइन को बनाने के बारे में अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

भिवानी और रोहतक के बीच बड़ी रेल-लाइन

*189. **श्री राम गृष्ण गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिवानी और रोहतक के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाने के बारे में सरकार को हरियाणा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) नये निर्माण के लिए अन्य दूसरे प्रस्तावों के साथ इस विशिष्ट प्रस्ताव के सम्बन्ध में पिछले सितम्बर में हरियाणा सरकार के एक अधिकारी को रेलवे बोर्ड के साथ विचार विमर्श हुआ था। उन्होंने इन प्रस्तावों के समर्थन में कुछ अतिरिक्त सूचना इक्कठी करने और भेजने के लिए कहा था जो अभी तक नहीं मिली है :

बोकारो इस्पात कारखाना

*190. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने के वर्तमान प्रबन्धक केरल को छोड़ अन्य राज्यों के कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं ; और

(ख) 1000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें केरल राज्य से सम्बन्धित कर्मचारियों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) 30 सितम्बर 1968 को 1000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले 186 कर्मचारी थे और इनमें 9 केरल राज्य के थे।

राज्यों में औद्योगिक विकास

***191. श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न राज्यों के संसाधनों का अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह अनुमान किन राज्यों में लगाया गया है ;

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : भारत सरकार ने प्रत्यक्ष रुप से विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की औद्योगिक क्षमताओं को नहीं आंका है। ऐसा मूल्यांकन राज्य सरकारों तथा संघीय क्षेत्रों ने स्वयं नेशनल कौंसल आफ एप्लाइड इकनामिकस रिसर्च द्वारा करवाया है। इस संस्था ने सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का तकनीकी तथा आर्थिक सर्वेक्षण किया है और जम्मू काश्मीर राज्य तथा अण्डमान निकोबार द्वीप को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के सर्वेक्षण निष्कर्ष प्रकाशित हो चुके हैं। उसी सर्वेक्षण के आधार पर राज्य सरकारें तथा संघीय प्रशासन औद्योगिक विकास की योजनाएँ तैयार करते हैं। इन योजनाओं पर योजना आयोग में पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना तैयार करते समय कार्यकारी दलों द्वारा विचारविमर्श किया जाता है और उनको योजनाओं में सम्मिलित करने के लिए निश्चय किये जाते हैं।

स्टेनलैस स्टील के लिए आयात लाइसेंस

***192. श्री बे०कृ० दास चौधरी :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 21/26 गेज मोटे स्टेनलेस स्टील के लिए 1967–68 और 1968–69 में कितने मूल्य के आयात लाइसेंस जारी किये गये अथवा परिवर्तित किये गये ;

(ख) क्या इन लाइसेंसों से आयात किये गये सामान के उचित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोई नियंत्रण लगाये गये हैं ;

(ग) वास्तविक प्रयोक्ताओं को 18 गेज तथा इससे मोटे स्टेनलेस स्टील के लाइसेंस जारी करने के क्या कारण हैं हालांकि वे इनका उपयोग नहीं कर सके थे और बाद में वे इनको पतले स्टेनलेस स्टील के लाइसेंसों में परिवर्तित कराने के लिए आये थे ; और

(घ) क्या लाइसेंसों के परिवर्तन के सम्बन्ध में 1967-68 और 1968-69 में जारी किये गये प्रत्येक पब्लिक नोटिस की एक एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

इस्पात खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) इस बात का उतरदायित्व प्रायोजी प्राधिकारियों पर है—जैसे तकनीकी निदेशालय का महानिदेशक, राज्यों के उद्योग निदेशक, वस्त्र-आयुक्त, पटसन-आयुक्त आदि, कि वे इस बात की पड़ताल करें कि उनकी सूचियों में सम्मिलित उद्योग आयातित माल का उचित उपयोग करते हैं।

(ग) फरवरी 1968 में नीति में संशोधन से पूर्व घरेलू बर्तन, घड़ियों के पट्टे रसोई के छुरी कांटे, मेजों के तख्ते और कुर्सी और मेज आदि बनाने वाले उद्योगों को छोड़कर दूसरे उद्योगों को 18 गेज या इससे अधिक मोटी बेदाग इस्पात की चादरें/प्लेटें/कतरनें/चक्र आयात करने की अनुमति थी। प्रायोजी / नीति व्यवस्था के अनुसार लाइसेंस जारी किये गये थे।

(घ) परिवर्तन विषयक तीन पब्लिक नोटिसों संख्या 50/आई० पी० (पी० एन०)/68 दिनांक 27-2-68 संख्या 55/आई० पी०(पी०एन०)/68 दिनांक 31 - 5 - 68 और संख्या 59/ आई० पी० (पी० एन) /68 दिनांक 25–6–68 की एक एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2177/68]**

पंजाब और हरियाणा में नये उद्योग

***193. डा० सुशीला नायर :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में पंजाब और हरियाणा में कोई नये उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उन राज्य सरकारों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। प्रस्ताव विचाराधीन हैं, क्योंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तैयार हो रही है, अतएव उन पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

Running of Capital Express Trains

***194. Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bharat Singh Cauhan :
Shri Sradhakar Supakar :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it has been decided to run some capital express trains from Delhi to various places ;

(b) if so, the names of places to which these trains would run and the speed thereof ; and

(c) whether the same fare would be charged for travelling in these trains as in the case of other Mail and Express trains ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b): Yes, Sir. For the present there is a proposal to run a high speed train with a maximum permissible speed of 120 kilometers per hour between Howrah and New Delhi only.

(c) The fares would be higher than those for the existing Mail and Express trains.

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची में सी० आई० ए० के एजेन्ट

*200. श्री क० लकप्पा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में सी० आई० ए० के ऐजेन्ट सक्रिय हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी गतिविधियां मुख्यत: किस प्रकार की हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

निर्यात प्रचार सलाहकार आयोग

*201. श्री हरदयाल देवगुण : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात प्रचार सलाहकार आयोग ने सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें निर्यात के मामले में असफलता के कारण बताये गये हैं और इस बारे में कुछ सिफारिश की गई है ;

(ख) यदि हां तो इस बारे में मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) से (ग) : स्थायी निर्यात प्रचार सलाहकार समिति का गठन विभिन्न माध्यमों से निर्यात प्रचार कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा क्रियान्वयन में सलाह देने के लिये किया गया था, निर्यात के मामले में असफलता के कारणों का पता लगाने के लिये नहीं । वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने के उपरान्त समिति ने कारगर तथा व्यावहारिक निर्यात प्रचार कार्यक्रमों को बनाने और समन्वित ढंग से उनके कार्यान्वयन की सिफारिशें की हैं । इन पर विचार चल रहा है ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना सम्बन्धी पाण्डे समिति

*202. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री शिव चरण लाल :
श्री केदार पस्वान :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दुर्गापुर इस्पात कारखाने में सामान के प्रबन्ध के बारे में पाण्डे समिति द्वारा की गई सिफारिशों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन सिफारिशों को कार्य रूप दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : सिफारिशें विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की खपत के बारे में अधिक कड़ा मान अपनाने, गम्यस्थान पर कोयले का सांझा नमूना लेने, बढ़िया कोयला तैयार करने, माल आदि के निरीक्षण के लिए निरीक्षण सकन्ध को सशक्त बनाने के बारे में हैं। यहां कार्यान्वियन अविरत किस्म का है। उदाहरणार्थ राष्ट्रीय उत्पादिकता परिषद ने कारखाने की सधारण प्रक्रियाओं का प्राथमिक अध्ययन किया है। एक समिति खपत के मान निर्धारित करने का काम कर रही है। गम्यस्थान पर कोयले का नमूना देखने के लिए एक स्वतंत्र एजेन्मी नियुक्त की गई है। फालतू पुर्जों, स्टोर आदि की सूचियों को कम करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

विदेशी सहयोग

***203. श्री एस० आर० दमानी :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी सहयोग से काम करने वाले औद्योगिक उपक्रम कौन कौन से हैं और सहयोग देने वालों के नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक मामले में संयंत्र और मशीनरी तथा दी गई तकनीकी जानकारी के बदले में पृथक-पृथक कितनी साम्य पूंजी की अनुमति है ;

(ग) क्या ऐसे भी कुछ मामले हैं जिनमें सहयोग करारों के अन्तर्गत ऐसी मशीनों के आयात की अनुमति दी गई जिनका निर्माण देश में किया जा सकता था; और यदि हां, तो उन मामलों का ब्योरा क्या है और यह निर्णय किन कारणों से किया गया ; और

(घ) क्या सहयोग कर्ताओं ने विदेशी मुद्रा का पूरा भार उठाया था और यदि नहीं, तो इसके परिणामस्वरूप हमारी कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उद्योग एवमं व्यापार पत्रिका में विदेशी सहयोग प्राप्त करने वाले उपक्रमों की त्रैमासिक सूची प्रकाशित की जाती है, इसमें अन्य सूचनाओं के साथ साथ भारतीय तथा विदेशी पार्टियों के नाम भी होते हैं।

(ख) से (घ) : अपेक्षित विस्तृत जानकारी एकत्रित करने में कुछ समय लगेगा फिर भी विदेशी सहयोग के अबतक स्वीकृत सभी प्रकरणों का जिनकी संख्या 3000 से

अधिक हैं महत्वपूर्ण विवरण अभिलेखों से इकट्ठा किया जा रहा है और वह यथा समय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

Catering Service on the North Eastern Railway.

*204. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that whereas rates for meals and refreshment have been increased in the entire catering service on the Railways, the quality of food-stuffs served on North Eastern Railway has much deteriorated;

(b) whether any steps are being taken to improve the quality of foodstuffs served on the North Eastern Railway ; and

(c) whether any arrangment has been made to conduct surprise inspection of Railway Restaurants on the North Eastern Railway?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, Sir, rates for meals and refreshments have been increased with effect from 15.5.1967. This had to be done due to increase in the prices of raw meterials and the cost of staff. Judged by the number of complaints received in regard to the quality of food served during the period January to September, 1968, as compared to the corresponding period of the previous year, there appears o have been no deterioration in the quality of foodstuffs served on the North Eastern Railway. There is, however, no complacency and constant efforts are being made to further improve the quality of food.

(b) Yes, Sir. The measures being taken include ;

(i) tightening up of supervision in regard to purchase and supply of good quality of raw materials; laying down of proper schedules for preparations recruitment of competent cooks, and training of catering staff in the culinary art;

(ii) intensification of inspections of all catering establishments.

(c Frequent inspections and surprise checks are being made to ensure that the service rendered by Railway Restaurants to the public is of a high standard.

निर्यात प्रोत्साहनों सम्बन्धी नीति में परिवर्तन

*205. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात प्रोत्साहनों तथा उसके परिणामस्वरूप हकदारी सम्बन्धी नीतियों में बार-बार परिवर्तन होने के कारण निर्यात व्यापार में बड़ी बाधा पड़ती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ मामलों में दिये गये प्रोत्साहनों को भूतलक्षी प्रभाव से वापस ले लिया गया है, जिससे उन निर्यातकों को, जिन्होंने तत्संगत योजनाओं के लागू होने के समय वायदे कर लिये थे, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) क्या निर्यातकों द्वारा आयात तथा निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक और सरकार के विरुद्ध विभिन्न उच्च न्यायालयों में कोई मुकदमें दायर किये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो उन मुकदमों की संख्या कितनी है और उनके बारे में न्यायालयों ने क्या निर्णय दिये हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) गत दो वर्षों में निर्यातकों को सहायता देने की नीति को कायम रखा गया है।

(ख) प्रोत्साहन भूतलक्षी प्रभाव से वापस नहीं लिये गये हैं।

(ग) और (घ) : निर्यात सहायता सम्बन्धी नीति में किये गये परिवर्तनों को चुनौती देने के लिये विभिन्न उच्च न्यायालयों में संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात तथा सरकार के विरुद्ध निर्यातकों द्वारा कोई दावे दायर नही किये गये हैं परन्तु निर्यातकों द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों में 19 लेख-याचिकाएं (रिट) दायर की गई जिनमें 12 मामलों में निर्णय दिया गया है ; 3 मामले खारिज कर दिये गये हैं। 9 मामलों में लेख-याचिकाएं स्वीकार कर ली गयी।

हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड द्वारा कांग्रेस दल को दिया गया दान

***206. श्री ए० श्रीधरन :**
श्री गफूर अली खां :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड ने कांग्रेस दल को बड़ी मात्रा में दान दिया ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1960 से 30 अक्तूबर, 1968 तक कांग्रेस दल को कितना दान दिया गया ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) तथा (ख) : हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड के लाभ-हानि के लेखे के अनुसार, कम्पनी ने कांग्रेस कमेटी को निम्नांकित राशियों का अंशदान दिया था :-

आर्थिक वर्ष समाप्ति	दिये गये अंशदान की राशि रु०
31-3-1961	कुछ नहीं
31-3-1962	1,50,175
31-3-1963	1,00,200
31-3-1964	10,175
31-3-1965	175
31-3-1966	175
31-3-1967	5,50,175
31-3-1968	25,175

चूंकि राजनैतिक अंशदानों की राशियों को, अपने लाभ-हानि के लेखाओं में प्रकट करना कम्पनियों के लिये अपेक्षित करने का कम्पनी अधिनियम का संशोधन, 28 दिसम्बर, 1960

को लागू किया गया था, अतः 1960 में यदि कोई राशि अंशदान में दी गई हो, तो उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है । 1-4-1968 से 30-10-1968 के मध्य, कम्पनी द्वारा यदि कोई दान दिये गये हों, तो वह कम्पनी के 31-3-1969 के चालू वर्ष के लाभ-हानि के लेखे के मिसिल किये जाने के पश्चात ही जाने जायेंगे ।

Import of Spare Parts

***207. Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Industrial Development and **Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the country has to import spare parts worth crores of rupees on account of non-availability of various alloy metals and whether it is also a fact that if these metals are made available, all the required spare parts could be manufactured in the country ;

(b) if so, the reasons for not allowing the import of the spare parts by liberalizing the import and the reasons for not increasing the production of said alloy metals; and

(c) whether it is also a fact that the said alloy metals would cost only few lakh of rupees, whereas crores of rupees are spent on the import of spare parts?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर संगणकों का प्रयोग

*208. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल गाड़ियों में स्थानों का आरक्षण करने के लिए संगणकों का प्रयोग करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो संगणकों का मूल्य कितना है और उनको लगाने पर कितना धन व्यय होगा ;

(ग) स्थानों के आरक्षण का कार्य संगणकों द्वारा कराये जाने पर कितने कर्मचारी हटा दिये जायेंगे ; और

(घ) संगणकों का प्रयोग करने से कुल कितनी मितव्ययता होगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : जी हां, दिल्ली और नयी दिल्ली स्टेशनों पर सीटों और शायिकाओं के आरक्षण के लिए कम्पूटर लगाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है । भारत में कम्पूटर बनाने वाली फर्म को एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। योजना की व्यावहारिकता और अन्य बातों की जांच के बाद ही प्रशासन निर्णय लेगा ।

(ख), (ग) और (घ) : फर्म द्वारा परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद ही इन पहलुओं के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध हो सकेगी ।

धारवाड़ जिले में सोने के निक्षेप

*209. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में धारवाड़ जिले में कप्पाट की पहाड़ियों में सोने के निक्षेपों का पता चला है ;

(ख) मेसर्स जान टेलर एण्ड संज द्वारा किये गये खोज कार्य का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग की जानकारी के अनुसार सोने के निक्षेपों की मात्रा कितनी होने का अनुमान है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) धारवाड़ जिले के कप्पाट पहाड़ी क्षेत्र में सोना पाये जाने का काफी समय से पता है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और जब उपलब्ध होगी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) अन्वेषण कार्य भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा 1967 में हाथ में लिया गया था और यह अभी भी चालू है। अब तक किया गया कार्य प्रारंभिक अवस्था में है और अभी निक्षेपों की सम्भाव्यता के विषय में किसी परिणामों पर पहुंचना असामयिक हैं।

भारत में रूस की सहायता से चलने वाली परियोजनाएं

*210 **श्री रवि राय :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में रूस की सहायता से चलने वाली परियोजनाओं के कार्य-संचालन की समीक्षा करने के लिए उन्होंने हाल ही में रूस के भारत स्थित राजदूत से बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस वार्ता की मुख्य रूपरेखा क्या थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) रूस की सहायता से चलने वाली परियोजनाओं के कार्य की समीक्षा करने तथा उनकी समस्याओं और कठिनाईयों का समाधान करने के लिए भारत स्थित रूस के राजदूत के साथ समय समय पर बैठकें होती रहती हैं।

(ख) दिनांक 20 सितम्बर, 1968 की बैठक में अन्य विषयों के साथ साथ निम्न-लिखित विषयों पर भी विचार किया गया (1) हैवी मशीन निर्माण संयंत्र में डिजायनों की सुविधाओं के विस्तार के लिए सोवियत सहायता (2) बोकारो प्रायोजना के हेतु हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन को पुर्जो और संतुलन उपकरणों की प्राप्य सुपुर्दगी। (3) इस वर्ष के आरम्भ में भारत आए हुए रूसी एक्सपर्ट दल की सिफारिशों का कार्यान्वयन (4) माइनिंग

एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन में निर्मित होने वाले कुछ उपकरणों की वर्किंग ड्राइंग प्रदान करने के लिए सोवियत सहायता (5) हैवी इलैक्ट्रीकल उपकरण संयंत्र हरिद्वार के लिए उपकरणों के संभरण की प्राप्य सुपुर्दगी।

यवतमाल जिले में रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण

1154. **श्री देवराव पाटिल :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यवतमाल जिले में चंखा से जिस रेलवे लाइन का सर्वेक्षण करने का विचार था, वह पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) फिलहाल सर्वेक्षण करने का कोई औचित्य नहीं है।

कपास के मूल्य

1155. **श्री देवराव पाटिल :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इन कार्यवाहियों का क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) ; (क) तथा (ख) : यद्यपि कपास के मूल्यों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है, फिर भी इन मूल्यों को स्थिर रखने के लिये स्टाक नियंत्रण, ऋण नियन्त्रण तथा संविदाओं के विनियमन की कार्यवाही चालू है। इस समय कपास के मूल्य, 1968-69 के रुई मौसम के समर्थक मूल्यों से काफी ऊंचे हैं।

बोकारो इस्पात परियोजना

1156. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात परियोजना पर रुपयों में कुल कितनी लागत आयेगी और अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ख) इस कारखाने के किस तारीख को चालू हो जाने की सम्भावना है।

(ग) क्या यह सच है कि इस्पात टेक्नोलोजी के विशेषज्ञ वर्तमान प्राक्कलन को बहुत अधिक और रूस सरकार द्वारा की गई कटौती को बहुत मामूली समझते हैं ; और

(घ) बोकारो इस्पात कारखाने की निर्माण लागत को कम करने के मार्गोपाय पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन दिये जाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और कब तक इसके प्रस्तुत होने की संभावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री रामसेवक) : (क) बोकारो इस्पात प्रायोजना के प्रथम चरण पर 6710 मिलियन रुपये खर्च आने का अनुमान हैं। अक्तूबर 1968 के अन्त तक प्रायोजना पर 1450 मिलियन रुपये खर्च हो चुके हैं।

(ख) कार्य-अनुसूची के अनुसार प्रायोजना के प्रथम चरण में दिसम्बर 1971 के अन्त तक उत्पादन आरम्भ होगा।

(ग) बोकारो इस्पात कारखाने के लागत प्राक्कलनों का सरकार ने विस्तार से परीक्षण किया है और इस पर सोवियत अधिकारियों के साथ भी विचार विमर्श किया है। लागत को कम करने के लिए किये गये अध्ययनों के परिणाम स्वरूप 114 मिलियन रुपये की वास्तविक कमी की गई है। प्रायोजना के इंजीनियरी के काम को विस्तार से करते समय भारतीय और सोवियत संगठन दोनों ही लागत में और कमी करने की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं।

(घ) समिति को सौंपे गये काम में समय लगेगा क्योंकि इस बात की पूरी तरह खोज की जानी है कि कहां कहां बचत हो सकती है। ऐसी संभावना है कि समिति इस वर्ष के अन्त तक अपनी रिपोर्ट दे देगी।

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन

1157. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के उन दस सर्वोच्च अधिकारियों के नाम क्या हैं जो जुलाई, 1968 तक के गत तीन वर्षों की अवधि में विदेश गये थे ;

(ख) उनकी विदेश यात्रा का उद्देश्य क्या था, उन्होंने किन-किन देशों के दौरे किये और वे प्रत्येक देश में कितने समय तक ठहरे ;

(ग) विमान किराया और विदेशी मुद्रा के रूप में सरकार को कितनी राशि खर्च करनी पड़ी ; और

(घ) इन यात्राओं से देश को क्या वास्तविक लाभ हुआ ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क), (ख), (ग) और (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बगदाद में अन्तर्राष्ट्रीय मेला

1158. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, मास 1968 में जिन भारतीय फर्मों ने बगदाद में हुए पांचवें अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भाग लिया था, उनके नाम क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में जो व्यक्ति विदेशों में गये उनके नाम क्या हैं ;

(ख) मेले में भारत की किस प्रकार की वस्तुएं प्रदर्शित की गईं।

(ग) इस मेले में भाग लेने के कारण भारत सरकार तथा भारतीय फर्मों को कितनी राशि व्यय करनी पड़ी ; और

(घ) इस मेले में भाग लेने से ठीक क्या लाभ हुआ ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें मेले में भाग लेने वाली भारतीय फर्मों के नाम, उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें मेले में भाग लेने के लिये विदेश जाने की अनुमति दी गई थी तथा मेले में प्रदर्शित भारतीय सामान का ब्यौरा दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2178/68**]

(ग) लगभग 3.30 लाख रुपये। वास्तविक व्यय अभी ज्ञात नहीं है।

(घ) व्यावसायिक सौदों तथा निर्यात संभाव्यताओं के रूप में देश को होने वाले यथार्थ लाभ का आंकलन किया जा रहा है। फिर भी ऐसी सूचना मिली है कि इसके सरकार द्वारा भारतीय पूंजीगत माल के आयात के लिये 21 लाख रुपये तथा उपभोक्ता माल के आयात के लिये 2 लाख रुपये के मूल्य के लाइसेंस शीघ्र ही जारी किये जाने की सम्भावना है।

कांगड़ा घाटी छोटी रेल लाइन पर इंजन, डिब्बे आदि

1159. **श्री हेम राज** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में कांगड़ा घाटी छोटी रेल लाइन पर बहुत पुराने माल डिब्बों, सवारी डिब्बों और इंजनों की संख्या कितनी थी और उक्त अवधि में उनके स्थान पर कितने नये माल डिब्बे, सवारी डिब्बे और इंजन लाये गये ; और

(ख) इस छोटी रेल लाइन पर वर्ष 1968-69 में ऐसे डिब्बों, इंजनों आदि की संख्या कितनी है और इस वर्ष कितने इंजन, डिब्बों आदि को बदल दिया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 31.3.1968 को गतायु चल स्टाक की संख्या :

माल डिब्बे	26
सवारी डिब्बे	12
इंजन	5

1967-68 में बदले गये चल स्टाक की संख्या :

माल डिब्बे–	कोई नहीं।
सवारी डिब्बे–	कोई नहीं।
इंजन–	कोई नहीं।

(ख) 31.3 1969 को गतायु होजाने वाले चल स्टाक की संख्या :

माल डिब्बे– 26

सवारी डिब्बे– 12

इंजन 5

1968-69 में बदले गये चल स्टाक की संख्या :

माल डिब्बे– कोई नहीं ।

सवारी डिब्बे- कोई नहीं ।

इंजन– कोई नहीं ।

औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति

1160. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के लाइसेंस देने सम्बन्धी उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों की संख्या में कम करने की दृष्टि से सरकार औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति में आमूल परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) क्या नियन्त्रण में रखे जाने वाले "महत्वपूर्ण" उद्योगों की संख्या के बारे में एकमत न होने के कारण निर्णय लेने में विलम्ब हो रहा है ;

(ग) किसी उद्योग को "महत्वपूर्ण उद्योग" निर्धारित करने के लिए किस कसोटी का प्रयोग किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) योजना आयोग के 'एप्रोच टु दि फोर्थ फाईव इयर प्लान' प्रलेख में दिये गये सुझावों के अनुसार कुछ चुने हुए उद्योगों पर ये लाइसेंस हटा लेने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) ऐसे उद्योगों को जो स्वयंपोषी औद्योगिक विकास की उन्नति करने में महत्वपूर्ण हैं तथा जिनमें आगे और क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है, मूल उद्योगों के रूप में समझा गया है ।

सिलेंडरों का आयात

1161. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या वाणिज्य मन्त्री 3 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 303 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलेंडरों के आयात के बारे में जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इन सिलेंडरों के आयात पर प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : 23 जुलाई, 1968 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 303 के उत्तर में दिये गये आश्वासन को पूरा करते हुए सम्बद्ध जानकारी 12 नवम्बर, 1968 को सभा पटल पर रखी जा चुकी है ।

उड़ीसा में कारखानों की स्थापना

1162 श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कारखानों की स्थापना के बारे में सूचना इस बीच प्राप्त करली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों की स्थापना के लिये जिन आवेदकों ने प्रस्ताव भेजे हैं, उनके नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2179/68]

हैवी इंजीनीयरिंग कारपोरेशन, रांची

1163. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री 6 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2941 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची के बारे में सूचना इस बीच एकत्रित करली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) आश्वासन की पूर्ति से सम्बन्धित एक विवरण संसदीय कार्य विभाग को 4 सितम्बर, 1968 को भेजा गया था । उस विवरण की एक प्रति (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखी गयी है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2180/68]

क्यूबा को पटसन का निर्यात

1164. श्री कु० मा० कौशिक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966-67 तक भारत क्यूबा को पटसन निर्यात किया करता था ; और

(ख) यदि हां, तो इस देश के साथ किन कारणों से व्यापार बन्द किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : पहले क्यूबा ने भारत से पटसन के माल का काफी परिमाण से आयात किया परन्तु विगत कुछ वर्षों से क्यूबा को पटसन के माल के हमारे निर्यात में तेजी से गिरावट आई । वर्ष 1965-66 में वे केवल 29 लाख रुपये के हुए और वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में वे नगण्य थे । क्यूबा ने भारतीय पटसन के माल को खरीदना इसलिये बन्द कर दिया कि उसने वहां पैदा होने वाले कैनाफ के रेशे से बोरे आदि बनाने के लिये अपनी क्षमता पैदा करली है ।

मध्य रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

1165. **श्री अ० श्री० कस्तूरे :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित रिक्त पदों का कोटा किसी भी श्रेणी में पूरा नहीं किया गया है :

(ख) यदि हां, तो सभी डिविजनों में सभी वर्गों में पृथक पृथक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) मध्य रेलवे के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड के लिये चुना गया ; और

(घ) यदि उन्हें सभी वर्गों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक रेलवे सेवा आयोग और डिविजन स्तर पर चयन बोर्डों में इन जातियों का एक सदस्य नियुक्त करने का है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

(ग) 1.4.1963 से 31.3.1968 तक तृतीय श्रेणी सेवा में सेलेक्शन ग्रेडों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के क्रमशः 181 और 26 कर्मचारी चुने गये ।

(घ) रेल सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से समग्र उपयुक्तता के आधार पर की जाती है ।

जिस वर्ग के पदों के लिए सेलेक्शन बोर्ड बनाये जाते हैं उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उपयुक्त ओहदे के अधिकारी मण्डल स्तर पर सेलेक्शन बोर्डों में रखे जाते हैं और इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि वे किस जाति के हैं ?

रेल सेवा आयोग तथा सेलेक्शन बोर्ड, दोनों के सदस्यों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हितों का ध्यान रखा जाता है ।

भुसावल और नागपुर के बीच मेल/एक्सप्रेस पैसेंजर रेल गाड़ियां

1166. श्री श्र० श्री कस्तूरे : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1947 से अब तक भुसावल और नागपुर के बीच कितनी मेल/एक्सप्रेस/पैसेन्जर रेल गाड़ियां चलाई गई हैं;

(ख) 1947 से अब तक यात्रियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) इन रेल गाड़ियों से श्रेणीवार कितनी आय हुई है;

(घ) क्या इन रेल गाड़ियों में यात्रियों के लिये स्थानों में वृद्धि की गई है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार के विचार में इन गाड़ियों को लाभ हो रहा है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) भुसावल-वर्धा/नागपुर खण्ड पर 1947 में दो जोड़ी डाक/एक्सप्रेस और दो जोड़ी सवारी गाड़ियां चलती थी, जबकि इस समय वहां चार जोडी डाक/एक्सप्रेस और तीन जोड़ी सवारी गाड़यी उपलब्ध है ।

(ख) (ग) और (ङ) नागपुर-भुसावल खण्ड पर इन गाड़ियों से यात्रा करने वाले यात्रियों की वास्तविक संख्या, उनसे होने वाली आमदनी और इन गाड़ियों के संचालन के खर्च के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते ।

(घ) जी हां । इन गाड़ियों के प्रत्येक दर्जे में 1948* में उपलब्ध स्थान के मुकाबले 1968 में जितना स्थान उपलब्ध है, वह नीचे बताया गया है:

वर्ष	पहला दर्जा वातानुकूल शायिकायें	पहला दर्जा, शायिकायें	दूसरा दर्जा, सीटे/शायिकायें	तीसरा दर्जा, सीटें	वातानुकूल चेयर कार, सीटें
1948	14	120	150-	1950	....
1968	14	174	216-22	3208	...
(डीलक्स साप्ताहिक)	20	24	— —	3151	234

* 1947 के आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

लघु उद्योगों में मंदी

1167 श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री गार्डिलिंगन गौड :
श्री प्र० के देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री वी० नरसिम्हा राव :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों में मन्दी सम्बन्धी लोकनाथन अध्ययन दल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) लोकनाथन दल की प्रमुख सिफारिशें ऋण सुविधाओं को उदार बनाने और विशेषकर ऋण की अदायगी की शर्तों को उदार करने, चुने हुये उद्योगों को उच्च स्तरीय तकनीकी सहायता की व्यवस्था, सुधरे हुए तकनीकी उपायों तथा प्रबन्धोपायों को अपना कर लघु उद्योग क्षेत्र की त्रुटियों को दूर करने, उत्पादन में विविधता लाने तथा विपणन की परामर्शदात्री सुविधाओं को प्रदान करने से संबंधित थी। अनुशंकाओं में सरकार से प्राप्त होने वाले क्रयादेशों में लघु उद्योग को समुचित भाग मिलने पर भी बल दिया गया है और कमी वाले आवश्यक कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए विशेष पग उठाने पर भी जोर दिया गया है।

(ख) सरकार की नीति मन्दी जनित कठिनाइयों को पार करने में लघु उद्योग एककों की सहायता करना है। अध्ययन दल की अनुशंसाओं पर इसी उद्देश्य से कार्यवाही की जा रही है।

"लिंक" तथा "पेट्रियाट"

1168. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दैनिक समाचार पत्र "पेट्रियाट" तथा साप्ताहिक पत्र 'लिंक" को जो दोनों ही नई दिल्ली से प्रकाशित होते हैं प्रति वर्ष काफी घाटा हो रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये समाचार पत्र प्रति वर्ष बहुत सा धन ऋण के रूप से प्राप्त हुआ दिखाते है;

(ग) इन समाचार पत्रों को इनके स्थापित होने के समय से अब तक प्रति वर्ष ऋणों के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा किन-किन व्यक्तियों, फर्मों, कम्पनियों से कितना कितना ऋण प्राप्त हुआ है; और

(घ) क्या ब्याज "क्रास्ड" चेकों द्वारा नियमित रूप से दिया गया है अथवा ब्याज की अदायगी भी ऋण के रूप में लिख दी गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) रायसीना पब्लिकेशन्स लिमिटेड ('पेट्रियाट" के प्रकाशक) तथा यूनाइटेड इन्डिया पीरियोडीकल्स (प्रा०) लिमिटेड ('लिंक' के प्रकाशक) द्वारा उठाई गई हानियां दिखाता हुआ एक विवरण-पत्र परीशिष्ट 1 के रूप में सभा पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 2181/68]**

(ख) और (ग) रायसीना पब्लिकेशन्स लिमिटेड तथा यूनाइटेड इन्डिया पीरियोडीकल्स (प्रा०) लिमिटेड द्वारा अदायगी के लिए ऋण की राशि बताता हुआ, एक विवरण-पत्र परीशिष्ट-2 के रूप में सभा पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 2181/68]** उधार देने वालों के नामों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) रायसीना पब्लिकेशन्स लिमिटेड तथा यूनाइटेड इन्डिया पीरियोडीकल्स (प्रा०) लिमिटेड के सम्बन्ध में वर्ष के मध्य ब्याज "दिया" तथा वर्ष की समाप्ति पर ब्याज "प्राप्त एवं देय" दिखाता हुआ एक विवरण-पत्र परिशिष्ट 3 के रूप में सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 2181/68]

अखबारी कागज के आयातकर्ता

1169. श्री कृ. मा कौशिक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज के पंजीकृत आयातकर्ताओं के लिये केवल वही मूल्य लेना आवश्यक है जिसे राज्य व्यापार निगम ने विदेशी निर्यातकर्ताओं के साथ समझौते के अनुसार तय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे आयातकर्ताओं द्वारा अधिक मूल्य लिये जाने के कोई मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) अखबारी कागज के पंजीकृत आयातक इसके लिये बाध्य है कि वे लागत-बीमा-भाड़ा मिलाकर वही मूल्य ले जो राज्य व्यापार निगम ने विदेशी निर्यातकों के साथ तय किया हो। यह लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य आयात लाइसेंस में दिया होता है। लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य के अलावा पंजीकृत आयातक, जिनके नाम लाइसेंसधारी की प्रार्थना पर प्राधिकार-पत्र जारी किये गये हों, निम्नोक्त प्रभार भी लेते हैं:—

1. सीमाशुल्क ;
2 निकासी प्रभार ;
3. गोदाम तथा बीमा प्रभार, यदि कोई हो ;
4. बैंक प्रभार ;
5. निवेश पर ब्याज ; तथा
6 प्राधिकार-पत्र धारी के सेवा प्रभार।

इन प्रभारों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं हैं, जिनमें कुछ प्रत्येक आयातक के लिये अलग अलग हो सकते हैं।

(ख) **तथा (ग) :** एक आयातक द्वारा अधिक मूल्य लिये जाने के बारे में सरकार को एक शिकायत प्राप्त हुई थी ; इस शिकायत पर विचार किया गया और शिकायत करने वाले को सूचित किया गया कि सरकार लाइसेंस धारी और उसकी ओर से माल आयात करने के लिये उसके द्वारा मनोनीत प्राधिकार-पत्र धारी के मध्य विवाद में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

Prices of Steel

1170. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the prices of steel have increased by 50 to 100 percent after the abolition of control on steel;

(b) whether it is also a fact that the prices of steel are continuously rising in the absence of any type of Government control on steel; and

(c) whether Government propose to take some effective steps in this regard and if so, details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Since decontrol on the Ist May 1967, prices have been revised by the Joint Plant Committee thrice on 2. 5. 67, 31. 1. 68 and 31. 7. 68. The average aggregate increase has been Rs. 113 per tonne. These price revisions have been made taking into account several cost raising factors such as increase in the cost of raw materials, increase in the equalised freight, increase in the wages on account of the Wage Board Award, increase in the dearness allowance, and the contribution towards J. P. C. Engineering Goods Export Assistance Fund.

गुजरात में ग्रामीण उद्योग

1171. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967–68 और 1968–69 में गुजरात में ग्रामीण उद्योग परियोजनायें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कार्य के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या सरकार द्वारा इस मामले में निकट भविष्य में विचार किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग : दो ग्रामीण उद्योग परियोजनायें, एक पंचमहल में तथा एक कच्छ जिले में 1962-63 से चल रही है । गुजरात सरकार से 1967–68 अथवा 1968–69 में नई परियोजनाओं के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है । राज्य सरकार को दो वर्तमान परियोजनाओं के लिये 1962–63 से 1968–69 तक की अवधि के लिये 42.42 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है । 1967–68 की अवधि में 5.48 लाख रुपये तथा 1968–69 की अवधि के लिये 10.00 लाख रुपये की सहायता दी गई है ।

राज्य में नई परियोजनाओं के स्थापित करने के प्रश्न पर मन्त्रालय के चौथी योजना वाली नई परियोजनाओं के प्रस्ताव पर योजना आयोग की स्वीकृति के पश्चात ही विचार किया जायेगा ।

बलिया जिले में सहकारी क्षेत्र में उद्योग

1172. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में रसरा में सहकारी क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो वहां कौन सा उद्योग स्थापित किया जायेगा तथा कब ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : जी हां । रासरा जिला बलिया में सहकारी क्षेत्र में चीनी का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

Gift of Tractors by Indians living Abroad

1173. Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Himatsingka :
Shri S. K. Tapuriah :
Shri Manibhai J. Patel :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply giving to Unstarred Question No. 9849 on 7th May, 1968 and state :

(a) the details of the decision taken by Government in regard to allowing the Indians living abroad to make a gift of tractors or to send them on their own expense to their relatives and friends in India to ease the supply position of tractors in India;

(b) the number of such tractors likely to be received during the current year and the amount of foreign exchange likely to be saved as a result thereof; and

(c) how it is likely to affect the indigenous tractor manufactures in India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The details of the Import Policy allowing Tractors as gifts from Indians abroad is given in the Ministry of Commerce Public Notice No. 234-ITC (PN)/68 dated the 24th October, 1968 published in the Gazette of India Extraordinary of the same date, a copy of which is available in the Parliament Library.

(b) It is not possible to estimate precisely the number of such tractors likely to be received during the current year and the amount of foreign exchange likely to be saved as a result thereof.

(c) It is not likely to effect the indigenous industry as the demand for the tractors is very much more than the present installed manufacturing capacity.

दिल्ली में ईंटों के मूल्य में वृद्धि

1174. श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ईंटें पिछले दो वर्षों में चल रहे मूल्यों से ऊंची दरों पर बेची जा रही है;

(ख) क्या इसका एक कारण माल-डिब्बों की कमी के फलस्वरूप कोयले की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो ईंटों के भट्टों के लिये कोयले की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) पूछताछ से पता चला है कि स्थानीय अधिकारियों को ऊचे मूल्यों, जिन पर कि ईंटें बेची गई थी, के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली थीं।

(ख) दिल्ली में ईंटों के मूल्यों में वृद्धियां किसी भी प्र ार से कोयले की कमी के कारण से नहीं थी, परन्तु कोयले के मूल्य, रेल भाड़े और श्रम प्रभारों में वृद्धि आदि कारणों से थीं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कोयला गाड़ियों की कुछ कमी रही है जिसका कारण बनावटी अभाव की परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिये व्यापारियों और बिचौलियों की चालाकियां हैं।

(ग) ईंटें जलाने वाले कोयले की मांग की पूर्ति के सम्बन्ध में रेल विभाग द्वारा कोई कठिनाई प्रत्याशित नहीं की जाती, बशर्ते कि इन्डेंट रेल विभाग को सारा साल एक समान भेजे जायें और संचलन अधिकतम सीमा में भारी क्षमता की बाक्स-गाड़ियों में किया जाये।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विशेष कदम उठाये हैं :—

(1) बाक्स-फिट स्टेशनों (ऐसे स्टेशनों जहां पर बाक्स वैगनों के संचलन का प्रबन्ध हो) पर कोयले के ढेरों को बढ़ाना और रेल विभाग से प्रार्थना की गई है कि ढेर लगाने के लिये रेल डिब्बों के आवटन में वृद्धि करें;

(2) ईंट-भट्टा मालिकों को परामर्श दिया गया है कि वह कोयले के प्रायोजित संचलन के लिये वह अपने संगठन / सहकारी समितियां बनायें;

(3) ईंट-भट्टा मालिकों को मन्दी के मौसम में कोयले के स्टाक जमा करने का भी परामर्श दिया गया है; और

(4) ऐसे बिचौलियों और व्यापारियों के विरुद्ध, जो कोयले की बनावटी कमी उत्पन्न करते हैं, कठोर कदम उठाये जा रहे हैं।

डुंगडा 2 कोयला धोने के कारखाने के लिये खुले माल डिब्बों में सामान लादने में कठिनाइयां

1175. श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डुंगडा–1 और डुंगडा–2 के कोयला धोने के कारखानों का एक ही यार्ड है;

(ख) क्या यह भी सच है कि डुंगडा–1 के लिये थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कोयला ले जाने की अनुमति है, डुंगडा–2 के लिये खुले माल डिब्बों के प्रयोग पर जोर दिया जाता है;

(ग) डुंगडा–1 और डुंगडा–2 के बीच कितनी दूरी है और दोनों के कोयला डिपो उनसे कितनी-कितनी दूर पर हैं;

(घ) क्या कोयला खानों द्वारा डुंगडा–2 के लिये खुले माल डिब्बों में सामान लादने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) क्या इस भेदभाव और इस कठिनाई को दूर करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां। कच्चा कोयला आदान यार्ड बाक्स यार्ड, आदान और प्रेषण यार्ड तथा खाली डिब्बों का प्रेषण यार्ड डुगड़ा 1 और डुगड़ा-2 दोनों के लिये है।

(ख) डुगडा-1 भेजने के लिये माल चौपहिये माल डिब्बों में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसके टिपलर केवल चौपहिये मालडिब्बों को ही सम्हाल सकते हैं। डुगडा-2 में बाक्स मालडिब्बों के टिपलर लगे हुए हैं और डुगडा-2 के लिए आमतौर पर बाक्स डिब्बों में ही माल स्वीकार किया जाता है।

(ग) दुगदा-1 और 2 लगभग एक ही स्थान पर स्थित है। जिन डिपुओं से डुगड़ा-1 और डुगड़ा-2 को कोयला भेजा जाता है वहां से उनकी दूरी इस प्रकार है :-

कुसुण्डा डिपो से	–	29 किलोमीटर
कतरासगढ़ डिपो से	–	18 किलोमीटर
कटहरा खान से	–	28 किलोमीटर
सर्वाग खान से	–	34 किलोमीटर
मोहुदा डिपो से	–	12 किलोमीटर

(घ) जी हां, पूर्वी कतरास खान से।

(ङ) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

कोयले के मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

1176. श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खोदने की लागत और कोयले के मूल्यों के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन पर पूर्ण रूप से विचार कर लिया गया है; और

(ख) क्या सरकार भविष्य में कोयले की उपलब्धि और कोयला खनन कार्य के दीर्घ-कालीन विकास पर विभिन्न प्रकार के कोयले के वर्तमान मूल्यों के अच्छे और बुरे प्रभावों के बारे में अध्ययन कर रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) : 24 जुलाई, 1967 से कोयले के मूल्यों पर से नियन्त्रण हटा लिये जाने से मूल्य-तत्वों आदि को ध्यान में रखकर मूल्यों के नये स्तर का निश्चय करने के लिये टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन की जांच का प्रश्न नहीं उठता, तथापि सरकार कोयले के मूल्य की स्थिति को विचाराधीन रख रही है।

रेत जमा करने के काम के लिये राजसहायता देने के बारे में गंगूली अध्ययन दल का प्रतिवेदन

1177. श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेत जमा करने और कठिन खनन कार्यों के लिये राज सहायता देने तथा इसके प्रतिकूल कारणों के बारे में अध्ययन करने के लिए नियुक्त गंगूली अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और उसमें की गई सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'नकारात्मक' हो, तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब होने के क्या कारण है और अन्तिम रूप से कब तक इसके प्रस्तुत हो जाने की संभावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और अतः इस समय कोई प्रतिक्रिया बताना सम्भव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Foreign-Owned Tea Plantations in India

1178. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5982 on the 27th August, 1968 and state :

(a) the amount of foreign exchange remitted abroad by the foreign-owned Tea plantations in India annually during the last five years;

(b) whether there is any scheme before Government to reduce the amount of this remittance; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd Shafi Qureshi) : (a) The amount of profits remitted by Sterling tea companies during the last five years is given below :—

Year	Rupees (Crores)
1963-64	6.80
1964-65	6.00
1965-66	2.75
1966-67	2.85
1967-68	5.04

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर काम आने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों के लिये प्रोत्साहन

1179. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर काम आने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने वाले औद्योगिक कारखानों को कुछ प्रोत्साहन देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का व्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब निर्णय हो जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

पंजाब में लघु उद्योग

1180. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पंजाब में लघु उद्योग, जिस पर कि राज्य की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था आधारित है, कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने पंजाब में लघु उद्योग की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता तथा संरक्षण की मांग की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) पंजाब राज्य सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–1974) के प्रस्तावों में उल्लेख किया है कि लघु उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार रहे हैं, किन्तु पर्याप्त धन के अभाव में उन्हें सदैव हानि उठानी पड़ी है।

(ख) सदस्य महोदय द्वारा उल्लिखित प्रकार का कोई औपचारिक निवेदन राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है चतुर्थ योजना को अन्तिम रूप दिये जाने तथा उसके स्वीकृत होने के उपरान्त लघु उद्योगों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी।

भरतपुर रेलवे कोच फैक्टरी

1181. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968 में भरतपुर रेलवे कोच फैक्टरी में रेल डिब्बों के लिए कोई क्रयादेश प्राप्त नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि क्रयादेश न आने के कारण इस कारखाने के कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उन कर्मचारियों को दूसरी नौकरी देने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : भरतपुर में कोई रेल सवारी डिब्बा कारखाना नहीं है। सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय भरतपुर के रेल माल डिब्बा कारखाने से है।

(क) और (ख) : 1968-69 में मैसर्स सेन्ट्रल इण्डिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कं०, भरतपुर को 23–12–1967 को 2269 चौपहिए माल डिब्बे बनाने तथा 4-10-1968 को 250 कन्टेनर बनाने के आर्डर दिये गये थे।

(ग) इस बात को देखते हुए कि माल डिब्बे बनाने के आर्डर दिये गये थे, यह सवाल नहीं उठता कि माल डिब्बे के आर्डर न दिये जाने के कारण कर्मचारियों की छंटनी हुई, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

जापान को कोयले का निर्यात

1183. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान को बड़ी मात्रा में कोयले का निर्यात करने के बारे में कोई समझौता किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय कोयला खरीदने में जापान की बहुत रुचि है ; और

(ग) यदि हां, तो उस देश को कितना कोयला निर्यात होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जापान की कोककर कोयले के आयात में रुचि है जो कि हम अपने सीमित कोयला भंडार तथा अपने इस्पात संयंत्रों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्यात करने की स्थिति में नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Holes at Malarna Bridge

1183, **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a company was given a contract to sink 24 holes at the Malarna Bridge doubling ;

(b) if so, the number of holes sunk by that company ;

(c) the reasons for not sinking the remaining holes ; and

(d) the action taken against the company ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Six.

(c) From the site consideration, only twelve holes were found sufficient, and of these, six were done departmentally as the contractor's work was slow.

(d) The extra cost of drilling holes departmentally is proposed to be recovered from the contractor.

पाकिस्तान द्वारा पकड़े गये भारतीय माल और उपकरणों का छुड़ाना

1184. **श्री ओंकार लाल बेरवा** :
श्री यशपाल सिंह :
डा० सुशीला नैयर :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री वाल्मीकि चौधरी :
श्री क० लकप्पा :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या वाणिज्य मन्त्री 6 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 334 और 335 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965 में हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा पकड़े गये माल तथा अन्य उपकरणों को छुड़ाने के लिए सरकार ने और क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार द्वारा पकड़ी गयी सम्पत्तियों एवं परिसम्पत्तियों आदि की पुनः प्राप्ति के लिये निरन्तर प्रयास कर रही है। अभी हाल में 6 नवम्बर को पाकिस्तान सरकार को एक टिप्पणी भेजी गयी थी जिसमें उन्हें 1965 के संघर्ष के दौरान उनके द्वारा पकड़ी गयी कुछ भारतीय सम्पत्तियों की सार्वजनिक नीलामी से अथवा अन्यथा बिक्री न करने का अनुरोध किया गया था।

Lalgarh Hospital, Bikaner

1185. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the action of making deductions as a result of the enquiry made from the contractors who cheated Government by using second grade bricks insted of first

grade and also by u ing inferior wood instead of teak wood in the construction of Lalgarh Hospital in Bikaner divison of the Northern Railway has been completed ; and

(b) if so, the amount of deductions made from the said contractors in terms of rupees and whether the State Government have taken by action for blacklisting the contractors by not giving them contracts in future, and the names of the contractors ?

The Ministers of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Although no cheating in the use of brick and woodwork was proved, certain amount has already been deducted and some amount withheld from the contractors' dues.

(b) Rs. 7,804. No action has been taken for blacklisting the contractors. The name of the contractor is Messrs United Contractors Corporation.

Railway Workshop, Bikaner

1186. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of temporary employees working in Railway Workshop, Bikaner and their length of service ;

(b) whether keeping in view the age of the above employess, Government are taking any cc.ion to declare them permanent ; and

(c) the number of employees belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribes among them ?

The Ministet of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) 25 Artisan staff with less than 3 years service and 34 Chargemen with service ranging from 1 to 10 years.

(b) No. Age is no consideration for the purpose of confirmation of staff. However, according to extant orders, artisan staff in the Workshops on completion of 3 years' service are deemed as permanent.

(c) Six.

झिनझक स्टेशन पर दुर्घटना

1187. श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 सितम्बर, 1968 को इलाहबाद के निकट झिनझक स्टेशन पर 6 व्यक्ति मालगाड़ी के निचे कुचले गये थे ;

(ख) क्या इसकी कोई जांच करवाई गयी है ;

(ग) यदि हां तो जांच का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या मृत व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों को कोई मुग्रावजा दिया गया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) एक व्यक्ति कुचल कर मारा गया तथा ग्रन्य छः व्यक्ति गिरे गये, जिनमें पांच मारे गये और एक को मामूली चोटें आयी ।

(ख) और (ग) : वरिष्ठ वेतनमान अधिकारियों की एक समिति ने इस दुर्घटना की जांच की। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह दुर्घटना इन व्यक्तियों की अपनी गलती के कारण हुई, क्योंकि इन लोगों ने 40 डाउन जनता एक्सप्रेस गाड़ी पर दूसरी तरफ से चढ़ने की कोशिश की जिसमें उप मुख्य लाइन को पार करना भी शामिल था जिस पर उसी समय 177 अप माल गाड़ी आनेवाली थी। इन लोगों ने भारतीय रेल अधिनियम की धारा 118(1) के उपबन्धों का उल्लंघन किया था।

(घ) जी नहीं।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में घड़ियों का निर्माण

1188. श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने वर्ष 1968 में अब तक कितनी घड़ियां बनाई ;

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने वर्ष 1967 में कितनी घड़ियां बनायीं ;

(ग) इससे पहले के तीन वर्षों में हुए घड़ियों के निर्माण के आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े अधिक हैं अथवा कम ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 2,35,504 घडियां (31-10-1968 तक)।

(ख) 2,52,600 घड़ियां।

(ग)

वर्ष	निर्मित घड़ियों की संख्या
1964	1,67,369
1965	1,98,646
1966	2,36,697
1967	2,52,600

पिछले तीन वर्षों में निर्मित की गई घड़ियों की अपेक्षाकृत 1967 में बनाई जाने वाली घड़ियों की संख्या अधिक थी।

(घ)

वर्ष	अर्जित विदेशी मुद्रा
1965	65,311 रुपये
1966	33,933 रुपये
1967	25,678 रुपये

मध्य प्रदेश में हीरे की खानें

1189. श्री स० चं० सामन्त :
श्री दे० वि० सिंह :
श्री नाथूराम ग्रहिरवार :

क्या **इस्पात, खान और धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में केन नदी के साथ साथ पन्ना, छत्तरपुर और टीकमगढ़ पट्टी के वैमानिक सर्वेक्षण से इस आशय के संकेतों की ओर ध्यान दिया गया है कि नदी के बांयी ओर हीरों की खानें होने की संभावना है जैसा कि मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन मंत्री द्वारा गत 23 सितम्बर को भोपाल में बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बात का पता लगाने के लिए कि वहां हीरों की खानें हैं क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख): राष्ट्रीय भूभौतिक गवेषणा शाला, हैदराबाद, द्वारा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लिया गया था, जिसे मई 1968 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण में प्राप्त आधार सामग्री का शाला द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। अतः हवाई सर्वेक्षण के परिणामों के बारे में उपरिलिखित कुछ बताना इस समय सम्भव नहीं है।

गुजरात में औद्योगिक परियोजनाएं

1190. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने राज्य में कुछ बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) गुजरात राज्य सरकार ने चतुर्थ योजना के प्रस्तावों में बृहत तथा लघु उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत अनेक योजनाएं प्रस्तावित की है। उद्योगों तथा खनिजों के कार्यकारी दल ने इन प्रस्तावों पर विचार किया है। कार्यकारी दल की सिफारिशों पर योजना आयोग द्वारा यथा समय विचार किया जायेगा, और अन्तिम रूप से निर्णय उसी स्वर पर किया जायेगा। अन्तिम रूप से स्वीकृत योजनाएं-परियोजनाएं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में समन्वित की जायेंगी।

मछली का निर्यात

1191. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 और 1966–67 में किन-किन देशों को भारत से मछली का निर्यात किया गया था तथा प्रत्येक देश को कितनी-कितनी मात्रा में मछली का निर्यात किया गया था;

(ख) इसमें से कितना निर्यात गुजरात राज्य से किया गया; और

(ग) इस निर्यात के फलस्वरूप मछली पालन उद्योग के विकास के लिये आयात की गयी मशीनों तथा अन्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2187/68]**

(ख) निर्यात के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते।

(ग) मछली तथा मछली उत्पादों के पंजीयित निर्यातकों हेतु आयात नीति के अन्तर्गत आयात प्रतिपूर्ति के रूप में निर्यातों के जहाज पर मूल्य के 10 प्रतिशत तक निम्नलिखित मदें आयात करने की अनुमति है :—

1. प्रशीति (रेफ्रिजिरेंट्स) (डिश्क्लोर डाएफ्लोर मैथीन)
2. प्रशीतक मशीनों के फालतू पुर्जे।
3. छपे हुए मामी डिब्बे।
4. छपे हुए मास्टर कार्टन्स।
5. छपे हुए गत्ते, नालीदार गत्ते, कार्टन तथा स्लीव।
6. छपे हुए लेवल।
7. वेजिटेबल पर्चमेंट पेपर।
8. साइट्रिक एसिड।
9. डिब्बे बनाने वाली मशीनों के फालतू पुर्जे।
10. टिन प्लेट।
11. 210 × 3 डेनियर का नायलन ट्वाइन (10 प्रतिशत तक)।
12. मछली कांटा (50 प्रतिशत तक)
13. बाक्स स्ट्रैपिंग (50 प्रतिशत तक)
14. साधित करने के उपकरण बनाने के लिए अविकारी इस्पात की चादरें (18 जी. से मोटी) तथा प्लेटें (10 प्रतिशत तक)
15. 40 अ० श० से अधिक वाले जहाजी डीजल इंजनों के फालतू पुर्जे जो स्वदेश में प्राप्य न हों।
16. पोलीथीन मोलडिंग पाउडर/पोलीथीन ग्रेन्यूलस।

गुजरात में निर्यात संवर्धन परिषद् की उपसमिति

1192. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के लिये एक निर्यात संवर्धन परिषद् की एक उप-समिति नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के मुख्य कार्य क्या होंगे; और

(ग) क्या यह समिति केवल उस राज्य की निर्यात क्षमता के बारे में ही विचार करेगी अथवा इसे कुछ और कार्य भी सौंपा जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को खनन उपकरणों की सप्लाई

1193. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को खनन उपकरणों की सप्लाई के लिए एक गैर-सरकारी फर्म ने अपनी दरें बताई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस फर्म ने कम दरों पर वैसा ही डिजाइन दिया है जैसा कि खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड, दुर्गापुर द्वारा दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क), (ख) और (ग) : संभाव्यतः निर्देश राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा 1966 में खरीदे गये इस्पात के आधारों तथा सलाखों के सम्बन्ध में है, जिनके लिये खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड, दुर्गापुर, द्वारा बनाये गये 350/– रुपये और 150 रुपये प्रत्येक एकक के भावों की तुलना में कलकत्ता की एक कम्पनी ने क्रमशः 335 रुपये और 135.50 रुपये के भाव बताये थे। फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये आधारों के अनुभागीय चित्र और सलाखों के नकशे आम तौर पर वैसे ही थे जैसे कि खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। परन्तु उनका भार और उनका अधिकतम निरापद भार उठाने की क्षमता कम थी। क्रमानुसार आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

	प्राइवेट फर्म	खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम
आधार का भार	80.5 कि० ग्रा०	98 कि० ग्रा०
सलाख का भार	30 कि० ग्रा०	31.5 कि० ग्रा०
अधिकतम निरापद भार उठाने की क्षमता	25 टन	40 टन

इसके अतिरिक्त, प्राइवेट फर्म यह चाहती थी कि रा० को० विकास निगम उच्च श्रेणी बायलर इस्पात की सप्लाई करे। यह भी मालूम पड़ा कि फर्म कोई उत्पादक कन्सर्न न था परन्तु केवल मंजूरशुदा ठेकेदार तथा स्टाकिस्ट थे और उन्होंने पहले कभी किसी पार्टी को आधार और सलाखें सप्लाई नहीं की थीं, जबकि खनन और सम्बद्ध मशीनरी निगम के उपकरणों की केन्द्रीय खनन गवेषणा स्टेशन द्वारा परीक्षा कर ली गई थी। अतः खनन और सम्बद्ध मशीनरी निगम के प्रस्ताव को तकनीकी कारणों से तरजीह दी गई।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का भारी मशीन निर्माण कारखाना

1194. **श्री कार्तिक उराव** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के भारी मशीन निर्माण कारखाने द्वारा भिलाई इस्पात कारखानों को दिये गये मशीनी, उपकरणों तथा ढांचों की वैल्डिंग 60 प्रतिशत तक खराब थी और यद्यपि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के पास एक्सरे मशीन थी, किन्तु उसका उपयोग नहीं किया गया और एक्सरे-परीक्षण भिलाई इस्पात कारखाने को करने पड़े;

(ख) क्या यह सच है कि मशीनें लगाने का व्यय हैवीं इंजीनियरिंग कारपोरेशन को उठाना पड़ा; और

(ग) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भिलाई संयंत्र के लिए हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन द्वारा सम्भरित किए गए मशीनी उपकरणों में वैल्डिंग की खराबी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। केवल ब्लास्ट फरनेस शैलों तथा स्टोव शैलों में बैल्डिंग की खराबी की कुछ शिकायतें मिली थी। हैवी मशीन बिल्डिंग संयंत्र ने ब्लास्ट फरनेस शैलों में केवल सतही मात्र बैल्डिंग किया है। स्टोव शैलों में बैल्डिंग की खराबी बैल्डिंग की समस्त लम्बाई का 5 से 6 प्रतिशत तक है। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट का एक्सरे परीक्षण यंत्र इन उपकरणों के उत्पाद के समय तक चालू नहीं हुआ था, और भिलाई में उपकरणों के लगाने से पूर्व अधिकतर बैल्डिंग वहीं पर किया जायगा तथा बैल्डिंग का एक्सरे परीक्षण भी प्रायः वहीं होगा।

(ख) दोनों संगठनों के विचार विनिमय के उपरान्त यह निर्णय किया गया कि बैल्डिंग की ऐसी खराबियां जैसी कि इन दो प्रकार के शैलों में हुई उन्हें भिलाई के प्राधिकारी वहीं ठीक करलें और इस प्रकार के सुधारों का पृथक लेखा रखा जाये।

(ग) अब तक कोई अदायगी नहीं की गई है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची द्वारा गोआ में मरमागोआ पत्तन को क्रेनों की सप्लाई

1195. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मरमागोआ पत्तन द्वारा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट को क्रेनों की सप्लाई के लिए आर्डर दिये गये थे और पत्तन अधिकारियों को बाद में विदेशों से क्रेन आयात करने पड़े क्योंकि कारपोरेशन क्रेन सप्लाई नहीं कर सका था;

(ख) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड रांची के हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट द्वारा अब तक कितने तथा किस क्षमता के क्रेन बनाये गये हैं; और

(ग) वर्ष 1967-68 में कितना उत्पादन करने का कार्यक्रम था ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मरमागोआ पोर्ट ट्रस्ट ने हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड रांची को क्रेने खरीदने के लिए कोई आर्डर नहीं दिया है।

(ख) हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट ने अब तक 1 टन से 50 टन तक की उत्थापक क्षमता वाली 73 क्रेनें बनाई हैं।

(ग) हैवी मशीन बिल्डिंग संयंत्र में 1967-68 की अवधि में कुल 14611.0 टन उत्पादन हुआ है जिसमें 543.8 टन की क्रेनें (सं० 11) भी सम्मिलित हैं।

उड़ीसा में बड़े उद्योग

1196. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में बड़े उद्योगों का विकास करने का कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख): चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अभी इस समय तैयार की जा रही है इसमें सम्मिलित किये जाने वाली प्रस्तावित औद्योगिक प्रायोजनाओं पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कोयला खरीद नीति का पुनरीक्षण

1197. श्री बे० कु० दास चौधरी : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोयला खरीद नीति का पुनरीक्षण कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित नीति की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) पुनरीक्षित नीति से कोयला उद्योग को किस हद तक सहायता मिलेगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) 24 जुलाई, 1967 से कोयले के मूल्यों पर से नियन्त्रण हटा लिये जाने से कोयला-खरीद-नीति के पुनरी-

क्षण का प्रश्न नहीं उठता। मूल्यों का तय करना अब क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य की बात है।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठते।

विमान द्वारा खनिज का सर्वेक्षण

1198. श्री बे०कृ० दास चौधरी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रान्स के सहयोग से भारत के कुछ भागों में खनिज का विमान द्वारा सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है ;

(ग) इस बारे में फ्रान्स सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का स्वरूप क्या है ; और

(घ) इस सर्वेक्षण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख): आधार धातुओं के लिये मैसूर, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों में लगभग 80,000 वर्ग किलो मीटरों में संयुक्त विद्युत-चुम्बकीय, चुम्बकीय और रेडियोमितीय हवाई सर्वेक्षण करने के लिये फ्रान्सीसी सहायता लिया जाना प्रस्तावित है। बातचीत प्रगति पर है।

(ग) और (घ) : फ्रान्सीसी सहायता हवाई भूभौतिक सर्वेक्षणों के करने के लिये हैं, जिसमें विद्युतचुम्बकीय (नवीनतम इनपुट (Input) प्रणाली का प्रयोग करते हुए), चुम्बकीय और रेडियोमितिय सर्वेक्षण (यूरेनियम, थोरियम, पोटासियम और टोटल काउन्टस (Total Counts) के लिये क्रमशः चार अलग नलियों वाले स्पैक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हुए) शामिल हैं। इस पर होने वाले विदेशी मुद्रा के खर्चे की पूर्ति भारतीय-फ्रान्सीसी तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत फ्रान्सीसी ऋण से की जानी है। इस पर होने वाले खर्चे के लिए फ्रांसीसी प्राधिकारियों से बातचीत की जानी है।

कार्य प्रारम्भ किये जाने के 20 महीनों के अन्दर इस हवाई सर्वेक्षण के पूरा किये जाने की सम्भावना है।

संकटग्रस्त कपड़ा उद्योग

1199. श्री बे०कृ० दास चौधरी :
श्री नि रं० लास्कर :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा उद्योग की समस्याओं का दीर्घकालीन समाधान निकालने के लिये सरकार चार-सूत्री कार्यक्रम पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इससे देश के संकट-ग्रस्त सूती कपड़ा मिलों की कितनी सहयता होने की सम्भावना है ; और

(घ) इसको कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) : देश में कपड़ा उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिये संसद के कुछ सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप में ये सुझाव दिये गये हैं--

(1) कपड़ा उद्योग को 'प्राथमिकता प्राप्त उद्योग' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिये ताकि वह विकास छूट (रिबेट) प्राप्त करने के लिये पात्र बन सके, साथ ही साथ यह शर्त रहनी चाहिये कि उद्योग द्वारा अर्जित छूट-राशि इसके आधुनिकीकरण पर लगाई जानी चाहिये ।

(2) उद्योग को भारी उत्पादन कर भार से राहत दी जानी चाहिये ।

(3) अलाभकर मिलों को व्यर्थ घोषित किया जाना चाहिये ।

(4) बैंकों से अपेक्षाकृत अधिक ऋण सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिये ।

इन सुझावों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और उन पर निर्णय लिये जाने पर उन्हें कार्यान्वित किया जायेगा । इन्हें कार्यान्वित करने से संकट-ग्रस्त कपड़ मिलों को राहत मिलेगी ।

भारत और ईरान के बीच करार

1200. श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या इस्पात खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान की रेलों के लिए भारतीय इस्पात की सप्लाई के बारे में भारत और ईरान में एक करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) कुल कितने मूल्य के माल की सप्लाई का करार किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख): हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड़ ने ईरान सरकार के साथ ईरान की राजकीय रेलवे के उपयोग के लिए 93,000 टन रेल की पटरी सप्लाई करने के लिए दो करार किये हैं । सप्लाई की

जाने वाली रेल की पटरी में 70 प्रतिशत 18 मीटर लम्बाई की होगी और 30 प्रतिशत कम लम्बाइयों की होगी। माल की सप्लाई नवम्बर 1969 तक पूरी की जानी है।

(ग) दोनों करारों का लागत-भाड़ा सहित कुल मूल्य 7.4 करोड़ रुपये है।

Use of Hindi in the Ministry

1201. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether his ministry has received an office Memorandum No. ?/29/68, O. L., dated the 6th July, 1968 from the Ministry of Home Affairs;

(b) if so, the action taken so far or proposed to be taken in accordance with paragraph Nos. 3, 4, 5, 6 and 7 of the aforesaid memorandum;

(c) the number of tenders, Agreements, Contracts, Licences, Permits, Notifications and Administrative Reports issued in Hindi by his Ministry and subordinate offices and establishments in August and September 1968; and

(b) The number of such class I Officers who have either no knowledge of Hindi or do not regularly avail themselves of the arrangements made for teaching Hindi ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes, sir.

(b) to (d) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Loans to Companies in U.P.

1202. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of firms and companies to whom loans were given for industril development in Uttar Pradesh during the per 1957 to 1967 and the amount of loan given;

(b) whether it is also a fact that some of the said firms and companies were bogus and they did not set up any industrial establishment; and

(c) if so, their names and the action taken by Government against them ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c) : The required information in respect of loans given by the Government of Uttar Pradesh out of Government funds is being collected and will be laid on the Table of the House.

केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद्

1203. **डा० सुशीला नैयर :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6051 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद् की स्थायी समिति की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : 2 जुलाई, 1968 की केन्द्रीय सलाहकार परिषद् की स्थायी समिति ग्यारहवीं बैठक की सिफारिशें / प्रेक्षण अब तक विचाराधीन हैं ।

भारती मिल्स, पांडिचेरी

1204. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 316 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच समिति ने भारती मिल्स पांडिचेरी के मामलों की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है: और

(ग) क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सम्बन्धी प्रतिवेदन

1205. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सम्बन्धी अशोक मेहता समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक उन्हें स्वीकृत तथा अस्वीकृत किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन राज्य सरकारों के परामर्श से विचाराधीन है ।

Overbridge at Shakti Nagar Road, Delhi

1206. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri T. P. Shah -
Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that for the overbridge that was to be constructed at Shakti Nagar Road towards the west of Sarai Rohila Station (Delhi) with a view to connect old and New Rohtak Roads, an agreement had been concluded between the Railways and the Delhi Municipal Corporation to the effect that approach roads would be constructed by the Corporation and the expenditure on the construction of the Head-bridge would be borne by the Railway;

(b) whether it is also a fact that the Corporation invited tenders for the construction of the approach roads but the Railways did not pay any money for the construction of the bridge and the construction work came to a stop;

(c) if so, the reasons for which the Railways did not make any payment for the purpose; and

(d) when the Railways would make available the money for the purpose, the amount that would be paid and when the bridge would be constructed ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, as per agreement the cost of approaches is to be borne entirely by the Municipal Corporation of Delhi while the cost of the bridge proper is to be shared between the Railway and the Municipal Corporation.

(b) As the cost of the approaches is to be met by the Municipality entirely, the question of railway's making any payment for the approaches does not arise.

(c) Does not arise.

(d) Railway will build the bridge proper as soon as the whole scheme including the relocation of sewer lines, water pipe lines and drains has been finalised by the Municipal Corporation. A provision of Rs. 1 lakh was kept in the Railway's current year's budget but is being surrendered as the work cannot be started in the absence of an approved plan incorporating the details of relocation of all services from the Municipal Corporation, Delhi.

Railway Bridge on old Rohtak Road

1207. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri T. P. Shah :
Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the railway bridge on the old Rohtak Road east of Kishanganj Delhi is so low that the goods loaded on the buses etc. collide with the same and accidents also occur as a result thereof;

(b) whether Railways have received some memoranda in this regard;

(c) if so, action taken thereon;

(d) whether Railways are formulating some scheme with a view to increase the height of the said bridge;

(e) if so, the time by which this scheme is likely to be implemented; and

(f) if not, the reasons thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The clearance of the roadway at the road underbridge near Delhi Kishanganj is only 10 ft. 8 inches and the D.T.U. buses are just able to pass under the bridge.

(b) A memorandum requesting raising of the bridge by 2 ft. to 3 ft. has been received.

(c)and(d) As the bridge is situated close to Delhi Kishanganj Yard, it is not feasible to raise the bridge. The girders are also of through type and as such it is not possible to increase the clearance appreciably by any change in the design of the girders.

(e) and (f) Does not arise.

Quarters for Railway Employees

1208. Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Hardayal Devgun :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Railways be pleased to state :**

(a) whether the Railway Board are constructing quarters for Railway employees during the current financial year;

(b) if so, the number of quarters and the names of places where quarters are being constructed; and

(c) the number of such Railway employees at present as have not been provided Government quarters so far ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) and (c) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Export of Fish and Fish Oil

1209. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantity of fish and fish-oil exported during the year 1967-68;

(b) the amount of foreign exchange earned thereby; and

(c) the quantity of fish and fish-oil likely to be exported during the year 1968-69 and the foreign exchange likely to be earned as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) The figures of the export of fish and fish-oil are as follows :-

Description	**1967-68** Quantity in tonne	Value in Rs. Lakhs
1. Fish, fresh and simply preserved	1 926	1526
2. Fish in air tight containers n.e.s. and fish preparations, whether or not in airtight containers (including crustacea and molluscs.)	1982	269

3.	Fish waste	347	46
4.	Oil of fish and marine mammals	87	1

(c) It is estimated that 22,000 M. tons worth of fish and fish products (inclusive of fish oil) will be exported during 1968-69 at an estimated value of Rs. 21 crores.

Strike by the Employees of Commerce Ministry

1210. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri M L. Sondhi :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of employees of his Ministry and its attached and subordinate offices who took part in one day's token strike on the 19th September, 1968 at the call of Central Government Employees Confederation;

(b) the number of employees who were suspended, the number of those against whom departmental action has been taken on this account; and

(c) whether there has been any loss to Government property as a result of the strike ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Total number of such employees is 723.

(b) One employee has been suspended and departmental action has been taken against 399 employees. As regards the remaining 323 employees, departmental action against them has been deferred in view of an interim injunction issued by the Calcutta High Court.

(c) No, Sir.

Export of Shoes

1211. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the countries to which Indian shoes were exported since the year 1963 to date and the number of pair of shoes exported;

(b) the amount of foreign exchange earned by Government during the above period; and

(c) the countries to which Indian shoes would be exported during the year 1968-69 and the amount of foreign exchange likely to be earned thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) The major importers of Indian footwear during the period 1963-64 to July, 1968 were U.S.A., U.S S.R., U.K., Canada, Belgium, Czechoslovakia, Kuwait, Saudi Arabia, Nepal, Australia and Balgaria. The number of pairs exported from India stood at 4.84 crore pairs valued at Rs. 39.90 crores.

(c) Besides the names of the countries mentioned at (a) and (b) above, Indian footwear is also likely to be exported to German Democratic Republic, German Federal Republic, Netherlands, Mauritius, Tanzania, Trinidad, Sudan, Siera Leone, Barbados, Afghanistan, Bahrein, France, Denmark, Sweden, Poland, Nigeria and Panama Republic. The value of exports of footwear during 1968-69 is estimated at Rs. 4,50 crores.

Export of Wool and Human Hair

1212. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri P. L. Baropal :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the quantities of raw wool (sheep) and human hair exported since the year 1962 to date and the names of the countries to which these were exported;

(b) the amount of foreign exchange earned therefrom;

(c) their quantities likely to be exported during the year 1968-69 and amount of foreign exchange expected to be earned thereby and its value in terms of Indian currency; and

(d) the names of the States and sources from which human hair are obtained in India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) A statement showing the quantity and value cf Sheep's and Lambs' wool, and Human hair exported since 1962-63 along the names of the countries to which exported is laid on the Table. **[Placed in Library, See No. LT 2183/68]**

(c) Exports of raw wool and human hair are expected to earn Rs. 7 crores and Rs. 6 crores respectively during 1968-69.

(d) Human hair for export is mainly obtained from the temples of the South, that is, Andhra Pradesh, Madras and Mysore.

Pilferage of Railway Goods

1213. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the value of the goods pilfered and stolen on the Eastern, Northern, North-Eastern and Central Railways since 1st July, 1968 to date: and

(b) the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Rs. 11,06,935/ (From 1st July 1968 to 31st October 1968)

(b) 621 persons have been arrested. Out of which 29 convicted, 1 acquitted and cases against 165 persons are pending trial in the court. 34 persons have been charge sheeted, 3 discharged and cases against 389 persons are still under police investigation.

पूंजीगत वस्तुओं का आयात

1214. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजीगत वस्तु समिति ने जनवरी, 1968 से अक्तूबर, 1968 तक की अवधि में पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति दे दी थी;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं का मूल्य कितना था;

(ग) विभिन्न क्षेत्रों को उसका नियतन किस प्रकार किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) 3358.45 लाख रुपये ।

(ग) विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को निम्नलिखित राशि स्वीकार की गई ।

1. मोटरगाड़ी	366.81 लाख रुपये
2. इलैक्ट्रीकल	374.68 ,, ,,
3. इंजीनियरिंग	591.62 ,, ,,
4. लोहा और इस्पात	336.12 ,, ,,
5. रबड़ उत्पाद	175.51 ,, ,,
6. रसायन और उर्वरक	448.61 ,, ,,
7. कागज और लुग्दी	279.28 ,, ,,
8. अन्य	785.28 ,, ,,
योग	3358.45 लाख रुपये

उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना

1215. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्राप्ति के लिए 1967 और 1968 में किस प्रकार के प्रार्थना पत्रों की सिफारिश की है; और

(ख) उन प्रार्थियों के नाम क्या हैं, जिनके लिए सिफारिश की गई ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (ख): राज्य में नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने 1967 और 1968 की अवधि में (31-10-68 तक) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंसों की स्वीकृति हेतु 10 आवेदनपत्रों की सिफारिश की है ।

ये आवेदन पत्र पोलीएक्रोनाइट्राइल रेशे और सूत, एसीटोनाइट्राइक, बी० एच० सी०, वैनेडियम पेंटाआक्साइड, टिटानियम डाईआक्साइड, विद्युत चालित हलों, जूट, गेहूं के उत्पादों बियर और कोयला निर्माण करने के बारे में हैं ।

उन 6 आवेदकों के नाम जिनके आवेदन पत्रों पर विचार और निर्णय किया जा चुका है, निम्नलिखित हैं :—

1. श्री भगवानदास बजोरिया ।
2. श्री जे० सी० महापात्र ।
3. श्री के० के० जाजोडिया ।

4. मे० एफ० डब्ल्यू० हेलजर्स एण्ड कं० प्रा० लि० ।

5. मे० वी० नाथ एण्ड कं० ।

6. उड़ीसा सरकार ।

अन्य चार आवेदन पत्रों जिन पर उड़ीसा सरकार द्वारा सिफारिश की गई है, अभी विचाराधीन हैं । आवेदनों का विवरण उन पर निर्णय किए जाने से पूर्व सामान्यतया प्रकाशित नहीं किया जाता ।

Sale of Tyres Stolen from Railway Trains

1216. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to State ;

(a) Whether it is a fact that the Railway Protection Force arrested some traders in Delhi in September, 1968 for selling tyres from the Railway trains;

(b) if so, the details of the arrested traders and the seized material; and

(c) the action being taken by Government to liquidate such gangs ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) The details of the arrested traders and captured materials are as under :--

Date of arrest.	Name of arrested persons	Material captured
2.9.68	1. Shri Kamal Narula of Narula Motor Works Queens Road, Delhi.	
2.9.68	2. Shri Harish Narula of Narula Motor Works Queens Road, Delhi.	10 Motor Tyres.
2.9.68	3. Shri Sohan Lal of Narula Motor Works, Queens Road, Delhi.	
2.9.68	4. Shri Harnam Singh of Commercial Tyres, Kedia Market, Delhi.	9 Motor Tyres.
	5. Shri Avtar Singh of Commercial Tyres, Kedia Market, Delhi.	
6.9.68	6. Shri Daljit Singh, s/o Shri Rattan Singh.	1 Motor Tyre.
6.9.68	7. Shri Bal Ram of M/s Balram Medical Stores, Nagia Park, Shakti Nagar, Delhi.	71 packets medicine.
6.9 68	8. Shri Anant Pal Sing of M/s Balram Medical Stores, Nagia Park. Shakti Nagar, Delhi.	

The value of the property recovered is estimated at Rs. 23,000/-

(c) Investigation of this case is still in progress.

Consortium of Industries

1217. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state ;

(a) whether Government propose to set up consortiums of different industries producing similar types of goods;

(b) if so, the nature thereof; and

(c) the industries for which such consortiums will be set up ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c): There is a proposal to set up two consortia in the public sector, one to deal with the supply of metallurgical and mining equipment and the other to deal with heavy electrical and power house equipment.

The two consortia, within their respective fields, will;

(1) carry on all business connected with the supply of equipment;

(2) take up contracts for setting up complete plants and their ancillary operations on a turn key basis;

(3) explore and develop export markets for the equipment;

(4) issue tenders and be responsible for their scrutiny etc. on behalf of the customer;

(5) take up the inspection and quality control of all the equipment supplied to the customer: and

(6) undertake any other work with a view to commission and put into operation complete plants in their respcetive fields.

हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड

1218. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड ने खरीद, ठेकों और बिक्री के लिए कर्मचारियों की भर्ती हेतु (500 रुपये मासिक से अधिक वेतन वाले पद) उपयुक्त नियम बना रखे हैं और यदि हां, तो वे नियम क्या हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ये नियम बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब तक;

(ग) क्या किसी समय हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड के कार्य संचालन के बारे में सामान्य मूल्यांकन किया गया था और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला था; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसकी त्रुटियों का पता लगाने और इसके कार्य संचालन को सुधारने के लिए किसी विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख): हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड द्वारा सभी पदों जिनमें 500 रुपये तथा इससे अधिक वेतन वाले पद भी सम्मिलित हैं के भरती के नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है और उसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है । नियमों के मसोदे को निदेशक मण्डल के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत किया जायगा । जब तक कम्पनी के भरती के नियम नहीं बनते नमक विभाग के नियमों के अनुरूप काम किया जा रहा है ।

(ग) सामान्य मूल्यांकन समय समय पर किया जाता है। और इसके निष्कर्ष कम्पनी के वार्षिक प्रतिवेदनों और सरकार द्वारा उनके पुनरीक्षण में दिये जाते हैं जो कि सभा पटल पर रखे जाते हैं।

(घ) जी नहीं।

बोकारो इस्पात कारखाना

1219. **श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात कारखाने पर अनुमानतः कितना व्यय होगा; व्यय का आरम्भिक अनुमान कितना था और अन्तिम अनुमान कितना है;

(ख) कारखाने में उत्पादन कब आरम्भ होने की आशा है, परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इसके पूरा होने की तिथि क्या है और वास्तव में यह कब पूरा होगा;

(ग) गत एक वर्ष में कार्य में क्या प्रगति हुई है और क्या 31 मार्च 1969 को निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) पूरा हो जाने पर कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) सहायक संयंत्रों सहित इस कारखाने की अनुमानित लागत 6 710 मिलियन रुपये है। यह अनुमान पुनरीक्षित नहीं किया गया है;

(ख) मूल निर्माण कार्यक्रम के अनुसार बोकारो इस्पात कारखाने का प्रथम चरण मार्च, 1971 तक उत्पादन के लिये पूरा हो जाने का प्रस्ताव था जो कि पुनरीक्षित कार्यक्रम के अनुसार दिसम्बर, 1971 तक पूरा होगा। पहली धमन भट्टी में सितम्बर, 1970 के अन्त तक उत्पादन होने लगेगा।

(ग) उपकरणों की लगभग कुल 289,000 मीट्रिक टन की आवश्यकता में से अक्तूबर, 1968 के अन्त तक लगभग 210,600 मीट्रिक टन उपकरणों के लिये क्रयादेश दे दिये गये हैं। इस्पात ढाचों की लगभग कुल 2,37,000 मीट्रिक टन की आवश्यकता में से 209,000 मीट्रिक टन ढांचे बनाने के लिये भी निर्माण आदेश दे दिया गया है। अब तक कारखाना स्थल पर लगभग 46,800 मीट्रिक टन, उपकरण, ढांचे तथा अन्य सामान प्राप्त हो चुके हैं।

जहां तक निर्माण का सम्बन्ध है, 13.16 प्रतिशत कंकरीट बिछाने का कार्य पूरा हो गया है। इमारती इस्पात खड़े करने का कार्य आरम्भ हो गया है। सिविल इंजीनियरी तथा संरचनात्मक इस्पात के निर्माण और खड़े करने का कार्य अब तक कार्यक्रम से पिछड़ा हुआ है किन्तु इस कार्य को तेज करने के लिए कार्यवाही की गई है। आशा है कि जो काम इस समय पिछड़ा हुआ है वह शीघ्र ही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होने लगेगा और यह कार्य समय पर पूरा हो जायेगा।

यदि कार्यक्रम से निर्माण कार्य पिछड़ गया हो, तो निर्माण लक्ष्य मासिक आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। पूर्ण आशा की जाती है कि मार्च, 1969 तक पर्याप्त सीमा तक कार्यक्रम के अनुसार निर्माण कार्य होने लगेगा।

(घ) पूरा हो जाने पर इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 17 लाख मीट्रिक टन इस्पात पिंड (14 लाख मीट्रिक टन निर्मित चपटे (फ्लैट) उत्पाद) तथा 8.8 लाख मिट्रिक टन ढलाई योग्य सच्चा लोहा बनाने की होगी।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

1220, श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1968 को इसकी अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी-कितनी थी;

(ख) इस कम्पनी को 31 मार्च, 1968 को ऋण की कितनी राशि देनी थी; और इसमें से कितनी राशि केन्द्रीय सरकार की बैंकों की अथवा अन्य पक्षों की थी।

(ग) इस कम्पनी ने पिछले तीन वर्षों में ब्याज के रूप में कितनी धन राशि दी है; और

(घ) इस कम्पनी के पिछले तीन वर्षों के कार्य का क्या परिणाम रहा है उसे कितना मुनाफा हुआ है और यदि घाटा हुआ है, तो घाटा होने के मुख्य कारण क्या थे तथा 1968-69 में क्या अनुमान है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क)

	कम्पनी की स्थापना के समय (रु० लाखों में)	दिनांक 31-3-68 को (रु० लाखों में)
अधिकृत पूंजी	300.00	500.00
चुकता पूंजी	10.00	319.47
(ख) ऋण		128.61
केण्द्रीय सरकार		380.41
सम्भरण तथा निपटान का महानिदेशालय (क्रयादेशों के लिए अग्रिम)		42.62
		551.94

(ग) प्रदत्त ब्याज	1965-66	1966-67	1967-68
1. सरकारी ऋण	12.01	10.68	10.01
2. अग्रिम धन राशि (बैंकों से)	16.73	30.78	36.46
3. अन्य		4.51	4.39
	28.74	45.97	50.86

(घ) गत तीन वर्षों का लाभ / हानि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	रु० लाखों में	लाभ (+) हानि (−)
1965-66	रु० 16.57 (−)	
1966-67	रु० 20.60 (+)	
1967-68	रु० 59.03 (+)	
1968-69	रु० 60.00 (+) (अनुमानित)	

1965-66 में हानि होने के कारण निम्नलिखित हैं।

1965–66 की मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार सम्भरित केबलों का मूल्य निर्धारण वित्त मन्त्रालय में लागत लेखाधिकारी द्वारा किया जाना था। ये मूल्य सम्बन्धित 2 वर्ष के खाते के बन्द होने पर निर्धारित होते हैं; इस बीच सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय ने हिन्दुस्तान केबल्स को कुछ उपबन्धित मूल्य चुकता किये जिनका समंजन मूल्य नीति के अनुरूप होना था। वर्ष 1965–66 के खातों को इन अस्थायी मूल्यों के आधार पर जो कि इन वर्षों में कम्पनी को प्राप्त हुए बन्द किया गया था तत्पश्चात ही,अन्तिम समंजन किया गया। 1965-66 के वर्ष के कार्य के परिणामों के अनुसार भी इस वर्ष में भी 7.97 लाख रु० का लाभ निर्देशित है। अतः इससे स्पष्ट हो जायेगा कि कोई वास्तविक हानि नहीं हुई।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम

1221. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम किस वर्ष स्थापित किया गया था तथा इसके उद्देश्य क्या थे;

(ख) क्या निगम अपने उद्देश्य प्राप्त करने में सफल हो गया है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में कितने मूल्य की वस्तुएं किन-किन देशों को निर्यात की गई (प्रत्येक वर्ष के लिए तुलनात्मक आंकड़े दें);

(घ) उक्त अवधि में आयात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निगम ने वर्ष 1968–69 और 1969–70 के लिये निर्यात के क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं और लक्ष्यों के किस हद तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

वाणिज्य उप मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2184 68**]।

सूती कपड़ा मिलों के तकुओं के लिये लिये लाइसेन्स देना

1222. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सूती कपड़ा मिलों में तकुओं के लिए और लाइसेन्स देना बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और कपड़ा उद्योग के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और वर्तमान कपड़ा मिलों की एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होने की क्या सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख): चूंकि सूत की मौजूदा आवश्यकताओं के लिए वर्तमान क्षमता पर्याप्त है, इसलिये सूती कपड़ा उद्योग में तकुओं के और लाइसेन्सों का दिया जाना स्थगित कर दिया गया है। इस कार्यवाही से सूती कपड़ा उद्योग के विकास पर किसी प्रभाव के पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है तथा वर्तमान कपड़ा मिलों के लिए एकाधिकार की स्थिति पैदा होने की भी कोई सम्भावना नहीं है।

समस्तीपुर में मैकेनिकल वर्कशापों में पदों का दर्जा बढ़ाना

1223. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेलवे मन्त्री समस्तीपुर में मैकेनिकल वर्कशापों के पदों का दर्जा बढ़ाये जाने के बारे में 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5979 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) गोरखपुर कारखाने में पदों का दर्जा बढ़ा दिया गया है। इज्जतनगर वर्कशाप में 31-3-69 तक अतिकुशल ग्रेड I के 38 पदों और अतिकुशल ग्रेड II के 10 पदों के भरे जाने की सम्भावना है। जहां तक समस्तीपुर के यांत्रिक कारखाने में पदों का दर्जा बढ़ाने का संबंध है, इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

ज्वालामुखी रोड स्टेशन पर पीने के पानी की व्यवस्था

1224. **श्री हेमराज** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी रेल सैक्शन पर ज्वाला मुखी रोड स्टेशन पर पीने के पानी के कुओं के खोदने पर अब तक कितना धन व्यय हो चुका है; और

(ख) यदि ज्वालामुखी रोड स्टेशन पर बानगंगा नदी से पीने का पानी लिया जाये, तो इस पर अनुमानतः कितना धन व्यय होगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 24,500/- रुपये।

(ख) लगभग 67,485/- रुपये।

भूतपूर्व मैसूर रियासत में नीचे के पुल

1225. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने भूतपूर्व मैसूर रियासत में रेल के नीचे के पुलों की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो नीचे के कितने पुलों की मंजूरी दी गई थी और 1967–68 में वर्तमान कार्यक्रम में ऐसे कितने पुलों का निर्माण आरम्भ किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान व्यस्त समपारों अर्थात (i) बैंगलूर सिटी और बैंगलूर कैंट के बीच शर्के रोड पर 353/1–2 किलोमीटर पर और बैंगलूर कैंट और बैंगलूर पूरब स्टेशनों के बीच मिलर्स रोड पर 350/10–11 किलोमीटर पर दो निचले सड़क पुल बनाने के प्रस्ताव मंजूर किये गये हैं और 353/1–2 किलोमीटर पर एक निचला सड़क पुल बनाने का काम पहले से हो रहा है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

स्कूटर बनाने वाले कारखाने

1226. श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यशपाल सिंह :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री जि० मो० विस्वास :
श्री रवि राय :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रामस्वरुप विद्यार्थी :
श्री न० कु० सांघी :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर–सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाने वाले कारखानों की स्थापना के लिये और लाइसेन्स देने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने लाइसेन्स दिये गये हैं, अथवा देने का विचार है;

(ग) क्या लाइसेन्स देने से स्कूटरों के मामले में आत्म निर्भरता हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) (क) और (ख): सरकार ने उचित आर्थिक क्षमता वाले निजी क्षेत्र के उपक्रम को स्कूटर बनाने का केवल एक और लाइसेन्स देने का निर्णय किया है।

(ग) विद्यमान एककों तथा प्रस्तावित एकक के उत्पादन से वर्तमान में पूर्वानुमानित मांग की पूर्ति हो सकेगी। यह आशा की जाती है।

(घ) ऐसी आशा है कि लाइसेन्स प्राप्ति के लगभग 2 वर्ष के अन्तर्गत नया एकक उत्पादन आरम्भ कर देगा।

स्कूटर टायरों का निर्माण

1227. श्री हरदयाल देवगुण :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटर टायरों के निर्माण में आत्मनिर्भर होने के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) टायरों के व्यापार में चोर बाजारी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) कितने नये कारखानों को स्थापित करने का प्रस्ताव है और उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) ये कारखाने कब तक उत्पादन करना आरम्भ कर देंगे; और

(ङ) इस मामले में कब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) स्कूटर टायरों में आत्मनिर्भर होने में काफी प्रगति हुई है। 1968 में स्कूटरों तथा आटो-रिक्शा टायरों की पूर्वानुमानित मांग संख्या 3।500 के इस वर्ष के प्रथम नौ महीनों में टायरों का उत्पादन 2,16,579 था और वर्ष के अन्त तक टायरों का उत्पादन 2,70,000 प्रत्याशित है। जबकि 1967 में यह उत्पादन 1,44,600 था।

(ख) स्कूटर टायरों के वर्तमान उत्पादन की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मोटरगाड़ी टायर निर्माताओं को सांचे तथा अन्य सन्तुलन उपकरणों के आयात की अनुमति देकर, पग उठाए गये हैं। स्कूटर टायर तथा ट्यूबों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की परिधि में भी ले लिया गया है। इसके अतिरिक्त जहां से कमी की रिपोर्ट प्राप्त होती है ऐसे स्थानों पर टायरों का सम्भरण बढ़ा दिया जाता है।

(ग) निम्नलिखित कम्पनियों को सभी प्रकार के मोटर गाड़ी टायर और ट्यूबों के निर्माण की अतिरिक्त क्षमता हाल ही में स्वीकार की गई है :—

	स्वीकार क्षमता	
1. मैसर्स डनलप इण्डिया लि०	2,50,000	सं० प्रति वर्ष विस्तार
2. मैसर्स वियाट टायर आफ इण्डिया लि०	2,50,000	,, ,,

3. मैसर्स इनचेक टायरज लि०	3,00,000	,,	,,
4. मैसर्स मद्रास रबड़ फैक्टरी लि०	2,50,000	,,	,,
5. मैसर्स मोदी इन्डस्ट्रीज लि०	4,00,000	,,	,, (नया एकक)

(घ) सामान्यतया हाल ही में स्वीकृत योजनाओं को उत्पादन प्रारम्भ करने में लगभग दो वर्ष लगते हैं।

(ङ) अगले वर्ष तक स्कूटर टायरों में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाने की आशा है।

भद्रावती और रूरकेला इस्पात कारखानों द्वारा इस्पात का उत्पादन

1228. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री क० लकप्पा :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भद्रावती तथा रूरकेला इस्पात, कारखाने, रूस को निर्यात किये जाने वाले माल रेल डिब्बों के निर्माण के लिये आवश्यक इस्पात का उत्पादन करने में समर्थ होंगे; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन कार्य के कब से आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख): रूस को निर्यात किये जाने वाले माल डिब्बों के निर्माण के लिए अपेक्षित इस्पात के सामान की देशीय स्त्रोतों से पूर्ति के प्रश्न पर विभिन्न किस्मों के माल, लिये जाने वाले मूल्य, माल देने के प्रोग्राम आदि के संदर्भ में वाणिज्य मन्त्रालय से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

रूरकेला इस्पात कारखाना

1229. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री क० लकप्पा :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 से 7 वर्ष पूर्वक रूरकेला इस्पात कारखाने में इंजीनियरों के स्थान पर कुल प्रशिक्षित ओवरसियरों को नियुक्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अब उनकी छंटनी की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री रामसेवक) : (क) 1962-1966 की अवधि में राउरकेला इस्पात कारखाने में इंजीनियरों की जगह 5 डिप्लोमा-होल्डर रखे गये थे।

(ख) और (ग): इस समय उनकी छंटनी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जापान को लौह–अयस्क की सप्लाई

1230. श्री एस० आर० दामानी :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या वाणिज्य मन्त्री 30 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1744 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 लाख और 40 लाख टन लौह–अयस्क सप्लाई करने के लिये जापान से किन वर्षों में करार किया गया था, सप्लाई को आरम्भ किये जाने के लिए निर्धारित वर्ष क्या थे और वास्तव में सप्लाई किन वर्षों से आरम्भ की गई थी;

(ख) इन प्रत्येक करारों के विरुद्ध अब तक प्रत्येक वर्ष निर्यात की गई मात्रा क्या है;

(ग) यदि सप्लाई कम है तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) अतिरिक्त पत्तन बनाने तथा इन निर्यातों के लदान की सुविधाएं देने के लिए कब कार्य आरम्भ किया गया तथा उसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ङ) क्या जापानी निर्यात-कर्त्ता अब तक सप्लाई की गई मात्रा से संतुष्ट है और क्या दूसरे देशों से प्रतियोगिता में वृद्धि होने के कारण भारत को लौह–अयस्क की अपनी जापानी मन्डी को खो देने का भय उत्पन्न हो गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) वर्ष 1964 से प्रति वर्ष 20 लाख मे० टन किरिबुरू के लौह–अयस्क की विसाखापत्तनम के रास्ते से सप्लाई के लिये करार मार्च, 1958 में किया गया था। आंशिक सप्लाई 1964 में आरम्भ हुई।

वर्ष 1968 के मध्य से प्रति वर्ष 40 लाख मे० टन बेलाडीला लौह–अयस्क की विसाखापत्तनम के रास्ते से सप्लाई के लिए एक अन्य करार मार्च, 1960 में किया गया। आंशिक सप्लाई 1967 से आरम्भ हुई।

(ख) किरिबुरू और बैलाडीला की खानों से जापान को लौह–अयस्क की निम्नलिखित परिणाम में सप्लाई की जा चुकी है :-

	किरिबुरू	बैलाडीला
1964-65	2.7	–
1965-66	6.4	–
1966-67	18.0	–
1967-68	19.0	4.0
1968-69 (अप्रैल–सितम्बर)	8.0	6.0

(ग) किरिबुरू खान तैयार हो गयी थी परन्तु विसाखापत्तनम पत्तन पर यांत्रिक अयस्क लदान सुविधाएं प्रदान करने में विलम्ब के कारण पूरी सप्लाई समय पर आरम्भ न हो सकी।

बैलाडीला की यंत्रचालित खान समय पर इन कारणों से स्थापित न हो सकी : (1) प्रचुर विद्युत सप्लाई में विलम्ब; और (2) यंत्रचालित स्थापना के एक महत्वपूर्ण भाग में भारी खराबी आ जाना।

(घ) पत्तन सुविधा पहले ही 40 लाख टन से अधिक के लदान में सक्षम है। कार्यकारी अनुभव के आधार पर यह आवश्यक समझा गया कि विसाखापत्तनम में अयस्क उपयोगीकरण और लदान सुविधाओं में वृद्धि की जाये। वर्ष 1969 के अन्त तक परिवर्तनों के पूरा हो जाने की आशा है जिनसे अयस्क लदान क्षमता बढ़कर 60 लाख टन हो जायेगी।

(ङ) इन अयस्कों के गुण से जापानी आयातक संतुष्ट हैं परन्तु वे इस बात के लिए उत्सुक हैं कि जितनी मात्रा के करार हैं उनके अनुरूप निर्यातों में अधिकाधिक वृद्धि की जाये। इस विषय पर जापानी इस्पात मिल संघ के साथ और बातचीत हुई है और उन्हें खनन तथा लदान क्षमता के विकास से सम्बन्धित हमारे विनिश्चयों के बारे में उन्हें आश्वस्त कर दिया गया है कि हम न केवल निर्यातों में वृद्धि करेंगे अपितु विश्व की मन्डियों में बढ़ती हुई प्रति-योगिता की प्रवृति और लौह अयस्क के लिये जापान में बढ़ती हुई मांग के अनुरूप कार्यवाही करेंगे।

जापान को लौह-अयस्क का निर्यात

1231. श्री एस० आर० दामानी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार और जापान के इस्पात मिशन के बीच हुए करार को पूरा करने के लिये किरूबुरा और बेलाडिला, परियोजनाओं से निकाले गये लौह-अयस्क का जापान को वर्षवार कितना निर्यात किया जायेगा;

(ख) यह सप्लाई किस तारीख में शुरू करनी थी और प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा देना तय हुआ है;

(ग) क्या इन दो स्थानों में कोयले की खोज तथा उसे निकालने में कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हुई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि सप्लाई कम हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) किरिबुरा तथा बेलाडिला की खानों से जापान की इस्पात मिलों की लौह-अयस्क की निम्नलिखित मात्रा की पूर्ति की गयी :-

वर्ष	किरिबुरा	बेलाडिला
	(लाख टन)	
1964-65	2.7	–
1965-66	6.4	–
1966-67	18	–
1967-68	19	4
1968-69 (अप्रैल-सितम्बर)	8	6

(ख) जापान की इस्पात मिलों के साथ हुए करार में 20 लाख टन किरिबुरू अयस्क तथा 40 लाख टन बेलाडिला अयस्क की वार्षिक पूर्ति क्रमशः 1964 तथा 1966 के मध्य से शुरू होने की परिकल्पना की गई थी ।

(ग) से (ङ : किरिबुरू खानें समय पर तैयार थीं। परन्तु अयस्क लदान को यांत्रिक सुविधाओं की व्यवस्था करने में विलम्ब हो जाने के फलस्वरूप पूर्ति समय पर शुरू नहीं हो सकी ।

बेलाडिला की यंत्र चालित खानें (1) प्रचुर मात्रा में बिजली की व्यवस्था में विलम्ब तथा (2) यांत्रिक संस्थापन के एक महत्वपूर्ण अनुभाग में एक बड़ी खराबी के फलस्वरूप निर्धारित समय पर चालू नहीं हो सकी ।

किरिबुरू और बेलाडिला की लौह-अयस्क परियोजनाओं में लगी हुई पूंजी

1232. श्री एस० आर० दामानी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किरिबुरू और बेलाडिला की दो लौह-अयस्क परियोजनाओं में पत्तन तक रेलवे लाइन बिछाने तथा लौह-अयस्क के निर्यात को संभालने के लिये पत्तन पर आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के काम सहित अब तक लगी हुई पूंजी का व्योरा क्या है;

(ख) वर्षवार कार्य-संचालन की लागत कितनी है और (एक) जापान को तथा (दो) भारत में अन्य पक्षों को अयस्क की सप्लाई करने से कितनी आय हुई है; और

(ग) इसके वर्षवार कितना मुनाफा अथवा घाटा हुआ है ?

इस्पात खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक): (क) किरिबुरू और बेलाडिला स्थानों पर की दो लौह-अयस्क प्रायोजनाओं में अब तक लगी हुई कुल पूंजी नीचे दिखाई गई है :—

(31-3-1968 तक)

किरिबुरू	**बेलाडिला** (निक्षेप संख्या 14)
लाख रुपयों में	**लाख रुपयों में**
1335.56	1776.54

किरिबुरू तथा बेलाडिला क्षेत्रों से लौह-अयस्क के निर्यात के लिए निम्नलिखित तीन रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया है :–

भाग	**लम्बाई (किलो मीटरों में)**	**निर्माण की लागत (करोड़ रुपयों में)**
1. विमलगढ़–किरिबुरू	41	5.776
2. साम्बलपुर–तितिलागढ़	182	12.569
3. बेलाडिला–कोट्टावलसा	445	56.676
	जोड़	75.021 करोड़

किरिबुरू से 20 लाख मैट्रिक टन तथा बैलाडिला से 40 लाख मैट्रिक टन लौह अयस्क के निर्यात का प्रबन्ध करने के लिये विशाखापत्तनम बन्दरगाह पर 173 लाख रुपयों की लागत से दो लौह-अयस्क घाटों का निर्माण किया गया। अयस्क घाटों पर 688.34 लाख रुपयों की लागत से 2500 मैट्रिक टन प्रति घंटा की निर्धारित क्षमता का एक यंत्रीकृत अयस्क उठाने रखने का संयंत्र लगाया गया। इन सुविधाओं को 1 सितम्बर, 1965 से चालू किया गया था।

(ख) वर्षवार संचालन परिव्यय और (1) जापान को, तथा (2) भारत में अन्य पक्षों को सप्लाई की गई अयस्क से हुई आय नीचे बताई गई है :—

	किरिबुरू	बैलाडिला
	(31-3-1968 तक)	
संचालन परिव्यय	लाख रुपयों में	
1964-65	206.24	—
1965-66	221.17	—
1966-67	966.75	—
1967-68 (अनन्तिम)	1223.72	197.44
जापान को की गई सप्लाई से बिक्री की प्राप्तियां		
1964-65	14.15	—
1965-66	144.13	—
1966-67	864.63	—
1967-68 (अनन्तिम)	1063.76	261.21
अन्य पक्षों (हि० स्टील लि०, रुड़केला) से बिक्री की प्राप्तियां		
1964-65	5.52	—
1965-66	6.97	--
1966 से 1968	—	—

(ग) इन संचालनों से हुआ लाभ या हानि, वर्ष वार निम्न प्रकार से हैं :—

		किरिबुरू	बैलाडिला
		(31-3-1968 तक लाख रुपयों में)	
1964-65	(हानि)	182.48	—
1965-66	(हानि)	68.17	—
1966-67	(हानि)	44.65	—
1967-68 (अनन्तिम)	(हानि)	139.36	1.30 (लाभ)

कपड़ा मिलों को प्रीमियम का भुगतान

1233. श्री एस० आर० दामानी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने काटन मिल फेडरेशन को यह सलाह दी है कि वह उन मिलों को जो विदेशी कपास के कोटे को स्वीकार न करें 25 प्रतिशत प्रति गांठ के हिसाब से प्रीमियम का भुगतान करें;

(ख) यदि हां, तो क्या इसको क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग): इंडियन काटन मिल्स, एसोसिएशन, बम्बई से प्राप्त कुछ सुझावों को ध्यान में रखते हुए मामला विचाराधीन है।

रेल में गोली का चलाया जाना

1234. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर जिले में जबकि लूप लाइन को गाड़ी खाजा से गोरखपुर रेलवे स्टेशन के लिए चली तो उस समय 15 अगस्त, 1968 (स्वतन्त्रता दिवस) को गाड़ी में गोली काण्ड के बारे में सरकार को सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग): पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और 98 अभियुक्तों के विरुद्ध अदालत में आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट द्वारा दण्डनायकी जांच भी करायी गयी है जिसने गोली चलाना उचित ठहराया है। इसमें कोई रेलवे कर्मचारी शामिल नहीं पाया गया। निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

बोंगाईगांव से गोहाटी तक बड़ी लाइन का निर्माण

1235. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मन्त्री 20 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4662 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बोंगाईगांव से गोहाटी तक बड़ी लाइन बनाने के प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कुल कितना व्यय होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) बोंगाईगांव गोहाटी खण्ड के बदलाव का औचित्य जानने के लिए हाल में एक सर्वेक्षण की मंजूरी दी गयी है। इसके वास्तविक बदलाव का निर्णय सर्वेक्षण के परिणामों, धन की उपलब्धि और इस काम की प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। इस काम पर कितना खर्च आयेगा इसका पता सर्वेक्षण पूरा होने पर ही चलेगा।

(ग) सवाल नहीं उठता।

वाराणसी से गोरखपुर तक बड़ी रेलवे लाइन

1236. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मन्त्री 13 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3988 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी से भटणी होकर गोरखपुर तक छोटी रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलने के बारे में सर्वेक्षण पूरा हो गया है:

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) इस पर अनुमानतः कुल कितना धन व्यय होगा; और

(घ) इस परियोजना के कार्य को कब आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) सर्वेक्षण का काम, जिसकी मंजूरी जुलाई, 1968 में दी गयी थी, अभी चल रहा है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) सर्वेक्षण की अनुमानित लागत 2,25,302 रुपये हैं।

(घ) वाराणसी–भटनी-गोरखपुर मोटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने या मीटर लाइन को बरकरार रखने के सम्बन्ध में निर्णय तभी लिया जायेगा जब उपर्युक्त सर्वेक्षण का काम समाप्त हो जायेगा और उसकी रिपोर्ट पर रेलवे बोर्ड द्वारा विचार कर लिया जायेगा।

नेपाल से आयात

1237. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री सीताराम केसरी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेपाल में ऐसे माल का बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है जिस पर नेपाल निर्माता लेबिल लगा होता है और फिर इस माल का भारत को निर्यात किया जाता है;

(ख) क्या सरकार को भारतीय व्यापारियों में इसके कारण फैले किसी असंतोष की जानकारी है; और

(ग) क्या सरकार ने नेपाल में विभिन्न वस्तुओं की अधिष्ठापित क्षमता का कोई अनुमान लगाया है ताकि नेपाल से केवल उन्हीं वस्तुओं के निर्यात को स्वीकार किया जा सके जिनका वहां पर वास्तव में निर्माण होता है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख): सरकार के पास कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं हैं । तथापि रेशम तथा नकली रेशम मिल एसोसियेशन से प्राप्त एक पत्र में यह कहा गया था कि 'नेपाल में निर्मित' मोहर लगा माल वहां पर तीसरे देशों से आयात होता है एवं वह माल चोरी छिपे भारत भेजा है; नेपाल में कुछ ऐसे उद्योगों की स्थापना हुई है जो मूलत: वहां के स्वदेशी कच्चे माल पर आधारित नहीं हैं । दोनों देशों की आयात तथा राजस्व नीतियों में अन्तर होने के कारण, नेपाल से कुछ वस्तुएं जैसे संश्लेमित रेशे तथा स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के बिना रोक-टोक भारत आने के कारण कठिनाइयां पैदा हो रही है । इस प्रकार के आयात के विरुद्ध, संश्लेषित रेशे तथा स्टेनलेस स्टील के भारतीय निर्माताओं से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । हम नेपाल की सरकार के साथ परामर्श करके इन कठिनाइयों को सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं; आशा है कि हम निकट भविष्य में संरक्षणात्मक कार्यवाही कर सकेंगे ।

(ग) नेपाल में ऐसी निर्माण इकाईयों की अधिष्ठापित क्षमता के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है, परन्तु काठमंडू में हमारे राजदूतावास से प्राप्त जानकारी के अनुसार वहां पर संश्लेषित रेशों के उत्पादन में 5 इकाईयां लगी हुई हैं । ऐसी सूचना मिली है कि उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 5.16 करोड़ नेपाली रुपये मूल्य का सेट तथा कमीज का 32 लाख गज कपडा प्रति वर्ष बनाने की है । जहां तक स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का सम्बन्ध है, वहां 4 इकाइयां नेपाल में उत्पादन कार्य में लगी हुई हैं और उनका अनुमानित उत्पादन 3000 टन प्रति वर्ष है ।

निर्यात संवर्द्धन कार्यक्रम

1238. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :
डा० सुशीला नैयर :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969 के दौरान निर्यात प्रचार संवर्धन और अगले वर्ष को निर्यात वर्ष के रूप में मनाने के बारे में एक योजना का प्रारुप तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना के परिणामस्वरुप वर्ष 1969 में कितना निर्यात बढ़ने की सम्भावना है तथा इससे मुख्य परम्परागत निर्यात योग्य वस्तुओं का भी कितना निर्यात बढ़ने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं । 20-21 सितम्बर, 9‘8 को विदेशी व्यापार की भारतीय संस्था द्वारा आयोजित की गई

निर्यात प्रचार गोष्ठी में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की गई कि वर्ष 1969 को निर्यात वर्ष के रूप में मना कर सघन प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया जाय। इस सिफारिश पर कार्यवाही हो रही है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

पटसन उद्योग में संकट

1239. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलों के घाटे में चलने के कारण भारतीय पटसन मिलों को काफी समय से और विशेषतौर से कुछ महीनों से संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारण से पिछले चार महीनों में ऐसी कोई मिल बन्द हुई है; या बन्द होने की सम्भावना है; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में व्यौरा क्या है;

(ग) पिछले चार महीनों में पटसन उद्योग में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन आंकड़े गत दो वर्षों के इन्हीं महीनों के उत्पादन आंकड़ों की तुलना में कम है अथवा अधिक; और

(घ) सरकार ने पटसन उद्योग को इस संकट से निकालने के लिये विशेष सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पटसन मिलों को कच्चे माल की अत्यधिक कमी तथा उसके फलस्वरुप पटसन की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण कुछ समय से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) घाटे में चलने के परिणामस्वरुप किसी भी पटसन मिल के बन्द होने की कोई सूचना नहीं मिली है। तथापि पटसन मिलों में उत्पादन को आयोजित आधार पर कच्चे माल की उपलब्धि तथा घरेलू और विदेशी खपत, दोनों, की आवश्यकताओं के अनुसार चलाया जा रहा है।

(ग) तथा (घ): एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है।

विवरण

1968, 1967 तथा 1966 की जून-सितम्बर की अवधि में पटसन माल का उत्पादन।

	जून-सितम्बर, 1968	जून-सितम्बर, 1967	जून-सितम्बर, 1966
	(आंकड़े हजार मे० टन में)		
हेसियन	128.4	161.0	135.1
कालीन अस्तर	57.1	40.4	37.9

टाट	146.7	151.9	164.0
अन्य	29.1	28.4	23.2
योग—	361.3	381.7	360.2

(घ) इस संकट से निकलने के लिये पटसन उद्योग को सहायता देने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :--

(1) कच्चे पटसन के आयात के लिए पटसन तथा पटसन माल समीकरण भण्डार द्वारा दिये गये आवेदन पत्रों की जांच करने के लिये एक समिति गठित की गई जिसमें पटसन आयुक्त, पटसन उद्योग तथा अन्य व्यावसायिक हित शामिल हैं। 26 अक्तूबर, 1968 तक समिति की सिफारिशों पर पटसन की 1,90,560 गांठों के आयात की अनुमति दी गई थी।

(2) नवम्बर, 1968 के महीने में मिलों के बीच वितरण के लिये निर्धारित पटसन की कुल मात्रा मिलों को पटसन आयुक्त द्वारा 1 जुलाई, 1967 से 30 जून, 1968 की अवधि में पटसन माल के उनके उत्पादन के अनुपात में दी जा रही है।

(3) पटसन आयुक्त को, कच्चे पटसन के आवंटन के आधार पर पटसन माल के उत्पादन को विनियमित करने की शक्तियां सौंप दी गई है तथा वह इस उद्देश्य के लिये मिलों को आदेश दे रहा है।

(4) टाट के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए पटसन (लाइसेन्स तथा नियन्त्रण) आदेश, 1961 के उपबन्धों के अन्तर्गत, 22 अक्तूबर, 1968 से बी टिविल्स टाट का सांविधिक अधिकतम विक्रय मूल्य 200 रु० प्रति 100 बोरे निर्धारित कर दिया गया है।

(5) रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने (क) पटसन मिलों के अलावा अन्य पक्षों को कच्चे पटसन माल पर तथा (ख) पक्का सुपर्दगी आदेशों के सम्बन्ध में पटसन पर दी जाने वाली अग्रिम राशियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये हैं।

(6) यह निर्णय किया गया है कि पटसन माल की घरेलू खपत, के बारे में उसकी कमी की अवधि में, कुछ समय रखा जाये।

हैवी इंजीनियरी उद्योगों में रूसी सहयोग

1240. श्री ए० श्रीधरन : श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री दो० चं० शर्मा : श्री प्र० नं० सोलंकी :
श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री रा० को० अमीन :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हैवी इंजीनियरी और भारत के अन्य उद्योगों में रूसी सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के अध्यक्ष श्री के० डी० मालवीय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने हाल ही में रूस का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस दौरे के क्या परिणाम निकले हैं और इस विचार विमर्श के परिणामस्वरुप किन विशेष परियोजनाओं में रूसी सहयोग प्राप्त हो रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख): विभिन्न रुसी मन्त्रालयों तथा संगठनों से जो कि कारपोरेशन के मशीन निर्माण संयन्त्र की स्थापना तथा विकास से सम्बन्धित रहे हैं, विचार विमर्श करने के लिए हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का एक शिष्ट मण्डल इस उपक्रम के अध्यक्ष श्री के० डी० मालवीय की अध्यक्षता में सितम्बर-अक्टूबर, 1968 में रुस गया था। विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श तथा बातचीत हुई, विशेषकर हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को उनके बोकारों क्रयादेशों के निपटान के लिए आवश्यक रुसी सम्भरण के कार्यक्रम में सुधार, निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे निरन्तर गोलाकार ढलाई के उपकरणों के लिए तकनीकी जानकारी प्राप्त करना, अतिरिक्त रुसी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करना, भारी मशीन निर्माण संयंत्र में नमूंदा ब्यूरो के विकास तथा इसे सुदृढ़ बनाने हेतु रुसी सहायता प्राप्त करना ।

रूसी प्राधिकारियों ने भारी मशीन निर्माण संयत्र के इन तथा अन्य मामलों में सहायता प्रदान करने की सहमति प्रकट की ।

समवाय विधि मण्डल द्वारा बही खातों की जांच

1241. श्री ए० श्रीधरन :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री क० लकप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समवाय विधि मण्डल ने पिछले तीन महीनों में कुछ समवायों के बही खातों की जांच का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न समवायों के नाम क्या है;

(ग) क्या जांच पूरी हो चुकी है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) से (ङ): सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2185/68]**

Iron Discs for Agricultural Equipment

1242. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the steps proposed to be taken during the Fourth Five Year Plan to meet the heavy demand of the iron discs for agricultural equipment:

(d) whether it is a fact that the discs, being produced in the small scale industries in the country, are manufactured from poor quality steel which crack easily, wear out rapidly and consequently become reduced in size after which they become useless and if so, the steps being taken by Government to supply superior quality steel to these industries ; and

(c) whether Government propose to import good quality steel or discs till indigenous production is sufficient to meet the demand ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) At present, High Carbon Steel Discs are being manufactured by two units in the organized sector and one unit in the small scale sector. One more unit in the organized sector is likely to go into production during the year 1969 and another unit has recently been registered with the DGTD. These units will manufacture discs required for ractor-drawn agricultural implement.

There are a large number of units in the small-scale sector making agricultural discs required for bullock drawn agricultural implements. In order to meet the growing demand for high Carbon steel discs, expansion for existing units and approval of additional capacity is being undertaken progressively. In order to step up production in the small-scale sector, the repuirement of High Carbon Steel discs has been brought to the notice of State Directors of Industries and Small Industries Service Institutes, who are trying to create new capacities for this item.

(b) Some complaints have been received about the poor quality of Discs manufactured in the country. These complaints are being investigated. In the meantime the manufacturing units are being given assistance to import high Carbon Steel Plates of good quality.

(c) Bulk supplies of High Carbon Steel Plates from the Alloy Steel Plant at Durgapur are likely to commence from March, 1969. The import of High Carbon Steel Plates will be discontinued as soon as their regular supply commences from this Plant. Till then import of steel plants will be allowed. Import of finished discs is also being allowed to Tractor drawn implements manufactures on a limited basis in order to make up the short-fall from indigenous production.

Running of Diesel Cars

1243. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government proposed to introduce the services of diesel cars around Delhi in order to meet the increasing traffic; and

(b) if so, the number of diesel cars being purchased to run on the narrow and broad gauge lines during the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) There is no such proposal at present.

(b) Does not arise.

Conversion of routes from single to double line around Delhi

1244. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Railways be pleased to state the routes which are being converted from single line to double line during the Fourth Five Year Plan due to heavy pressure on the lines 50 kilometres around Delhi ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : Double line over 50 KM on the following two major routes around Delhi is already available:

(a) Delhi to Mathura

(b) Delhi to Tundla

Double lines also exist for shorter stretches on Delhi-Ambala, Delhi-Rohtak and Delhi-Rewari Sections; and its further extension on the Delhi-Ambala route is under consideration. There is no proposal at present to undertake further doubling on the other routes around Delhi.

Locomotives

1245. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of Railways be pleased to state the number of locomotives with Government and the number out of them which have out lived their life according to the laid down standard but are still in use.

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : The total number of locomotives in service as on 31.3.1968 was 11,605, out of which 2169 are overaged and still in service.

Amenities in Railway Compartments

1246. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that full amenities which should be there are not available in the first and second class Railways Compartments; and

(b) if so, the action taken by Government in regard thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b): Due to very high incidence of thefts it has not always been possible to completely eliminate deficiencies of some of the amenity fittings in all the coaches. However, every effort is being made ta make good these deficiencies and also to guard against thefts of fittings as far as possible.

पूर्वी रेलवे के धनबाद डिवीजन में सहायक स्टेशन मास्टर

1247. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में जारी किये गये एक संयुक्त परिपत्र के द्वारा पूर्वी रेलवे के धनबाद डिवीजन के अधिकारियों ने ड्यूटी वाले सहायक स्टेशन मास्टरों को ये आदेश दिये है कि यदि रंगीन रोशनी वाले सिगनल काम न कर सकें, तो कम और अधिक टैंशंन (एल०टी० तथा एच०टी०) फ़्यूजों को बदल दिया जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त फ्यूजों को बदलने के काम से, जो कुशल बिजली मकैनिकों का काम है, संचालन की सुरक्षा को खतरा हो सकता है ;

(ग) यदि हां, तो बिजली का काम न जानने वाले सहायक स्टेशन मास्टर को अपना जीवन खतरे में डालने और उसका कार्यभार बढ़ाने के आदेश दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह आदेश बिजली अधिनियम के अनुरूप है अथवा सक्षम अधिकारी ने इसका अनुमोदन कर दिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : (क) सहायक स्टेशन मास्टरों को समुचित प्रशिक्षण के बाद यह अनुदेश दिया गया है कि वे केवल निम्न वोल्टता फ्यूजों (230 बोल्ट) को ही बदलें।

(ख) जी नहीं, क्योंकि ये फ्यूज निम्न वोल्टता के हैं और इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(ग) इसमें किसी की जान के लिए खतरा नहीं है।

(घ) जी हां।

स्लेक सीमेंट की अधिक कीमत

1248. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या औद्योगिक विकास तथा समावाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्लेक सीमेंट एक उपोत्पाद है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी कीमत पोर्टलैन्ड सीमेंट की कीमत के बराबर होने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) स्लेक सीमेंट जैसी कोई किस्म नहीं है। इसका अभिप्राय संभवत : स्लेक सीमेंट से है जो कि ब्लास्ट फर्नेस के स्लैग को मानक संस्था के निर्धारित विवरण के अनुरूप पोर्टलेंड सीमेंट खागर के साथ पीसा जाता है।

(ख) स्लैग सीमेंट तथा पोर्टलेंड सीमेंट के मूल्यों का अन्तर मामूली है, क्योंकि परिवहन, आर्द्रता को दूर करने, अधिक बिजली के खर्चे, पैक करने आदि पर अधिक व्यय करना पड़ता है। दोनों के मूल्य को एक स्तर पर ही रखा गया है ताकि स्लैग सीमेंट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिले।

भारत-रूस व्यापार समझौता

1249. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 के दौरान भारत और रूस के बीच कोई व्यापार समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं । 1969 में किये जाने वाले व्यापार में शामिल वस्तुओं के स्वरूप की समीक्षा इस वर्ष के अन्त तक करने का विचार है ।

मध्य प्रदेश में सीमेंट परियोजनाएं

1250 श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के सीमेंट निगम ने मध्य प्रदेश में कितनी सीमेंट परियोजनाओं की जांच की है और इस बीच सरकार ने कितनी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की सिफारिश की है;

(ख) सिफारिश की गई परियोजनाओं के स्थानों के नाम क्या हैं ;

(ग) भारत के सीमेंट निगम द्वारा सीमेंट परियोजनाओं की अपने-अपने राज्य में स्थापना के लिये, मध्य प्रदेश सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों ने क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध की है ;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की नीति का समर्थन किया है, और

(ङ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र कौन-कौन से हैं जिन्हें इन परियोजनाओं की स्थापना के लिये सोचा गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : सीमेंट निगम द्वारा चूना पत्थर के भंडारों की खोज के लिए मध्य प्रदेश में जिन स्थानों की छानबीन की गई थी वह मन्धर, जगदलपुर नीमच तथा कटनी हैं और कटनी को छोड़कर सभी स्थानों पर प्रत्येक स्थल पर 2,00,000 मी० टन की वार्षिक क्षमता के सयंत्र स्थापित करने के लिए निगम से परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं । इनमें से अबतक केवल मन्धर के लिए सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है । अन्य अभी विचाराधीन हैं ।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने मन्धर कारखाने तथा बस्ती के लिए निगम को 150.61 एकड़ की सरकारी भूमि का वर्तमान 400 रु० प्रति एकड़ के प्रतिशुल्क तथा 40 रु० प्रति एकड़ के धरती के किराये की अपेक्षा 100 रुपये प्रति एकड़ के प्रतिशुल्क तथा 10 रुपये प्रति एकड़ के धरती के किराये की रियायती दरों पर आवन्टन किया है ।

हिमाचाल प्रदेश सरकार ने भी ऐसी ही सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव किया है ।

(घ) तथा (ङ): ऐसे राज्यों में जहां कि उत्पादन अभी अपर्याप्त है, निर्माताओं को क्षमता बढ़ाने के लिए क्या प्रोत्साहन दिये जएं, यह अभी विचाराधीन है । मध्य प्रदेश वैसा राज्य नहीं है ।

कपड़े के मूल्य और उत्पादन पर से नियंत्रण हटाना

1251 श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6120 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और क्या कपड़े के उत्पादन और मूल्य पर लगे आंशिक नियंत्रण को हटाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : सरकार का कपड़ा नियंत्रण की वर्तमान नीति में इस समय कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स मधुसूदन गोरधन दास

1253. श्री मधु लिमये : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स मधुसूदन गोरधन दास द्वारा गैर-कानूनी तौर से नाइलोन/पोलिएस्टर धागे के आयात के मामले में सरकार ने जो माल पकड़ा था वह उस फर्म को लौटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो फर्म पर कितना जुर्माना किया गया; और

(ग) माल को तत्काल जब्त न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग): एक विवरण नीचे दिया जाता है ।

विवरण

1. सीमा शुल्क समाहर्त्ताओं से कलकत्ता तथा बम्बई में मैसर्स मधुसूदन गोरधन दास एण्ड कं० द्वारा आयातित सीश्लिष्ट धागे के कुल 74 परेषण जब्त किये, इसके साथ ही 4 मामलों में जुर्माने का भुगतान करने पर परेषणों को मुक्त कराने का विकल्प दिया । फर्म द्वारा की गई अपील पर केन्द्रीय उत्पादन-कर तथा सीमा-शुल्क बोर्ड ने सम्बद्ध सीमा शुल्क समाहर्त्ताओं द्वारा दिये गये जब्ती सम्बन्धी आदेशों को पुष्ट करते हुए कुल 41,74,312 रुपये के जुर्माने का भुगतान कर देने पर फर्म को 73 परेषणों को मुक्त कराने का विकल्प दिया है । सूचना मिली है कि फर्म ने जुर्माने के भुगतान पर 17 परेषणों की सुपुर्दगी ले ली है ।

2. जुर्माने के भुगतान पर पार्टी को माल मुक्त कराने का विकल्प देने के लिये केन्द्रीय उत्पादन कर तथा सीमा-शुल्क बोर्ड को जिन कारणों ने प्रभावित किया के निम्नलिखित थे :–

1. इस प्रकार के अपराधों के लिये जुर्माने के भुगतान पर माल छोड़ने की सामान्य प्रथा थी।

2. माल को सर्वथा जब्त करने से, वह बैंक जिसके माध्यम से ऋण पत्र खोले गये और जो अपराध में संसर्गी नहीं था, में मधुसूदन गोरधन दास एन्ड कं० पर अपने बकाया को माल से वसूल करने के उपचार से वंचित हो जाता।

3. माल लम्बी अवधि से रुका पड़ा था और जब तक सभी कानूनी उपचार पूरे होते तब तक माल को यदि और रोका जाता तो माल और खराब हो जाता जिससे राजस्व की काफी हानि होती।

4. यदि माल पूर्णतः जब्त रखा जाता तो मूल्यों में गिरावट की प्रवृति राजस्व के लिये जोखिम बन जाती।

पटना-धनबाद और पटना-डालटनगंज के बीच सीधी एक्सप्रेस गाड़ी

1254. **श्री मधु लिमये :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना और धनबाद तथा पटना और डालटनगंज के बीच सीधी एक्सप्रेस गाड़ियों की निरन्तर मांग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस पर पुनः विचार करेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख): इस मांग की अभी हाल में की गई जांच से पता चला है कि एक ओर पटना जंक्शन और दूसरी ओर धनबाद और डालटनगंज के बीच इस समय जितना सीधा यातायात होता है उसके लिए इन स्टेशनों के बीच सीधी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

चेकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार

1255. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेकोस्लोवाकिया में हाल में रूसी सशस्त्र सेनाओं के दाखिल होने के फलस्वरूप चेकोस्लोवाकिया के साथ हमारे व्यापार पर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उनका व्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दुर्घटनाओं सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति

1256. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने हेतु नियुक्त उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अभी तक नहीं। लेकिन पता चला है कि समिति की रिपोर्ट का पहला भाग शीघ्र प्रस्तुत किया जाने वाला है।

3 अप्रैल, 1968 को समिति बनाई गई थी और उसे अपना काम यथा संभव शीघ्र पूरा करने को कहा गया था। इसलिए समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश करने में देर होने का सवाल नहीं उठता।

इस्पात कारखानों तथा अन्य सरकारी उपक्रमों में एक कार्मिक संघ

1257. श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अन्तर्गत इस्पात संयंत्रों तथा अन्य सरकारी उपक्रमों में से एक कार्मिक संघ बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रम मंत्रालय इस प्रस्ताव से सहमत हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में और आगे क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग): यह प्रस्ताव रखा गया था कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन प्रत्येक इस्पात कारखाने में सही मायनों में प्रतिनिधि और मान्यता प्राप्त एक ही मजदूर संघ हो जिसे सामूहिक और सामान्य मामलों में प्रबन्धक-वर्ग से बातचीत करने और फैसला करने का एक मात्र अधिकार हो। इस प्रस्ताव पर कुछ सम्बन्धित कर्मचारी संघों और श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रतिनिधियों से भी विचार-विमर्श किया गया था परन्तु कोई समझौता नहीं हो सका। राष्ट्रीय श्रम आयोग भी इस मामले पर विचार करेगा और इसकी सिफारिशों को देखते हुए आगे की कार्यवाही की जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों का सम्मेलन

1258. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :
श्री रवि राय :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें उन्होंने भी भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर विचार किया गया;

(ग) इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था; और

(घ) इस सम्मेलन में क्या-क्या निर्णय किये गये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां, औद्योगिक विकास मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों की एक बैठक 6 और 7 सितम्बर, 1968 को हुई थी।

(ख) निम्नलिखित विषयों पर विचार हुआ :–

1. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के समान हित के मामलों का समन्वय।
2. विदेशी वस्तुओं की अपेक्षा देशी वस्तुओं के मूल्य को प्राथमिकता प्रदान करने का प्रश्न।
3. श्रमिक कानून का अनुपालन।
4. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अतिरिक्त इंजीनियरों की खपत का अवकाश।
5. मन्दी की प्रवृति के प्रभाव उसके रोकने का उपाय तथा अन्य विषय।

(ग) से (घ) ये बैठकें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों द्वारा मंत्रालय को अपने कार्य की प्रगति तथा अपनी कठिनाईयों के बारे में जानकारी देने के लिए समय समय पर बुलाई जाती है। ये बैठकें उनकी सामान्य समस्याओं को परस्पर सुलझाने के लिये औपचारिक अवसर प्रदान करती हैं।

भारतीय घड़ियों का निर्यात

1259. श्री शिव चन्द्र झा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में निर्मित घड़ियों (सिटीजन तथा–सुजाता) विदेशों में बेची जाती है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी घड़ियों का निर्यात किया गया है और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग): विगत कुछ वर्षो में एच० एम० टी० घड़ियों के जिनमें सिटीजन तथा सुजाता भी शामिल हैं, कुल निर्यात निम्नलिखित है :–

वर्ष	संख्या	मूल्य/लाख रु०
1965-66	1,684	0.62
1966-67	729	0.33
1967-68	931	0.59*
1968-69 (अप्रै०-सित०)	141	0.06

*घड़ियों के 100 संघटकों सहित ।

उत्तर रेलवे में दिल्ली डिवीजन में स्थानीय रेलगाड़ियों के लिये रेल डिब्बों की सप्लाई

1260. **श्री सूरज भान :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) समय सारणी के अनुसार दिल्ली डिवीजन में 1 एम एस एन/2 एम एस एन; 1 एम यू/4 एस यू, 2 डी एस यू/1 डी एस यू गाड़ियों के साथ जोड़े गये रेल डिब्बों की कुल कितनी संख्या है;

(ख) सितम्बर, 1968 में प्रत्येक तिथि को उक्त गाड़ियों के साथ वास्तव में कुल कितने रेल डिब्बे जोड़े गये;

(ग) डिब्बों के कम होने के क्या कारण हैं; और

(घ) पूरी संख्या में रेल डिब्बे नियमित रूप से लगाने के लिये रेलवे प्रशासन का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1 एम एस एन/2 एम एस एन, 1 एस यू/4 एस यू और 1 डी एस यू/ 2 डी एस यू गाड़ियों में अधिकृत रूप से क्रमशः 8, 5 और 12 डिब्बे लगाये जाते हैं ।

(ख) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2186/68]**

(ग) 1 एम एस एन/2 एम एस एन और 1 डी एस यू/2 डी एस यू गाड़ियों में कम डिब्बे लगाये जाने का मुख्य कारण यह था कि सितम्बर, 1968 में कुरुक्षेत्र, हरिद्वार गढ़मुक्तेश्वर में सूर्यग्रहण के मेले के अवसर पर तीर्थयात्रियों की निकासी के लिए बहुत बड़ी संख्या में डिब्बों की आवश्यकता थी, जिसके कारण अनुसूचित गाड़ियों के डिब्बों को इस काम पर लगाना आवश्यक हो गया ।

(घ) सामान्य संख्या में डिब्बे लगा कर गाड़ियों को डिब्बों को फिर से चलाने के लिए हर सम्भव कारवाई की जा रही है ।

Export of Indian Cloth to Britain

1261. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri R. Barua :
Shri Narendra Kumar Salve :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Britain has effected a big cut in the import of Indian cloth since August, 1968;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government has held talks with the British Government in this connection; and

(d) if so, the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (d): In August, 1968, the British Government requested the Government of India to cooperate with them in taking measures to remedy the difficult situation faced by the cotton textile industry in the U. K, by reducing exports of wide sheeting and sheets. This was followed by the visit to India of an official of the U. K. Board of Trade, in September, 1968. Discussions were held with him as a result of which some modifications in the existing arrangements have deen agreed to. The effect of the modifications is that the ceilings of the categories covering wide sheeting and sheets have been slightly reduced but compensatory increases have been secured in some other categories in which our export performance in the past has been good. It is expected that the revised arrangements will not affect our overall export earnings.

औद्योगिक लाइसेंसों सम्बन्धी नीति

1262. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये उद्योग स्थापित करने के लिये आवेदन पत्रों पर निर्णय करने में पर्याप्त समय लग जाता है और क्या सरकार इस अवधि को कम करने के लिये कार्यवाही कर रही है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति शीघ्र देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा किये जाने का विचार है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में लाइसेंस की नीति और उदार बनाने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदनों के निपटारे के लिए विभिन्न प्राधिकारियों से जिनमें राज्य सरकारें भी सम्मिलित हैं, परामर्श करना पड़ता है। विलम्ब विभिन्न कारकों द्वारा होता है जिनमें कि जटिल प्रकार की योजनाओं की तकनीकी परीक्षण के लिए तकनीकी विकास के महा निदेशालय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद और प्रायोजना आयोग से परामर्श करना भी सम्मिलित है आवेदन भी कभी इसलिए भी अनिर्णीत रह जाते हैं कि विशिष्ट उद्योगों के लाइसेंसीकरण पर पुनरीक्षण किया जा रहा होता है। कभी कभी आवेदनों के निपटारे में इसलिए भी विलम्ब हो जाता है कि आवेदन कर्ता से कुछ अधिक जानकारी मांगी जाती है जिसे वह शीघ्र प्रस्तुत नहीं करते। सरकार विलम्ब को दूर करने की आवश्यकता के लिए सर्वदा जागरूक रहती है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयास किये जाते हैं।

(ख) आवेदनों के शीघ्र निपटारे के लिए हाल ही में किये गए अभ्युपायों में लाइसेंस नीति में दी गई कुछ छूटें हैं, जैसे:–

1. जिन औद्योगिक उपक्रमों की आवद्ध परिसम्पति 25 लाख रु० से अधिक नहीं है अधिनियम के लाइसेंस प्राप्त करने के उपबन्ध से छूट दी गई है।

2. उपक्रमों को अपनी लाइसेंस प्राप्त अथवा पंजीकृत क्षमता के मूल्य की 25 प्रतिशत नई वस्तुओं के उत्पादन को प्रारम्भ कर अपने उत्पादन में विविधता लाने की स्वतन्त्रता की अनुमति दे दी गई है, बशर्ते कि इसके लिए आयातित कच्चे माल की आवश्यकता नहीं और इसके लिए देश में निर्मित मामूली संतुलन उपकरणों की आवश्यकता हो ।

3, बहुत से उद्योगों को अधिनियम के लाइसेंस प्राप्त करने के उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है। प्रत्येक आवेदन को लाइसेंस समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की अ.बश्यकता को दूर करने के लिए प्रशासनिक मन्त्रालयों को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर दी गई है कि वह उन आवेदनों का स्वयं ही निपटारा कर दें जिनमें (1) कारखाने का उसी राज्य अथवा अन्य राज्य में स्थानान्तरण हो और उसके लिए सम्बद्ध राज्य सरकार अथवा राज्य सरकारें तथा तकनीकी परामर्शदाता सहमत हों, (2) काम को जारी रखने की अनुमति बशर्ते कि ऐसे अनुरोध के लिए राज्य सरकार तथा तकनीकी परामर्शदाता सहमत हों (3) औद्योगिक लाइसेंस के वह आवेदन जिन्हें रद्द करने के लिए तकनीकी प्राधिकारी तथा प्रशासनिक मन्त्रालय सहमत हों (4) उन वस्तुओं के लिए आवेदन जिसे रद्द कर दिये जाने वाली सूची में रखा गया है ।

(ग) जी, हां। योजना आयोग के 'एप्रोच टू दि फोर्थ फाइव इयर प्लान' प्रलेख में दिये गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक लाइसेंस के क्षेत्र में और अधिक छूट देने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ।

Mundha Pande Railway Station

1263. **Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Mundha Pande Railway Station on Moradabad-Rampur line of the Northern Railway has not been provided with any platfrom;

(b) if so, whether Government have any proposal under consideration to provide platform and electricity at the aforesaid station; and

(c) if not, the reasons therefor considering the fact that the passengers have to face great difficulty there ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No. Two rail platforms already exist.

(b) and (c) In view of reply to (a) above, the question does not arise regarding provision of platforms. As regards electricity, there is no low tension supply line in the vicinity at present wherefoim a connection could be taken to electrify the station.

Direct Railway line from Delhi to Bulandshahr

1264. Shri Yashpal Singh : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no direct Railway line from Delhi to Bulandshahr;

(b) whether it is also a fact that one can reach Bulandshahr by train after a change either at Hapur or Khurja;

(c) if so, whether Government propose to run a direct train from Delhi to Bareilly via Bulandshahr and Jahangirabad; and

(d) if not, reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) No.

(d) Lack of traffic justification.

दुर्गापुर में इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर का लगाया जाना

1265. श्री गणेश घोष : श्री वि० कु० मोड़क :
श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में हाल में एक इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटर लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कम्प्यूटर किस काम के लिये लगाया गया है;

(ग) उस कम्प्यूटर को खरीदने और उसे लगाने पर कुल कितना धन व्यय हुआ है;

(घ) क्या यह भी सच है कि यह कम्प्यूटर पुलिस के संरक्षण में लगाया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) आरम्भतः यह संगणक स्टोरों, नकद और बिक्री के हिसाब-किताब रखने, वेतन-बिल बनाने आदि से सम्बन्धित कार्य करेगा, बाद में इससे ऐसा काम लिया जायेगा जैसा फैसला होगा।

(ग) संगणक किराये पर लिया गया है। इसका मासिक किराया 48000 रुपये है। इसके अलावा 1,50,000 रुपये एक साथ दिये गये हैं।

(घ) जी, नहीं, परन्तु सावधानी के लिए उपयुक्त स्थानों पर पुलिस रखी गई थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे की आय

1266. डा० कर्णी सिंह : क्या रेलवे मंत्री 28 सितम्बर, 1968 के इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित जोधपुर रोटरी क्लब में उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक के भाषण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यातायात की मांग क्षमता से अधिक कब तक थी और उस समय प्रति किलो मीटर एक यात्री से किराये तथा एक टन के लिये भाड़े से आय कितनी थी;

(ख) मंदी कब से शुरू हुई और अब एक किलोमीटर पर प्रति व्यक्ति किराये तथा प्रति टन भाड़े से कितनी आय होती है; और

(ग) यह परिवर्तन संचालन लागत की तुलना में कैसा है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग): दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त अर्थात 1960-61, में माल यातायात के लिये रेल-क्षमता मांग से कम थी। तीसरी योजना के अन्त में अर्थात 1965-66 में बड़ी लाइन पर रेल क्षमता मांग से थोड़ी अधिक थी जबकि मीटर लाइन पर क्षमता और मांग लगभग बराबर थी। यद्यपि यह बिलकुल ठीक ठीक बताना सम्भव नहीं है कि किस समय क्षमता बढ़कर मांग के बराबर हो गयी या कब मंदी आयी, फिर भी, यातायात के लिए मांग में कमी की प्रवृति 1964 में दिखायी पड़ी।

2. 1960-61 और 1966-67 (अंतिम वर्ष जिसके लिए पूरे आंकड़े उपलब्ध हैं) में प्रति यात्री किलोमीटर और माल की प्रति मीटरिक टन किलोमीटर औसत आमदनी नीचे दी गयी है :—

	1960-71	1966-67	प्रतिशत वृद्धि
प्रति यात्री किलोमीटर औसत आमदनी (पैसे)	1.61	2.25	31.6
माल की प्रति मीटरिक टन किलोमीटर औसत आमदनी (पैसे)	3.87	4.67	20.7

3. इन वर्षों के दौरान कोचिंग और माल गाड़ियों के अन्तर्गत बड़ी और मीटर लाइनों पर एक किलोमीटर के लिए गाड़ी कर्षण की लागत इस प्रकार थी:—

		1960-61	1966-67	प्रतिशत वृद्धि
एक किलोमीटर के लिए कोचिंग गाड़ी कर्षण की लागत (रुपये)	बड़ी लाइन	8.60	13.83	60 8
	मीटर लाइन	8.07	12.31	52.5

एक किलोमीटर के लिए बड़ी लाइन	15.9	25.42	59.9
माल गाड़ी कर्षण की मीटर लागत (रुपये) लाइन	12.3	17.82	44.9

Textile Corporation in Gujarat

1267. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a textile corporation has been or is proposed to be set up in Gujarat State with assistance from the Central Government;

(b) if so, the outlines thereof; and

(c) the main aim of its setting up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The State Government have decided in principle to form a State Textile corporation with the assistance of the Central Government.

(b) Details are being worked out.

(c) The main aim of setting up the State Corporation is to run the mills taken over by Government and assist them in their renovation and modernisation.

Development of India's Trade

1268. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government are of the view that businessmen poosses more practical experience of trade than the Government officials and the Ministers;

(b) if so, the method evolved by Government to take advantage of the experience of Indian businessmen of high calibre for development of India's trade;

(c) whether Government have ever called for suggestions from the businessmen after having discussed with them about the measures to curb blackmarketing; and

(d) if so, the opinion expressed by the business community ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (d): Government are fully aware of the need for making use of the practical experience of eminent businessmen, industrialists and others having wide experience of trade and industry, in the formulation of Government's policies for the development of India's trade-both external and internal For this purpose Government have provided a number of forums in the form of advisory bodies. Two apex advisory bodies constituted by Government are (1) the Board of trade and (ii) the Advisory Council on Trade, the membership of which is constituted of Government representatives, leading businessmen industrialists and others having intimate knowledge of trade and financial matters. The advice given by these bodies in regard to the problems relating to trade is given due weightage in the shaping of Government policies.

पांडीचेरी में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास

1269. श्री ए० श्रीधरन : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांडिचेरी में छोटे पैमाने के उद्योगों के गहनविकास का आन्दोलन आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आन्दोलन तथा प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके अन्तर्गत कितनी उत्पादन क्षमता स्थापित की जायेगी तथा कितने दक्ष और अदक्ष कर्मचारियों को नियुक्त किया जा सकेगा; और

(घ) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां। अगस्त, सितम्बर, 1968 में एक आन्दोलन आयोजित किया गया था।

(ख) प्रारम्भिक अवस्था में लघु उद्योग विकास निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा अन्य विकास संस्थाओं ने क्षेत्र का विस्तृत दौरा किया, विद्यमान तथा भावी उद्यमियों से सम्पर्क स्थापित किया और उन्हें उद्योगों की सम्भावनाओं आदि से अवगत कराया एक प्रदर्शनी तथा फिल्म शो की व्यवस्था भी की गई थी। किराया खरीद आधार पर मशीनें प्राप्त करने के लिए उद्यमियों से प्राप्त आवेदनों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। इस आन्दोलन का आयोजन इस क्षेत्र के लोगों के विभिन्न उद्योगों की सम्भावनाओं तथा सरकार की विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से परिचित कराने के लिए किया गया था।

उद्यमियों को विनियोजन की संभावनाएं भी बताई गई थीं।

आन्दोलन से पूर्व के सर्वेक्षण से पता चला कि कई उद्योगों जैसे कृषि पर आधारित तथा उप-उत्पादों पर आधारित उद्योगों का विकास इन क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे रोगाणु और कीटाणु नाशक औषधियां, काजू का परिष्करण, काजू के छिलकों से तरल स्टार्च तथा टेपियोका से सागों बनाना, शीरे से औद्योगिक अल्कोहोल तैयार करना, खोई और नारियल के पिथ से पार्टिकल बोर्ड बनाना नारियल के रेशे का मशीनों द्वारा उतारना इत्यादि इनके अतिरिक्त समुद्री स्रोतों से प्राप्त वस्तुओं पर आधारित कुछ उद्योगों का सुझाव भी दिया गया था।

(ग) इस समय उत्पादन तथा रोजगार की सम्भावनाओं को आंकना सम्भव नहीं है।

(घ) आशा की जाती है कि राज्य के उद्योग निदेशक विद्यमान तथा भावी उद्यमकर्ताओं से प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तृत कार्यवाही करेंगे और उन्हें अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेंगे। लघु उद्योग विकास निगम भी उद्यमियों से सम्बद्ध विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं के बीच सम्पर्क सेवाएं प्रदान कर उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों के कार्यान्वयन की कार्यवाही करता है।

भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार

1270. श्री ए० श्रीधरन : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने की क्षमता को 32 लाख टन तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विस्तार योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना पर कितनी लागत आयेगी तथा उसमें अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा होगी ;

(घ) क्या यह विस्तार केवल देश में उपलब्ध साधनों तथा जानकारी से किया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो विस्तार योजना के लिये विदेशी सामग्री उपकरणों और सेवाओं की कितनी आवश्यकता होगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ङ): भिलाई इस्पात कारखाने के और अधिक विस्तार और उससे सम्बन्धित ब्यौरों पर कर्णधार समिति (स्टीयरिंग ग्रुप) द्वारा विचार किया जाना है जिसे चौथी और पांचवी योजनाओं के लिए लोहे और इस्पात का कार्यक्रम तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया है । ऐसी आशा है कि कर्णधार समिति की सिफारिशें शीघ्र ही उपलब्ध हो जायेंगी । प्रश्न के भाग (ख), (ग)

(घ) और (ङ) में पूछे गये ब्यौरों के बारे में बताना तभी सम्भव होगा जब कर्णधार समिति अपना प्रतिवेदन अन्तिम रूप से तैयार कर लेगी और सरकार उसे अनुमोदित कर देगी ।

पश्चिम रेलवे लेखा कार्यालय में अनर्ह कर्मचारियों को शेष राशि का भुगतान

1271. श्री पी० पी० एस्थोस : **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री अ० कु० गोपालन : **श्री ई० के० नायनार :**
श्री उमानाथ : **श्री के० रमानी :**

क्या रेलवे मंत्री 13 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3842 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत किये गये अनर्ह कर्मचारियों का 1 अक्तूबर, 1962 को कितना वेतन निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या 1 अक्तूबर, 1962 को वेतन निर्धारण के समय उन्हें चार वार्षिक वेतन वृद्धियों का लाभ दिया गया था;

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण थे;

(घ) क्या मान्यता प्राप्त संघों से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : (क) से (ग): वर्तमान आदेशों के अनुसार जिन यूनिटों में 1-10-1962 से पदों का दर्जा बढ़ाया गया था, उनमें बढ़े हुए दर्जे वाले पदों के वास्तविक पदधारी और जहां वास्तविक पदधारी निश्चित कर पाना सम्भव नहीं था, वहा ग्रेड ii के वरिष्ठतम क्लर्क तब तक बकाया वेतन पाने के हकदार थे जब तक उनके स्थान पर चुने हुए या उपयुक्त उम्मीदवार नहीं लगा दिये गये थे । अनर्ह क्लर्कों के लिए उपयुक्तता-परीक्षा का परिणाम पश्चिम रेलवे में मार्च से मई 1963 के दौरान विभिन्न तारीखों में थोड़ा-थोड़ा करके घोषित किया गया था और परिणाम घोषित होने के तुरन्त बाद कर्मचारियों को उन्हीं तारीखों में और उन्हीं तारीखों से पदोन्नत किया गया । इसलिए पदोन्नति पर उनका वेतन पदोन्नति की वास्तविक तारीख पर ही निश्चित किया गया था । लेकिन उनमें से जो लोग उन पदों के वास्तविक पदधारी थे जिनका दर्जा 1.10.62 से बढ़ाया गया था, उनको भी 1.10.62 से बकाया वेतन का भुगतान किया गया है । उनका वेतन निश्चित करते समय उनकी पदोन्नति की वास्तविक तारीख से उन्हें 4 वेतन वृद्धियों का लाभ दिया गया था ।

(घ) और (ङ): जी हां । इस आशय का एक अभ्यावेदन मिला है कि जिन लोगों ने निम्नतर ग्रेड में दक्षता-रोध परीक्षा पहले पास की थी, उन्हें भी 1.10.1962 से बकाया देना चाहिए । इसकी जांच की जा रही है ।

पश्चिम रेलवे के दिल्ली स्थित उत्तर (फारेन) यातायात लेखा कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के काम की सूची

1272. **श्री चक्रपाणि :**
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या रेलवे मंत्री 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न 6139 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम रेलवे के दिल्ली स्थित फारेन यातायात लेखा-कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के काम की सूची सभा पटल पर रखेंगे जिसमें उनके नाम के आगे उनके कार्य भार का ब्यौरा और अपेक्षित जन दिन दिए हुए हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : जैसाकि लोक सभा के प्रश्न 6139 के उत्तर में पहले बताया जा चुका है, जो सूचना मांगी गयी है वह बहुत वृहत है और उसके संकलन में जितना परिश्रम करना पड़ेगा उसके अनुरूप परिणाम नहीं निकलेगा ।

रेलों के यातायात का हिसाब-किताब करने के लिये मशीनों का आंशिक प्रयोग

1273. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री के० रमानी :
श्री उमानाथ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कार्य का विश्लेषण किये बिना तथा मशीनों के प्रयोग से अप्रभावित कार्य के बढ़े हुए परिणामों को ध्यान में रखे बिना ही रेलवे यातायात का हिसाब किताब करने के निमित्त मशीनों के आंशिक प्रयोग के बारे में आवश्यकता से अधिक आंकड़े निकाले गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि गलत तरीके से फालतू आंकड़े दिखाये जाने के कारण भारतीय रेलों के यातायात लेखा कार्यालयों में कठिनाई अनुभव हो रही है;

(ग) यदि नहीं, तो कार्य विश्लेषण करने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा कार्य विश्लेषण की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) इन तथाकथित झूठे फालतू आंकड़ों को ठीक करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग): क्षेत्रीय रेलों के यातायात लेखा कार्यालयों में किये जाने वाले काम की विभिन्न मदें 2 कोटियों में आती हैं जो इस प्रकार हैं:-

(i) वे मदें जिन पर यांत्रिकीकरण के परिणामस्वरूप कार्यविधि में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव नहीं पड़ा है;

(ii) वे मदें जिन पर यांत्रिकीकरण के परिणामस्वरूप कार्यविधि में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा है;

जहां तक मद (i) का सम्बन्ध है यांत्रिकीकरण के बाद काम की इन मदों के मापदण्ड में कोई अन्तर नहीं आया है। मद (ii) के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि यांत्रिकीकरण के प्रारम्भिकचरण में काम का मापदण्ड निश्चित करने के लिये कोई विस्तृत विश्लेषण करना आवश्यक नहीं समझा गया है। सभी रेलों के अनुभव की औसत को आधार मानकर काम की प्रक्रिया विशेष के लिये सामान्य मापदण्ड निर्धारित किया गया है । नयी कार्यविधियों के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए, जिसमें यांत्रिकीकरण के परिणामस्वरूप यातायात लेखा कार्यालयों के लिए कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करना भी शामिल था, प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में सहायक लेखा अधिकारी के एक एक पद की मंजूरी दी गयी है। इस कार्रवाई को देखते हुए फर्जी तौर पर कर्मचारियों को फालतू घोषित किये जाने का सवाल नहीं उठता। फालतू घोषित किये गये कर्मचारियों को भी इससे कोई परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि उनके सम्बन्ध में आदेश दिये गये हैं कि उनकी पदोन्नति की सम्भावनाओं को सुरक्षित रखा जाये और उन्हें, उनकी सहमति के बिना, किसी दूसरी जगह स्थानान्तरित न किया जाये।

(घ) जी हां;

(ङ) भाग (क) से (ग) तक के उत्तर में बतायी गयी स्थिति को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

राजस्थान में अकालग्रस्त क्षेत्रों के आन्तरिक मरुस्थल वाले हिस्से में रेल द्वारा सम्पर्क

1274. श्री करणी सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार को इस बात की जानकारी है कि बीकानेर, जैसलमेर तथा बाड़मेर के आसपास के भयंकर रूप से अकालग्रस्त क्षेत्रों के आन्तरिक मरुस्थल वाले हिस्से रेल द्वारा जुड़े हुए नहीं हैं ;

(ख) क्या रेत के टीलो के कारण उस विशेष क्षेत्र में किसी अन्य परिवहन साधन द्वारा मितव्ययता पूर्वक अथवा शीघ्र नहीं पहुँचा जा सकता ; और

(ग) यदि हां, तो उस क्षेत्र में खाद्यान्न तथा चारा शीघ्र पहुंचाने के लिये इस भारी कठिनाई को दूर करने के लिये क्या योजनायें बनाई गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग): राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में रेल संचार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये हाल में, पोकरण और जैसलमेर के बीच एक रेलवे लाइन बनायी गयी है और उसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। रेल सुविधाओं के कमी के कारण राजस्थान के भीतरी भागों में अनाज और चारे के यातायात में आने वाली किसी बाधा के बारे में रेल प्रशासन को जानकारी नहीं है। इस समय धन सम्बन्धी कठिनाइयों और खर्च में अधिकतम बचत करने की परम आवश्यकता को देखते हुए, इस क्षेत्र में किसी नयी रेलवे लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विचार करना निकट भविष्य में सम्भव नहीं है।

Demand and Supply of Tractors

1275. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1728 on the 30th July, 1968 and state:

(a) the reasons for the non-availability of the State-wise figures regarding the demand and supply of tractors;

(b) the names, status and addresses of the distributing organisations of imported and indigenous tractors;

(c) the names and addresses of those distributing organisations which are functioning in more then one State:

(d) the details of the import licences given to the manufacture's of tractors for the import of machines;

(e) the details of licences given for the import of raw materials required for manufacturing parts;

(f) the names and addresses of those ancillary suppliers who have been given the required assistance; and

(g) the names and the addresses of those manufacturers of tractors who have assured to make 95 percent parts available in the country by the 1st April, 1970 ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) The demands for supply of tractors are registered with the respective supplying agencies and not with the State Governments or the Central Government. Orders for imported and indigenous tractors are booked by the dealer organisations, whose territory covers more than one State in certain cases. As such, information about the demand and supply of tractors for each State separately is not available.

(b) and (c): Imported Russian tractors were hitherto distributed through the following private agents and their sub-dealers:

1. M/s. National Engg. Co. (Madras) Pvt. Ltd., P. O. Box No. 1616, Madras.	**Southern Region** (Madras, Kerala and Pondicherry)
2. M/s. Ghaziabad Engineering Co. Pvt. Ltd. New Delhi.	**Northern Region** (Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Rajasthan)
3. M/s. Indian Engineering & Commercial Corporation P. Ltd. Bombay.	**Western Region** (Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra Mysore, Goa, Daman and Diu)
4. M/s. Bharat Industries & Commercial Corporation, Calcutta.	**Eastern Region** (W. Bengal, Assam, NEFA, Tripura, Manipur, Nagaland, Orissa, Andhra Pradesh and Bihar).

Henceforth, imported Russian tractors will be distributed through the State Agro Industries Corporations or through the State Governments, where Agro Industries Corporations have not yet been set up.

Imported Zetor-2011 tractors are being distributed through the various State Agro Industries Corporations.

In so far as distribution of indigenous tractors is concerned, M/s International Tractors Co. of India, Bombay have appointed M/S Voltas Ltd, Bombay as their sole distributors. The other firms have also appointed their distributors for the purpose. All these firms have a net work of dealers and sub-dealers spread over the country for the sale and after-sale service of the tractors. Information about the names and addresses of such firms is not readily availabl.

(d) and (e) The indigenous mannfacturers have been receiving foreign exchange assistance for the import of capital goods, components andraw materials for the past several years, The compilation of a statement giving all the details will involve a lot of time and labour ?

(f) There is a very large number of ancillary units both in the organised and in the small scale sectors, who have been receiving import and other assistance from the Governmental agencies concerned. A list of such suppliers is not readily available.

(g) None of the tractor manufacturers has given the assurance that they would make 95% parts available in the country by Ist April, 1970. Government have, however, given notice to all the indigenous tractor manufacturers that import assistance after 31.3.1970 would be on the basis of 95% indigenous content.

Zonal Railway Users' Consultative Committee

1276. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3923 on the 13th August, 1968 regarding Zonal Railway Users' Consultative Committee and state:

(a) whether the information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for delay ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) A statement giving the information is laid on the Table. [Placed in Library. See No. LT. 2187/68]

(c) In view of the answer to part (b), the question does not arise.

Learning of Hindi by Railway Employees

1277. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3922 on the 13th August, 1968 and state:

(a) the reasons as to why the working knowledge of Hindi has not been acquired so far by a large number of Railway employees posted at various Railway stations in the country ;and

(b) the measures taken so far to impart working knowledge of Hindi to those employees, and the nature of incentives given to them ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The staff posted at Railway stations usually work on a shift system and, therefore, it is difficult to organise Hindi classes for them.

(b) The following steps have been taken to provide facilities for training in Hindi to staff posted at smaller and way-side stations :—

(i) Starting of classes with at least 15 trainees by grouping abjoining stations, if necessary;

(ii) Starting of classes in railway colonies and crew-changing stations at convenient hours, with part-time teachers; and

(iii) Issue of free passes to staff for their journeys to the nearest Hindi teaching centre and back for attending classes.

As regards incentives, non-Hindi knowing staff are granted cash awards and personal pay on passing the prescribed examinations. As a further incentive, a scheme of lumpsum award to operational and line staff, who pass the prescribed Hindi examinations by their private efforts, has also been introduced.

Railway Week at Gorakhhpur

1278. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to unstarred question No. 4593 on the 20th August, 1968 regarding Railway Week organised by the North Eastern Railway's Office at Gorakhpur and state:

(a) the reasons for not furnishing the details regarding names and designations of the persons who received awards and the special work done by them; and

(b) the details regarding the celeb ration with which the aforesaid information is connected.

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a)and(b) As already stated in the reply to the Question referred to, the information was not furnished, as it was considered to be voluminous. A statement giving the same is laid on the Table [**Placed in Library. See No. LT-2188/68**]

Advertisement of Posts in Railways

1279. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4592 on the 20th August, 1968 regarding advertisement of posts in Railways and state:

(a) whether the information has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for this long delay ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The information was required to be collected from the 9 Zonal Railways and 3 Production Units, zone-wise and category-wise in regard to number of employment advertisements published in the newspapers during the year 1966-67, besides placing a copy of each of these advertisements on the Table of the Sabha.

The collection of this voluminous information involves time. However, efforts are being made to ensure that the required information is placed on the Table of the Sabha as quickly as possible.

सीमेंट का मूल्य

1280. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट के उत्पादकों ने सीमेंट के मूल्य बढ़ाने के लिये सरकार की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) सीमेंट के उत्पादकों ने विभिन्न कारकों के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाने से उनको देय धारण मूल्य पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। इसका तात्पर्य सीमेंट के मुल्यों पर पुर्नविचार करना होगा। समग्र प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और इस मामले में शीघ्र ही निर्णय किए जाने की आशा है।

Fxport of Bananas

1281. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) the value in rupees of the bananas exported during the last five years, year-wise;

(b) the names of the countries to which Indian bananas are exported and also the name of the country which purchases the maximum quantity of it;

(c) the annual earnings of foreign exchange from such exports;

(d) whether Government have drawn-up any scheme to promote the export of bananas; and

(e) if so, the outline thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c): Bananas are mainly exported to Gulf countries, U. S. S. R. and Japan. Kuwait purchases the maximum quantity. The f. o. b. value and foreign exchange realisation from export of bananas during the last 5 years was as under:

Year	Value in Lakhs of Rs.
1963-64	36.04
1964-65	30.28
1965-66	37.88
1966-67	62.88
1967-68	20.28

(d) and (e) A Committee named Banana & Fruit Development Committee, consisting of representatives of growers/exporters of bananas and Officials of the Ministries concerned has been set up to consider ways and means of exporting bananas to distant destinations. A Corporation named Banana & Fruit Development Corporation has also been set up by the State Governments of Madras, Andhra Pradesh, Mysore and Kerala to develop the production of exportable variaties of bananas for export.

कपास का मूल्य

1282. श्री देवराव पाटिल :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मई तथा जून, 1968 में प्रत्येक राज्य में खुले बाजार में कपास का मूल्य क्या था ;

(ख) क्या यह सच है कि कपास का वर्तमान मूल्य कपास उत्पादकों के लिये अलाभप्रद है; और

(ग) यदि हां, तो कपास के उत्पादकों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिये तथा यह देखने के लिये कि उन्हें कोई हानि न हो, क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस प्रकार के ब्यौरे के रूप में जानकारी उपलब्ध नहीं है। हां, बम्बई में, जो कि कपास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाजार है, मई तथा जून, 1968 के महीनों में कपास के मूल्य न्यूनतम समर्थक मूल्यों से प्राय: 30—40 प्रतिशत ऊंचे रहे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1968-69 के लिये कपास सम्बन्धी नीति

1283. श्री देवराव पाटिल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1968-69 के लिये कपास सम्बन्धी नीति की घोषणा कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस नीति की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) कपास के उत्पादकों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : माननीय सदस्य का ध्यान 31 अगस्त, 1968 को सरकार द्वारा जारी किये गये प्रेस नोट की ओर आकृष्ट किया जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2189/68**]

शडों, यार्डों और वैगनों में सामान की हानि को रोकना

1284. श्री लोबो प्रभु : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैडों, यार्डों और वैगनों में सामान के चोरी होने से अथवा अन्यथा होने वाली हानि को विभागीय तौर पर रोकने के लिये दिये गये आदेशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या कोई ऐसे आदेश हैं जिनके अनुसार कार्यभारी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है ;

(ग) यदि नहीं तो नियंत्रणाधीन सम्पत्ति का संरक्षण करने में अधिकारियों का क्या हित है ;

(घ) रेलवे ने गत वर्ष कितना मुआवजा दिया तथा क्या इसका कोई भाग दोषी अधिकारियों से वसूल किया गया था ; और

(ङ) क्या अधिकृत आदेश बिना रेलवे के क्षेत्र से माल के ले जाये जाने को रोकने का उत्तरदायित्व रेलवे पुलिस रक्षा दल का भी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) चोरी या किसी अन्य कारण से बुक किये गये माल की हानि की रोक थाम के लिए भारतीय रेल वाणिज्य नियमावली और रेलवे सुरक्षादल विनियमों में जो विस्तृत आदेश दिये गये हैं वे, अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार हैं :—

(i) माल लादने, उतारने, चट्टा लगाने और सुपुर्द करने का काम समुचित सावधानी के साथ और समुचित पर्यवेक्षण में किया जाना चाहिए और पैकेजों का ठौर-ठिकाना जानने के लिए जमीन पर पड़े हुए माल की नियमित रूप से सूची बनाकर उसका मिलान किया जाना चाहिए और हानि का तुरन्त पता लगाया जाना चाहिये ताकि रेलवे सुरक्षा दल और

सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारी तुरन्त जांच करके अपराधियों को पकड़ने के लिए समय पर कार्यवाही कर सकें।

(ii) शंटिंग के समय लदे हुए माल डिब्बों की हिफाजत के लिए उचित एहतियात बरतनी चाहिए और जो माल डिब्बे रास्ते में हों, उनकी हिफ़ाजत के लिए समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए। रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा कारगर ढंग से सील की जांच की जानी चाहिए ताकि गाड़ियों में होने वाली चोरियों का स्थान-सीमित हो जायें।

(iii) स्टेशन मास्टरों और रेलवे सुरक्षा दल के पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा नियमित जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी निर्धारित अनुदेशों का सावधानी से पालन कर रहे हैं।

(ख) जी हां, यदि माल का चार्ज सम्हालने वाले कर्मचारी और माल की सुरक्षा के लिए तैनात रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों के चार्ज में माल की किसी प्रकार की हानि, क्षति या कमी होती है तो उसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है, और यदि यह पाया जाता है कि रेल संपत्ति की हिफाजत करने में उन्होंने कोई गफलत या लापरवाही की है, तो उन्हें उचित सजा दी जाती है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

(घ) 1967-68 में चोरी और उठाईगीरी के कारण 3,55,25,678 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये गये। दोषी कर्मचारियों से वसूल की गई रकम की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) जी हां। जहां कहीं रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं वहां वे प्लेटफार्मों, पार्सल घरों और माल गोदामों में पड़े हुए माल की निगरानी के लिए जिम्मेदार होते हैं, ताकि उनकी चोरी न हो। जो माल वहां से उठाया जाता है उसकी जाँच करके वे यह देखते हैं कि वाणिज्य कर्मचारियों ने गेट पास जारी करके उस माल को बाहर ले जाने का अधिकार दिया है या नहीं।

मशीनरी तथा बिजली के सामान का आयात

1285. श्री लोबो प्रभु : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष के पहले छः मास में नये संयंत्रों के लिये कितने मूल्य की बिजली के सामान सहित मशीनरी आयात की गई ;

(ख) विश्व मूल्यों तथा सशर्त सहायता के अन्तर्गत आयात से प्राप्त होने वाले सामान के मूल्यों में औसत अन्तर कितना है ;

(ग) स्वतंत्र देशों से आयात की गई मशीनरी के मूल्यों में तथा साम्यवादी देशों से आयात की गई मशीनरी के मूल्यों में औसत अन्तर कितना है ;

(घ) क्या ऐसे कोई आदेश हैं कि स्वतन्त्र देशों में मशीनरी के मूल्य से अधिक मूल्य वाली मशीनरी के आयात के औचित्य के बारे में वित्त मन्त्रालय को संतुष्ट कराना चाहिये ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) नये संयंत्रों के लिये मशीनों आदि के, जिनमें बिजली की मशीनें भी शामिल हैं आयात के आंकड़े अलग नहीं रखे जाते।

(ख) तथा (ग) : मुक्त विदेशी मुद्रा वाले देशों से आयातित मशीनें आदि के मूल्यों की वद्ध सहायता के स्रोतों अथवा रुपया भुगतान क्षेत्र वाले देशों से आयातित मशीनों आदि के मूल्यों से तुलना करना संभव नहीं है क्योंकि अधिकांश मशीनरी आर्डर देकर वांछनीय विशिष्टियों के अनुरूप बनवाई जाती है तथा तुलनात्मक मूल्य सम्बन्धी आधार सामग्री प्राप्य नहीं है।

(घ) तथा (ङ) : प्रश्न नहीं उठते।

स्कूटरों का निर्माण

1286. **श्री लोबो प्रभु : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री** 20 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4559 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को देखते हुए कि दो लाख से अधिक स्कूटरों के लिये नाम दर्ज किये जा चुके हैं, जब कि गत वर्ष केवल 30,000 स्कूटर बने थे इसके क्या कारण थे कि सरकार ने 1965 में मैसर्स बजाज आटो द्वारा निर्माण क्षमता बढ़ाकर 60,000 स्कूटर करने के लिये दिये गये आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर दिया था ;

(ख) अन्य कम्पनियों से ऐसे निर्माण के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ; और

(ग) चूंकि विदेशी मुद्रा और पूंजी व्यय में बचत होती, अतः इसके क्या कारण है कि एक नये कारखाने को सरकार ने लाइसेंस दे दिया है, जबकि वह वर्तमान कारखानों को विस्तार करने की अनुमति दे सकती थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : मेसर्स बजाज आटो द्वारा प्रस्तुत विस्तार योजना के अतिरिक्त निम्नलिखित तीन विद्यमान निर्माताओं ने भी अपनी विस्तार योजनाएं प्रस्तुत की हैं :–

क्र० सं०	निर्माता का नाम	विद्यमान लाइसेंस प्राप्त क्षमता (इकाइयें प्रति वर्ष)	विस्तारोपरान्त क्षमता जिसके लिए आवेदन किया गया है (इकाइयां प्रति वर्ष)
1	2	3	4
1.	मैसर्स आटोमोबाइल प्राडक्ट्स आफ इण्डिया लि० बम्बई	12000(स्कूटर जिनमें तीन पहियों के स्कूटर भी सम्मिलित हैं)।	स्कूटर 60,000 तीन पहियों वाले 10,000
2.	मैसर्स एन्फील्ड इण्डिया लि० मद्रास	6,000 स्कूटर	स्कूटर 60,000

3.	मैसर्स एस्कार्टस लिमिटेड, नई दिल्ली	6000(मोटरसाइकिल) इन्हें इस क्षमता के बीच स्कूटर निर्माण करने की अनुमति भी है	मोटर साइकिल तथा स्कूटर	60,000

इन विस्तार योजनाओं पर अन्य पार्टियों के जो कि नए उपक्रम स्थापित करने के इच्छुक हैं, आवेदनों के साथ विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया है कि वर्तमान एककों के विस्तार की अपेक्षा एक नए एकक को लाइसेंस दिया जाय क्योंकि एक तो समुचित आर्थिक क्षमता के नए एकक को लाइसेंस प्रदान करने से स्कूटरों के वर्तमान बिक्री मूल्य में कमी होने की आशा है और दूसरे यह कि विद्यमान निर्माता स्कूटरों की निरन्तर बढ़ती हुई मांग को स्वयं पूरा करने में समर्थ नहीं होगें।

केबलों का निर्माण

1287. श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966 में केबलों का निर्माण करने के लिये हिन्दुस्तान केबल्स 2 नामक परियोजना को मंजूरी दी गई थी और इसकी आधार शिला तत्कालीन मंत्री द्वारा रखी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) सरकार ने दिसम्बर, 1966 में हिन्दुस्तान केबल्स लि० का एक दूसरा कारखाना हैदराबाद में लगाने का निश्चय किया था और तत्कालीन उद्योग मन्त्री द्वारा इस की आधार शिला भी रखी गई थी। संचार मन्त्रालय द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त केबलों की मांग की पुनः जांच की जा रही है और सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने के लिए विनियोजनार्थ धन प्राप्ति का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

लद्दाख में सुहागे का भंडार

1288. श्री पे० वेंकटासुब्बया : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुहागों के भण्डारों का पता लगाने के लिये लद्दाख में खुदाई-कार्य किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख): लद्दाख में सोहागा पुगा घाटी में सतह पर पपड़ियों के रूप में (जिनकी मोटाई 3 से 60 सेन्टी मीटरों तक की होती है) पाया जाता है और इस कारण व्यधन की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा उपलभ्य राशियों के निर्धारण और निक्षेपों की पुनः पूर्ति के सम्बन्ध में अध्ययन किये जा रहे हैं। इनमें कुछ समय लगेगा।

आंध्र प्रदेश का सर्वेक्षण

1289. श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में भूमिगत जल की मात्रा का पता लगाने के लिए विस्तृत-भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख): जी, हां। भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा आन्ध्र प्रदेश में व्यवस्थित भूमिगत जल अध्ययन किये गये थे और अभी भी चल रहे हैं। इनमें विभिन्न क्षेत्रों और उप क्षेत्रों में भूमिगत जल प्रवृत्तियों के व्यवस्थित प्रादेशिक अध्ययनों पर बल दिया गया था।

आंध्र प्रदेश में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा 1967-68 के दौरान किये गये भूमिगत जल अन्वेषणों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

कुडप्पा जिले में (360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में), पश्चिम गोदावरी, गुन्टूर और कृष्णा जिलों में (6530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में), नलगोंडा जिले में (550 वर्ग किलोमीटर में), अनन्तपुर जिले में (1500 वर्ग किलोमीटर में) महबूब नगर में (1384 वर्ग किलोमीटर में) व्यवस्थित भूमिगत जल अध्ययन किये गये थे। नैल्लोर निजामाबाद, मेडक, कृष्णा, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम और हैदराबाद जिलों में अल्पावधि जल प्रदाय अन्वेषण किये गये थे।

नई रेलवे लाइनें

1290. श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिये सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने नई लाइनें बिछाने के कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सिकन्दराबाद से नडिकूडे तक एक नयी बड़ी लाइन बनाने के बारे में विचार करने तथा गुन्टूर-माचर्ला मीटर लाइन खण्ड की बड़ी लाइन में बदलने के लिए आवश्यक सर्वेक्षण करने के साथ साथ भद्राचलम-कोव्वूर रेल संपर्क के लिए पिछला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अध्ययन करने के आदेश दिये गये हैं।

बिमलगढ़ से तालचेर तक रेलवे लाइन

1291. श्री रवि राय :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवहन मन्त्री, श्री वी० के० आर० वी० राव ने उनसे अनुरोध किया है कि उड़ीसा में बिमलगढ़ से तालचेर तक प्रस्तावित रेलवे मार्ग की लम्बाई पुनः नापी जाये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यह कार्य कब पूरा हो जायेगा, उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : चूंकि इस क्षेत्र में फिलहाल लौह आयस्क के दोहन का कोई कार्यक्रम नहीं है और उपलब्ध धन भी सीमित है, इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बिमलगढ़-तालेचर लाइन के निर्माण पर विचार करना संभव नहीं है।

Foreign Trade Council

1292. **Shri Ramavtar Sharma :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government recognised the Foreign Trade Council ;

(b) if so, the functions of the said Council;

(c) whether Government have granied any facilities to the said Council; and

(d) if so, the details thereof;

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The Indian Council of Foreign Trade has been recognised as 'Approved Organisation' for assistance from the Marketing Development Fund.

(b) A statement showing the functions of the Council is given below.

Statement

The functions of the Indian Council of Foreign Trade are as follows :-

(a) To study-(i) the pattern of our international trade (ii) the effect of international trade on our industry agriculture, national resources and standard of living (iii) the incidance of tariffs on the national economy in general and Foreign trade in particular (iv) the trade agreements with different countries and (v) the possibility of developing the export trade with special reference to manufactured goods ;

(b) To collect and disseminate statistical and other information for promoting the objects of the Council;

(c) To take all steps which may be necessary for promoting, supporting or opposing legislation or other actions relating to the aforesaid interests by the Government or any department thereof and in general to take initiative to secure the objectives of the Council;

(d) To make suitable representations to National and International authorities through proper channels and take suitable measures on any matter affecting promotion of trade, commerce, manufacture, shipping, banking, insurance or other allied subjects;

(e) To organize, co-operate with and participate in national and international conferences and organizations, fairs, exhibitions etc;

(f) To advance and promote commercial and technical education;

(g) To organize, support and encourage exchange of industrial and commercial delegations to and from various countries from the Promotion of Trade;

(h) And, generally to do all directly or indirectly that might be necessary in the interest of realisation of the above objects of the Council.

(c) and (d) : The Government have released foreign exchange for the proposed visit of a six member delegation of the council to West Germany, Austria, U. K., Rumania and Yugoslavia for a period of 25 days. According to the information received from the Council, the delegations' visit has been postponed.

तैयार खाद्य पदार्थों का निर्यात

1293. श्री विश्वनाथ राय : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष तैयार खाद्य पदार्थों के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

जनवरी–सितम्बर, 1967 की तुलना में जनवरी–सितम्बर, 1968 में तैयार खाद्य पदार्थों का निर्यात।

वस्तु का नाम	निर्यात जनवरी-सितम्बर, 1968	जनवरी-सित०, 1967
	रु०	रु०
1. डिब्बाबन्द तथा बोतलों में बन्द फल एवं सब्जियां	98,48,451	62,24,411
2. अचार तथा चटनियां	50,55,549	34,47,212
3. बिस्कुट	35,56,050	26,09,024
4. मिठाइयां	3,64,138	1,99,129
5. कोको से बने उत्पाद	28,68,713	11,54,717

6.	मक्खन एवं घी	70,477	69,067
7.	कोका कोला साध्रण	31,08,846	9,854
8.	जमाया हुआ मांस तथा कुक्कुट-उत्पाद	2,94,059	1,24,200
9.	आइस-क्रीम तथा भारतीय मिठाइयां	85,566	13,024
10.	अन्य तैयार खाद्य पदार्थ	202,76,706	133,24,493
	योग	4,55,28,555	2,71,75,131

इस्पात की दुर्लभ किस्में

1294. श्री नारायण रेड्डी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्वीकार की गई इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अन्य उद्योगों की उचित आवश्यकताओं तथा हित को ध्यान में रखे बिना इस्पात की दुर्लभ किस्मों के कुल उत्पादन की 80 प्रतिशत मात्रा प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों तथा सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं द्वारा उपयोग किया जा रहा है, सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के विकास के व्यापक हित में उक्त अन्य उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किसी प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्रियान्विति के लिये बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना को कब आरम्भ किया जायेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क), (ख) और (ग) : अक्तूबर, 1968-मार्च 1969 की अवधि में दुर्लभ किस्मों के उत्पादन का 80 प्रतिशत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों उद्योग सम्मिलित हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग रख दिया गया है । ये आवंटन इस्पात प्राथमिकता समिति करती है जो कि उनकी आवश्यकताओं की तुलनात्मक अविलम्ब्यता को ध्यान में रखती है शेष 20 प्रतिशत स्टाकिस्टों अथवा निर्याताओं के गोदामों की मार्फत अन्य उद्योगों को दिया जाता है । जहां देशीय उत्पादन से मात्र उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है, वहां बिना रोक-टोक आयात-लाइसेंस दिये जाते है । सरकार ने आयात लाइसेंस देने के तरीके को भी आसान बना दिया है जिससे निवार्य देरी को खत्म किया जा सके ।

सरसों के साग का निर्यात

1295. श्री नारायण रेड्डी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सच है कि बिट्रेन सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से 25 लाख रुपए की कीमत का डिब्बों में बन्द सरसों का साग सप्लाई करने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस मांग को कहां तक पूरा करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार इस सुलभ विदेशी मुद्रा को अर्जित करने के लिए इस उत्पाद के निर्यात को जिस पर हमारा एकाधिकार है की संभावना का पता लगाने की वांछनीयता पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस उत्पाद के निर्यात को कैसे और किस वैज्ञानिक ढ़ंग से बढ़ावा दिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रूरकेला में पाइप बनाने का कारखाना

1296. श्री नारायण रेड्डी : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला में पाइप निर्माण कारखाने में पाइपों के निर्धारित क्षमता से कम उत्पादन होने का कारण तेल समवाय द्वारा तेल पाइप लाइनों की लम्बाई का ठीक अनुमान न लगाया जाना अथवा कारखाने में कार्य संचालन सम्बन्धी तथा तकनीकी कठिनाइयां हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस गलत अनुमान अथवा गलत आयोजन या कारखाने की आरम्भिक कठिनाइयों को कहां तक दूर कर दिया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) : तेल उद्योग तथा रसायन उद्योग की अधिक व्यास की नलों की बढ़ती हुई मांग को वाणिज्यिक स्तर पर मितव्ययी ढंग से पूरा करने के लिए राउरकेला स्थित पाइप संयंत्र लगाया गया था। अपर्याप्त मांग होने के कारण यह कारखाना निर्धारित क्षमता से कम क्षमता पर उत्पादन कर रहा था। अतः हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड निर्यात के आर्डर प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

इराक में भारतीय प्रशीतकों (रैफ्रिजेरेटरों) की मांग

1297. श्री नारायण रेड्डी : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इराक में घरेलू उपयोग के लिये भारतीय प्रशीतकों (रैफ्रिजेटरों) की काफी मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो इन के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने तथा इटली की जो इस समय इस मण्डी में अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न कर रहा है, कठोर प्रतियोगिता का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) अभी तक इराक में भारतीय प्रशीतकों की कोई उल्लेखनीय मांग नहीं है।

(ख) सरकार इस बात से अवगत है कि इराक के प्रशीतक बाजार में इटली तथा अन्य देशों का प्रमुख भाग है। फिर भी हमारे निर्यातक इस बाजार में अपना स्थान बनाने के लिये प्रयत्नशील हैं।

बगदाद स्थित हमारे राजदूतावास द्वारा इराक में घरेलू प्रशीतकों की बाजार संभाव्यताओं का सर्वेक्षण किया गया था और उसका इण्डियन ट्रेड जर्नल तथा इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद जैसे निकायों के माध्यम से प्रचार भी किया है। गत सितम्बर में जो इराकी प्रतिनिधिमंडल व्यापार वार्ताओं के लिये भारत आया था, उसे भी घरेलू प्रशीतकों का निर्यात करने की भारत की क्षमता से अवगत करा दिया गया है।

बहरीन के इमारती सामान का निर्यात

1298. श्री नारायण रेड्डी : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन और लक्समवर्ग द्वारा कड़ी प्रतियोगिता के बावजूद बहरीन को इमारती सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये काफी गुंजाइश है; और

(ख) यदि हां, तो इसके निर्यात को बढ़ावा देने तथा उक्त दो देशों का मुकाबला करने की प्रतियोगिता के लिये क्या ठोस उपाय किये गये हैं?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : जी हां। बहरीन को इमारती सामान का निर्यात बढ़ाने की गुंजाइश दिखाई देती है परन्तु प्रमुख्यतः ब्रिटेन और चीन से प्रतियोगिता है।

(ख) बहरीन में एक भारतीय प्रदर्शनकक्ष चल रहा है जो समय-समय पर भारतीय माल का बारी-बारी से प्रदर्शन करता है। बहरीन में एक भारतीय व्यापार अभिकर्ता भी है जो उस देश में भारत के व्यापारिक हितों की देखभाल करता है। वह समय-समय पर बहरीन की बाजार प्रवृत्तियों के बारे में सूचनाएं भेजता है और उन सूचनाओं पर निर्यात संवर्द्धन परिषदों और भारत में अन्य संबद्ध निकायों द्वारा सक्रिय कार्यवाही की जाती है। हाल ही में बहरीन के लिये नौवहन सेवा और बढ़ाई गई है ताकि भारत से बहरीन और अन्य खाड़ी-पत्तनों को माल का संचलन सुचारू हो जाये।

एल्यूमीनियम का निर्यात

1299. श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एल्यूमीनियम के निर्यात के लिये प्रतिवर्ष 30,000 मीट्रिक टन के निर्यात के लक्ष्य को वर्ष 1970-71 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये देश में एल्यूमीनियम के उत्पादकों की सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही की है, क्योंकि एल्यूमीनियम की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में हमारे देश में लागत काफी अधिक है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में 1966 से 1968 तक एल्यूमीनियम के निर्यात में क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, नहीं। 1970-71 वर्ष तक एल्यूमीनियम निर्यात करने के लिये कोई विशेष लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया है। तथापि, अलौह धातुओं सम्बन्धी आयोजना दल ने, जिसका गठन चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये आयोजनाओं/योजनाओं का प्रतिपादन करने के लिए किया गया था, अनुमान लगाया है कि 1973-74 तक एल्यूमिनियम के निर्यात की 50,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ जाने की संभावना है।

(ख) ऐसे एककों को, जिन्हें एल्यूमिनियम उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता के लिये हाल ही में औद्योगिक अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस दिये गये हैं, अपने अतिरिक्त उत्पादन का 10 प्रतिशत भाग निर्यात करना होता है। और भी, देश में एल्यूमिनियम की मांग में मन्दी होने के कारण सरकार ने उत्पादकों द्वारा एल्यूमिनियम के निर्यात को दिसम्बर, 1968 तक अन्तरिम उपाय के रूप में हाल ही में स्वीकार कर लिया है, जिसके पश्चात् स्थिति का पुनर्विलोकन किया जायेगा।

हाल ही में देश के दो बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों की ओर से एल्यूमिनियम के निर्यात के लिए राज सहायता देने की प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं, इस पर विचार हो रहा है।

(ग) 1965-66 से 1968-69 (जुलाई, 1968 तक) के दौरान निर्यात किये गये एल्यूमिनियम (मिश्र धातुओं सहित) की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिये जाते हैं :—

मात्रा मैट्रिक टनों में　　मूल्य हजार रुपयों में (अवमूल्यन के पश्चात् की दर से)

	1965-66		1966-67		1967-68		1968-69 (जुलाई 68 तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मिश्रित धातुएं और उत्पाद।	1137	4768	1495	5654	1952	8694	3445	13186

हांलाकि सरकारी आंकड़े जुलाई, 1968 के अन्त तक उपलब्ध हैं पर एल्यूमिनियम के दो बड़े उत्पादकों से यह अनौपचारिक तौर पर मालूम कर लिया गया है कि अप्रैल, 1968 के पश्चात् अधिकतर जुलाई, 1968 के पश्चात् से, उनके द्वारा लगभग 15,000 मैट्रिक टन का निर्यात किया गया है और इस वर्ष के अन्त तक 3,000 मैट्रिक टन के और निर्यात की संभावना है।

गैर-सरकारी विदेशी पूंजी निवेश के लिये प्रोत्साहन

1300. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आर्थिक विकास के लिये अति महत्वपूर्ण उद्योगों में गैर-सरकारी विदेशी पूंजी के निवेश को कुछ प्रोत्साहन देने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो किन किन उद्योगों में ऐसे प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है और किन किन उद्योगों के लिये ऐसे प्रोत्साहन पहले ही दिये हुए हैं;

(ग) प्रत्येक उद्योग को क्या क्या तथा किस किस प्रकार के प्रोत्साहन दिए हुए हैं, तथा क्या क्या और किस किस प्रकार के प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है; और

(घ) प्रत्येक उद्योग के लिये कितनी पूंजी के निवेश की अपेक्षा की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) त्वरित औद्योगिक वि ास के लिए स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों में विदेशी विनियोजन का सरकार स्वागत करती है। विदेशी विनियोजन को प्रोत्साहन देने के लिए अपनाये गये उपायों की गणना (अंग्रेजी) विवरण में प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2190/68]** । ये सुविधाएं समस्त विदेशी विनियोजकों को प्राप्त हैं। ये विशिष्ट प्रकार के उद्योगों से सम्बन्धित नहीं है।

प्रशुल्क आयोग के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

1301. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्यकारी दल ने प्रशुल्क आयोग के स्थान पर एक राष्ट्रीय आर्थिक आयोग की स्थापना करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उस दल ने अपनी सिफारिश के पक्ष में क्या-क्या मुख्य कारण बताये हैं; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) एक अनुबन्ध (अंग्रेजी में) है, जिसमें कार्यकारी दल के प्रतिवेदन से एक अंश दिया गया है, जिसमें इस दल द्वारा दिये गये कारणों का सारांश निहित है। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2191/68]**

(ग) कार्यकारी दल के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद प्रशासनिक सुधार आयोग ने आर्थिक प्रशासन पर अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि कुछ कार्यों को करने के लिये, जो अनुबन्ध 2 में (अंग्रेजी में) संलग्न दिखाये गये हैं, "राष्ट्रीय आर्थिक आयोग" के बजाय एक 'मूल्य लागत तथा टैरिफ आयोग" स्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2191/68]**

हल्दिया बन्दरगाह में मशीनें लगाना

1302. श्री बाबूराव पटेल : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोलैण्ड के उस दल के सदस्यों के नाम क्या हैं, जो हल्दिया बन्दरगाह में मशीनें लगाने में माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन की सहायता करेगा;

(ख) उस दल पर सरकार का कितना धन खर्च होगा तथा उसे क्या काम सौंपा गया है; और

(ग) क्या इस निगम का मार्ग-दर्शन करने के लिये भारतीय विशेषज्ञों की कमी है और यदि हां, तो क्या कुछ भारतीय विशेषज्ञों को इस काम में विदेशों में प्रशिक्षण लेने के लिये भेजने का कोई प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) पौलैंड के तीन विशेषज्ञ जो कि हल्दिया स्थित प्रपुंज सामग्री ढोने की परियोजना को चलाने में माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन की सहायता करेंगे के नाम निम्नलिखित है :—

1. श्री स्टेनिस्ला लेस्विक
2. श्री एल पावलिस्कू
3. श्री ई० गोनिट

(ख) इन विशेषज्ञों की सहायता खनन तथा सहायक मशीन निगम द्वारा हल्दिया बन्दरगाह पर कोयले तथा अन्य खनिज पदार्थ ढोने के लिए लगाए जाने वाले संयंत्र के नक्शे तथा सम्बद्ध नमूनों को अन्तिम रूप देने तथा उनमें उनके विशिष्ट ज्ञान का समावेश करने के लिए प्राप्त की गई है। इन विशेषज्ञों पर होने वाला व्यय लगभग 62,000 रुपये है।

(ग) हल्दिया में स्थापित होने वाला प्रस्तावित संयंत्र बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार का है और इसलिए उसे अन्तिम रूप देने और उसमें उनके विशिष्ट ज्ञान के समाविष्ट करने के लिए उनकी सहायता लेना आवश्यक समझा गया है। विशेषकर इस प्रकरण के लिए भारतीय इन्जीनियरों को प्रशिक्षणार्थ तुरन्त विदेश भेजने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है और एक ऐसा विषय है जिस पर भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा।

बोकारो इस्पात कारखाने के लिये रूसी विशेषज्ञ

1303. श्री बाबू राव पटेल : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने की निर्माण लागत को कम करने के उपायों का अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने सुझाव दिया है कि बोकारो में रूसी विशेषज्ञों की संख्या कम कर दी जाये और यदि हां, तो विशेषज्ञों की संख्या में कितनी कमी करने का सुझाव दिया गया है तथा इससे कितनी बचत होने की संभावना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रूस सरकार ने रूसी विशेषज्ञों की संख्या में कमी करने के अपने मंत्रालय के सुझाव को अस्वीकार कर दिया है; और

(ग) वर्तमान करार के अन्तर्गत कितने रूसी विशेषज्ञों को रखना होगा तथा उनके रखरखाव पर कुल कितनी वार्षिक लागत आयेगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) समिति ने अभी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) मेरे मंत्रालय ने सोवियत सरकार को कोई सुझाव नहीं दिया है कि बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण में सहायता करने के लिए भेजे जाने वाले रूसी विशेषज्ञों की संख्या में कमी की जाये।

(ग) बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण की देखभाल के लिए रूस से आने वाले विशेषज्ञों की अधिकाधिक संख्या 572 है। रूसी विशेषज्ञों के वेतन और भत्तों का वार्षिक खर्च भिन्न-भिन्न वर्ष का भिन्न-भिन्न होगा क्योंकि यह भारत में काम कर रहे विशेषज्ञों की वास्तविक संख्या पर निर्भर करेगा। 31 मार्च 1968 तक रूसी विशेषज्ञों के वेतन और भत्तों पर कुल 2.40 मिलियन रुपया खर्च हुआ था। इसके अलावा संगत करार के अन्तर्गत सोवियत विशेषज्ञों को सुसज्जित मकान और सामाजिक सुविधाएं जैसे क्लब की सुविधाएं आदि भी दी जाती हैं।

राजस्थान से पशुओं को रियायती दरों पर भेजना

1304 **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने उनके मंत्रालय से प्रार्थना की है कि पशुओं को राजस्थान से पड़ौसी राज्यों में रियायती दरों पर विशेष मामले के रूप में भेजने की अनुमति दी जाये ताकि उन्हें चारे के अकाल से बचाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रार्थना कब की गई थी;

(ग) क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है; यदि हां, तो क्या; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) गत सितम्बर के लगभग आखीर में मिली थी।

(ग) यह विनिश्चय किया गया था कि, विशेष मामले के रूपमें पशुओं को भेजने की सामान्य भाड़ा-दर में 20 प्रतिशत की रियायत दी जाय। यह रियायत बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर जिलों से भारत के किसी भी स्टेशन को बुकिंग के लिए होगी, परन्तु प्रेषक को सहायता-आयुक्त द्वारा दिया गया इस आशय का एक प्रमाण-पत्र देना होगा कि मवेशियों का संचलन अकाल-पीड़ित क्षेत्रों से किया जा रहा है और पशुओं को भुखमरी से बचाने के उद्देश्य से। यह रियायत 31 दिसम्बर, 1968 तक लागू रहेगी।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए, सवाल नहीं उठता।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

1305. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड वर्ष 1970 तक उस भारी घाटे को पूरा नहीं कर सकेगा जो इसे इस समय हो रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने नरम इस्पात तथा कच्चे लोहे के मूल्यों में और वृद्धि करने का सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रशासन में अधिक कार्य-कुशलता लाने के लिये भूतपूर्व मंत्री श्री रेड्डी द्वारा बनाई गई पुनर्गठन योजना को क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को पहले हुई कुल हानि को देखते हुये, यह कतई सम्भव नहीं है कि कम्पनी इस वर्ष और अगले वर्ष में उसको पूरा कर सकेगी ।

(ख) गत मूल्य वृद्धि की तारीख से, जिसकी घोषणा 31 जुलाई, 1968 को की गई थी, साधारण इस्पात और कच्चे लोहे की कीमतों में और वृद्धि करने के बारे में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पुनर्गठन की योजना को, जिसकी रूप-रेखा तत्कालीन इस्पात, खान और धातु मंत्री ने 20 मार्च 1968 को संसद में प्रस्तुत किये गये अपने वक्तव्य में दिया था, अंशतः क्रियान्वित कर दिया गया है और शेष को क्रियान्वित करने का काम हो रहा है ।

कपड़ा मिल

1306. श्री लोबो प्रभू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने कपड़ा मिल हैं तथा उनमें से कितने बन्द पड़े हैं;

(ख) गत दो वर्षों में कपास, मंजूरी तथा मूल्यों में औसतन (प्रतिशत) कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या उत्पादों की मांग में कमी का कारण ऊंचे मूल्य है और यदि हां तो कपास उत्पादकों तथा कारखाना मजूरों के हितों की रक्षा के लिये जनता के बड़े वर्ग के हितों की बलि चढ़ाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि श्रमिक कम वेतन तथा मुनाफे का कुछ भाग लेने को तैयार हैं, तो कारखानों को पुनः खोलने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) देश में कपड़ा मिलों की कुल संख्या 640 है जिनमें से 31 अक्तूबर, 1968 को 56 मिलें बन्द पड़ी थी ।

(ख) गत दो वर्षों में कपास, मजूरी तथा कपड़े के मूल्यों में औसत प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित रही है :—

मद	गत दो वर्षों में औसत वृद्धि
कपास	1966–67 के अधिकतम निर्धारित मूल्यों से 13 से 21 प्रतिशत अधिक
कपड़ा	
कोरी धोती तथा साड़ियों को छोड़कर नियंत्रित कपड़ा।	6.53 से 6.65 प्रतिशत तक
कोरी धोतियां तथा साड़ियां।	4.46 से 4.55 प्रतिशत तक
अनियंत्रित कपड़ा	2 से 28 प्रतिशत तक

(ग) मांग में कमी का कारण ऊंचे मूल्य नहीं है। जनता के हित की बलि चढ़ाए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

कच्चे रबड के मूल्य

1307. **श्री जनार्दनन :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ तैयार करने वालों के प्रतिनिधियों में हाल ही में उनसे दिल्ली में भेंट की थी और उन्होंने कच्चे रबड़ के मूल्यों में वृद्धि करने की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने प्राकृतिक रबड़ के विभिन्न ग्रेडों के लिये घोषित किये गये अधिकतम मूल्यों को हटाने का और साथ ही साथ आयात व्यवस्था के उपयुक्त संचालन द्वारा रबड़ के मूल्यों को विनियमित करने का भी निश्चय किया है। स्वदेशी प्राप्यता में प्रत्याशित कमी की सीमा तक आयात लाइसेंस जारी किये जायेंगे ताकि रबड़ के माल निर्मित करने वाले उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके परन्तु आयातित स्टाक में से वास्तविक निकासी तथा प्रयोग सरकार द्वारा विनियमित किया जायेगा।

Aluminium Factories

1308. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the total number of aluminium factories, Statewise, in the country in Public Sector and Private Sector separately:

(b) the rate at which electricity is supplied to aluminium factories in the States particularly those where President's rule has been imposed and the rate at which electricity is supplied for agricultural purposes in those States;

(c) whether any scheme has been formulated to reduce the difference between the two rates with a view to developing agriculture; and

(d) if so, the outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) At present all the aluminium factories in the country are in the private sector; their State-wise location is indicated below :—

Name of the Company	Location of the aluminium factory.
1. M/s. Indian Aluminium Company, Calcutta.	(i) Always (Kerala) (ii) Hirakund (Orissa) (iii) Belgaum (Mysore) (under construction)
2. M/s. Hindustan Aluminium Corporation Ltd. Bombay.	Renukoot (U. P.)
3. M/s. Madras Aluminium Co. Ltd. Coimbatore.	Mettur (Madras)
4. M/s. Aluminium Corporation of India Ltd., Calcutta.	Asansol (West Bengal).

The Bharat Aluminium Company Ltd., (a Central Government Undertaking) will be setting up two new aluminium factories-one at Korba (Madhya Pradesh) and the other at Koyna (Maharashtra).

(b) A statement showing the average rates at which electricity is supplied to aluminium factories and for agricultural purposes in the concerned States is laid on the table. **[Placed in Library, See No. LT-2192/68]**

(c)and(d) The load characteristics of these two types of industries are entirely different. In the case of aluminium industry, which comes under the category of electro-metallurgical industries, the maximum demand invariably runs in tens of thousands kilowatts. The voltage of supply is also of the order of 1,10,000 volts and above. Further, the load factor is usually of the order of 90%. The maximum demand of the agricultural consumer on the contrary is hardly of the order of 3 to 7 KW and for this purpose power supply is required to be arranged at 400 volts only. The load factor in this case usually varies from 10 to 15%, It would thus be seen that the load characteristics of such special industries avoid the cost of step-down transformation, reduce the transmission system and completely eliminate the cost of low voltage distribution system. As such the rates for these special industries and for agricultural purposes are not framed on comparable basis and it is rather difficult to think of reducing the difference in these two types of rates.

Government have, however, agreed to subsidise with effect from 1.4.1966, electricity rates for agricultural purposes to the extent such rates are in excess of 12 paise per unit. The expenditure on the payment of subsidy is shared 50-50 between the Central and the State Government concerned. The scheme has been sanctioned for a period of 3 years from 1966-67 and is administered by the Ministry of Food and Agriculture.

Conversion of M. G. Railway lines to B. G on South Central Railway

130?. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry had included the proposals of converting Kurduwadi-Latur Railway line into Metre Gauge and Manmad-Nanded railway line into Broad Gauge and laying a new railway line from Sholapur to Aurangabad in Maharashtra;

(b) whether the survey in respect of the aforesaid proposals has been completed; and

(c) if so, the expenditure involved in each of the said proposals ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Only a traffic appreciation for considering the need for conversion of the Manmad-Nanded M.G. section to B.G. has been undertaken and is in progress.

(c) Does not arise in view of the reply to part (a) above.

आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

1310. श्री मधु लिमये : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पिछले तीन वर्षों में कितने फर्मों के विरुद्ध आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) सरकार द्वारा की गयी जांच का क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख): अपेक्षित जानकारी 12 नवम्बर, 1968 को अतारांकित प्रश्न सं० 209 के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है ।

मार्टिन–बर्न प्रबन्धाधीन लाइट रेलवे का बन्द हो जाना

1311. श्री हिम्मतसिंहका : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
डा० रानेन सेन : **श्री हेम बरुआ :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गैर-सरकारी मार्टिन-बर्न रेलवे के बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में शीघ्र ही बन्द हो जाने के खतरे की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में उक्त कम्पनी से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) किन परिस्थितियों में रेलवे के बन्द हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस रेलवे का राष्ट्रीयकरण करने का है और यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) मार्टिन रेलवेज़ हैड आफिस स्टाफ यूनियन के नाम से रेल मंत्रालय को एक पत्र मिला है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि "मार्टिन लाइट रेलों के महा-प्रबन्धक ने 15 अक्टूबर, 1968 को कलकत्ता में एक प्रेस सम्मेलन में इस बात की धमकी दी कि वह पांचों रेलवे कम्पनियों को बन्द कर देंगे ।" इसके अलावा इस सम्बन्ध में रेल मंत्रालय को और कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में सरकार को कम्पनी से इसके सिवाय और कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि हाल में शाहदरा–सहारनपुर लाइट रेलवे में हुई तालाबन्दी के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी ने कहा था कि, "कम्पनी की कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रबन्धक लम्बे समय तक तालाबन्दी जारी नहीं रख सकते और अन्ततः शायद मजबूर होकर उन्हें अनिच्छापूर्वक रेलवे को हमेशा के लिए बन्द करना पड़े।" लेकिन शाहदरा–सहारनपुर लाइट रेलवे की तालाबन्दी समाप्त कर दी गयी है और इस रेलवे पर गाड़ियां फिर से चालू हो गयी हैं।

(घ) जी नहीं।

पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ यात्रा टिकट परीक्षकों की पदोन्नति

1312. **श्री गार्डिलिंगन गौड :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वरिष्ठ टिकट कलेक्टरों की वरिष्ठ यात्रा टिकट परीक्षकों के पदों पर अनियमित पदोन्नतियां किये जाने के कारण पश्चिम रेलवे के टिकट परीक्षक कर्मचारियों में बहुत असन्तोष है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कुछ टिकट जांच कर्मचारियों ने वरिष्ठ चल टिकट परीक्षकों के रूप में वरिष्ठ टिकट कलेक्टरों की पदोन्नति किये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

जोनल रेलों में तांबा चढ़े तार

1313. **श्री गार्डिलिंगन गौड :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोनल रेलों के विभिन्न डिपुओं में भारी मात्रा में आयातित तांबा चढ़े तार पड़े हैं, जिनका उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ग) विभिन्न जोनल रेलों में पड़े तांबा चढ़े तारों की कुल मात्रा कितनी है तथा उन पर कितना धन खर्च हुआ है; और

(घ) उनका उपयोग करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : सवाल नहीं उठता।

Harijan Employees in Northern Railway.

1314. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether he is aware that the Prime Minister has received a complaint from the members of Parliament against the Divisional superintendent of Lucknow on the Northern Railway for treating Harijan employees as untouchables and victimising them through discriminatory treatment ;

(b) if so, his reaction thereto; and

(c) whether Government purpose to proceed against the said officer under the prevention of untouchability act after instituting an enquiry into the matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No, sir : However, a reference was made by an hon'ble member of this House to the Prime Minister regarding allotment of Railway quarters to scheduled caste employees of the divisional suprintendent's Office, Lucknow.

(b) and (c) Do not arise.

Non-Payment of House Tax by Eastern Railway for Patna Railway Station

1315. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that house tax has not been paid to the Patna Municipal corporation by the Eastern Railway for Patna Railway station for the past several years;

(b) if so, for how many years and the amount outstanding ;

(c) whether it is also a fact that Patna Municipal Corporation has filed a suit against the Railway to recover the arrears; and

(d) if so, the reaction of Government in regard there to and the action propo.ed to be taken to pay the outstanding amount of tax ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) : As against Rs. 2,50,2 8.22 payable to the Corporation from 1-4-1937, to 30-9-1968, The Eastern Railway have already paid amounts aggregating Rs. 2,26,097.25 from time to time upto 23.3.1961. As the claims of the Corporation were not framed according to rules, at the instance of the Railway a meeting with the Corporation's representatives was convened on 31.10. 1968 in which it was decided that the Railway would provisionally pay the balance amount of Rs. 24,180.97 due upto 30·9.1968 and that the outstanding points will be settled after a joint inspection. Arrangements are being made by the Railway to make the provisional payment.

(c) Not to the knowledge of the Railways, as no summons have been received by the Railway.

(d) Does not arise in view of the reply to **(a)**, (b) & (c) above.

Luckeesarai Accident

1316. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of persons killed in the Railway accident which took place at Luckeesarai Railway Station of Eastern Railway on occasion of Durgapuja in 1966;

(b) the number of families of those killed to whom compensation has been paid by the Railway administration;

(c) whether it is a fact that compensation has not so far been paid to the families of two persons of Kasargaon, i.e. Shri Bijnath Mahato and Rita Kumari, who were Killed in the said accident ; and

(d) if so, the time by which Government propose to take action for expending payment of compensation to the families of those killed in the said accident ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) In the incident which occured at Luckeesarai station on 24-10-66, 32 persons were killed.

(b) (c) and **(d) :** No compensation is payable in these cases by the Railway adminis tration.

नाइलोन धागे का रक्षित भंडार

1317. **श्री सीताराम केसरी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नाइलोन धागे का रक्षित भंडार बनाने का है;

(ख) यदि हां तो इस प्रयोजन के लिये कितनी मात्रा निश्चित की गई है ; और

(ग) देश की धागे की आवश्यकता कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वर्तमान संकेत के अनुसार अनुमान है कि वार्षिक आवश्यकता एक करोड़ किलो ग्राम होगी ।

पूर्वी भारत में कच्चे माल की कमी

1318. **श्री सीताराम केसरी :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिलेट नरम इस्पात तथा घटिया मिश्रित इस्पात जैसे कच्चे माल की कमी के कारण पूर्वी भारत के इन्जीनियरी एककों में संकट है; और

(ख) यदि हां, तो पर्याप्त मात्रा में ऐसे कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) इस समय बिलेट की कुछ कमी है । संयुक्त संयंत्र समिति दूसरी बातों के साथ साथ निर्यात की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर सामयिक वितरण का तरीका निकाल रही है । अधिक पतली चादरों के जिनकी सप्लाई कम है, वितरण का तरीका पहले से विद्यमान है । संयुक्त संयंत्र समिति माल का अन्तिम उपयोग, उपलब्धि, निर्यात की आवश्यकतायें, और संतुलित औद्योगिक विकास जैसी सभी संबंधित बातों को ध्यान में रख कर उपलब्ध मात्रा का समुचित वितरण करती है । जहां तक मिश्र-इस्पात का सम्बन्ध है, जिस हद तक वे देश में उपलब्ध नहीं है उनके आयात की अनुमति दे दी जाती है । सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है

कि उपरिलिखित माल की कमी के कारण पूर्वी भारत के इंजीनियरी उद्योगों में कोई संकट आ गया है।

रंग तथा रोगन का उत्पादन

1319. श्री सीताराम केसरी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने से तारपीन के तेल की सप्लाई के बन्द हो जाने के कारण रंग तथा रोगन का उत्पादन करने वाले कई कारखानों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) सप्लाई के बन्द हो जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) पर्याप्त मात्रा में सप्लाई को सनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग): संगठित क्षेत्र के 17 रंग उत्पादकों में से केवल दो उत्पादकों ने तारपीन के तेल की अपर्याप्त संभरण अन्य कठिनाई की सूचना दी है। क्योंकि तेल कम्पनियां उनकी मांगों का संभरण करने की स्थिति में नहीं थी। रंग वार्निश तथा इनेमिल के उत्पादन में अप्रैल सन् 1968 से कोई गम्भीर गिरावट नहीं आई है।

पश्चिमी क्षेत्र के इंडियन पेन्टस एसोसियेशन ने तारपीन के तेल की अपर्याप्तता की कठिनाई से सरकार को अवगत कराया था। इन मामलों पर तेलों-प्रक्षालकों तथा रंगलेपों की विकास परिषद की रंगलेपों की नामिका की आगामी बैठक में विचार किया जायगा, जिससे इन मामलों में समुचित कार्यवाही के लिए सुझाव मिल सकेंगे।

यूगोस्लेविया के साथ व्यापार करार

1320. श्री रा० कृ० सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में भारत और यूगोस्लेविया के बीच व्यापार करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस करार में क्या क्या वस्तुएं शामिल हैं; और

(ग) कितना व्यापार होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नही। 13 अक्तूबर, 1962 को यूगोस्लाविया के साथ किया गया व्यापार करार आरम्भ में 31 दिसम्बर, 1967 तक वैद्य था जो बाद में 21 नवम्बर, 1967 को दोनों पक्षों में पत्र-विनिमय के माध्यम से 1968 के अन्त तक बढ़ाया गया।

(ख) **तथा** (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

पन्ना खानों की ग्राधुनिकीकरण

1321. श्री रा० कृ० सिंह : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पन्ना खानों से हीरों के निर्यात द्वारा अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है, यदि उन्हें आधुनिक ढंग से चलाया जायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन खानों के आधुनिकीकरण के लिये कोई योजनायें बनाई गई हैं; और

(ग) उन की कार्यान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) और (ख): पन्ना खानों से उत्पादित हीरे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा सीधे निर्यात नहीं किये जाते परन्तु वह देश में ही नीलाम किये जाते हैं। खानों का आधुनिक ढंग से निर्माण किया जा रहा है।

(ग) मभगावन में हीरों का उत्पादन बढ़ाने के लिये एक अभिक्रिया संयंत्र लगाया जा रहा है और इसे जल्द ही चालू किया जायेगा।

ग्रौद्योगिक सर्वेक्षण सेल, दिल्ली

1322. श्री शिव पूजन शास्त्री : क्या ग्रौद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) 1966, 1967 ग्रौर 1968 के दौरान दिल्ली प्रशासन के उद्योग निदेशालय के अद्योगिक सर्वेक्षण सेल ने कितने सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रकाशित किये ;

(ख) 1968 में प्रकाशित ऐसे औद्योगिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनों की संख्या क्या है जिनके बारे में 1965 से पूर्व सर्वेक्षण किया गया था और इन को विलम्ब से प्रकाशित करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन दिल्ली को जो औद्योगिक सर्वेक्षण कार्य सौंपा गया है उस ग्रेड-2 (कार्यपालिका) के कर्मचारियों की अपेक्षा अनुसचिवीय कर्मचारियों द्वारा अच्छे ढंग से किया जा सकता था ?

ग्रौद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन ग्रली ग्रहमद) : (क) अब तक इस औद्योगिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रकाशित हुए हैं।

(ख) सन् 1965 से पूर्व दिल्ली का औद्योगिक सर्वेक्षण सन् 1950-51 में किया गया था। और इनको विलम्ब से प्रकाशित करने के क्या कारण है; और

(ग) जी, नहीं।

जापान को लौह ग्रयस्क का निर्यात

1323. श्री भोला नाथ मास्टर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1960 में सरकार ने जापान को लोह अयस्क सप्लाई करने के लिए कोई समझौता किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन खानों के नाम क्या हैं, जहां से लोह अयस्क निर्यात करने का विचार है और क्या लोह अयस्क उक्त समझौते के अनुसार सप्लाई किया गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा के रुप में कितनी हानि हुई है; और

(घ) क्या यह सच है कि उक्त समझौते के परिणाम स्वरूप भारत को लाभ के स्थान हानि उठानी पड़ रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : जी, हां। 1966 के मध्य से प्रति वर्ष 40 लाख टन बेलाडीला लौह अयस्क की सप्लाई हेतु जापान की इस्पात मिलों के साथ मार्च, 1960 में एक समझौता किया गया था। किन्तु प्रारम्भिक सप्लाई 1967 के मध्य से ही प्रारंभ की जा सकी, क्योंकि विद्युत की प्रचुर व्यवस्था तथा स्क्रीनिंग संयंत्र के क्लासीफायरो के खराब हो जाने के कारण यंत्र चालित खानों में कार्य आरंभ नहीं किया जा सका। उत्पादन अब तेज हो रहा है तथा खान की निर्धारित क्षमता 1969-70 के भीतर पहुंचने की आशा है।

(ग) तथा (घ) : निर्यात में जितनी कमी आई है उतना ही संबद्ध वर्षों में अर्जित विदेशी मुद्रा पर प्रभाव पड़ा है। चूकि यह समझौता दीर्घावधि सप्लाई के लिये है, अतः विदेशी मुद्रा की कोई ऐसी हानि नहीं हुई है जिसे पूरा न किया जा सके।

Damage to Tea Plantations due to floods

1324. Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) wheter it is a fact that extensive damage has been caused to plantation in West Bengal due to heavy rains and floods;

(b) whether Government have estimated the damage; and

(c) if so, whether Government propose to provide some assistance to the tea industry ?

The Deputy Minister in the Ministery of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes, Sir.

(b)and (c) On the basis of preliminary reports received from the tea industry, the estimated loss is of the order of Rs. 1 crore. The nature and quantum of assistance to be given to the affected tea estates is under examination in consultation with the Tea Board and the Plantation Associations.

Industries in the Private Sector

1325. Shri Ram Avtar Sharma Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been invited to the statement made by Shri S.K. Patil, former Minister of Railways in Ahmedabad on the 13th October, 1968

wherein he has criticised the restrictions imposed by Central Government on the industries being set up by the private sector in the States;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the steps being taken by Government to provide incentives for setting up of industries in private sector in various parts of the country

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed): (a) Yes, Sir.

(b) There has been on charge in the industrial policy as laid down in the Industrial Policy Resolution of 1956 acoording to which "industrial undertakings in the private sector have necessarily to fit into the framework of the social and economic policy of the State, subject to the control and regulations in terms of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, and other relevant legislations".

(c) It is primarily for the states to create conditions and to provide facilities conducive to investments in industrial ventures in the private sector. Among the incentives offered may be mentioned development of industrial sites and construction of factory sheds and recovery of the cost thereof in easy instalments, supply of credit at concessional rates of interest, assistance in Procurement of scarce raw materials etc.

Import of Tractors from U.S.S.R.

1326. Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Nathu Ram Ahirwar :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the tractors from U.S.S.R. are imported by the private sector ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to entrust this work to the State Trading Corporation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Agricultural tractors from U. S. S. R. are being imported through the State Trading Corporation and distributed to bonafide agriculturists under a scheme which is subject to an overall supervision by the State Trading Corporation.

(b) and (c): Do not arise.

उदार बनाई गई लाइसेंस नीति

1327. श्री जो० ना० हजारिका : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदार लाइसेंस नीति के अन्तर्गत औद्योगिक नीति संकल्प की अनुसूची 'ए' के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के लिये आरक्षित क्षेत्रों में विवधिकरण की अनुमति नहीं दी जायेगी :

(ख) यदि हां, तो क्या इस का अर्थ यह है कि उद्योगों को अपरिवर्तनीय वर्गों में रख दिया जायेगा और विभिन्न वर्गों में परस्पर परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होगी; और

(ग) क्या इस उदार विवधि रण के कारण लोहा तथा इस्पात, खनिजों तथा खनिज तेलों सहित गैर-सरकारी एककों के विस्तार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां। उदार औद्योगिक लाइसेंस नीति के अन्तर्गत औद्योगिक नीति संकल्प 1966 की अनुसूची ए' के अधीन सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों में विविधता लाने की अनुमति नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) : यदि राष्ट्रीय हितों में आवश्यक हो तो इस समय विद्यमान गैर सरकारी क्षेत्रों के एककों की विस्तार सम्बन्धी वर्तमान नीति में कोई परिवर्तन करना इसमें निहित नहीं है। औद्योगिक लाइसेंस नीति संकल्प की अनुसूची 'ए' में दर्ज किए गए उद्योगों जिनमें लोहा तथा इस्पात, खनिजों तथा खनिज तेलों के उत्पादन में रत वर्तमान एककों के विस्तार करने के प्रस्तावों पर सरकार द्वारा अभी गुणों के आधार पर विचार किया जायेगा। ऐसे एककों की लाइसेंस की स्वीकृति के पश्चात ही विस्तार की अनुमति दी जायेगी। अतः सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में विविधीकरण पर प्रतिबन्ध लगाना इसका निहितार्थ यह नहीं है कि इन उद्योगों को पूर्णतः पृथक रखा जायेगा या विभिन्न कोटियो में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कोई अवकाश ही नहीं होगा और विद्यमान गैर-सरकारी एककों में जहां विस्तार करना न्यायोचित है वहां भी यह कुप्रभावी ढंग से लागू नहीं होगा।

Water drain near Banda Station

1328. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the deep water drain situated within the railway boundary in front of Banda Junction Station of the Central Railway belongs to Railways or to Banda Municipality ;

(b) the basis on which shops have been constructed over that drain :

(c) the name of the authority or the person who owns those shops or who charges rent therefor or who earns profit from them :

(d) whether it is a fact that filth has accumulated around the said drain to such an extent that it has become difficult for the persons living in railway quarters situated along that drain to live there; and

(e) the authority responsible for the cleanliness of that drain ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) Except for the portion under the Banda Municipal Road, the deep water drain belongs to the Central Railway.

(b) The shops are located within the Municipal land.

(c) Since the shops are not situated on the railway land, the relevant details are not available with the Railway Administration.

(d) The drain falling within the railway area is cleaned periodically.

(e) The Railway is responsible for the cleanliness of the drain falling in the Railway's jurisdiction.

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

1329. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जुलाई, 1965 से जुलाई 1967 तक खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा कुल कितना मैंगनीज अयस्क निर्यात किया गया;

(ख) इस अवधि में अमरीका तथा जापान को कितना निर्यात किया गया;

(ग) क्या किसी विवाद के कारण कोई निर्यात करार अधूरे पड़े हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन निर्यात करारों में नमूने के बारे में कोई विवाद है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) 35,09,280 मे० टन।

(ख) सं० रा० अमेरिका 5,60,006 मे० टन।
जापान 19,53,557 मे० टन।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के चैयरमैन को यात्रा भत्ता

1330. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1967-68 की अवधि में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के चैयरमैन को यात्रा भत्ता के रुप में कुल कितनी राशि, माहवार दी गई;

(ख) इस अवधि में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के चेयरमैन के कर्मचारी वर्ग को यात्रा भत्ता के रुप में हर माह कुल कितनी राशि दी गयी : और

(ग) इसी अवधि में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के चेयरमैन के कार-ड्राइवर तथा अन्य अराजपत्रित-कर्मचारियों को महावार यात्रा-भत्ता तथा समयोपरि-भत्ते की कुल कितनी राशि दी गयी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) वर्ष 1967-68 में अध्यक्ष (तथा उपाध्यक्ष जब अध्यक्ष नहीं था) के यात्रा के ऊपर हुआ औसत मासिक व्यय, जिसमें विदेश यात्रा भी शामिल है, 2209 रुपये बैठता है।

(ख) अध्यक्ष के निजी कर्मचारी वर्ग का यात्रा भत्ते के रुप में औसत मासिक व्यय 27 रुपये है।

(ग) अध्यक्ष के साथ काम करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों और ड्राइवर के समयोपरि भत्ते का औसत मासिक व्यय 181 रुपये है।

भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड

1331. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967 में भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक ने, यह सुनिचित किये बिना कि मुख्य अभियन्ता जिसका कार्यालय कोरबा में स्थित है, वहां है अथवा नहीं, मुख्य अभियन्ता से बातचीत करने के लिए कोरबा स्थित परियोजना का दौरा किया था, और फिर उन्हें बिना बातचीत पूरी किये ही नई दिल्ली वापस आना पड़ा, तथा उनकी यात्रा पर जो धन खर्च हुआ उसे बचाया जा सकता था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उच्च अधिकारियों के दौरों के लिये कोई पूर्व शर्त लगाने तथा मानदण्ड निर्धारित करने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नेपाल के साथ व्यापार

1332. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965, 1966 और 1967 में नेपाल से किन किन वस्तुओं का आयात किया गया और किन किन वस्तुओं का नेपाल को निर्यात किया गया और उनका कितनी मात्रा में आयात तथा निर्यात किया गया ;

(ख) इस अवधि में नेपाल से कितना तथा कितने मूल्य का पटसन आयात किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में नेपाली पटसन भारत नहीं आ रहा है और चीन को निर्यात किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण (अंग्रेजी में) है जिसमें 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 के वर्षों में नेपाल से किये गये आयात तथा उसको किये गये निर्यात का वस्तुवार ब्योरा दिया गया है। **[पुस्तकालय में में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2193/68]**

(ख) प्रश्न में पूछी गई अवधि में नेपाल से भारत में 274 लाख रुपये के 17,195 टन कच्चे पटसन का आयात किया गया था।

(ग) चालू वर्ष (1968-69) के पहले चार महीनों में, जिनके लिये आंकड़े इस समय उपलब्ध है, नेपाल से भारत में 488 टन कच्चा पटसन आयात किया गया था। हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार अप्रैल-सितम्बर, 1968 की अवधि में कलकत्ता के पत्तन के जरिये नेपाल से चीन को कोई कच्चा पटसन निर्यात नहीं किया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में दिये गये औद्योगिक विकास ऋण

1333. श्री जुगल मंडल : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5949 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार को दिये गए औद्योगिक विकास ऋण के बारे में सूचना एकत्रित कर ली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय–कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बिहार सरकार से सूचना मांगी गई है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

व्यापार सलाहकार परिषद

1334. श्री जुगल मंडल : क्या **वाणिज्य** मंत्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 392 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय की किसी अन्य समिति में शामिल किये गये सदस्यों के बारे में जानकारी अब प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और वे कितने समय तक सदस्य रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) व्यापार सलाहाकर परिषद् के उन सदस्यों के विषय में, जो मंत्रालय की अन्य समितियों आदि में नाम से अथवा पद के आधार पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जानकारी तथा वे तारीखें, जब से वे इस प्रकार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, विवरण (अंग्रेजी) में दी जाती है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2194/68]**

मोटर गाड़ियों के मूल्य

1336. श्री हिम्मतसिंह का :
श्री सु० कु० तापडिया :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशुल्क आयोग ने हाल में भारत में बनी मोटरगाड़ियों, विशेषकर कारों के मूल्य में कुछ वृद्धि करने की सिफारिश की है,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रशुल्क आयोग की क्या विशिष्ट सिफारिशें है और आयोग द्वारा अपनी सिफारिशों के समर्थन में क्या कारण दिये गये हैं; और

(ग) फ्रांस, इटली, पश्चिमी जर्मनी तथा अमरीका जैसे अन्य देशों में बनी मोटर-गाड़ियों के मूल्यों की तुलना में भारत में बनी विभिन्न प्रकार की मोटर-गाड़ियों के मूल्य कितने हैं।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : मोटर गाड़ियों के उचित विक्रय मूल्य नियत करने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का हाल ही में प्राप्त हुआ प्रतिवेदन विचाराधीन है। आयोग की सिफारिशों की जांच के पूरे होने तथा सरकारी निर्णय के होने तक प्रतिवेदन की अन्तर्वस्तु को प्रकट नहीं किया जा सकता।

(ग) विदेशों में निर्मित विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियों के उत्पादन मूल्य के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है। सामान्य रूप से यह कथितव्य है कि भारत में निर्मित मोटर गाड़ियों का उत्पादन मूल्य उसी प्रकार की विदेशी गाड़ियों के मूल्य से अधिक है।

रेलवे द्वारा राजस्थान को चारे की ढुलाई

1337. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा पंजाब तथा अन्य राज्यों से राजस्थान को अब तक कितना चारा ले जाया गया है ;

(ख) क्या रेलवे ने चारे की ढुलाई के लिये कोई रियायत दी है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या राजस्थान सरकार से उस राज्य को चारा ले जाने के लिये माल डिब्बों की कमी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं ; और

(ङ) यदि हां तो क्या इस मामले की जांच की गई है और इस समय स्थिति क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) राजस्थान के सूखाग्रस्त जिलों में स्थित स्टेशनों को जाने वाला चारा केवल उत्तर, मध्य और पश्चिम रेलों के स्टेशनों से ही भेजा जा रहा है। एक सितम्बर, 1968 से 10 नवम्बर, 1968 तक की अवधि में इन रेलों से राजस्थान के सूखाग्रस्त स्टेशनों के लिए बड़ी लाइन के 346 और मीटर लाइन के 3378 माल डिब्बे चारे से लादे गये थे।

(ख) जी हां।

(ग) जैसाकि राजस्थान सरकार ने अनुरोध किया था, उत्तर, पश्चिम और मध्य रेलों के बहुत से स्टेशनों से राजस्थान के अकाल से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित स्टेशनों को भेजने के लिए चारे की अकाल रियायती दरें लागू कर दी गयी हैं। रियायती दर बड़ी लाइन के प्रति चौपहिया माल डिब्बे के लिए 14 पैसे प्रति किलोमीटर है, लेकिन कम से कम प्रभार 10 रुपये प्रति माल डिब्बा है, और मीटर लाइन के प्रति चौपहिया माल डिब्बे के लिए 9.5 पैसे प्रति किलोमीटर है, लेकिन कम से कम प्रभार 5 रुपये प्रति माल डिब्बा है।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) सवाल नहीं उठता ।

इस्पात का निर्यात

1338. **श्री क० हाल्दर :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात निर्यात का और ऊंचा लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ख) निर्यात गृहों के नाम क्या है ; तथा किन-किन तैयार वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

मैसर्स अमींचन्द प्यारेलाल

1339. **श्री जुगल मंडल :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री 23 जुलाई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो स्थापित की गई नई फर्मों के नाम क्या है ; और

(ग) मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल को नई फर्मों की स्थापना करने की अनुमति देने के क्या कारण थे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जस्टिस ए० के० सरकार की अध्यक्षता में 12 सितम्बर, 1966 को करायी गई जांच के बाद मैसर्स अमींचन्द प्यारेलाल ने किसी कम्पनी का पंजीयन नहीं कराया है । चूंकि भारतीय साझादारी अधिनियम, 1932 के अन्तर्गत फर्मों का पंजीयन सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है अतः इस मामले में उनसे पूछा गया है और उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है ।

गैर-सरकारी वित्तीय कम्पनियां

1340. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 519 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी वित्तीय कम्पनियों के विरुद्ध मामलों के बारे में इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्री मान् ।

(ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 2195/68]**

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Posts of Diesel Assistants in Moradabad Division.

1341. Shri Shiv Kumur Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Ramavtar Sharma :

Will the Minister of **Railways** be Pleased to state :

(a) Whether it is a fact that 182 posts of Diesel Assistants were created in Moradabad Division sometime back ;

(b) Whether it is also a fact that some of the candidates were not appointed to these posts despite the fact that they were Matriculate, had received Diesel training and had appeared in the interview ; and

(c) if so, the reasons therefor and the time by which these Matriculate and Diesel trained employees are likely to be appointed to the posts to which they are entitled ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) (a) yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

Diesel Training For Firemen

1342. Shri Shiv Kumar Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Ramavtar Sharma :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Railway Board had decided in 1958 that only High School passed Firemen should be sent for Diesel Training from the steam side ;

(b) Whether it is also a fact that the General Manager of the Northern Railway had also taken a similar decision in 1961 and 1966 ;

(c) whether it is also a fact that illiterate firemen have been sent for Diesel Training without any interview and without keeping in view the seniority contrary to this decision ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

तालचेर उद्योग समूह

1343. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से प्रार्थना की है कि वह तालचेर उद्योग समूह को चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजना के रूप में अपने नियन्त्रण में ले;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र को तालचेर उद्योग समूह के अतिरिक्त किन्हीं अन्य परियोजनाओं को भी अपने नियन्त्रण में लेने के लिये प्रार्थना की है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र को किन-किन परियोजनाओं को अपने नियन्त्रण में लेने की प्रार्थना की गई है;

(घ) क्या सरकार ने उड़ीसा सरकार की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ): उड़ीसा सरकार ने तालचेर औद्योगिक समूह को केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजना के रूप में अपने नियंत्रण में लेने के लिए कोई विशिष्ट निवेदन नहीं किया है। परियोजना में वित्तीय सहयोग देने के बारे में राज्य सरकार से एक सुझाव प्राप्त हुआ था। यह विचाराधीन है।

तालचेर औद्योगिक समूह के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां

1344. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उड़ीसा राज्य में कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का प्रस्ताव है और वे कहां कहां स्थापित की जायेंगी; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के लिये कितनी धन राशि नियत करने का विचार है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) नौ।

(ख) कटक, राउरकेला, टेलची, सन्नावेडु और प्रदीप में पांच नई औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का प्रस्ताव है। कटक और राउरकेला की दो विद्यमान औद्योगिक बस्तियों का विस्तार भी किया जायेगा।

(ग) ऊपर निर्देशित औद्योगिक बस्तियों के लिए राज्य सरकार का 83.70 लाख रुपये की धनराशि नियत करने का प्रस्ताव है ।

डंकन्स ब्रदर्स लिमिटेड, कलकत्ता

1345. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की फर्म डंकन्स ब्रदर्स लिमिटेड, बाजोरिया बन्धुओं से शेयर खरीद कर कानपुर की फर्म बी० आई० सी० पर नियन्त्रण करने का प्रयत्न कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है तथा बी० आई० सी० का नियन्त्रण कब तक अपने हाथ में लेने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उपलब्ध सूचना से यह संकेत नहीं मिलता कि बजौरियों ने अपने बृटिश इण्डिया कारपोरेशन के हिस्से, डंकन्स ब्रादर्स लिमिटेड को बेचने की बातचीत कर ली है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डंकन्स ब्रदर्स लिमिटेड, कलकत्ता

1346. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स डंकन्स ब्रदर्स लिमिटेड, कलकत्ता ने मैसर्स बालमेर लारी एंड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध में नियंत्रक अंश खरीद लिये है;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों तथा निबंधनों पर; और

(ग) क्या इस मामले में सरकार की अनुमति प्राप्त की गई थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग): कम्पनी विधि बोर्ड ने, 21 सितम्बर, 1968 को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 372 (4) के अन्तर्गत, मैसर्स डंकन्स ब्रादर्स लिमिटेड कलकत्ता को, मैसर्स बालमेर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड के 63,000 इक्विटी हिस्सों में नियोजन का अनुमोदन किया था, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :–

कम्पनी का नाम	हिस्सों की संख्या	प्रति हिस्सा दर
मैसर्स अलैक्स लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, यू० के० ।	38,625	100 रु०
मैसर्स नान्सी एम० डाले यु० के०	1,050	100 "
मैसर्स जयपुर इनवैस्टमैंट कम्पनी लिमिटेड	14,200	168 "

मैसर्स एस० जी० इन्जीनियरिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	5,000	168 ,,
मैसर्स वागला एण्ड कम्पनी स्टाक एण्ड शेयर ब्रोकर्स, कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज।	4,125	160 ,,

2. निम्नलिखित शर्तों के आधार पर अनुमोदन किया गया था :–

(1) जहां विदेशी मुद्रा के विप्रेषण का व्यय है, भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) उपरोक्त हिस्से, आदेश की तिथि से, 6 मास की अवधि के अन्दर खरीद लिये जायेंगे।

(3) पुनः, यह भी जानकारी नहीं है कि कम्पनी ने वास्तव में, कथित हिस्से खरीद लिये हैं।

इंजिन ड्राईवर

1347. श्री बसुमतारी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष की ग्यारह बड़ी दुर्घटनाओं में से नौ में ड्राइवरों ने सिगनल की परवाह नहीं की और कुछ मामलों में वे शराब के नशे में थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत से इंजिनों में लगे स्पीडोमीटर तथा रिकार्डर और ब्रेक व्यवस्था दोषपूर्ण थी;

(ग) दोषी पाये गये ड्राईवरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इंजिनों को चलाने से पहले उनके स्पीडोमीटरों और ब्रेकों कों चैक नहीं किया जाता ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय उन बड़ी टक्करों से है जो चालू वर्ष की पहली छःमाही में हुई। रेल संरक्षा के आयोग की प्रारम्भिक रिपोटों के अनुसार ऐसी 9 टक्करें ड्राइवरों द्वारा सिगनलों की अवहेलना करने के कारण हुई। इनमें से दो मामलों में ऐसा संदेह है कि ड्राइवर शराब के नशे में थे।

(ख) इनमें से केवल एक मामले में स्पीडोमीटर खराब पाया गया। एक दुर्घटना के कारणों में अपर्याप्त ब्रेक क्षमता भी एक पूरक कारण था।

(ग) अन्तिम रिपोर्ट मिलने पर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

(घ) जी नहीं।

मारीपत और दादरी स्टेशनों के बीच सवारी गाड़ी में आग लगना

1348. श्री बसुमतारी : क्या रेलवे मंत्री 7 सितम्बर, 1968 को उत्तरी रेलवे के मारीपत और दादरी स्टेशनों के बीच गाड़ी संख्या 2 एफ० टी० डी० पेसेन्जर के एक डिब्बे

में लगी आग के सम्बन्ध में 9 अगस्त, 1968 को सभा में उन्होंने जो वक्तव्य दिया था उसके सम्बन्ध में वह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आग लगने के कारण के बारे में जांच की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) उसके लिये उत्तरदायी ठहराये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग): रेल संरक्षा के अपर आयुक्त, जिन्होंने दुर्घटना की विधिक जांच की थी, के अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार, 7.8.1968 को उत्तर रेलवे के मारीपत और दादरी स्टेशनों के बीच नं० 2 एफ०टी०डी० सवारी गाड़ी के डिब्बे में आग लगने का कारण यह था कि कोई यात्री डिब्बे में पैट्रोल ले जा रहा था, जो सम्भवतः किसी यात्री द्वारा असावधानी से फेंकी गयी जलती बीड़ी या माचिस की तीली से जल उठा। इसके लिए रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

(घ) अभी तक नहीं। क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन मिले हैं और दावा कमिश्नर अपना काम शुरु करते ही इनके सम्बन्ध में निर्णय लेगा।

अनुग्रह के रूप में, मृत्यु के 6 मामलों में 3000 रुपये और घायल व्यक्तियों के 16 मामलों में 1250 रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

कुमायूं की पहाड़ियों के लिये बड़ी रेल लाइन

1349. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों की सुविधा के लिए कुमायूं की पहाड़ियों के लिये एक बड़ी रेल लाइन की मांग पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यह मामला इस समय किस स्थिति में है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) रामपुर से हल्द्वानी (92 कि० मी०) को बड़ी लाइन द्वारा जोड़ने के लिए 1956-57 में टोह इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किये गये थे। उस समय इस लाइन का खर्च 2.84 करोड़ रुपये आंका गया था और सामान्य किराये भाड़े की दरों के अनुसार वित्तीय दृष्टि से इसे अलाभप्रद समझा गया था। अतः यह प्रस्ताव छोड़ दिया गया।

(ग) कुमायूं की पहाड़ियों और उसके आस-पास के क्षेत्र के लोगों तथा पर्यटकों के लिए रेल परिवहन की अच्छी सुविधाएं देने के उद्देश्य से इस लाइन का नये सिरे से सर्वेक्षण करने का प्रश्न विचाराधीन है।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड

1350. श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 144 करोड़ रुपये की लागत पर स्थापित भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड का भविष्य 1970-71 के बाद उज्जवल नहीं है क्योंकि ऐसे क्रयादेश प्राप्त होने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है जिनसे उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग हो सके;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग): भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० की उत्पादन क्षमता सन् 1970-71 से आगे प्रतिबन्धित करनी है, यह चतुर्थ योजना काल में क्रियान्वित की जाने वाली नई योजनाओं पर निर्भर करेगा। फिर भी भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० के क्रयादेशों की स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जा रही है तथा अधिक क्रयादेश प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहें हैं। उत्पादन में विविधता लाने के हेतु हैदराबाद स्थित हैवी पावर इक्विपमेंट प्लान्ट में छोटे टरबोसेंट टरबो-कम्प्रेसर और ब्लोअर्स का उत्पादन शुरु करने के तथा तिरुचरापल्ली में स्थित हाई प्रेसर बॉइलर संयंत्र में औद्योगिक बॉइलरों का उत्पादन शुरु करने के पग उठाए जा रहे हैं। भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के विभिन्न एककों के उत्पादों के निर्यात की मंडियों को विकसित करने की सम्भावनाओं की खोज जारी है।

रुपयों में भुगतान करने वाले देशों को निर्यात

1351. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रुपयों में भुगतान करने वाले देशों से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं होती, उन देशों को केवल वही माल भेजने का सरकार का विचार है, जो ऐसे परम्परागत बाजारों को निर्यात करने के बाद फालतू बचता है, जहां से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख): ऐसी धारणा ठीक नहीं है कि रुपयों में भुगतान करने वाले देशों से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं होती

क्योंकि इस प्रकार के निर्यातों के आधार पर देश में ऐसे आवश्यक पूंजीगत माल और कच्चे माल के आयात का मूल्य चुकाया जाता है जो कि मुक्त विदेशी मुद्रा खर्च किये बिना प्राप्त नहीं किये जा सकते। चूंकि रुपये में भुगतान करने वाले देश अब हमारे अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात बाजार का अविभाज्य अंग है। अतः जैसा कि प्रश्न में कहा गया है केवल फालतू माल निर्यात करने का प्रश्न नहीं उठता।

ईरान के साथ औद्योगिक सहयोग

1352. श्री शिव चन्द्र झा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह हाल में ईरान गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी इस यात्रा का उद्देश्य क्या था;

(ग) क्या पारस्परिक औद्योगिक सहयोग के सम्बन्ध में ईरान सरकार के साथ कोई करार किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : मार्च, 1968 में ईरान के अर्थ मंत्री द्वारा आमन्त्रित किये जाने पर मैंने ईरान का दौरा किया। ईरान में अपने एक सप्ताह के निवास काल में मैंने कुछ उपयोगी चर्चाएं की थी। इन चर्चाओं का मुख्य प्रयोजन दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करना तथा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में और आगे सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाना था। पारस्परिक औद्योगिक सहयोग के मामले में ईरानी प्राधिकारियों के साथ कोई औपचारिक करार नहीं किया गया था। जिन विषयों पर चर्चा की गई थी उनके अन्तर्गत विस्तृत क्षेत्र आता है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिये दोनों ओर सहयोग बढ़ाने पर बल देना था और ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें और आगे सहयोग बढ़ाना सम्भव था।

स्थानों (सीटों) का आरक्षण

1353. श्री रामसिंह अग्रवाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल यात्रियों को सीटों का आरक्षण कराने के लिये अपेक्षित समय से अधिक समय खर्च करना पड़ता है और कम से कम 7 दिन या 3-4 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है और क्या इस सम्बन्ध में यात्रियों को कुछ और सुविधाएं प्रदान करने का सरकार का विचार है;

(ख) तीसरे दर्जे के यात्रियों को बैठने का स्थान उपलब्ध कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि स्थान की कमी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर खराब असर न पड़े; और

(ग) क्या विदेशी पर्यटक अपनी विश्वयात्रा के कार्यक्रम में से भारत का पर्यटन इस लिये निकाल देते हैं, क्योंकि उनको भारत में रेल दुर्घटनाओं का भय है और वे सीटों के आरक्षण के लिये इतना अधिक समय खर्च नहीं कर सकते और इसके परिणामस्वरूप भारत विदेशी मुद्रा कमाने से वंचित रह जाता है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) यह सच है कि लम्बी दूरी वाली कुछ तेज गाड़ियों में उपलब्ध जगह मांग से कम पड़ती है और आरक्षण खुलने के बाद शीघ्र ही सारी जगह बुक हो जाती है। जो कोई इसके बाद जगह पाने की कोशिश करता है उसे कभी-कभी कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

लम्बी दूरी वाली तेज गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ा कर और अतिरिक्त गाड़ियां चलाकर रेल प्रशासन इस स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, जैसे डिब्बों और इंजनों की कमी और भारी यातायात वाले खण्डों पर उपयुक्त पथ की कठिनाई।

(ख) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, रेल प्रशासन वर्तमान गाड़ियों में अधिक डिब्बे लगा कर और अतिरिक्त गाड़ियां चला कर अधिक जगह उपलब्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं, विशेष कर उन मार्गों पर जहां कि जगहों की मांग उनकी उपलब्धता से बढ़ जाती हैं। लेकिन डिब्बों, इंजनों और उपयुक्त रेल-पथ की उपलब्धता से ऐसे उपादान है जो इस प्रयास को सीमित कर देते हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में रेलवे को कोई जानकारी नहीं है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केरल राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के आदेशों का पालन न किया जाना

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात के बारे में स्पष्टीकरण चाहिये। जब से यह सत्र शुरु हुआ है तभी से ही हममें से कई सदस्यों ने इस विषय पर प्रस्तावों की सूचनाएं दी थी। परन्तु वे सब प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये गये। बैलट करते समय भी हमारे नामों को सम्मलित नहीं किया गया। हम आपसे न्याय की मांग करते हैं और आपसे न्याय की आशा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सब समझ रहा हूँ। श्री श्रीकान्तन नायर तथा अन्य सभी केरल के सदस्य इसमें रुचि रखते हैं। मैं इस मामले की जांच करूंगा और देखूंगा कि यह सब कैसे हुआ ? अब तो कार्य-सूची के अनुसार ही कार्यवाही होगी। इस प्रकार की त्रुटियों के निवारण का प्रभास किया जायेगा।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : यह मामला दो महीने पुराना है। अब इस पर यहां वाद-विवाद करने से कोई लाभ न होगा।

श्री पी० रामामूर्ति (मदुरै) : इस मामले की महत्ता को ध्यान में रखते हुए मेरा यह निवेदन है कि इस पर किसी प्रस्ताव के माध्यम से विस्तारपूर्वक चर्चा की जाये ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (पूर्वोत्तर-कलकत्ता) : मेरे विचार से केन्द्र–राज्य सम्बन्धों का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है । यह एक राजनीतिक समस्या है जिसका हमें संतोषजनक समाधान खोजना है । अत: इस मामले पर संसद में गम्भीरता से विस्तारपूर्वक चर्चा की जानी चाहिये । इसलिये आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर आप एक प्रस्ताव स्वीकार करें ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इस विषय पर चर्चा के लिये मैंने एक प्रस्ताव की सूचना दे रखी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं यह मानता हूं कि यह मामला बहुत गम्भीर है । यह केन्द्रीय सरकार या केरल राज्य का मामला नहीं है, बल्कि यह केन्द्र–राज्य सम्बन्धों का मामला है । यह भारत की एकता से भी सम्बद्ध है.... (**अन्तर्बाधाएं**) मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि इस विषय पर एक पूरे दिन की चर्चा हो और समस्या पर रचनात्मक रूप से विचार किया जाये । परन्तु मैं इस मामले पर पहले गृह-कार्य मंत्री से भी बातचीत करना चाहता हूं ।

श्री बृजभूषण लाल (बरेली) : श्रीमान, मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के आदेश केरल राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित न किया जाना ।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, 17 सितम्बर, 1968 को केन्द्रीय सरकार ने सब राज्य सरकारों को एक बेतार के तार के माध्यम से इस आशय का सन्देश दिया गया था कि कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिये उकसाने, तोड़-फोड़ की कार्यवाही के लिये भड़काने और उन्हें डराने-धमकाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं । उन्हें यह बताया गया था कि इस प्रकार की उकसाने या भड़काने की गतिविधियां सार्वजनिक भाषण या लिखित रूप में–अनिवार्य सेवाओं को बनाये रखने सम्बन्धी अध्यादेश, 1968, जो 13 सितम्बर 1968 को जारी किया गया था, के उल्लंघन के रूप में मानी जायेंगी । राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया था कि वे जिला अधिकारियों को तत्काल ऐसे आदेश दें कि वे उकसाने वालों या अपराध करने वालों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकद्दमा चलाने की उचित कार्यवाही करें ।

केरल सरकार ने अपने 18 सितम्बर, 1968 के सन्देश में अपनी असमर्थता प्रकट की कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित आधार पर आदेश जारी न कर सकेगी । तत्पश्चात 19 सितम्बर को राज्य सरकार का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 256 के उपबन्धों की ओर दिलाया गया, जिसमें यह व्यवस्था है कि राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वे अपनी कार्यकारी शक्तियों को इस ढंग से प्रयोग में लायेंगे जिससे संसद द्वारा बनाये गये कानूनों का भी

पालन होता रहे। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि उक्त अध्यादेश भी ऐसे ही कानूनों का एक अंग माना जाये। इस पर राज्य सरकार ने 19 सितम्बर को केन्द्रीय सरकार को यह सूचना दी कि संविधान के अनुच्छेद 256 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित और जो की जा सकती है, ऐसी सब कार्यवाही की जा रही है।

श्री वी० कृष्णामूर्ति (कड्डलूर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने अनुच्छेद 256 का उल्लेख किया और संसद द्वारा बनाये गये कानूनों का भी उल्लेख किया है। यह संसद द्वारा पारित अधिनियम नहीं था। वह तो श्री चव्हाण द्वारा पारित कानून था.......... [अन्तर्बाधाएं]

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इसी प्रकार बाधा उत्पन्न करते रहेंगे तो कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। चाहे आप पसन्द करें या न करें, परन्तु जो मंत्री महोदय कहते हैं उसे तो आपको सुनना ही चाहिये। आपको यह हक नहीं है कि आप मंत्री को बोलने से रोकें। यदि आप इस विषय पर सामान्य रूप से चर्चा चाहते हैं तो वह बाद में की जा सकती है। परन्तु यदि आप किसी मंत्री की बात केवल इस आधार पर न सुनना चाहें, कि आप उसे पसन्द नहीं करते, तो सभा की कार्यवाही कैसे चलेगी। मैं दोनों पक्षों से यह अपील करता हूं कि वे सभा की कार्यवाही चलने दें। श्री बृजभूषण लाल अब अपना प्रश्न पूछें।

Shri Brij Bhushan Lal : I think the instructions issued by the Central Government were too vague and indefinite to make Kerala Government say that they are inable to issue instructions on the lines suggested by the Central Government. But when their attention was invited to article 256, they agreed to abide by the instructions of the Central Government. It means there was nothing wrong with the Kerala Government, but it was wrong with the Central Government in issuing vague instructions. May I know whether suitable action will be taken so as to avoid such a constitutional impasse in regard to Centre State relations in future ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य ने प्रश्न न पूछकर अपना मत व्यक्त किया है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या इस सम्बन्ध में राज्य सर ार से परामर्श लिया गया था ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, नहीं।

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : May I know whether on 17th Sept 1968, the instructions to States were issued under article 256 of the Constitution; and whether the instruction issued by the Central Government were complied with by the Kerala Government ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं यह बात मानता हूँ कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें संविधान की भावना का सम्मान करते हुए कार्य करना चाहिये। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि इस मामले मे भी हम संविधान की भावना का पूर्णरूपेण सम्मान कर रहे हैं।

अपने वक्तव्य में मैंने यह नहीं कहा है कि अनुच्छेद 256 के अन्तर्गत राज्य सरकार को अनुदेश दिये गये थे। हमने तो केरल राज्य सरकार का ध्यान अनुच्छेद 256 के अधीन राज्यों के दायित्व की ओर दिलाया था. यह अनुच्छेद 256 के अन्तर्गत अनुदेश नहीं था। कोई राज्य हमारी नीति को पसन्द न करे यह बात तो अलग है, परन्तु उसे भी वे दायित्व तो पूरे करने ही होंगे जो संविधान के अन्तर्गत अपेक्षित हैं। यद्यपि उन्होंने अनुदेशों का सीमित रूप में पालन किया है, परन्तु हमने उनकी उचित कार्यवाही करने की इच्छा को देखते हुए, उनका स्पष्टीकरण स्वीकार कर लिया।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : May I know the reason why the Central Reserve Police was sent to Kerala State alone; whether the State Government was consulted in this matter before hand; whether Government will place the messages exchange between Centre and State on this matter on the Table of the House; whether you propose to enhance the powers of the C.R.P., because now they have power to arrest but not to conduct investigations into the matter; and whether you are going to create an institution on permanent basis which will help the Congress Government at Centre in changing the political map or to avoid the complications which arise on account of non-Congress Governments in some States ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : केरल सरकार ने संविधान की भावना का सम्मान किया है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त नहीं करना चाहता। मैंने तत्सम्बन्धी तथ्यों का निरूपण कर दिया है। केरल सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गये सन्देशों की प्रतिलिपियां सभा पटल पर रख दी जायेंगी।

जहां तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तैनात करने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों में कुछ भ्रम पैदा हो गया है। जहां तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को सामान्य रूप से तैनात करने का सम्बन्ध है, इसके लिये राज्य सरकार का परामर्श नहीं लिया जाता। गत वर्ष इस सम्बन्ध में उच्च कानूनी सलाहकार से सलाह ली गई थी। हमें यह परामर्श दिया गया था कि केन्द्रीय सरकार को अपने कार्यालयों और अपनी सम्पत्ति की रक्षार्थ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के बल को लगाने का पूरा हक है। इससे पूर्व आसाम और पश्चिमी बंगाल राज्यों में भी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस इसी प्रकार के कार्य के लिये भेजी जा चुकी थी। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और सम्पत्ति की रक्षा करने का दायित्व हमारे ऊपर है। 21 अगस्त को जो अशोभनीय घटनाएं हुई, उन्हें देखते हुए केरल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तैनात करना अनिवार्य हो गया था, और अपना कर्त्तव्य समझते हुए मैंने ऐसा किया। जहां तक किसी स्थायी संस्था को बनाने का सवाल है हम वही संस्था बना सकते हैं जिसकी अनुमति संविधान देगा।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : यद्यपि अध्यादेश का विरोध तो मैंने भी किया था परन्तु केरल सरकार द्वारा इसके प्रति दिखाये गये रवैये से एक विशेष दोहरी चाल का उदाहरण मिलता है। एक मास पूर्व केरल में भी तो केरल सरकार के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। केरल सरकार ने उन्हें सख्ती से दबाया। लोगों को पीटा गया, गिरफ्तार किया गया ...... (**व्यवधान**)।

परन्तु जब केन्द्र सरकार के कर्मचारियों ने हड़ताल की तो उन्होंने कहा :

चढ़जा बेटा सूली पर, राम भली करेंगे ।

इस प्रकार के रवैये को गणतंत्र में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति सहन नहीं करेगा ।

केरल में घटित घटनाओं में केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों पर प्रकाश पड़ता है । भारत के पिछले इतिहास से सिद्ध होता है कि जब भी केन्द्र सरकार कमजोर पड़ी, दमनकारी शक्तियां उभरी और देश की दुर्दशा हो गई । अतः यह बड़ा आवश्यक है कि देश में एकता रहे तथा केन्द्र सरकार मजबूत रहे ।

साम्यवादी लोग तो सदा मुसीबतें खड़ी करना चाहते हैं... ..(**व्यवधान**) ।

जहां तक केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्धों की बात है, अब विभिन्न राज्यों में विभिन्न दल सत्तारूढ़ हैं तथा अब समय आ गया है कि संविधान को अधिक स्पष्ट किया जाय तथा जैसा कि अनेक जाने-माने व्यक्तियों, जिनमें सर्वोच्च न्यायाधीश श्री हिदायतुल्ला तथा कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजिलिंगप्पा भी सम्मिलित हैं, ने यह सुझाव दिया है कि भारत में एकात्मक सरकार बनायी जानी चाहिये......(**व्यवधान**) ।

इन तथ्यों की दृष्टि से, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस बारे में क्या विशिष्ट उपाय किये हैं कि केरल सरकार संविधान का पालन करें ? यदि एक राज्य सविधान का उल्लंघन करेगा तो यह बात दूसरे राज्यों में भी पैदा हो सकती है । दूसरे क्या सरकार केन्द्र राज्यों के सम्बन्ध के बारे में जांच हेतु इस सभा की अथवा अन्य संविधान विशेषज्ञों की एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त करेगी ताकि देश में अधिक एकात्मक दृढ़ता लाई जा सके तथा दमनकारी शक्तियों को उभरने से रोका जा सके ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : प्रश्न के पहले भाग के बारे में मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ परन्तु मैं इसको किन्हीं दूसरे शब्दों में ही कहना चाहूँगा । प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में, सदन को ज्ञात है कि श्री सीतलवाड़ की अध्यक्षता में प्रसिद्ध वकीलों की एक समिति बनाई गई थी तथा उसके सुझावों पर विचार किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त कोई अध्ययन दल के गठित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । वैसे, केवल केरल ही नहीं, देश के प्रत्येक व्यक्ति को देश के संविधान का पालन करना होगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Actions of both Central and Kerala Govt. are deplorable. I want to know whether cases against employees these will be withdrawn ? Secondly, Muslims in Mallapuran District in Kerala have been demading a separate District i. e. a small Pakistan. Have the Central Govt. written to the State Govt. in this behalf, and whether the State Govt. have taken any action in this behalf ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : प्रश्न के पहले भाग का मैं उत्तर दे चुका हूं, तथा दूसरे भाग के लिये मुझे सूचना चाहिये ।

सभा–पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लागत लेखा रिकार्ड संशोधन नियम

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उप–मन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह): श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्न लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) लागत लेखा प्रणाली रिकार्ड (रेफ्रीजरेटर) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 24 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1505 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लागत लेखा प्रणाली रिकार्ड (कमरों के लिये वातानुकूलक) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 24 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1506 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) लागत लेखा प्रणाली रिकार्ड (मोटर गाड़ियों की बैटरियां) संशोधन नियम-1968 जो दिनांक 24 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1507 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) लागत लेखा परीक्षा (प्रतिवेदन) नियम, 1968 जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर 1814 में प्रकाशित हुए थे।

भारी रसायन तथा उर्वरक उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के बारे में सरकारी संकल्प

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : श्री जयसुख लाल हाथी की ओर से मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ :

भारी रसायन तथा उर्वरक उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड द्वारा की गई कतिपय सिफारिशों पर सरकार के निश्चयों के बारे में सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यु बी-12 (10)/68 दिनांक 16 नवम्बर, 1968 की एक प्रति।

रेल दुर्घटना समिति की सिफारिशों पर सरकार की संशोधित टिप्पणियां

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : मैं सभा-पटल पर निम्न लिखित पत्र रखता हूं :

एक विवरण का की प्रति (भाग 1 और 2) जिसमें रेलवे दुर्घटना समिति- 1962 की कतिपय सिफारिशों पर सरकार की संशोधित टिप्पणियां दी गई हैं जिनकी फिर से जांच की जा रही थी अथवा जिनके बारे में स्थिति बदल जाने पर पहले की टिप्पणियों में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया था।

निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम आदि के अधीन संशोधन

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : श्री दिनेश सिंह की ओर से मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना क संख्या एस० ओ० 3388 की एक प्रति जो दिनांक 18 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 20 सितम्बर, 1967 की एस० ओ० 3412 का शुद्धि पत्र दिया गया था।

(2) टैरिफ आयोग पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के बारे में सरकारी संकल्प संख्या 26 (2)-टार/67 की एक प्रति दिनांक 28 सितम्बर, 1968 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) मोटर गाड़ी उद्योग को संरक्षण देते रहने के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1968)।

(दो) सरकारी संकल्प संख्या 8 (1)-टार /68 दिनांक 9 नवम्बर, 1968 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण

(तीन) ऊपर (एक) और (दो) में उल्लिखित दस्तावेज उक्त धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर सभा-पटल पर न रख सकने के कारण दर्शाने वाला विवरण।

ट्रैक्टर (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उप–मन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह): श्री रघुनाथ रेड्डी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं :

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत ट्रैक्टर (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1968 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 14 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3620 में प्रकाशित हुआ था।

कोयला खान (परिरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं।

कोयला खान (परिरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3616 की एक प्रति जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

सर्व श्री मधु लिमये तथा अर्जुन सिंह भदौरिया की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re : DETENTION OF SARVASHRI MADHU LIMAYE AND ARJUN SINGH BHADORIA

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि श्री अर्जुनसिंह भदौरिया को जिला इटावा के बाकेवर पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शनों के परिणाम स्वरुप हुई घटनाओं के सम्बन्ध में 12 सितम्बर, 1968 को गिरफ्तार किया गया था, तथा उनके विरुद्ध धारा 147, 148 आदि आदि के अन्तर्गत मुकद्मा दायर करके उन्हें अदालती हिरासत में रखा गया है, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट इटावा, तथा सेशन जज की अदालतों में की गई उनकी अपील अस्वीकार हो गई है। मालूम हुआ है कि अब श्री भदौरिया ने उच्च न्यायालय में भी अपील की है, परन्तु अभी कोई आदेश नहीं मिले हैं।

श्री मधु लिमये के बारे में राज्य सरकार ने सूचना दी है कि उन्हें दंड प्रक्रिया संहिताकी धारा 151, 107 आदि के अधीन लक्खी सराय में 6 नवम्बर को ड्यूटी पर तैनात एक न्याया-धीश के आदेशाअनुसार गिरफ्तार किया गया था, मुंघेर में उन्हें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया परन्तु जब श्री लिमये ने बॉंड भरने से मना कर दिया तो उन्हें अदालती हिरासत में भेज दिया गया। ऐसा मालूम हुआ कि श्री मधु लिमये ने सर्वोच्च न्यायालय में बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका पेश की है।

Shri Rabi Ray : Yesterday also we sumitted that both of those hon. Members are being prevented from attends the House. They have been deatined just for the sake of mid-term elections in these two States. We request that they should be brought in the House. Shri Madhu Limaye has filed a privilege motion also against Shri Chavan.

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मुझे जानकारी मिली है श्री मधु लिमये को जमानत का प्रस्ताव पेश किया गया था, मगर उन्होंने अस्वीकार कर दिया। श्री भदौरिया के विरुद्ध अदालत में मुकद्मा है। यह गम्भीर मामला है और मुझे उन्हें यहां बुलाने का अधिकार कदाचित नहीं है। (व्यवधान) केवल संसद सदस्य ही नहीं, कानूनों के अन्तर्गत अन्य लोग भी गिरफ्तार किये जाते हैं। कानून तो सभी के लिये एक है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण–दिल्ली) : ये दोनों सभा के माननीय सदस्य हैं तथा इन का मुकदमा सभा का सत्र समाप्त होने तक रोका जा सकता है तथा उन्हें सदन में आने दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कोई बहुत जघन्य अपराध नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस सम्बन्ध में इस से अधिक कुछ न कहें।

मंत्री महोदय द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण
PERSONAL EXPLANATION BY MINISTER

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : 12 नवम्बर, 1968 के अपने भाषण में श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने श्री शेख अब्दुल्ला से हुई मेरी भेंट के बारे में जिक्र किया था जिसका मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

मैं श्रीनगर में भाषा कानून (विधि) आयोग के कार्य के सम्बन्ध में केन्द्रीय अधिनियमों के अनुवाद के प्रबन्ध हेतु गया था। वहां मैंने जम्मू और काश्मीर के मुख्य मंत्री से इस बारे में तथा राज्य के वक्तव्यों के प्रशासन के बारे में बात-चीत की थी। मुख्य मंत्री ने बताया कि श्री शेख अब्दुल्ला मुस्लिम वक्फों बोर्ड के अध्यक्ष हैं तथा उनका प्रशासन उन्हीं के हाथ में है। अत: मैंने शेख अब्दुल्ला से केवल वक्फों के बारे में बात-चीत की।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi–Sadar) : He discussed Politics also.

अध्यक्ष महोदय : यह आप कैसे कह सकते हैं। जब कोई मंत्री कुछ कहता है तो उसे स्वीकार किया जाता है! इस बारे में अब अधिक बहस नहीं होगी।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक (जारी)
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE BILL-Contd

अध्यक्ष महोदय : औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक पर विचार-विमर्श के लिये हम पहले ही काफा समय ले चुके हैं। अब इसके लिये हमारे पास केवल एक घंटा और चालीस मिनट शेष हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है। माननीय सदस्य समय की सीमा का ध्यान रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म०प० तक के लिये स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बज कर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत् हुई।
The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minutes past Fourteen of the Clock

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker ***in the Chair*** }

उपाध्यक्ष महोदय : हम धारा 3 पर विचार विमर्श कर रहे थे, श्री त्यागी ।

श्री चपला कान्त भट्टाचार्य (रायगंज) : विधेयक पर बनी संयुक्त समिति ने जिसमें बहुत से प्रसिद्ध व्यक्ति थे खण्ड 3 से 7 के बारे में लिखा है कि ये खण्ड बिना किसी संशोधन के अनुमोदित कर दिये जाये, परन्तु राज्य सभा में प्रस्तुत किये गये विधेयक की प्रति में उप खण्ड की दूसरी पंक्ति के अन्त में शब्द "और" है जबकि जो विधेयक हमारे सन्मुख है उस में उस स्थान पर शब्द "जो" है । मेरा प्रश्न है कि "और" शब्द के स्थान पर "जो" शब्द किसने रखा ?

उपाध्यक्ष महोदय : राज्य सभा ने अपनी इच्छा से इसमें परिवर्तन कर दिया होगा ।

श्री के० नारायण राव (बोब्बिली) : क्या राज्य सभा को यह संकेत नहीं देना चाहिये कि उन्होंने मूल विधेयक में कोई परिवर्तन किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमें विधेयक के उसी रूप पर विचार करना है जोकि राज्य सभा ने हमें भेजा है । फिर भी इसकी जांच की जायेगी ।

श्री के० नारायण राव : मैं केवल इस विधेयक के बारे में ही नहीं, वल्कि भविष्य में भी किसी प्रक्रिया के बारे में कह रहा हूँ ।

Shri Devan Sen : In the beginning of this Bill it is written : "As passed by Rajya Sabha on 13th May, 1968." But the law Minister, with the approval of the Chairman of the Committee, changed the word "and" to "who" . Owing to this change, the Bill should again be sent to the Committee.

श्री स० मो० बनर्जी : परन्तु मंत्री महोदय यह नहीं मानते कि राज्य सभा ने कोई परिवर्तन किया है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : संयुक्त समिति विधेयक के खण्डों में यदा-कदा परिवर्तन करके अध्यक्ष और ड्रफ्ट्समैन को सौंप देती है तथा उन्हें यह अधिकार दे दिया जाता है कि यदा-कदा क्रिया आदि की बातों में परिवर्तन करलें । संयुक्त समिति ने खण्ड 22 के अन्त में लिखा है कि जो अन्य परिवर्तन समिति ने किये हैं वे क्रिया आदि से सम्बन्धित हैं ।

यह परिवर्तन भी इस प्रकृति का है । प्रत्येक प्रवर अथवा संयुक्त समिति ऐसा करती है । और इस परिवर्तन से अर्थों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

श्री क० नारायण राव : निश्चिय ही इससे अर्थ बदल जाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूँ "और" के स्थान पर "जो" शब्द नहीं लाया जाना चाहिये । खण्ड का गठन क्षेत्र है कि शब्द "और" ही उचित लगता है । मंत्री महोदय इस पर विचार कर रहे हैं । इस बारे में कही कोई गलती हुई है ।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : I have moved an amendment No. 45 on clause 3. My suggestion is that word " Central " be added after the word " of " in clause 3 (i). It will make the things more clear. Also, instead of "owned by that Government" it should read as "owned by the Central Govt "

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I also suggest amendment No. 57 to clause 3. I have asked for clarification on two points. Firstly, what will be the strength of this force i. e. how many supervisory officers and other members ? Secondly, what will be their respecitve salaries and other remunerations ? Also I want to know on what mission is this force being sent to the states ? It is good if it is meant for checking the pilfirage, mismangement, etc. in the Govt. Undertakings. It is very essential to look after the Public Undertakings these days. These undertakings are full of inefficient officers who are responsible for a loss of crores of rupees to the nation. I am a very happy if Shri Darbari is being deputed there as D. I. G. , C. R. P. He is a very efficient man.

Shri S. M. Joshi (Poona) : When this Bill came into Rajya Sabha. The Financial Memorandum in the Bill showed that there will be a recurring expenditure of rupees one crore and eighteen thousand on this force. This money will be charged on the Consolidated Fund of India since all the withdrawals are made from the consolidated Fund of India. It means it is a big expenditure. This Bill, therefore, should have not gone to Rajya Sabha as per Article 117. Hence, this Bill is not in order.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : (विशाखापत्तनम्) मैं श्री एस० एम० जोशी ने जो कहा है उसका समर्थन करता हूँ । कभी हम इन पर बहुत कम विचार करते हैं परन्तु कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरों की अपेक्षा इस पर सावधानी के साथ जांच पड़ताल करते हैं । मेरे विचार में हमें यह उच्चतम न्ययालय पर नहीं छोड़ देना चाहिए । हमें इसका निर्णय यहां करना है ।

श्री क० नारायण राव : (बोब्बिली) संविधान के अनुच्छेद 117 का श्री एस० एम० जोशी और श्री तेन्नेटि विश्वनाथम द्वारा गलत अर्थ लगाया गया है । मैं इन दोनों का अन्तर बताऊंगा । एक विधेयक ऐसा है जिसका प्रत्यक्षतः सम्बन्ध भारत की संचित निधि में से व्यय करना है और दूसरा भारत की संचित निधि में से प्रासगिक व्यय से सम्बन्ध रखता है । अत एव अनुच्छेद 117 के उपधारा (1) और (3) के मध्य यह अन्तर है । उपधारा (3) के अनुसार :

"कोई विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि से व्यय करने की व्यवस्था हो तब तक संसद की किसी सभा द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति इस पर विचार करने की सिफारिश न करे । "

यहां यह कहा गया है कि विधेयक को, जिसमें भारत की संचित निधि में से व्यय करने की व्यवस्था है, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी बहुत आवश्यक है । इसमें यह नहीं कहा गया है, जैसा कि अनुच्छेद 117 के उपधारा (1) में कहा गया है, कि ऐसा विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत नहीं किया जायेगा । इसमें केवल यह कहा गया है कि बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति से इसको पारित नहीं किया जा सकता । अतएव हमें व्यय से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने वाले तथा प्रासंगिक व्यय से सम्बन्ध रखनें वाले विधेयक का अन्तर करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप समझायेंगे कि 'और' शब्द वहां क्यों है । ये दोनों खंड अलग-अलग हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस पर कुछ प्रकाश डाले ।

श्री क० नारायण राव : उपधारा (3) के अनुसार यह पाबन्दी संसद के दोनों सभाओं में लगती है। दोनों सभाओं में यह विधेयक पारित हो सकता है और ऐसा विधेयक राज्य-सभा में भी लाया जा सकता है और पारित किया जा सकता है। उपधारा (3) के अनुसार राष्ट्रपति की सिफारिश होनी चाहिए। जहां तक वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है। यह उपधारा (3) की श्रेणी में आता है न कि अनुच्छेद 117 के उपधारा (1) में आता है।

श्री नम्बियार : खंड 3 में स्पष्ट लिखा है "केन्द्रिय सरकार द्वारा एक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गठित और बनाए रखा जाएगा जो कि बचाव के लिए ...." एक बल गठित किया जा रहा है। यह कोई प्रासंगिक व्यय नहीं है। इसका व्यय भारत की संचित नीधि में से किया जाएगा। इसको राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं करना था। इसको यहां लाना चाहिए था। इसका केवल यही समाधान हो सकता है कि इसको वापिस ले लिया जाये और सभा में विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाये। यही एक विकल्प रह जाता है। संविधान के अनुच्छेद 117 में यह स्पष्ट कहा गया है। हम पर संविधान का उल्लघंन करने का दोषारोपण किया जाता है। परन्तु शासकदल प्रत्येक मामले में वे संविधान का उल्लघंन कर रहे हैं। यह विधेयक वापिस लेकर सभा और संविधान के साथ न्याय किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि श्री नारायणराव ने कहा है कि अनुच्छेद 117 की उपधारा (3) सामान्य है। हमें उस अनुच्छेद का अर्थ बनाना पड़ेगा। अनुच्छेद 117 की उपधारा (1) का आखिरी भाग स्पष्ट नहीं है। मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहाता हूं। अगर आप इस पर प्रकाश डाल सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा।

श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 110 की ओर दिला सकता हूं। जो इसकी विशिष्टता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 117 (1) में कहा है "अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंडो (क) से (च) में निर्देशित किसी भी मामलों..." अगर आप अनुच्छेद 110 के खंड (1) के (क) से (च) का अध्ययन करेंगे तो यह पायेंगे कि यह कार्रवाई (क) से (च) में उल्लिखित उपखंडों के अन्तर्गत नहीं आती है। यह स्पष्ट ही अनुच्छेद 117 के उपधारा (3) के अन्तर्गत आती है। यह विधेयक धन निकालने का कोई अधिकार नहीं देता [व्यवधान] यह भारित नहीं है। हम केवल धन निकाल रहे हैं। [व्यवधान]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विश्वनाथम

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मैं तीनों धाराओं का जिक्र करना चाहता हूँ, यथा अनुच्छेद 109 (1), अनुच्छेद 110 (1), उप-खंड (ग) और (घ) और अनुच्छेद 117 (1) संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 109 में कहा है कि धन विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जायेगा। उन्होनें लोक सभा का महत्व कुछ उद्देश्य के लिए बताया है। जहां तक धन विधेयक का सम्बन्ध है यह राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 110 के उप खंड (घ) के अनुसार भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग धन विधेयक कहलाया जायेगा, संचित निधि में से खर्च किये जाने वाले पाई-पाई का हिसाब रखा जाना चाहिए और यह विनियोग लेखे के अन्तर्गत आता है। अनुच्छेद 117 में फिर से कहा गया है

कि "ऐसे उपबन्ध करने वाला विधेयक राज्य-परिषद में पुरःस्थापित न किया जायेगा। इस में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे धन विधेयकों को राज्य सभा में पुरःस्थापित न किया जायेगा जिसके अन्तर्गत भारत की संचित निधि में से धन निकाला जाता है।

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) अनुच्छेद 117 स्पष्ट है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भी विधेयक पुरःस्थापित नहीं हो सकता। यह राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं हो सकता। इसमें कोई भ्रांति नहीं है। यह परमादेश है। इसमें कोई संदेह नहीं है। संविधान के अनुसार इस विधेयक को लोक सभा में लगाना था। संचित निधि में से जो भी धन निकाल कर खर्च करना होता है, वह धन विधेयक के अन्तर्गत आता है। इसमें कोई भ्रांति नहीं है। यह विधेयक गल्ती से राज्य सभा में लाया गया था। मेरा राज्य सभा के प्रति पूरा आदर है, परन्तु संविधान के अनुसार इस विधेयक को सर्वप्रथम लोक सभा में पुरःस्थापित करना था। अतएव मैं मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि विधेयक को वापिस लेकर फिर से इस सभा में पुरःस्थापित करें।

श्री वी० कृष्णा मूर्त्ति : (कड्डलूर) भारत की संचित निधि में से धन निकालने वाला विधेयक धन विधेयक कहलाता है। यह धन विधेयक है और भारत की संचित निधि में से 1 करोड़ रुपये खर्च करने हैं। चूंकि यह निश्चित ही भारत की संचित निधि में से धन निकालने से सम्बन्धित है, अतएव यह धन विधेयक है। इस विधेयक के साथ व्यय और कहां से इसे भारित करना है। यह विवरण नहीं लगा हुआ है, अतएव वित्तिय-ज्ञापन के अभाव में इस वित्तिय-विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं की जा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या यह उचित रुम से राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया कि नहीं ?

श्री वी० कृष्णामूर्ति : इसमें दो बातें हैं। सर्वप्रथम, वित्तिय ज्ञापन का न होना और दूसरा राज्यसभा में पहले पुरःस्थापित करना।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : While supporting the point of order, I want to add article 117 (3) of the Constitution to it. It says:

"कोई विधेयक जिसमें भारत की संचित निधी से व्यय करने की व्यवस्था हो तब तक संसद की किसी सभा द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति इस पर विचार करने की सिफारिश न करे।"

Shri Joshi has stated that this Bill cannot be introduced in the Rajya Sabha. It should be introduced in the Lok Sabha first.

There is no mention in the Bill whether the President has given his consent or not.

उपाध्यक्ष महोदय : 13 अगस्त 1968 को बुलेटिन भाग दो में प्रकाशित राष्ट्रपति की सिफारिश यह है;–' 13 मई 1968 को राज्यसभा में पारित विधेयक को राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 के खंड (3) के अन्तर्गत लोक सभा में उल्लिखित विधेयक पर विचार करने के लिए सिफारिश की है"।

इस आक्षेप का उत्तर दे दिया गया है। अब केवल प्रश्न यह है कि इसे सर्वप्रथम राज्य सभा में पारित किया ज ना चाहिए अथवा नहीं ।

Shri George Fernandes : I would like to say that article 110 (1) (E) of the Constitution says that if any Bill has provision in this respect then it will be regarded as Money Bill. If the recommendation of the President has been ontained according to the article 117-(3), then it becomes clear that this Bill should have been introduced firstly in this H use.

उपाध्यक्ष महोदय : मै यह जानना चाहूंगा कि आप कहां से इस धन को लायेंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि सब व्यय भारत की संचित निधी मे से होता है. अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक दो श्रेणियों में विभाजित होता है, हमारे अनुसार यह धन विधेयक नहीं हो सकता क्योंकि न तो भारत की संचित निधि में कोई पारित है और न भारत की संचित निधी में से धन निकालने का अधिकार है, विनियोग लेखे में धन निकालने का अधिकार है। जब यह सभा विनियोग लेखा को पारित कर देती है, जिसमें कि अधिकार दिया होता है, तब भारत सरकार भारत की संचित निधी में से धन निकाल सकती है। यह विधेयक के साथ लगा वित्तिय ज्ञापन यह बताता है कि इस बल के गठन और रख-रखाव पर होने वाला व्यय भारत की संचित निधि में से होगा। ऐसा नहीं है कि यह विधेयक भारत सरकार को भारत की संचित निधि में से धन निकालने का अधिकार दे।

यह विधेयक भारत सरकार को भारत की संचित निधी में से धन निकालने का अधिकार नहीं देता ऐसा अधिकार तो इस सभा द्वारा विनियोग लेखा को पारित करके दिया जाता है। अतएव यह धन विधेयक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : विनियोजन एक अनुषांगिक कार्य है जो वित्त विधेयक में से होता है, यह आखिरी चरण में होता है, उसके बाद सभा की स्वीकृति लेनी होती है। जब आप इस सभा के समक्षविनियोजन के लिए आते हैं और आपको इस सभा की स्वीकृति मिलती है तभी धन विधयेकों के उपबंधों को अमल में लाया जाता है अथवा भविष्य में व्यय करने के लिए इस सभा की स्वीकृति मिलने के बाद सविधान के इन उपबन्धों पर अमल होता है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 110 (1) (क) और (ख) की ओर दिलाना चाहता हूँ। आपने पूछा है कि क्या वित्त विधेयक में लिखित धन निकालने का अधिकार नहीं है। परन्तु अनुच्छेद 110 के (क) और (ख) के अनुसार वित्त विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है, इन उपबन्धों के अनुसार वित्त विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। अगर आप इस विधेयक को देखेंगे तो यह पायेंगे कि इस विधेयक में किसी भी खंड में कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर इस प्रकार का इसमें प्रस्ताव होता तो यह धन विधेयक कहलाता इस विधेयक में वित्तिप, ज्ञापन लगाने से यह धन विधेयक नहीं बन जाता। वित्तिय ज्ञापन में केवल होने वाला व्यय का हवाला है जिसके लिए अलग से प्राधिकरण के लिए मांग की जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि यह धन विधेयक है, क्योंकि सरकार को भारत की संचित निधी में से धन निकालने का अधिकार नहीं दिया हुआ है। इसको या तो बजट अथवा विनियोग विधेयक के अन्तर्गत लाना पड़ेगा नहीं तो फिर संचित नीधि में से धन निकालने के लिए संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी। केवल इस विधेयक को पारित कर देने मात्र से कोई धन

नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि इसे फिर से वित्तिय बजट अथवा विनियोग विधेयक द्वारा अधिकार दिया जाये ।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : अनुच्छेद 117 (1) के अनुसार अनुच्छेद 110 के खंड (1) के (क) से (च) तक के उपखंडो में उल्लिखित विषयो में से किसी के लिए उपलन्ध करने वाला विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जायेगा । अब हम अनुच्छेद 110 पर आयेंगे, उपखंड (क) से (च) अनुच्छेद 110 में कोई सारगर्भित मतलब नहीं रखते, वे तो केवल उदाहरण हैं । परन्तु अनुच्छेद 110 (1) सारगर्भित है, इसका तात्पर्य है कि अगर किसी विधेयक में अन्य उपखंड अन्तर्विष्ट हो तो उपखंड (क) से (च) विधेयक में होने के बावजूद वह धन विधेयक नहीं समझा जायेगा, अनुच्छेद 117 में कहा गया है कि अनुच्छेद 110 के अन्तर्गत आये हुए विधेयक को धन विधेयक नहीं समझा जायेगा । अनुच्छेद 110 में साफ लिखा गया है कि कोई सा भी विधेयक धन विधेयक समझा जायेगा अगर वह (क) से (च) तक में उपखंडों के अन्तर्गत आता है । अतएव अनुच्छेद (110) और (109) इस विशेष विधेयक पर 'केवल' शब्द के कारण ठीक नहीं बैठता, सविधान अनुसार वित्तिय मामले वाले विधेयक इस सभा में लाये जायेंगे और उनको राज्य सभा में नहीं भेजा जायेगा । इसका कारण यह है कि राज्य सभा वित्तिय मामलों से सम्बन्ध नहीं रखती है और यह कोई निर्णय नहीं लेती है । यह बजट अथवा वित्तिय उपबधों पर चर्चा कर सकती है परन्तु यह निर्णय नहीं लेती है । केवल यही सभा वित्तिय मामलों पर निर्णय ले सकती है अतएव कोई सा विधेयक, जो अनुच्छेद 110 से सम्बन्धित है, और चाहे वह वित्तिय विधियेक अथवा धन विधेयक हो, इसी सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा

श्री हिम्मत सिंहका (गोड्डा) : मैं इस तर्क का समर्थन करता हूं, आप जानते होंगे कि दो प्रकार के व्यय होते है, एक तो भारित और दूसरा सभा में जिस पर मतदान लिया जा सकता हैं । उपखंड (ड) संचित विधि में भारित व्यय से सम्बन्ध रखता है । अतएव यह मतदान द्वारा व्यय और भारित व्यय का अन्तर बताता है । अतएव यह भारित व्यय नहीं है, अतएव यह उपखंड (ड) के अन्तर्गत नहीं आता, यह धन विधेयक नहीं है क्योंकि यह उपबंध में अन्तर्गत नहीं आता । अगर कोई विधेयक इस सभा में पारित होता है तो निश्चय ही इसका अभिप्राय कुछ व्यय से होता है । उपखंड (3) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सिफारिश ली जायेगी । जो प्राप्त कर ली गई है, राज्य सभा में विधेयक पेश करना कोई गलत नहीं है ।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : इस मामले में निर्णय लेने के लिए हमें अनुच्छेद 110 को पूरा देखना होगा । यह दो भागों में विभाजित है । उपखंड (1) में लिखा है कि धन विधेयक के अन्तर्गत उपखंड (क) से (च) से सम्बन्धि मामले आने चाहिए । उपखंड (च) आनुषंगिक मामलों से सम्बन्ध रखता है हम आनुषंगिक मामलों से सम्बन्धित विधेयक की चर्चा कर रहे हैं । अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो केन्द्रिय बल को रखने तथा संगठन पर होने वाला व्यय आनुषगिक कहलायेगा । अतएव यह धन विधेयक नहीं है । विधेयक का राज्य-सभा में सर्वप्रथम पुरःस्थापित करना न अवैध है और न अनुचित ।

श्री रा०डो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मैं श्री कुन्टे द्वारा तर्क का समर्थन करता हूं जिसमें कहा गया है कि यह धन विधेयक नहीं है परन्तु यह वित्त से सम्बन्ध रखता है । अनुच्छेद

117 का उप अनुच्छेद (1) में अनुच्छेद (110) में आये हुए मामलों का वर्णन हैं। अतएव यह धन विधेयक है। जब मैं कहता हूँ कि यह धन विधेयक है तो मेरा अभिप्राय श्री कुन्टे द्वारा तर्क से होता है। परन्तु दूसरे ऐसे हजारों विधेयक होते है जो धन विधेयक नहीं कहलाते हैं परन्तु वित्त से सम्बन्ध रखते हैं। ऐसे विधेयक अनुच्छेद 117 के उप अनुच्छेद (3) के अन्तर्गत आते है जिसके अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करना होता है। यह दो भिन्न उप-प्रनुच्छेद है जो दो विभिन्न परिस्थितियों से सम्बन्धित हैं। इस अर्थ में हमारा इस विधेयक को पारित करना न्यायोचित है चाहे यह पहले राज्यसभा में पुरःस्थापित किया गया है क्योकि यह धन विधेयक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका तर्क है कि इसमें कोई अनुचित बात नहीं हैं।

श्री रा० डो० भण्डारे : यह केवल वित्तिय मामलों से सम्बन्ध रखता है न कि धन विधेयक से।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : संविधान निर्माता संविधान बनाते समय बड़े सावधान थे। वे चाहते थे कि किसी अनुच्छेद आदि की गलत व्याख्या न हो। अतएव उन्होंने दो खंड बनाये। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हमें अनुच्छेद 110 और 117 पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। एक और अनुच्छेद 109 भी है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई भी धन विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 110 में बताया गया है कि धन विधेयक क्या है और इसके अधिक स्पष्ट करने के लिए खंड (2) में बताया गया है। खंड (1) में बताया है कि धन विधेयक क्या है? खंड (2) में बताया गया है कि धन विधेयक कौन नहीं है। अतएव जो अनुच्छेद 110 के खंड (2) में नहीं आता तो वह निश्चय ही अनुच्छेद 110 के खंड में आयेगा। प्रश्न यह है कि भारत की संचित निधि में से व्यय करने वाला और धन निकालने वाला विधेयक धन विधेयक के अन्तर्गत आता है या नहीं, संविधान बनाने वाले ने इसका ध्यान रखा है क्योंकि वे जानते थे कि कुछ लोग इसका गलत अर्थ लगायेंगे, तभी उन्होंने उपखंड (2) बनाया है, जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि धन विधेयक क्या नहीं है। अतएव यह मामला बहुत स्पष्ट है यथा अनुच्छेद 109 (1) के अनुसार धन विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 110 बताता है कि क्या धन विधेयक होते हैं? और अनुच्छेद 109 का उप-खड (2) बताता है कि क्या धन विधेयक नहीं होते हैं।

यदि किसी विधेयक में जुर्माने अथवा अर्थदण्ड का उपबन्ध हो, तो वह विधेयक केवलमात्र इसी कारण धन विधेयक नहीं हो जाता। अनुच्छेद 110(2) में उन विधेयकों की परिभाषा नहीं दी गई है, जो धन विधेयक नहीं है बल्कि यह तो अनुच्छेद 110(1) का अपवाद मात्र है। अनुच्छेद 110(1) में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और धारा (2) में अपवाद दिये गये हैं, जिनमें कोई विधेयक धन विधेयक नहीं होते। इसीलिये इसको अपवाद के रूप में पढ़ना चाहिए।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : श्री तेन्नेटि विश्वनाथन ने 'केवल' शब्द पर जोर देते समय और आयकर का उल्लेख करते समय अनुच्छेद 110(1) (जी) की ओर ध्यान नहीं

दिया। एक अन्य बात की ओर हमें ध्यान देना होगा। अब हम राज्य सभा की शक्तियों की सीमाओं की परिभाषा देंगे। संविधान में राज्य सभा के लिये यह सीमा रखी है कि धन विधेयक वहां पर पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। संविधान में धन विधेयक की स्पष्ट परिभाषा भी दी गई है। हमें उपबन्धों की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए कि हम दूसरे सदन की शक्तियों और कृत्यों का अतिक्रमण न करें।

हमें अनुच्छेद 117(3) के शब्दों की ओर ध्यान देना चाहिए। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 117(1) के साथ करनी चाहिये। श्री विश्वनाथन ने अनुच्छेद 117(2) का उल्लेख करते हुए कहा कि जो भी खण्ड (2) के अन्तर्गत नहीं आता वह धन विधेयक है। अनुच्छेद 110 की धारा 2 का अर्थ यह है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में धन विधेयक प्रतीत होने वाले विधेयक को धन विधेयक नहीं माना जायेगा। वर्तमान विधेयक के बारे में मैं मंत्री महोदय का समर्थन करता हूं। विधेयक का उद्देश्य एक सुरक्षा दल बनाना है। वास्तविक व्यय मालूम नहीं है और अनुमानित व्यय के कच्चे आंकड़े दिये गये हैं। इसीलिये इसे धन विधेयक कहना उचित नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं कि हमारे सामने केवल यही प्रश्न है कि यह धन विधेयक है या नहीं। यद्यपि अनुच्छेद 109(1) में यह स्पष्ट किया गया है कि धन विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता, हम यह नहीं मान सकते कि अनुच्छेद 109(1) में उसी प्रकार के विधेयक का उल्लेख किया गया है, जिसकी अनुच्छेद 117(1) में परिकल्पना की गई है। यदि ऐसा होता, तो अनुच्छेद 117(1) में केवल एक धन विधेयक का उल्लेख होता। लेकिन इसमें इससे भिन्न बात कही गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुच्छेद 110 की हाशिये में दी गई टिप्पणी भी महत्वपूर्ण है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : होगी, परन्तु यह बात फिर भी रहती है कि यदि अनुच्छेद 110 की धारा (1) की उप-धारा (क) से (च) में निर्दिष्ट किसी मामले पर कोई विधेयक उपबन्ध करता हो, तो अनुच्छेद 110 के उपबन्धों की पूर्ति हो जाती है। मंत्री महोदय ने उप-धारा (घ) का तो उल्लेख किया परन्तु उप-धारा (ङ) की ओर ध्यान नहीं दिया। विनियोजन तो अन्तिम स्थिति है, उससे पहले तो वह व्यय होता है, जिसे भारत की संचित निधि में से किया जाने वाला व्यय घोषित किया जाता है।

हम इस विधेयक के वित्तीय ज्ञापन में दिये गये व्यय को स्वीकृति दिये बिना हम इस विधेयक को किस प्रकार पारित कर सकते है। यह मामूली राशि नहीं है। इस राशि का संचित निधि से ही विनियोजन किया जाना है, जैसाकि वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है। इसलिये अनुच्छेद 117(1) के उपबन्ध इस प्रकार के विधेयक के लिये ही बनाये गये थे। मेरे विचार में यह विधेयक राज्य-सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जाना चाहिए था।

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक समस्या है। यद्यपि आप एक प्रसिद्ध वकील हैं और संवैधानिक प्रश्नों को समझते हैं, मेरा निवेदन है कि सभा को अधिक उत्तम कानूनी सलाह की आवश्यकता है। इसीलिये हमें मार्ग-दर्शन के लिये एटॉर्नी

जनरल को बुलाना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस समय विधि मंत्री भी उपस्थित नहीं हैं। आपको उचित कानूनी मार्गदर्शन के बाद ही इस बारे में निर्णय करना चाहिए।

ऐसा मालूम होता है कि यह विधेयक भूल से राज्य सभा में पुरःस्थापित कर दिया गया। इस परिस्थित में केवल इसी आधार पर विधेयक को अवैध घोषित किया जा सकता है। इस-लिये मेरा अनुरोध है कि इस बारे में हमें एटॉर्नी जनरल से मार्गदर्शन लेना चाहिए।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (भोपाल) : अनुच्छेद 117 की धारा (3) के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक पर विचार करने की सभा से सिफारिश कर सकता है और वह इस विधेयक के साथ संलग्न है। इसलिए यह विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित किया जा सकता था।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई–मध्य) : अनुच्छेद 117 की धारा (1) और अनुच्छेद 110 का आधार सिद्धान्त यह है कि व्यय करने की शक्ति किसकी होनी चाहिए। जब तक राष्ट्रपति व्यय की सिफारिश नहीं करता, तब तक व्यय नहीं किया जा सकता है। दोनों स्थितियों में यही अन्तर है। लोकतंत्र में व्यय को मंजूर करने का अधिकार लोक-सभा को है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इसलिये उत्पन्न नहीं हुआ है कि यह धन विधेयक नहीं है। विवाद यह है कि यदि किसी विधेयक के अन्तर्गत 4–5 करोड़ रुपए खर्च करने हों, तो क्या स्थिति होगी? श्री कुंटे ने कहा कि अनुच्छेद 110(2) का उल्लेख करते हुए कहा है कि केवल उसमें बताये गये आधार पर इसे धन विधेयक नहीं माना जा सकता। संविधान को देखने और यहां पर दिये गये तर्कों के आधार पर मैं यह नहीं कह सकता कि यह धन विधेयक है।

अब प्रश्न यह है कि काफी राशि के व्यय वाला विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित किया जा सकता है अथवा नहीं। मैं समझता हूँ कि जब राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश की जाती है, तो हमारे हाथ बंध जाते हैं। राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है, बात वहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। इस प्रश्न के बारे में एटॉर्नी जनरल को सभा में अपने विचार रखने के सम्बन्ध में श्री स० मो० बनर्जी के प्रस्ताव को सभा पहले ही अस्वीकार कर चुकी है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं श्री लोबो प्रभु के संशोधन के बारे में पहले ही कह चुका हूं कि गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों की रक्षा करने का कार्य करने के बारे में संसद में अधिनियम पारित नहीं किया जा सकता। श्री नम्बियार के संशोधन संख्या 22 और 23, जिनमें केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की रक्षा के लिये यह दल बनाने, उसका प्रशासन आदि सभी कार्य राज्य सरकारों द्वारा किये जाने का सुझाव दिया गया है, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इस दल का कार्य केवल केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की रक्षा करना होगा तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों के बाहर राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

'केन्द्रीय' शब्द जोड़ने के बारे में श्री त्यागी के संशोधन संख्या 45 और 46 स्वीकार करना इसलिए सम्भव नहीं है कि इससे अधिनियम की कारगरता समाप्त हो जायेगी। खण्ड

को दो भागों में बांटने के श्री चपलाकांत भट्टाचार्य के संशोधन पर विधि मंत्रालय के ड्राफ्ट्समैनों की सलाह ली गई थी। हमें यह सलाह दी गई है कि ऐसा करने से भ्रांति उत्पन्न होगी। इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : 'and' और 'who' के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ये शब्द विशेष प्रयोजन से रखे गये थे। इस परिवर्तन को संयुक्त समिति के सभापति ने अपनी 12वीं बैठक में स्वीकार किया था। यदि 'and' शब्द रहता, तो इसका अर्थ सारे दल का वेतन होता, जबकि हम 'अधिकारियों और पर्यवेक्षी कर्मचारियों के वेतन' शब्द कहना चाहते थे। इस बात को स्पष्ट करने के लिये ही हमने 'who' शब्द रखा है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : उस सरकार के स्वामित्व वाले उपक्रमों से क्या अभिप्राय है ? यदि 51 प्रतिशत स्वामित्व सरकार का हो और 49 प्रतिशत अन्य लोगों का, तो क्या इसे सरकार का स्वामित्व माना जायेगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसका अर्थ केवल केन्द्रीय सरकार के उपक्रम है। यदि कम्पनियों में किसी के 51 प्रतिशत अथवा अधिक शेयर हों, तो उसका स्वामित्व माना जाता है। सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उपक्रम पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व वाले हैं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : स्वामित्व का अर्थ पूर्ण स्वामित्व होता है। इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि 'owned by that Government' शब्द रखने का क्या उद्देश्य है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कम्पनी के बारे में प्रश्न है। हमें आगे चलना चाहिए। मैं सभी संशोधन मतदान के लिये रखूंगा।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज) : संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि खण्ड 3 से 7 बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये। लेकिन मंत्री महोदय कहते हैं कि इसके बाद विधि मंत्रालय ने कोई परिवर्तन किये और समिति के अध्यक्ष ने उन्हें स्वीकार कर लिया, ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : समिति ने अपनी 11वीं बैठक में समिति के अध्यक्ष और ड्राफ्ट्समैन को यह अधिकार दिया था कि आवश्यकता होने पर वे आनुषंगिक परिवर्तन कर सकते हैं। 12वीं बैठक में समिति ने संशोधित रूप में विधेयक का आनुषंगिक तथा मामूली परिवर्तन के बाद स्वीकार कर लिया।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : क्या यह आनुषंगिक परिवर्तन है ? इससे तो वाक्य का सारा रूप ही बदल जाता है। क्या हमें इस दोष सहित विधेयक को पारित करना चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने रिपोर्ट से पढ़कर आपको बताया कि ऐसा करने का उन्हें अधिकार दिया गया था। मंत्री महोदय ने भी स्पष्टीकरण दे दिया है। क्या श्री भट्टाचार्य अपने संशोधन पर जोर दे रहे हैं ?

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : यदि आप कहते हैं, तो मैं इस पूर्ण जानकारी से विधेयक में प्रारूप खण्ड का समर्थन करूंगा कि यदि स्कूल का कोई लड़का भी इसे मेरे पास लाता, तो मैं इस वाक्य को काट देता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है।

श्री श्रीनिवास मिश्र : इससे इस सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति कुछ चीजों को पारित कर देती है तथा सभापति को शक्ति प्रदान कर दी जाती है कि आनुषंगिक संशोधन किये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी इस प्रश्न को नहीं उठाया जाना चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या आप यह कह सकते हैं कि ये आनुषंगिक परिवर्तन है और इसमें कोई सार नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने प्रतिवेदन से पढ़कर सुनाया था। परन्तु इस सभा का प्रतिवेदन से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारा सम्बन्ध तो विधेयक से है। चाहे आप उसे पारित करें या उसे फेंक दें।

श्री श्रीनिवास मिश्र : हमारा प्रतिवेदन से सम्बन्ध है। यह समझते हुए कि संयुक्त समिति ने इस पर विचार किया था कुछ ऐसी चीजें भी दी गई है जिसका संयुक्त समिति को पता नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्थिति को एक बार फिर स्पष्ट करता हूं। राज्य सभा की समिति जो विचार व्यक्त करती है हमारा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह राज्य सभा की समिति थी।

श्री ही० ना० मुकर्जी : आपके इस कथन से उन विधेयकों पर इस सभा में चर्चा करने के बारे में मूलभूत प्रश्न उत्पन्न होते हैं जो संयुक्त समितियों के प्रतिवेदनों पर आधारित होते हैं। हम विधेयक पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के आधार पर विचार करते हैं। यदि संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में कोई त्रुटि रह जाये तो हमें उसे राज्य सभा को उस पर पुनर्विचार करने के लिये वापिस भेजना होता है। ऐसी स्थिति में हम अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं कर सकते। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में विचार करे और सीधे ही अपना निर्णय न दें। यदि ऐसा किया गया तो यह संसद की एक प्रथा बन जायेगी जो एक गम्भीर बात होगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : संयुक्त समिति के पीछे कुछ नहीं किया गया था। ड्राफ्टसमैन ने यह बात समिति के सभापति के ध्यान में लाई थी तथा उन्होंने उसका अनुमोदन किया था। "और" के स्थान पर "कौन" शब्द शाब्दिक रूप से बदला गया था, जिसे बाद में राज्य सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राज्य सभा ने उसे पारित किया और यह अब हमारे सामने है।

श्री दत्तात्रय कुन्टे : यह कह देना कि हमारा सम्बन्ध राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक से ही है ठीक बात नहीं है । मैं देखना चाहता हूँ कि राज्य सभा ने क्या पारित किया है । उसके लिये संयुक्त समिति का प्रतिवेदन मेरे पास होना चाहिये । जैसा आपने कहा है 11 वीं बैठक में उन्होंने आनुषंगिक परिवर्तन करने का सुझाव दिया था परन्तु पूर्व बैठक में यह खण्ड बिना संशोधन के पारित किया गया था । तब "कौन" के स्थान पर "और" रखा गया था । अब प्रश्न यह है कि क्या यह आनुषंगिक परिवर्तन हुआ है । परन्तु मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है । यह मौखिक परिवर्तन भी नहीं था ।

इससे एक और प्रश्न उठता है कि क्या संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में राज्य सभा को प्रस्तुत किया गया विधेयक उचित रूप में प्रस्तुत किया गया था अथवा नहीं । अब मेरा निवेदन यह है कि हमें विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में तथा राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करना होता है । अतः हम माननीय मंत्री के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही यह स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि 'और" से "कौन" का परिवर्तन उचित नहीं है । इसमें भी कोई शक नहीं कि हम संयुक्त समिति के प्रतिवेदन पर विचार करते हैं परन्तु इसे राज्य सभा ने अपनी अनुमति दे दी है, चाहे उसने इस पर अच्छी तरह से विचार किया था अथवा नहीं ।

श्री एस० कंडप्पन : परन्तु इससे हमें यहां पर विचार करने से नहीं रोका गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस पर विचार कर सकते हैं । आप इस बारे में मतदान करा सकते हैं ।

श्री एस० कंडप्पन : यह मतदान का प्रश्न नहीं है । मैं बहुत से अन्य सदस्यों के साथ समिति का सदस्य था । परन्तु हमें यह बात स्पष्ट नहीं की गई थी कि यह विधेयक क्यों लाया जा रहा है । सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं थी । पहले परिवर्तन करके बाद में उसे आनुषंगिक परिवर्तन कहना उचित नहीं है । अब प्रश्न यह है कि संयुक्त समिति द्वारा सिफारिशें किये जाने के पश्चात् क्या सरकार इस प्रकार का परिवर्तन कर सकती है । इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये । आप इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद अपना निर्णय दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभापति ने अनुमति दे दी है । अतः इस बारे में मैंने क्या कहना है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : अनुमति 11 तारीख की बैठक में दी गई थी । फिर 12 तारीख को बैठक हुई । तब कुछ नहीं किया गया । यह परिवर्तन उस बैठक के बाद किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे आनुषंगिक परिवर्तन नहीं कहता । प्रश्न यह है कि क्या ऐसी अनुमति दी गई थी । मैंने श्री भट्टाचार्य को कहा था कि यदि वह अपने संशोधन पर मतदान कराने के लिये जोर देना चाहते हैं तो मैं ऐसा करने को तैयार हूं ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मतदान हमेशा उनकी ओर ही होता है।

श्री हिम्मतसिंहका : मैं यह मान लेता हूँ कि सभापति ने इस शब्द को बदलने की अनुमति दी होगी। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस खण्ड का कोई अर्थ निकलता है। यदि नहीं, तो "कौन" के स्थान पर "और" रखने में क्या कठिनाई है ? यदि आप अनुमति दें तो मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय मानते हैं तो मेरी ओर से अनुमति है।

श्री हिम्मतसिंहका : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

'कि पृष्ठ 3, पंक्ति 6 पर "कौन" के स्थान पर "और" रखा जाये'।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विचाराधीन म मले से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री पीलु मोडी : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या राज्य सभा यह संशोधन कर सकती थी। यदि राज्य सभा को यह अधिकार प्राप्त है तो जिस रूप में विधेयक लोक सभा के पास आया है उसमें "कौन" शब्द रहेगा चाहे प्रतिवेदन में कुछ भी कहा गया हो। जब हम विधेयक पर विचार करते हैं तो हम उस पर उस रूप में विचार करते हैं जिस रूप में वह राज्य सभा द्वारा भेजा जाये। उसमें यदि हम संशोधन करना चाहे तो कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : चाहे संशोधन प्रस्तुत भी किया गया है, परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इस संशोधन से खण्ड और खराब हो जायेगा। अब पहले भाषा में सुधार किया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री हिम्मतसिंहका का संशोधन पृथक् रूप से तथा अन्य संशोधनों को इकट्ठे रखूंगा।

अब मैं संशोधन संख्या 4, 22, 23, 45, 47 और 57 को सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

संशोधन सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री हिम्मतसिंहका का संशोधन सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

इस पर लोक सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में 45 तथा विपक्ष में 101.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 4 लेंगे ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस समय मैं एक निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि फिर माननीय मंत्री यहां पर नहीं होंगे । सदस्यों की यह मांग है कि महान्यायवादी को इस सभा में भाषण देने के लिये बुलाया जाये क्योंकि इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये ।

श्री नम्बियार : मैं अपने संशोधन संख्या 24 और 25 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं पहले भी यह कहता रहा हूँ कि यह एक गम्भीर विधान है । राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार की स्थिति में परस्पर विरोध है । मैं यह भी पहले बता चुका हूं कि इस विधान के द्वारा सरकार राज्यों में एक समानान्तर पुलिस बल बनाने जा रही है जो राज्य सरकार के दिन-प्रति-दिन के काम पर निगरानी रखेगी । इससे उस राज्य में पुलिस के अधिकार को छीना जायेगा । अतः इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती । यह कहा गया है कि यह बल पहरा और रक्षा संगठन के ढंग का है परन्तु ऐसी बात नहीं है । इस विधेयक के उपबन्धों के बारे में यह बात स्पष्ट तौर पर कह दी गई है कि यह दल पहरा और रक्षा संगठन से बिल्कुल भिन्न है । इसलिये इस प्रश्न की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है । ऐसा लगता है कि सरकार इस बल का प्रयोग औद्योगिक उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध करना चाहती है ।

जहां तक उनकी भर्ती का सम्बन्ध है मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि वह विभिन्न केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले पहरा और रक्षा कर्मचारियों का क्या करेगी ? सरकार को इस बारे में स्पष्ट उत्तर देना चाहिये ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं पहले ही यह बात स्पष्ट कर चुका हूँ कि जब इस बल का गठन किया जायेगा तब विभिन्न सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले उन पहरा और रक्षा कर्मचारियों को ले लिया जायेगा जो योग्य पाये जायेंगे । जो ऐसे कर्मचारी योग्य नहीं पाये जायेंगे उन्हें अन्य रोजगार देने का प्रयत्न किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 24 और 25 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 5 and 6 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 7 लेते हैं । अब खण्डों पर कोई भाषण नहीं होंगे ।

श्री लोबो प्रभु : यह कैसे हो सकता है । मैं अपने संशोधन के बारे में बोलना चाहता हूँ ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यदि हमें संसदीय ढंग से काम करना है तो इसके लिये अवश्य समय ढूंढा जाना चाहिये । ऐसी बात नहीं है कि कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय को बदला नहीं जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : समय 5 घंटे निश्चित किया गया था, परन्तु मैंने इस प्रश्न के महत्व को देखते हुए उसे 3 घंटे और बढ़ा दिया है ।

श्री लोबो प्रभु : मुझे संशोधनों पर बोलने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Those hon. Members have moved their motions they must be given an opportunity to speak. The time should be extended for this Bill.

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : ऐसे मामलों में जहां सदस्य समय बढ़ाना चाहिये उन्हें कार्य मंत्रणा समिति को पुनः भेज दिया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय । अब मैं समय पहले ही बढ़ा चुका हूं, इसलिये इसे कार्य मंत्रणा समिति को पुनः नहीं भेजा जा सकता ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : आप एक घंटा बढ़ाने के लिये तैयार हैं उसे आप बढ़ा दीजिये, ताकि सदस्य अपने संशोधन के बारे में कुछ बोल सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा समझौता रहेगा। अब हम खण्ड 7 पर हैं तथा हम एक या दो महत्वपूर्ण संशोधनों को ले लेते हैं।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं।

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : मैं अपना संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नम्बियार : मैं अपना संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु : यह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है क्यों कि दोनों ओर से यह बात मान ली गई है कि यह विधेयक मजदूर संघों के कार्यों और औद्योगिक विवादों के बारे में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मैंने विधेयक को अच्छी तरह से पढ़ा है तथा विधेयक के इस उपबंध से कि दल उपक्रम के प्रबन्धक के सामान्य पर्यवेक्षण, निदेश तथा नियंत्रण में काम करेगा, मजदूर संघों के कार्यों तथा औद्योगिक विवादों के बारे में हस्तक्षेप करने का प्रबन्धकों को अवसर मिलता है। अतः मेरा यह प्रस्ताव है कि उन शब्दों को निकाल दिया जाये तथा उनके स्थान पर यह कहा जाये कि पुलिस बल अपने स्वविवेक अथवा विद्यमान स्थिति के अनुसार कार्य करेगा।

अतः मैं अपने संशोधन पर जोर दे रहा हूँ। यह एक साधारण संशोधन है। मैं समझता हूँ कि सभी माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे।

श्री नम्बियार : माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है। इसलिये हम इसका समर्थन करते हैं। इस विधेयक की धारा 7 के उप खण्ड (2) में कहा गया है कि इस अधिनियम के उपबन्धों तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार किसी निर्धारित स्थानीय बल का प्रशासन डिप्टी इन्सपैक्टर जनरल चीफ सिक्यूरिटी आफिसर अथवा सिक्यूरिटी आफिसर के हाथ में रहेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाली हिदायतों के अनुसार उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक की देख-रेख में कार्य करेगा। माननीय सदस्य श्री लोबो प्रभु ने कहा है कि प्रबन्ध निदेशक को मजिस्ट्रेट के अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये। इससे वह इस बल के द्वारा, अपनी मनमानी करवायेगा। इसलिये मेरे संशोधन संख्या 37 के द्वारा मैं चाहता हूं कि "प्रबन्ध निदेशक" के स्थान पर "जिले का पुलिस सुपरिटेंडेंट" शब्द रखा जाये। उस क्षेत्र के पुलिस सुपरिटेंडेंट को यह कार्यवाही करने का अधिकार होना चाहिये।

Shri Deven Sen (Asansol) : Mr. Deputy Speaker, last two lines of this Bill-i. e.,..." discharge his functions under the general supervision, direction and control of the Mana ging Director of that Undertaking" should be deleted.

[श्री रा० दो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare *in the Chair.*]

The State Government will have no control on this force. Government are trying to curtail the powers of States Governments and to crush the trade union activitis. I again urge upon the Government to accept my amendment.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : The Managing Directors of Public Undertakings are not appointed through Union Public Service Commission. Government appoint persons of their own choice on the post of Managing Directors of Public Undertakings. This force should not be placed under the control of the Managing Directors because they will use it against the employees. It should be under direct control of the Central Government so that the Managing Director may not use it for hiding their ineffeciency, incompetency and other such things. It should function according to the instructions issued by the Central Government.

श्री एस० कन्डप्पन : प्राय: सभी राज्य सरकारों ने इस विधेयक का विरोध किया है। राज्यों में कानून और व्यवस्था कायम करना राज्य सरकारों का काम है। सम्पति चाहे केन्द्रीय सरकार की हो अथवा राज्य सरकार की, है तो वह जनता की ही। उसकी रक्षा के लिये राज्य सरकार उत्तरदायी होनी चाहिये। इस प्रकार विधेयक में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की व्यवस्था करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करना है। मैं समझता हूं कि इसमें यह व्यवस्था होनी चाहिये कि किसी भी समय जब कोई स्थिति पैदा हो जाये तो इस बल को उस क्षेत्र के जहां यह तैनात हो, पुलिस सुपरिटेंडेंट से पूछ लेना चाहिए कि क्या स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिये उसकी सेवाओं की आवश्यकता है। यदि ऐसा किया जाये तो काफी सीमा तक गलतफहमी दूर हो जायेगी और राज्य भी समझेंगे कि उन्हें भी कुछ उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अत: सरकार को श्री नम्बियार का यह व्यवस्था करने वाला संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसमें राज्य सरकारों की सत्यनिष्ठा पर संदेह करने वाली कोई बात नहीं है। यह सुरक्षा बल केवल सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा के लिये स्थापित किया जा रहा है। इसका राज्य के कानून और व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। इसका कार्य क्षेत्र सरकारी उपक्रमों की सीमा तक ही सीमित रहेगा। इसलिए इसे राज्य सरकार की पुलिस के अधीन रखने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अत: श्री नम्बियार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

श्री लोबो प्रभु ने अपने संशोधन में कहा है कि इस बल को प्रबन्ध निदेशक के अन्तर्गत नहीं रखा जाना चाहिये। यह संशोधन भी सरकार को मान्य नहीं है, क्योंकि इस बल का काम सरकारी उपक्रम में केन्द्रीय सरकार की सम्पति की रक्षा करना होगा और उपक्रम का प्रबन्ध प्रबन्ध निदेशक के अधीन होगा इसलिये समन्वय की दृष्टि से यह बल प्रबन्ध निदेशक की देख-रेख में ही कार्य कर सकता है। इसी प्रकार श्री देवेने सेन का संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

श्री लोबोप्रभु : इस बल को अपने ही अधिकारियों के अधीन रखने में क्या आपत्ति है ? इस बल ने केवल सम्पत्ति की ही रक्षा करनी है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : समन्वय की दृष्टि से यह बल प्रबन्धक के अधीन रखा जायेगा।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5, 13, तथा 27 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments No. 5, 13 and 27 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 7 was added to the Bill

खंड 8-(बल के सदस्यों की बर्खास्तगी, हटाया जाना आदि)

श्री नम्बियार : मैं अपना संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिकरे (पंजिम) : मैं अपने संशोधन संख्या 49, 50 और 51 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Om Prakash Tyagi : I understand that the hon. Minister wants to get this Bill passed as soon as possible because if any amendment to the Bill is accepted, the Bill will again have to be sent to Rajya Sabha.

In support to my amendment I would like to say that the personnel of this force will be very low paid. If their needs will not be met, it will encourage corruption among them, I, therefore, request you not to deduct any amount from their salaries in case they commit any mistake. This will effect their families. They may be given any other punish ment for their mistakes. I, therefore, request you to accept my amendment.

Shri Shinkre : Mr. Chairman, the public undertakings are our temples and it is our duty to protect them. Workers take wrong steps only when they are instigated by some elements. It should not be permitted in any way. I therefore suggest that there should be more stringent punishment for such actions of offence.

Shri Abdul Ghani Dar : Sir, I have also given notice of four amendment.

Mr. Chairman : Your amendments Nos. 58, 9, 60 and 61 are the same as Nos. 48, 49, 50 and 51. So these are barred.

Shri Abdul Ghani Dar : On the one hand this force will function under the Managing Director of an Undertaking and on the other hand the hon. Minister says this the force is only a Watch and Ward. I would actually like to know how this will function under the management of an undertaking and for what offence the personnel will be punished.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 28 और 48 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos. 28 and 48 were put and negatived.

Shri George Fernandes (Bombay-South): Sir, there is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घंटी बज रही है। अब गणपूर्ति हो गई है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 49 50, और 51 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos. 49, 50 and 51 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खड 8 विधेयक में जोड दिया गया

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं अपना संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 29 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendments No. 29 was put and negetived.

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज) : मेरा ऐसा विश्वास है कि विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय ही गलती हुई है। हाशिये की टिप्पणी में तो "अपील और पुनरीक्षण" लिखा गया है परन्तु विधेयक के मूल पाठ में "पुनरीक्षण" शब्द कहीं भी नहीं है। आप इस पर विचार करने की कृपा करें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : विधेयक के उपखंड 3 में पुनरीक्षण का प्रवधान है। काम मूल पाठ के अनुसार ही किया जाता है, हाशिये वाली टिप्पणी के अनुसार नहीं। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में कोई संशोधन भी पेश नहीं किया गया है। अतः इस खंड पर उसके वर्तमान रूप में ही मतदान होना है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 9 was added to the Bill.

खंड 10

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : मैं अपना संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं अपना संशोधन संख्या 30 और 32 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Deven Sen : Sir, my amendment is that the lines from 9 to 23 should be deleted and these lines may be added. "To protect and safegurd the Industrial Undertakings owned by the Central Government" is sufficient for the purpose There is no need to add "other installations" therein.

श्री नम्बियार - खण्ड 10 में यह व्यवस्था है कि इस बल के प्रत्येक अधिकारी और सदस्य को उन सब आदेशों का शीघ्रता से पालन करना होगा जो उन्हें किसी वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा वैध रूप से दिये जायेंगे । अब प्रश्न यह है कि वह वरिष्ठ प्राधिकारी (सुपीरीयर ऑथोरिटी) कौन होगा ? सम्भवतः यह प्राधिकारी मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, जो मनमाने ढंग से काम करेगा । उपखंड (घ) में यह भी लिखा है कि यह बल अन्य ऐसे काम भी करेगा जो औद्योगिक संस्थानों की संरक्षा और सुरक्षा में सहायक होंगे । यहां भी प्रश्न उठता है कि ऐसे कामों का निर्णय कौन करेगा । इस दृष्टि से जनरल मैनेजर ही सर्वेसर्वा हो जायेगा । अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्राधिकारी के आदेशों आदि पर क्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर भी होने चाहिये जिससे इस बल और राज्य सरकार की पुलिस में समन्वय हो जाये, और काम सुचारु रूप से चले । संशोधन 32 के अनुसार मैं यह चाहता हूं उपखंड (घ) को पूर्णतः हटा दिया जाये । अतः मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह मेरे संशोधनों को स्वीकार कर लें ।

Shri Om Prakash Tyagi . I beg to move my amendment No. 52.

In this connection I would like to say that this force is meant for protecting and safeguarding the industrial undertakings owned by the Central Government. So I want that "to protect and safeguard the industrial undertakings owned by the Central Government" should be retained and the rest part of that should be deleted.

Shri Vidya Charan Shukla : It is our intention to safeguard other installations like the source of supply of water and electricity to the industrial undertakings owned by Government. The protection of these sources is as much necessary as the protection of industrial undertaking itself, though it may not be Government property. Moreover, this force will be sent to protect such property as is not the Government property after obtaining State Governments' consent therefor. It has been provided in this Bill. This Force is meant for protecting the property of the Central Government. It has no relation with the Police of State Government. They will separately work in their own jurisdiction. So I am not prepared to accept any of the amendments moved.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 14, 30, 32 और 52 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 10 was added to the Bill.

खंड 11

(बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार)

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं संशोधन संख्या 15, 17 और 18 पेश करता हूं ।

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : मैं संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं संशोधन संख्या 33, 35 और 37 पेश करता हूं ।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मैं संशोधन संख्या 34 पेश करता हूं ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मैं संशोधन संख्या 53 पेश करता हूं।

श्री लोबो प्रभु : यह महत्वपूर्ण खंड है, क्योंकि यह बल को अधिकार देता है । इस अधिकार के बिना तो विधेयक का पारित करना ही व्यर्थ होगा । अतः मैं चाहता हूं कि इस बल के पास अधिकार होने चाहिये ।

श्री नम्बियार : मंत्री महोदय ने इस बल के सदस्यों को केवल पहरा निगरानी कर्मचारियों की संज्ञा दी है । परन्तु साथ ही उन्हें बिना वारन्ट के ही लोगों को गिरफ्तार करने का भी अधिकार दे दिया है । यदि बल का कोई सदस्य यह समझता है कि कोई अशुभ घटना घटने वाली है, तो वह मजिस्ट्रेट से वारंट जारी करवा सकता है । अतः मैं चाहता हूं कि "मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना" के स्थान पर "मजिस्ट्रेट के आदेश के साथ" रखा जाये । इस प्रकार के विधेयक से तो पुलिस राज्य की स्थापना हो जायेगी । सरकार इस ओर लोगों को बिना बताये बढ़ती जा रही है । यह बहुत बुरी बात है । 'परिसर' शब्द भी बड़ा अस्पष्ट है । कारखाना, कालानी या रिहायशी क्षेत्र सभी कुछ 'परिसर' में आ सकता है । परिसर' शब्द को स्पष्ट किया जाये । मैं मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे संशोधन स्वीकार कर लें ।

Shri Abdul Ghani Dar : The Power "to arrest without warrant" is too much. I doubt very much that this force will arrest the M. Ps. and Ministers also under this garb.

Shri Om Prakash Tyagi : The Members of this Force should be given Powers to arrest the people, but to arrest somebody on the basis of doubt is not correct. The provision of this clause as they are, can be misused only to harass the people. So I make an appeal to the Minister to accept my amendment.

Shri Deven Sen : This Bill is brought with the intention to use it against trade Unions. According to the provisions of this Bill any person, who is found tresspassing on the premises of any industrial undertaking, can be arrested, if, in the opinion of the member of this Force, he is taking precaution to commit some damage etc. to the undertaking. It will be utilised against the trade Union workers (Union's Secretary etc.) who are not the employees of the undertaking but who come there in connection with some Union's work. I oppose it.

श्री विद्या चरण शुक्ल : श्री लोबो प्रभु के संशोधन के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि मूल विधेयक में यह प्रावधान था जो कि उन्होंने सुझाया है, परन्तु उसका अन्य सदस्यों द्वारा विरोध किये जाने पर यह केवल सज्ञेय अपराधों तक ही सीमित कर दिया गया है। जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, मैं किसी भी ऐसे संशोधन के प्रति कड़ा रुख नहीं अपनाऊंगा जो विधेयक में सुधार करने वाले होंगे। श्री देवेन सेन ने यह आरोप लगाया है कि इसके माध्यम से श्रमिक संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस बल को पुलिस के अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं। दोनों के कार्य क्षेत्र पृथक-पृथक हैं। जहां तक सर्व श्री त्यागी, नम्बियार और सेन के संशोधनों का सम्बन्ध है, उनसे मेरा निवेदन है कि वे इस बल के सदस्यों को दी गई शक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 59 के अधीन एक साधारण नागरिक को दी गई शक्तिय से अधिक न समझें। अगले खंडों में यह व्यवस्था भी की गई है कि इस बल के सदस्य द्वारा पकड़े गये व्यक्तियों को यथाशीघ्र निकटतम थाने में पेश करना होगा। इस प्रकार इस बल को कम से कम और ऐसे अधिकार दिये जा रहे हैं जो उनके कर्त्तव्य को पूरा करने के लिये नितान्त आवश्यक है।

सभापति महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।
The Amendments were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 11 was added to the Bill

खण्ड 12

Shri Deven Sen (Asansol) : I beg to move my amendment number 19. I also want clarification on two points. Firstly whether these people will be allowed to become members of trade unions and secondly whether this force would be armed or not ?

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 19 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The Amendment No. 19 was put and Negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 12 was added to the Bill

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 13 was added to the Bill.

खण्ड 14

श्री देवेन सेन : मैं अपना संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मैं अपना संशोधन संख्या 40 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं अपना संशोधन संख्या 41 प्रस्तुत करता हूं।

इस खण्ड के द्वारा प्रबन्ध निदेशक तथा इंसपेक्टर जनरल अथवा 4 डिप्टी इंसपेक्टर जनरलों को बहुत शक्तियां प्रदान की गई है। मेरा निवेदन है कि किसी न किसी रूप में राज्य सरकारों को इस योजना से सम्बद्ध करना चाहिए। प्रबन्ध निदेशक को बहुत शक्तिशाली बना दिया गया है। उसे कानून, दण्ड, प्रक्रिया संहिता आदि की जानकारी होनी आवश्यक नहीं होती, वह तो एक नौकरशाही होगा। हमने देखा है कि ऐसे लोग हर एक चीज को खराब कर देते हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि जिला सुपरिन्टेंडेंट पुलिस के स्तर पर राज्य सरकारों को सम्बद्ध करने के मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 20, 40 और 41 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए

Amendment Nos. 20, 40 and 41 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 15

श्री नम्बियार : मैं अपना संशोधन संख्या 42 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं अपना संशोधन संख्या 43 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 42 और43
मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The Amendment No. 42 and 43 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 15 was added to the Bill.

खण्ड 16

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 16 was added to the Bill.

खण्ड 17

श्री शिकरे (पंजिम) : मैं अपना संशोधन संख्या 54 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दार क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ।

Shri Abdul Ghani Dar : I do not move my amendment. Nothing can be done in one minute.

It is a serious crime to run away with uniforms and arms as has been done by some persons belonging to Central Reserve Force in Kerala. These can be used in dacoities and thefts. Severe punishment should be provided for them.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 54 मतदान के लिये
रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The Amendment No. 54 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 17 was added to the Bill.

खण्ड 18-(कर्त्तव्यपालन न करने के लिए दण्ड)

श्री शिकरे : मैं अपना संशोधन संख्या 55 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 55 मतदान के लिए
रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The Amendment No. 55 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 18 was added to the Bill.

खण्ड 19 और 20 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 19 and 20 were added to the Bill.

खण्ड 21

बल के सदस्यों तथा अफसरों के कार्यों के लिए उनको संरक्षण

Shri Om Prakash Tyagi : I beg to move my amendment No. 56.

I think capital letter 'A' has been printed wrongly in the word 'Act'. It may please be corrected.

Shri Abdul Ghani Dar : My amendment is also just the same. It should be accepted.

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह तो केवल छपाई की गलती है। इस गलती को शुद्ध कर दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा छपाई की गलती को शुद्ध करने की प्रायः अनुमति देती है। क्या माननीय सदस्य, मंत्री महोदय के कथन के बाद संशोधन पर जोर देना चाहते हैं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : जी, नहीं। मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 56 वापस लिया गया।

The amendment No. 56 was, bey leave withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 21 was added to the Bill.

खण्ड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 22 was added to the Bill.

अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

The Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस सारी चर्चा में सरकार की ओर से ऐसा कोई ठोस तथ्य नहीं रखा गया जिससे यह पता चले कि गत कुछ महीनों अथवा वर्षों में सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में तोड़-फोड़ अथवा सम्पत्ति को नष्ट करने की गतिविधियों में कोई विशेष वृद्धि हुई है जिसके कारण वर्तमान विधेयक पारित करना आवश्यक हुआ हो। इस तर्क के समर्थन में एक भी घटना का उल्लेख नहीं किया गया है, 1962 से 1967 तक की आपात की अवधि में यह आवश्यक नहीं समझा गया और अब अचानक यह विधेयक लाया

गया है, जबकि आपात की स्थिती समाप्त हो गई है। इसलिये हमारी शंका का उचित आधार है।

हम कार्मिक संघों के लोग निरन्तर आन्दोलन करते रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र के कारखानों में प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार के हाथ में होने चाहिए। लेकिन वे हमारी मांग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के विभिन्न राज्यों में 5 अथवा 6 कारखाने हैं। यही स्थिति हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड तथा अनेक अन्य उपक्रमों की है। इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार, बिहार सरकार, उड़ीसा सरकार, मध्य प्रदेश सरकार अपनी इच्छानुसार कानून अपनाती हैं। यदि आप श्रमिकों के असंतोष को दूर करना चाहते हैं, तो मालिकों और श्रमिकों के सम्बन्ध का कार्य केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। सबके लिये समानता होनी चाहिए। बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर आदि के लिये भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों का दायित्व का होना कहां तक ठीक है ? यह तो कानून और व्यवस्था के नाम पर दमन के लिये अपने हाथ में एक नया हथियार लेना है। इससे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में कोई सुधार नहीं होगा।

कल माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि यह दल पहरे और निगरानी सम्बन्धी वर्तमान कर्मचारी दल का स्थान ले लेगा और प्रत्येक प्रतिष्ठान में स्थायी रूप से रहेगा। परन्तु विधेयक के खण्ड 14 में इससे बिल्कुल विपरीत बात कही गई है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर प्रबन्ध निदेशक इस दल की सहायता ले सकता है और आवश्यकता न रहने पर, चाहे इन्सपेक्टर जनरल ऐसा सोचे भी, उसे वापस भेजा जा सकता है। इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि इसका उद्देश्य इसे कार्मिक संघ आन्दोलन और उनके कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दमन के हथियार के रूप में प्रयोग करना है।

हम इस सम्पूर्ण विधेयक का विरोध करते हैं।

श्री एस० कन्डप्पन (मेट्टूर) संयुक्त समिति को यह विधेयक सौंपते समय, संयुक्त समिति में और इस समय सरकार इस विधेयक के समर्थन में उचित तर्क नहीं दे सकी है। यदि इस विधेयक का उद्देश्य चौकसी और निगरानी करना ही है, जैसा कि श्री शुक्ला दावा कर रहे हैं, तो चौकसी और निगरानी कर्मचारी तो इस समय भी विभिन्न सरकारी उपक्रमों में विद्यमान हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार के विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है और इस विधेयक के विरुद्ध अन्य बातों के अतिरिक्त प्रति वर्ष एक करोड़ से अधिक रूपए व्यय करना, विशेष रूप से हमारी अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, अनुचित और धन का अपव्यय है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक शांति और विशेष रूप से अनुशासन प्रबन्धकों पर निर्भर करता है। यदि सरकार अपने प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिये एक दल रखने के सरकार के अधिकार की बात कहती है, तो इसी आधार पर गैर-सरकारी उद्योगपतियों को भी, जैसे टाटा तथा अन्य, ऐसे ही एक दल की आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में वे इस व्यय को वहन करने की क्षमता नहीं रखते। चूंकि करदाता सरकार का विरोध नहीं कर सकते,

सरकार सोचती है कि वह इन कारखानों में निरन्तर घाटा होने पर भी यह आवर्तक अतिरिक्त व्यय कर सकती है।

संयुक्त समिति में कार्मिक संघों और श्रमिकों के नेताओं के अतिरिक्त सरकारी उपक्रमों के महा-प्रबन्धकों ने भी यह दावा नहीं किया कि उनके प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिये ऐसे दल की आवश्यकता है और कुछ ने तो स्पष्ट कहा है कि वर्तमान व्यवस्था में पूर्णतः संतुष्ट हैं। कुछ ने वर्तमान कर्मचारियों के प्रशिक्षण की बात कही, जिसकी व्यवस्था की जा सकती है। जैसाकि श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने कहा, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में तोड़-फोड़ करने जैसी कोई चीज नहीं है। एक सरकारी उपक्रम के महाप्रबन्धक ने कहा कि उनके अधीन एक आसूचना विभाग है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस विभाग ने उन्हें ऐसी कोई जानकारी दी कि श्रमिक आन्दोलन के समय में भी कारखाने को नष्ट करने का षड्यंत्र कर रहे थे, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें ऐसा कोई मामला नहीं बताया गया है। इसलिये इसकी क्या आवश्यकता है। यदि आप अपने श्रमिकों पर संदेह करेंगे तो कोई भी ताकत यहां तक कि सेना भी आपके कारखाने की रक्षा नहीं कर सकेगी। यदि सरकार को अपने उपक्रमों के बारे में वास्तव में कोई खतरा है, तो वह इस दल के निर्माण से दूर नहीं होगा, उस समस्या को भिन्न तरीके से हल करना होगा। इस प्रकार की दोहरी व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है।

मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद होता है कि 20 वर्ष के कांग्रेस के शासन के बाद भी केन्द्रीय सरकार ने यह सबक नहीं सीखा है कि केन्द्रीय विभाग का प्रसार करके, केन्द्र में अतिरिक्त विभाग बनाकर और राज्यों के उचित अधिकारों का अतिक्रमण करके इस देश को शक्तिशाली नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि इसके विपरीत कार्य करना होगा। केन्द्र की शक्ति राज्यों की शक्ति में निहित है। राज्यों में चाहे किसी भी दल की सरकार हो, यदि आप राज्य सरकार में विश्वास नहीं रखते हैं और उनपर निर्भर नहीं करते हैं, तो भारत की एकता को मजबूत नहीं किया जा सकता है। केन्द्रीय सरकार के मस्तिष्क में राज्यों पर सन्देह है। यह कहने में कोई तुक नहीं है कि केन्द्रीय सरकार को अपनी सम्पत्ति की रक्षा करनी है। राष्ट्र की सम्पत्ति जनता की सम्पत्ति है, कोई भी सम्पत्ति चाहे वह केन्द्र की हो अथवा राज्यों की हो, वह जनता की सम्पत्ति है। कर चाहे वे राज्यों द्वारा लगाये जायें अथवा केन्द्र द्वारा, वे जनता से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की रक्षा में राज्य की रुचि नहीं होगी। मेरी समझ में तोड़-फोड़ का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आयात की गम्भीर स्थिति तक में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस विधेयक को वापिस ले लें।

श्री क० नारायण राव : (बोब्बिली) : इस विधेयक पर चर्चा में बहुत सी बेकार की बातें उठाई गई हैं। यदि हम इस योजना को देखें तो पायेंगे कि इसका उद्देश्य केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की रक्षा करना है। जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, यह सन्देह पर आधारित नहीं है। सरकारी उपक्रमों में करोड़ रुपए खर्च किये गये हैं और उनमें बहुत सी आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। रेलवे स्टेशनों के जलाये जाने को ध्यान में रखते हुए, हम जोखिम नहीं उठा सकते। घटना होने के बाद जागने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिये इस दल के निर्माण की आवश्यकता है।

कार्मिक संघों का उद्देश्य सम्पत्ति नष्ट करना तो नहीं होता। यदि ऐसा है, तो वे क्यों डरें ? इस विधेयक का कार्मिक संघों के उचित अधिकारों से तो कोई सम्बन्ध है ही नहीं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Mr. Deputy Speaker, Sir, this day will be considered the blackest one in the history of Parliament of India. They were not authorised to substitute 'who' for 'and' 'and' and for ! 'who'. It was said that they had obtained the approval of the Select Committee. In fact the members were not notified the changes proposed to be considered in that sitting.

Secondly, I feel that such force can not be strong enough to protect big public enterprises. In case of difficulty the assistance of States will have to be sought.

Shri Om Parkash Tyagi (Moradabad) : I am aware that some elements are raising their head in the country, who are interested in creating choos in the country and sabotage in unity of the nation. Such elements can prose a danger to vital installations. Ours is the only country where there is no law to punish the traitors and anti-national elements. Proper course to deal with such elements would have been to accept the Bill brought forward the other day by Shri Yashpal Singh.

The creation of such a force for guarding the Central Projects will result in conflict between the Centre and the States. You have got powers to enforce President's rule in case a State Government fails to protect the public under-takings of the Centre. You may use those powers. Then, you have the power to send the Central Reserve Force whereever any danger is felt. Instead an additional force is being created. It has been claimed that this force will be performing watch and ward functions but such a force is already there. This force is going to no different from a police force, which will also be used for crushing any agitation. Magistrates, who had been vested with powers to order the use of police force, are fully aware with the laws. But here you are empowering the Manager of an undertaking to requisition such a force, who has no knowledge of the laws. It will result in employment of its own man by the ruling party and their trade union will be granted patronage and this force will be used against their opponents. I oppose this Bill since you will be resorting to additional taxation on our already heavily burdened and poor people of the country. Therefore, I will appeal the hon. Minister to withdraw this Bill.

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : विधेयक की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विधेयक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के दुरुपयोग के बारे में सतर्क रहे, क्योंकि अन्यथा इसके कारण कई कठिनाइयां खड़ी हो जाया करती है। इस बल को केन्द्र सरकार ने किसी बाहरी प्राधिकरण को सौंप दिया है और अब यह देखना है कि यह नवीन प्रयोग किस प्रकार सफल होता है।

मैं यह भी टिप्पणी करना चाहता हूं कि जो बात सरकार ने यहां सभा में स्वीकारी है उसे वह ठोकर खाकर ही स्वीकारेगी।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना से पाठ नहीं सीखा है और अब यह विधेयक भी इसी प्रकार के उद्देश्य हेतु प्रस्तुत किया गया है। सरकार को अनुभव हो जाना चाहिये था कि उनके ये साधन उपयोगी नहीं हैं। सरकार अपनी अकुशलता को कोप श्रमिकों और जनता पर डालना चाहती है।

भारत अनेक राज्यों का एक संघ है तथा केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों के मध्य समुचित पारस्परिक सम्बन्ध बने रहने चाहिये अन्यथा केन्द्र सरकार कमजोर पड़ जाती है। उसी प्रकार संसद द्वारा बनाये गये कानूनों का उल्लंघन करके राज्य भी सुचारू रूप से प्रशासन नहीं चला सकते। परन्तु मन्त्री महोदय ने राज्यों को विश्वास में लेना उचित नहीं समझा है और राज्यों में इस बल का गठन करना चाहा है। इसका अर्थ तो यह होता है कि केन्द्र सरकार राज्यों में अपने अलग द्वीप, न्यायालय आदि रखना चाहती है। यह बुरी बात है। इन सरकारी अनुष्ठानों के प्रबन्धकों से वहां के श्रमिकों का टकराव होगा और कदाचित अपनी पहरा और निगरानी सम्बन्दी का पलड़ा भारी करने हेतु ही सरकार ने यह कानून बनाने का निश्चय किया है। इस विधेयक द्वारा वे पहरा और निगरानी वृन्द की हर कार्यवाही को कानून बनाना चाहते हैं; प्रबन्धकों के हर कार्य की हिमायत करना चाहते हैं। यह पक्षपात है, और इस प्रकार सरकार एक व्यापारी के रूप में अपने व्यापार को ही दृढ़ करने हेतु यह सब कुछ कर रही है।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : इस विधेयक को पास करके हम उन लोगों को असीमित शक्तियां देने जा रहे हैं जो कि वास्तव में सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। इन शक्तियों का प्रयोग उस सशस्त्र बल के माध्यम से होगा जिन्हें मन्त्री महोदय 'पहरा और निगरानी विभाग" कहते हैं। इसकी क्या गारन्टी है कि इन शक्तियों का प्रयोग सतर्कता से किया जायेगा? विधेयक में एक स्थान पर कहा गया है कि केवल प्रबन्ध के अधीन अनुष्ठानों की ही नहीं बल्कि उन अनुष्ठानों से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण अनुष्ठानों की रक्षा हेतु भी इन कानूनों को लागू किया जायेगा। परन्तु उन "महत्वपूर्ण" अनुष्ठानों की परिभाषा नहीं दी गई है। इस बारे में महा प्रबन्धक अथवा मन्त्री महोदय की इच्छा पर ही सब कुछ छोड़ दिया गया है। यदि केन्द्र सरकार तथा किसी राज्य सरकार में साट-गांठ हो गई तो ये दोनों चाहे जिस अनुष्ठान को महत्वपूर्ण घोषित कर देंगे, तथा बाद में इसके विपरीत निर्णय लेने की किसी अन्य सरकार को शक्ति नहीं रहेगी। अतः इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रबन्धकों को किस सीमा तक असीमित शक्तियां दी गई हैं। मुझे आशा है कि इस बारे में सामान्य ज्ञान भी उपयोग में लाया जायेगा तथा किसी सम्भावित मुसीबत से बचने का प्रयास किया जायेगा।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : This Bill has been under discussion for the last two years when in 1967 Shri Gulzari Lal Nanda intiated it. And how we have to deal with it finally. Govt. want to get it passed at the strength of their majority in this House. We were of the cpinion that realising the Constitutional aspects, and also the sense of humanity, the Govt. would withdrawn this Bill or some of its anti-social clauses; but they appear to be very adament in their determination. There is no doubt about it that the Govt. want to strengthen their grip on the administration through this Industrial Security Force, Army, Police, Border Security Force. C.R.P., Home Guards etc. all are under them, but let the Govt. know that these all armed forces also will not be able to protect their seat. They have already got a lesson from the Delhi Police last year. And now the Govt. want to organise and own another armed force.

But the police officials are also human beings. They too have their own problems just like that of other poor people, or even more. Govt. takes so much hard work from these people and pay them very little ; but treat them very cruely if they commit a bit mistake. So these police officials are also human beings and the citizens of India.

But the Central Govt. are still going to get this Bill passed even when there is a strong opposition from the common people, labourers, several states and also from certain very learned and wise people belonging their own party.

I, therefore, warn the Govt. that these very armed forces which the Govt. are creating every now and then will one day revolt against the Govt. itself and the Govt. itself will dash to ground alongwith all of these very forces of theirs.

With this, I strongly oppose the Bill.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : अधिकाधिक सरकारी उपक्रमों का स्थापना में विश्वास करने वाले लोगों का विश्वास है कि अधिकाधिक सरकारी और राष्ट्रीय उपक्रमों की स्थापना होगी तथा सरकार और श्रमिकों के मध्य अच्छे सम्बन्ध स्थापित होंगे तथा कर्मचारियों को प्रबन्धकारियों में हिस्सेदार बनने का अवसर मिलेगा। इसी चीज को उस समाजवाद के नाम से पुकारते हैं। परन्तु सरकार तो ठीक इसके विपरीत कर रही है। कर्मचारियों के साथ सम्बन्धों की स्थापना की तो बात क्या, वह तो राज्य सरकार के साथ अपने सम्बन्धों की भी परवाह नहीं करती क्योंकि उसे मालूम है कि अमुक राज्य केन्द्र सरकार के राजनैतिक विचारों से सहमत नहीं है।

यह बड़ी दुर्भाग्य-पूर्ण स्थिति है परिणाम यह है कि सरकार ने राज्यों में अपने बल, सेना, पुलिस आदि भेजना आरम्भ कर दिया है। वास्तव में कोई भी सम्पत्ति हो, चाहे वह राज्य सरकार की हो अथवा केन्द्र सरकार की अथवा किसी गैरसरकारी आदमी की; उसकी रक्षा तो की ही जाती है। इस में विशेष बात कहां उत्पन्न होती है। वास्तव में यहां उद्देश्य सम्पत्ति की रक्षा का नहीं प्रत्युत मजदूर संघों के आन्दोलन को कुचलना है। यह बात साफ प्रकट हो रही है। अतः इस विधेयक से सबसे बड़ा खतरा यही है कि इतना धन लगे इस सरकारी उपक्रमों में अनेक समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी और वैमनस्य की भावना पनपेगी।

सरकार को यह समझना चाहिये कि वह देश में किस प्रकार की भावनाओं को जन्म देने जा रही है। वह मजदूरों में विश्वास नहीं रखती और उन्हें दबाने के लिये बल प्रयोग करती है। इससे बड़ी दिक्कतें पैदा होंगी, अब भी समय है कि सरकार इस काले कानून को वापस ले ले।

Shri Vidya Charan Shukla : About the necessity of this Bill, I would once again repeat that Justice Mukarjee, in his report in regard to the fire in the Heavy Engineering Corporation, had recommended that such a Force should essentially be establised in India. There are many more examples bringing out great losses to the public sector organisations and compelling us to organise such a Force.

Secondly, I have made it very clear a number of times that this Force has got nothing to do with the usual affairs of the State Policy. This Force will do only that work which is at present done by the Watch and Ward Department. We are neither usruping any rights of the State Governments nor are we establishing any additional force. It is very surprising that these facts are not understood and some members are adament for their own opinion. It is also a matter of surprise that the supporter of more and more public undertakings are today opposing this Bill, whereas they should support it since it is a measure to protect these undertakings itself.

There is nothing like a revolt or harressment to any one as Shri George Fernandes has suggested. This Bill is meant only for protecting the public property. I hope this Bill will get the support of heavy majority in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाये।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha was devided

Shri Hukam Chand Kachwai : We stage a walk out.

Shri George Fernandes : Take back this black Bill.

(इसके पश्चात श्री हुकम चन्द कछवाय श्री जार्ज फरनेन्डीज तथा कई अन्य सदस्य सभा भवन छोड़कर चले गये)

(Shri Hukam Chand Kachwai, Shri George Fernandes and some other Members then left the House).

उपाध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम यह है :

पक्ष में : 81 विपक्ष में : 22

Ayes : 81 Noes : 22

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The mation was adopted

भारत-नेपाल व्यापार वार्ता सम्बन्धी संयुत विज्ञप्ति

JOINT COMMUNIQUE ON INDO-NEPAL TRADE TALKS

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं काठमांडू में 15 से 19 नवम्बर, 1968 तक मन्त्री स्तर पर हुई भारत-नेपाल व्यापार वार्ता के सम्बन्ध में जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

इसके पश्चात लोक-सभा बुद्धवार 20 नवम्बर, 1968/29 कार्तिक, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, November 20, 1968/Kartika 29, 1890 (Saka)